त्रयोदश माला, खंड 34, अंक 34

मंगलवार, 6 मई, 2003

16 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 34 में अंक 31 से 37 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 55
Date 24/3/04

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर स
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 34, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 34, मंगलवार, 6 मई 2003/16 वैशाख, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 के बारे में	2–22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 623 से 642	23–59
अतारांकित प्रश्न संख्या 6195 से 6354	60–261
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 के बारे में	262
सभा पटल पर रखे गए पत्र	262–271
राज्य सभा से संदेश	271
कार्यमंत्रणा समिति	
इक्यावनवां प्रतिवेदन	271
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000—*वापस लिया गया*	272
नियम 377 के अधीन मामले	273–281
(एक) झारखण्ड विधान सभा के सदस्यों की संख्या 81 से बढ़ाकर 150 किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम टहल चौधरी	273–274
गुजरात में बलसाड़ से धरमपुर होते हुए महाराष्ट्र में नासिक तक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी	274
(तीन) बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	275

विषय	कॉलम
(चार) उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्रावस्ती के लिए दिल्ली और लखनऊ से विमान सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री पद्मसेन चौधरी	275
(पांच) गुजरात के सूरत में सभी सुविधाओं से युक्त पासपोर्ट कार्यालय शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री मानसिंह पटेल	275–276
(छह) राजस्थान में अजमेर और उदयपुर बरास्ता भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच रेललाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री भेरूलाल मीणा	276
(सात) कोयला उत्पादक राज्यों के हितों की रक्षा के लिए राज्यों के बीच कोयला वितरण नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	276–277
(आठ) छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. और एस.ई.सी.एल. की इकाइयों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता	
डा. चरणदास महंत	277–278
(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर तेल्लीचेरी-माहे बाईपास के निर्माण के लिए केरल सरकार की परियोजना को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. ए.के. प्रेमाजम	278
(दस) देश में क्षय रोग के नियंत्रण के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता	
डा. मन्दा जगन्नाथ	278–279
(ग्यारह) देश में भारतीय खाद्य निगम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	279
(बारह) उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए धनराशि शीघ्र मंजूर किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सजीवन	280
(तेरह) पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में हरित ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता	
डा. एस. जगतरक्षकन	280–281
(चौदह) सहकारी चीनी उद्योगों को आयकर अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से हटाने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	281

विषय	कॉलम
सरकारी विधेयक—*पारित*	
(एक) संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 268क का अंत:स्थापन, अनुच्छेद 270 का संशोधन और सातवीं अनुसूची का संशोधन)	282–352
विचार करने के लिए प्रस्ताव	283, 303
श्री जसवंत सिंह	283–284, 300–302
श्री पवन कुमार बंसल	285–288
श्री अनादि साहू	288–290
श्री रूपचन्द पाल	290–293
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति	293–294
श्री ए.सी. जोस	295–296
डा. वी. सरोजा	296–298
श्री किरीट सोमैया	298–300
खण्ड 2 से 4 और 1	314
पारित करने के लिए प्रस्ताव	339–352
(दो) संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 81, 82, 170 और 330 का संशोधन)	352–446
विचार करने के लिए प्रस्ताव	353
श्री अरुण जेटली	353–355, 400–404
श्री के.एच. मुनियप्पा	355–357
श्री मानवेन्द्र शाह	357–358
श्री सोमनाथ चटर्जी	359–361
श्री के. येरननायडू	361–362
श्री सी. कुप्पुसामी	362–363
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	364–369
श्री रमेश चेन्नितला	369–372
श्री महेश्वर सिंह	373–375
श्री राशिद अलवी	375–377
श्री सुरेश रामराव जाधव	377–378

विषय	कॉलम
श्री के. मलयसामी	378–280
डा. मन्दा जगन्नाथ	381–382
श्री के.ए. सांगतम	382–384
श्री पी.आर. किन्डिया	384–387
प्रो. रासा सिंह रावत	388–390
श्री चन्द्रनाथ सिंह	390–392
श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर	392–394
श्री बिक्रम केशरी देव	394
श्री अनादि साहू	394–395
श्री वरकला राधाकृष्णन	395–396
श्री विजय गोयल	396
श्री रामदास आठवले	396–397
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	397–398
श्री सुबोध मोहिते	398–399
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	399–400
खण्ड 2 से 5 और 1	418–432
पारित करने के लिए प्रस्ताव	432–446

लोक सभा

मंगलवार, 6 मई, 2003/16 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.0$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय श्री देवेन्द्र सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब अपनी-अपनी जगहों पर जाइये। मुझे कम से कम विषय तो समझने दीजिए कि आप सब किस विषय पर बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सब अपनी-अपनी जगहों पर जाकर बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं, वह बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सब अपनी-अपनी जगहों पर जाइये। मुलायम सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं, वह बोलिये। मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे सुनने दीजिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं? आप लोगों के नेता बोलना चाहते हैं इसलिए आप सब अपनी-अपनी जगह पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने मुलायम सिंह जी को पुकारा है। मुलायम सिंह जी आप बोलिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाइये। मैं जानना चाहता हूं कि श्री मुलायम सिंह यादव क्या कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब कृपया अपनी-अपनी जगहों पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय श्री देवेन्द्र सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 के बारे में

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हम नहीं चाहते कि सदन में किसी तरह का व्यवधान डाला जाये। अब सदन के माननीय सदस्य विश्वास करें या न करें लेकिन हम शांतिप्रिय व्यक्ति हैं।...*(व्यवधान)* मैं एक शांतिप्रिय एवं अनुशासित सदस्य हूं और किसी तरह की कोई अशांति नहीं चाहता। हम इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावनाएं यहां व्यक्त कर रहे हैं। हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं हैं।...*(व्यवधान)* आप कुछ भी कहते रहिए लेकिन जरा अपने दिल से पूछिये। हमें पता है कि आप क्या चाहते हैं इसलिए ज्यादा बहस मत कीजिए।

हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। हम महिला आरक्षण के सबसे ज्यादा प्रबल समर्थक हैं लेकिन वर्तमान विधेयक के

स्वरूप के हम खिलाफ हैं। अगर यही विधेयक संशोधित होकर आये तो हम इसका सबसे पहले समर्थन करने वालों में से होंगे। इस विधेयक के बारे में हमारी पहले भी यही राय थी कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने में जिन वर्गों का सबसे ज्यादा समर्थन और भूमिका रही है, आज उनको इस विधेयक के माध्यम से वंचित किया जा रहा है, जैसे किसान हैं, वह चाहे किसी भी जाति का किसान हो, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्होंने आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है, जोखिम उठाया है। आज भी हिन्दुस्तान की सीमा की रक्षा करने वाले यही मध्यम वर्ग के लोग हैं, यही किसान हैं, यही मजदूर हैं।

आज हम चाहते हैं कि इस विधेयक में पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक या दलित वर्ग की महिलाओं का अलग से आरक्षण हो। उसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि किसानों के लिए भी आरक्षण हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपर कॉस्ट के हो सकते हैं, ऊंची जाति के हो सकते हैं।

लेकिन वे किसान हैं। साधारण परिवार के वे लोग गांवों में गांवों में बसे हुए हैं। उनकी महिलाओं को इस बिल के माध्यम से वंचित किया जा रहा है। इस तरह समाज के बहुत बड़े समूह, कम से कम 85 या 90 फीसदी लोगों को इस विधेयक के द्वारा लाभ से एक साजिश के तहत वंचित कर दिया। दूसरी तरफ रोटेशन इतना खतरनाक है कि जनप्रतिनिधि और मतदाता का जो रिश्ता होता है, वह सिर्फ क्षेत्र प्रेम ही नहीं क्षेत्र प्रेम तो होता ही है, लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि मतदाता और जनप्रतिनिधि का रिश्ता जितना गहरा और गर्म होता है, उतना किसी और का नहीं होता। मतदाता चाहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि हमारी आंखों के सामने रहें और हम व्यस्त होते हुए भी चाहते हैं कि अपने मतदाता के बीच जाएं। आप सब लोग भी यही चाहते हैं। अब यह गहरा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। अगर रोटेशन होगा तो आज जो चुनकर आएगा, वह सोचेगा कि हमें अगले साल इस क्षेत्र में नहीं रहना है। वह जनता के सारे काम छोड़ देगा, जनता का कोई काम नहीं करेगा। इससे जनता की उपेक्षा होगी। क्योंकि कि वह क्षेत्र के विकास में रुचि नहीं लेगा।

इस विधेयक में एक नहीं, बहुत सारी खामियां हैं। इसलिए हमारी राय थी कि आज जो विधेयक आना है, उसे संशोधित करके लाया जाए। माननीय प्रधान मंत्री जी से हमारी बहुत सी बातें हुई। हम नहीं कहेंगे कि यहां उनकी क्या राय है। प्रधान मंत्री जी की राय भी हमसे बहुत मिलती-जुलती हो सकती है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री आज लगता है कि काफी जिद में आ गई हैं, मैंने जैसे कार्य मंत्रणा समिति में उनका रुख देखा, लेकिन एक दिन ऐसा भी था जब वह भी हमारी राय से सहमत थीं। चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, सब अनुशासन से बंधे हुए हैं। आज पूरे सदन की सारी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। पूरा सदन हमें मौन समर्थन कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस विधेयक को वापिस लीजिए। हम फिर कहना चाहते हैं कि हम इसे मानेंगे, हमने फैसला किया था कि पार्टियों का कोटा सुनिश्चित किया जाए, जो इसका पालन न करे उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाये। हम दस फीसदी तक सीमित नहीं रहेंगे। हम दस फीसदी से आगे बढ़ सकते हैं यदि पार्टियों पर कोटा छोड़ दिया जाए...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): रोटेशन होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हमसे कोई बहन नाराज न हो जाए, रोटेशन होगा तो बहन, आपका अता-पता भी नहीं चलेगा। रोटेशन इतना खतरनाक है कि उससे आपके लिए भी खतरा है। इसलिए लोकतंत्र, जो जनता की शक्ति से चलता है, जो असली जनशक्ति है, लोकतंत्र में जनशक्ति सर्वोपरि है, उसकी इस विधेयक के माध्यम से उपेक्षा होने जा रही है, पूरे लोकतंत्र की उपेक्षा होने जा रही है। इससे समाज में गैर-बराबरी और बढ़ेगी, असंतोष और फैलेगा। इस तरह का विधेयक लाने की क्या जरूरत थी? संशोधित विधेयक पर चर्चा हो। हमने प्रयास किया था और उसमें आम सहमति बना रहे थे तथा उसमें सफल भी हो गए थे। हम चाहते हैं कि इस विधेयक का स्वरूप ऐसा बने जिसे सबका समर्थन मिले और पूरे सदन की एक राय बनें। महोदय, आपने इराक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में जो भूमिका निभाई थी और सबको एक कर दिया था वही मौका फिर आ गया है, आप ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका फिर निभा सकते हैं और वर्तमान विधेयक को वापिस करवा कर, संशोधित विधेयक लाएं। हम उसका पुरजोर समर्थन करेंगे वर्ना हमारी मजबूरी है, आज हमें माफ कर दीजिए। हम देश के 95 फीसदी उपेक्षित, वंचित, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों, जिनके परिवार की महिलाएं इस विधेयक के माध्यम से वंचित होने जा रही हैं। उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कि उसमें हमारे और हमारे साथियों का आचरण अशोभनीय हो जाए। उसे आप माफ कर दीजिए, हमारी आपसे यही प्रार्थना है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण विधेयक नहीं है, संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक है। 11वीं लोक सभा से इसकी शुरूआत हुई और इस पर बड़ा भारी विवाद है, सभी दलों के बीच आपस में बड़े भारी मतभेद हैं। डा. लोहिया ने कहा था, नर-नारी में समता हो, बराबरी का अधिकार हो। आरक्षण का प्रावधान वंचित लोगों के लिए है। जो महिलाएं ऐसे ही जीतकर आ जाती हैं, उनके लिए आरक्षण

का क्या प्रावधान होना चाहिए। इस देश में तो प्रधान मंत्री भी महिला रह चुकी हैं और इस रीजन में पाकिस्तान की प्रधान मंत्री, लंका की प्रधान मंत्री और बंगलादेश की प्रधान मंत्री भी महिला हैं।

इस देश में भी 6-7 पार्टीज ऐसी हैं जिनमें महिला प्रधान हैं। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रधान हैं। कुमारी ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की प्रधान हैं। इसी तरह कुमारी जयललिता जी भी हैं। बिहार में हमारी मुख्यमंत्री महिला हैं। यू.पी. की मुख्यमंत्री मायावती जी भी महिला हैं। जहां बिना आरक्षण के ही महिला प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री बन रही हों, वहां उनके लिए आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण की उन लोगों को जरूरत है जो लोग साधारणत: चुनाव में नहीं आ पाते हैं। महिलाओं के लिए डा. लोहिया कहा करते थे कि दो तरह का वर्ग है। एक वर्ग देवियों का है लेकिन उससे ज्यादा बड़ी संख्या दासियों की है जो असल में वंचित और शोषित हैं। एससी एसटी की महिलाएं, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति की महिलाओं को आज आरक्षण की जरूरत है। महिलाओं के नाम पर इन वंचित, शोषित महिलाओं का हक मारने का काम आपकी अध्यक्षता में नहीं होने देना चाहिए, यह सवाल मैं उठाना चाहता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी। उसने क्लॉज 2 में जो अनुशंसा की है, उस पर विचार होना चाहिए। जो वंचित, शोषित महिलाएं हैं, दासी वर्ग की महिलाएं, पत्थर तोड़ने वाली महिलाएं तथा गांव की महिलाएं हैं जो साधारणत: चुनाव में जीतकर नहीं आ पाती हैं, उनको आरक्षण की जरूरत है। लेकिन यह तो महिला के नाम पर हिस्सा मारी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए माननीय सदस्यों की भावना है कि जो वंचित शोषित महिलाएं हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान हो, उनको विशेष अवसर दिये जाएं, वंचितों को आरक्षण दिया जाए। ऐसे नहीं कि जो धोखाधड़ी और सीट कब्जा करने तथा घुमाफिरा कर महिला के नाम पर सीट कब्जा करने, राजनीति पर कब्जा करने का षडयंत्र चल रहा है, उसका हम भंडाफोड़ करना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बार-बार आश्वस्त किया कि हम आम सहमति से राज चलाना चाहते हैं। इस तरह के संविधान संशोधन के लिए कंसेंसस बनाने का प्रयत्न भी किया गया। एक बार बैठक भी हुई ताकि कुछ आम सहमति का रास्ता निकले। चुनाव आयोग ने भी रास्ता सुझाया, महिलाओं के संगठन ने भी रास्ता सुझाया, मुलायम सिंह यादव जी ने बराबर बातचीत के जरिए रास्ता सुझाया कि इस पर आम सहमति निकालने का प्रयत्न होना चाहिए लेकिन बिना आम सहमति के इस सैशन के अंतिम चरण में महिला के नाम पर जो राजनीति हो रही है, इसीलिए उस राजनीति का हम भंडाफोड़ करना चाहते हैं।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग विपक्षी दल हैं। विपक्षी दल परस्पर एक राय से विचार करते हैं लेकिन बाकी इस मसले में हम नहीं जानते कि क्या पेच है जो ये सभी लोग एक ही बात करते जा रहे हैं और इसमें भाजपा, कांग्रेस और वामपंथी भी साथ हो गए हैं, इसीलिए उसका हम भंडाफोड़ करना चाहते हैं कि यह क्या खेल है, इसमें क्या पेच है और क्या तिकड़म है कि जहां अनेक चीजों में विपक्षी एकता की हम बात करते हैं और विपक्षी एकता होने लगती है जो भाजपा कांग्रेस का तालमेल कैसे हो जाता है? अनेक वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव्स को लाभ मिलने जा रहा है, इसीलिए इस देश के दबे हुए, वंचित और शोषित लोग सावधान हो जाओ, इस छल से सावधान हो जाओ तथा इस छल का भंडाफोड़ करने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर भी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आत्मा की पुकार भी इसमें है। ...*(व्यवधान)* एनडीए क्या है? एनडीए की विपक्ष से आम सहमति बनाने की कोशिश होती। एनडीए के घटकों में आपस में क्या हाल हैं? समता पार्टी के भाई क्या बोल रहे हैं? लेकिन जो असली वंचित समाज के लोग हैं, उनको जब तक आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा, तब तक इस विधेयक की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। हम लोगों को कहा जाता है कि महिला विरोधी हैं। प्रधान मंत्री जी की शादी नहीं हुई, वे महिला विरोधी हैं या हम लोग हैं। हमने दो-दो महिलाओं को मुख्य मंत्री बनाया है। इसलिए हम इस विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे। सरकार को चाहिए कि वह कंसेंसस बनाने का प्रयत्न करे और अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित वर्ग, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए भी इस विधेयक में आरक्षण की व्यवस्था करे।...*(व्यवधान)* उसके बिना इस विधेयक को यहां न पेश किया जाए और राजनीति का नाश होने से बचाया जाए।

अध्यक्ष महोदय: मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस विषय पर भी मेरे पास कई नोटिसेज आए हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह महत्वपूर्ण विषय है इसलिए हर पक्ष की राय आनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामदास जी, मैं आपको भी इजाजत दूंगा, अभी आप बैठिए। मुलायम सिंह जी, मैं इस विषय पर चर्चा बंद नहीं कर रहा हूं। लेकिन सदन की राय मालूम होनी चाहिए। इस विषय पर मेरे पास कई नोटिसेज हैं और लोगों ने बोलने की इच्छा प्रकट की है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं इतना ही चाहता था कि अभी जो विषय हमारे सामने नहीं है, जब संविधान

संशोधन विधेयक सदन में आएगा, उस समय इस पर चर्चा होती तो अच्छा होता, लेकिन अब चूंकि चर्चा शुरू हो गई है इसलिए मैं तीन-चार सदस्यों को जिन्होंने बोलने की इच्छा प्रकट की है, उनको इजाजत दूंगा। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी भी इस पर अपनी बात रखेंगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहती हूं, जैसा आपने कहा है कि इस सदन को संचालित करने का एक बुनियादी नियम है। जो मोशन सदन के सामने होता है, उस पर पहले चर्चा होती है। जिस समय महिला आरक्षण विधेयक आए, उस समय उसके गुण-दोषों पर जितनी चर्चा करना चाहें, विस्तृत चर्चा करना चाहें, वह कर सकते हैं। इस समय प्रश्न काल के समय उस पर चर्चा करने के कोई मायने नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देखिए, जब मुलायम सिंह जी और रघुवंश प्रसाद जी बोल रहे थे तो सबने उन्हें शांति से सुना था इसलिए आप लोग बैठिए। सुषमा जी की राय आपको सुननी पड़ेगी, चाहे आपको अच्छी लगे या न लगे, क्योंकि उनका भी दृष्टिकोण है। मैं जो कह रहा था, वही बात सुषमा स्वराज जी ने कही है। लेकिन जिन चार-पांच सदस्यों का नोटिस मेरे पास आया है, मैं उनको बोलने की इजाजत दूंगा।

श्री चन्द्रकांत खैरे।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी महिला होने के कारण यह बिल यहां लेकर आई हैं। मैं सुषमा दीदी की बहुत इज्जत करता हूं, उनको मान देता हूं और उनका आदर करता हूं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी में यह विधेयक लाया गया है। एन.डी.ए. के पार्टनर्स से भी इस बारे में नहीं पूछा गया, उसका मुझे दुख है, वह मैं यहां व्यक्त करता हूं। शिव सेना महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। लेकिन आरक्षण कैसे होना चाहिए, इस बारे में शिव सेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने बार-बार कहा है। इसी कारण हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें यह मांग की गई थी कि आरक्षण पार्टी बेस पर होना चाहिए। पार्टी तय करे कि किस महिला को हम सीट का आरक्षण देंगे। शिव सेना में सुषमा जी से भी ज्यादा कर्मठ महिलाएं हैं। उनको आगे लाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र महिला रिजर्व नहीं होंगे तो वे कहां जाएंगी। इसलिए पार्टी को तय करना चाहिए कि किस महिला को आरक्षण देना है। चुनाव आयोग के साथ जब सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई थी, उस समय भी यह विषय सामने आया था। चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिया था कि ठीक है महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए और पार्टी बेस पर होना चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के साथ भी सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई थी। उस समय हमारे आदरणीय मित्र मल्होत्रा जी ने भी इसका समर्थन किया था।

श्री शरद पवार (बारामती): आपका समर्थन किया था।

श्री चन्द्रकांत खैरे: श्री मल्होत्रा जी ने हमारी भूमिका का समर्थन किया था उस वक्त मुलायम सिंह जी ने पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है या किसकी है, तो इन्होंने प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह सही बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस पार्टी के लोग हर समय सही बोलते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, आपकी यह विशेष टिप्पणी रिकार्ड में नहीं जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: यह बिल बहुत जल्दीबाजी में सदन में लाया जा रहा है। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में गत सप्ताह जो विषय तय हुए थे और संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस कार्य की सदन से मंजूरी भी ले ली है। उसके बावजूद भी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की कल मीटिंग बुलाई गई, जबकि पांच दिन के बिजनैस की सभागृह ने मान्यता दे दी थी महिला विधेयक के बारे में किसी से पूछा नहीं गया। मैं कहना चाहता हूं कि किसके दबाव के नीचे यह सरकार काम कर रही है—आदरणीय सोनिया जी व आदरणीय सोमनाथ चटर्जी जी के। वे दोनों भी आज सदन में उपस्थित नहीं हैं। क्या उनके दबाव के नीचे आप काम कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि आप यह बिल क्यों लाना चाहते हैं? राम मन्दिर के मुद्दे पर या हिन्दुत्व के मुद्दे पर क्या यह लोग हमें सपोर्ट करेंगे? शिवसेना पिछले 19 सालों से आपके साथ है, लेकिन हमसे बिना पूछे यह बिल सदन में लाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण पार्टीवाइज होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो कार्यशील महिलायें आगे आयेंगी, सामाजिक काम करने वाली महिलायें आगे आयेंगी। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहते हैं कि जल्दीबाजी में यह बिल मत लाइए। बिल का प्रारूप-स्वरूप बदल दीजिए और अगले सत्र में इसको पेश करिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में हम सदन में चर्चा कर रहे

हैं। हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तीन वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में इस देश में जोरों से चर्चा चल रही है और इस सदन में भी चर्चा हुई है लेकिन हंगामे के बीच बिल पर चर्चा नहीं हो सकी है। यदि मेरी जानकारी सही है तो मुझे एक कैबिनेट के मंत्री ने बताया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे कौन सी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि राजग सरकार के कैबिनेट मंत्री अपने साथियों को मंत्रिमंडल के गोपनीय रहस्य बताते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: प्रियरंजन दासमुंशी जी, मैं कैबिनेट की मीटिंग की बात नहीं कह रहा हूं। पहले आप मेरी बात सुनिए, उसको समझिए, क्योंकि आपकी समझदारी थोड़ी कम हो चुकी है। मैं बताना चाहता हूं कि उस बैठक में यह तय हुआ था कि दल के आधार पर पार्टियों में आरक्षण महिलाओं का हो और उस पर सहमति भी बन रही थी। इस देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में हमारे उप-प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं। मैं उनसे एक भावनात्मक निवेदन करना चाहता हूं। उप प्रधानमंत्री जी वह भावनात्मक निवेदन यह है कि विचारों में कभी-कभी भिन्नता होने के कारण सार्वजनिक रूप से हो सकता है कि हमारे जैसे लोग कुछ बोल देते हों, लेकिन सदन में आपके सहयोगी होने के नाते जब कभी भी आवश्यकता पड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से आगे हम लोगों ने सीना तानकर सरकार के पक्ष में खड़े होने का काम किया है। कल भी उस भूमिका को निभाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आज जो चर्चा चल रही है कि कांग्रेस से बात हो गई है, तो कांग्रेस से बात करके आप सदन में इस बिल को तो पास कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम* आपसे एक मित्रवत् रिश्ते का निर्वहन करते हुए आपको सहयोग देने के लिए तैयार है* यह रिश्ता बराबर चलने वाला नहीं है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं।...*(व्यवधान)* सदस्य को इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिये...*(व्यवधान)*

महोदय, उन्हें इस पर माफी मांगनी चाहिये...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन शब्दों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं उन शब्दों को रिकार्ड से निकाल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन शब्दों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उन्हें ऐसी भाषा के प्रयोग की आदत है। महिलाओं की ओर उनका ऐसा ही रवैया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, उन्हें अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनकी वे टिप्पणियां कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी बहस में शब्दों का अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाए। इसमें किसी की भावना को दुख पहुंचाने की जरूरत नहीं है। मैं प्रभुनाथ सिंह जी से कहूंगा कि मैंने उनके वे शब्द रिकार्ड से निकाल दिए हैं। अब वह आगे अपने विचार रखें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह संसद है और ये सदस्य सदैव इस प्रकार की भाषा में बात करने के दोषी हैं। उन्हें अपनी टिप्पणियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिये...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, उन्हें माफी मांगनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसे कोई शब्द कार्यवाही-वृत्तांत नहीं जा रहे है। मैंने उन शब्दों को निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं उप-प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुमारी ममता बनर्जी बराबर सदन में बंगाल की चर्चा करती हैं और आपके सहयोगी तथा भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में हमेशा बिहार की चर्चा करते हैं, फिर क्यों नहीं, आपने एक बार कांग्रेस के साथ मिल कर दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया? आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे इसमें आपको सहयोग नहीं दे सकते। आपके साथ सहयोग करने के लिए हमारे जैसे लोग और देवेन्द्र प्रसाद जैसे लोग आपके कदम से कदम मिलाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं लेकिन आप हमें विश्वास में लिए बिना आज इस बिल को ला रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले अपने सभी सहयोगी दलों के सदस्यों के साथ बैठ कर, एक बार इस मुद्दे पर बहस करवा लीजिए। हम चाहते हैं कि पहले अपनी भावना आपके सामने रख दें। मैं उप प्रधान मंत्री जी को बिना किसी का नाम लिए बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 25 से 30 सदस्यों ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे कहा कि हम लोग किसी तरह प्रधान मंत्री और उप-प्रधानमंत्री जी के पास उनकी भावना पहुंचा दें। कांग्रेस के 99 परसैंट लोग इस बिल के खिलाफ हैं। मेरी इस बारे में कई लोगों से बात हुई है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जी नहीं। उन्हें अपने दल और अपनी मानसिकता की तुलना हमारे दल से नहीं करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आपको इसके लिए अवसर दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इसमें सभी सांसदों को अपनी भावना रखने की स्वतंत्रता मिले। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप एक बार गठबंधन के सभी सदस्यों को बैठा कर, उनकी भावना जान लीजिए, उसके बाद इस बिल को लाइए और तब तक के लिए इस बिल को वापस ले लीजिए। मैं खासतौर पर व्यक्तिगत तौर पर उप-प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और मुझे विश्वास भी है कि वह हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, यह विधेयक अब सदन की सम्पत्ति है...*(व्यवधान)* इस पर सदन को मतदान करके निर्णय लेने दें। इस विधेयक पर सदन में मतदान हुए बिना इसे कोई वापिस नहीं ले सकता क्योंकि यह अब सदन की सम्पत्ति है?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, महिला आरक्षण बिल एक संविधान संशोधन विधेयक है, यह ठीक बात है। जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदया ने कहा कि यह एक परम्परा है, क्या यह परम्परा नहीं है कि संविधान संशोधन विधेयक पर सभी दलों को विश्वास में लिया जाता है? आपने 1999 से अभी तक केवल रिहर्सल किया। सभी दलों को विश्वास में नहीं लिया, यहां तक कि अपने घटक दलों को भी विश्वास में नहीं लिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि यदि संविधान संशोधन विधेयक पर सभी दलों की सहमति नहीं है, सदन बंटा हुआ है तो ऐसे क्षण इस विधेयक की दुर्गति क्यों की जा रही है। इस विधेयक पर यदि सत्ता पक्ष और अपोजिशन की नीयत साफ है, लेकिन वामपंथी भाई बीच में लटपटाए हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): कहां लटपटाए हैं?...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष जी, श्री मुलायम सिंह जी यहां बैठे हुये हैं। ये लोग बिल पास करने के लिये लटपटाये हुये हैं, मेरा मतलब चटपटाये हुये हैं। मैं इस बात को साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि मैंने शिव सेना पार्टी की भावना देखी है, श्री प्रभुनाथ सिंह जी की भावना यहां आई, मैं कल यहां नहीं था, आज ही बाहर से आया हूं, मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि पहले घटक दलों में इसकी परीक्षा हो जाये कि कितने लोग इस बिल का समर्थन करना चाहते हैं। हम महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ नहीं हैं, हम इसके पुरजोर समर्थन में हैं लेकिन इस

बिल का जो वर्तमान स्वरूप है, उसे हम कतई स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं, चाहे कुछ हो जाये। इस बिल के वर्तमान स्वरूप में महिलाओं के लिये 180 सीटें आरक्षित रखने का प्रस्ताव किया गया है लेकिन हमारा प्रस्ताव है कि पहले, संसद का जो ढांचा है, उसमें बदलाव किया जाये। मैं यह मौलिक सवाल उठा रहा हूं। चूंकि आज यह ऐतिहासिक क्षण है,* हम सही कह रहे हैं?

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: अध्यक्ष जी, यह बात गलत है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह रिकार्ड में नहीं जायेगा। श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव जी, आप भाषा का उपयोग ठीक तरीके से करें। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अंचल की जो महिलायें खेती करती हैं, खेतिहर मजदूर हैं, हम लोगों के लिये अन्न पैदा करती हैं, उनके लिये क्या गारंटी है कि 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा या कुल 33 प्रतिशत आरक्षण में से 25 प्रतिशत उन्हें दिया जायेगा? केवल एन.आर.आई. महिलाओं को आरक्षण न दिया जाये। मैं इस बारे में कोई बात छिपाना नहीं चाहता हूं। यदि भावना को आहत किया जाता है तो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाये लेकिन बिल के वर्तमान स्वरूप में आरक्षण न दिया जाये, बिल के वर्तमान स्वरूप के ढांचे को बिना बदले न किया जाये और इस बिल को वापस लिया जाये। जब तक वर्तमान स्वरूप से नहीं बदला जाता, तब तक इस बिल को लाने का कोई औचित्य नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसे विषय पर इतना बड़ा भाषण करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी., कांग्रेस और सीपीएम—इन तीनों का संबंध कभी नहीं हुआ...*(व्यवधान)* यह क्या खेल है? लगता है कि अंदर ही अंदर बहुत बड़ा खेल हो रहा है। एक नया संविधान बन रहा है। इस देश में पढ़े-लिखे लोग समझ रहे हैं कि 180 सीटें किसलिये रिजर्व की जा रही हैं? मंडल कमीशन का मामला तो घोषित था लेकिन यह आरक्षण का मामला अघोषित है। मैं यह बात स्पष्ट कहना चाहता हूं।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष जी, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिये। आप जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल लाकर यह प्रस्ताव किया था कि देश की आबादी की 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिये। इसलिये हमारी पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने के विधेयक का विरोध नहीं कर रही है। मगर हमारी पार्टी का कहना है कि हमारी पार्टी पिछले चार साल से महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कर रही है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी माने (हिंगोली): आपकी पार्टी का क्या चुनाव चिह्न है और आपकी पार्टी क्या है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इनकी पार्टी आल इंडिया पार्टी है।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना ही कहना है कि...

श्री प्रकाश परांजपे: अध्यक्ष जी, इनकी और श्री शरद पवार की पार्टी की भूमिका एक ही है। श्री पवार की पार्टी का निशान घड़ी है लेकिन इनका निशान क्या है? इनकी खुद की कोई पार्टी ही नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह श्री पवार और हमारी पार्टी की एक ही भूमिका है, क्या बी.जे.पी. और आपकी भूमिका एक है?

श्री प्रकाश परांजपे: हमारी खुद की आजाद पार्टी है, हमारा निशान अलग है लेकिन आपका कोई निशान नहीं है। आप दूसरों के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले जी, आप आसन की तरफ देखकर बोलिये।

श्री रामदास आठवले: हमारा इतना ही कहना है कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आपकी सरकार चार साल से विधेयक लाने की कोशिश कर रही है। हमारी मांग है कि इसमें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज का अंतरभाव करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी से हमारा कहना है कि महिलाओं को आरक्षण देने का आपका प्रयास स्व. श्री राजीव गांधी के समय से चल रहा है। इसमें हम आपसे थोड़ा सा यह आग्रह करते हैं कि विधेयक में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज का अंतर भाव स्पष्ट कर दीजिए, फिर हम आपको सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां यह प्राब्लम है कि इस विषय में हम भी एक नहीं हैं, सामने वाले भी एक नहीं हैं, लेकिन सब कहते हैं कि हमारी सबकी इसे सपोर्ट है। हमारा कहना है कि सुषमा जी, अभी आप पार्लियामैन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अगर आप आगे कुछ बनना चाहती हैं तो इसमें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

माइनोरिटीज को डालने में आपको क्या प्राब्लम है। इसमें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज में अंतर भाव को स्पष्ट कर दीजिए, उनके लिए 60 परसेन्ट आरक्षण रखकर बाकी लोगों के लिए 40 परसेन्ट रिजर्वेशन कर दीजिए—यही हमारी मांग है। आप इस विषय पर हाउस को डिवाइड करने का प्रयत्न मत कीजिए। आपने देश को डिवाइड करने का प्लान कर दिया है। मगर हम चाहते हैं कि इस विषय पर हाउस डिवाइड न हो और सबकी सहमति से इस बिल को पारित चाहिए। यदि आप लोग यह काम नहीं करेंगे तो आप काम आने वाले चुनाव में होने वाला है और सभी महिलाएं आपका विरोध करेंगी। आपकी पार्टी अंदर से सोच रही है कि यह बिल लाने की आवश्यकता है। मगर आप लोग चाहते हैं कि यहां श्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारा इसका विरोध करना चाहिए, श्री आठवले द्वारा इसका विरोध करना चाहिए या इन्होंने इसका विरोध करना चाहिए, सही मन से इस बिल को लाने की आपकी इच्छा दिखाई नहीं देती है। आपकी अपनी पार्टी को बताइये कि इसमें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज को डालने में कोई प्राब्लम नहीं है। श्री शिवराज पाटिल जी, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी और श्री सोमनाथ चटर्जी से और आपसे भी हमारा निवेदन है कि इसमें एस.सी., एस.टी. ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज को डालने की आवश्यकता है, इतनी ही हमारी मांग है और हमारी पार्टी महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाले प्रावधान का सपोर्ट करती है।

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा): अध्यक्ष महोदय, शुरू में मुझे इस बारे में कुछ भ्रांति थी—मुझे यह नहीं पता था कि सदन में प्रश्न काल के निलम्बन प्रस्ताव पर बहस हो रही है या सभा में सीधे महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही है। इसी वजह से मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। लेकिन अब माननीय अध्यक्ष ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): अध्यक्ष महोदय, शुरू में ही मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा दल महिला आरक्षण के विरुद्ध नहीं है। लेकिन वर्तमान स्वरूप में हम यह विधेयक स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री मुलायम सिंह यादव और अन्य नेताओं द्वारा अभिव्यक्त विचारों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को विपक्ष की आवाज सुनने के लिए भी समय देना चाहिये ताकि पता लग सके कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसमें पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए पर्याप्त आरक्षण की गारंटी नहीं है। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दे।

यदि अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि इस सदन में भी उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि जनसंख्या के समानुपात में देखा जाए तो 12.79 प्रतिशत जनसंख्या मुसलमान समुदाय की है। इस प्रकार हम 70 सीटों को पाने के हकदार होते हैं जबकि हमारे यहां केवल 32 सीटें हैं...*(व्यवधान)* बहन बेगम नूर बानो सहित केवल 32 सदस्य हैं। यदि आप सदन में महिला सदस्यों की संख्या लें तो यह 48 होनी चाहिये जबकि मुस्लिम समुदाय से केवल एक ही महिला सदस्य है।...*(व्यवधान)* कृपया हमें बोलने की अनुमति दें। यदि इस तरह का उग्र स्वरूप अपनाया जाता है तो लोकतंत्र में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको अन्य लोगों के विचार भी सुनने चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कपया अब अपनी बात समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: देश में 6.5 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं हैं। वे राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करिए। अब श्री शिवराज पाटील बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: महोदय, मैं केवल दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* महोदय, इस सदन में मुस्लिम समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए अब श्री शिवराज पाटील बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: महोदय, यह हमारी एकमात्र इच्छा है। महिलाओं को शक्तियां देना चाहते हैं। मुस्लिम महिलाएं भी यही चाहती हैं। आप इसके लिए क्या गारंटी देंगे।

यहां तक कि 77 प्रतिशत में से केवल 50 प्रतिशत जनसंख्या...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। हमने इस मुद्दे पर बहस शुरू नहीं की है। आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है।

श्री ई. अहमद: मेरा विनम्र निवेदन यह है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में मुस्लिम महिलाओं का अधिकार भी होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: अतएव, मैं माननीय मंत्रीजी और सरकार से आग्रह करूंगा कि लोकतांत्रिक देश में किसी भी मुद्दे पर सर्वसम्मति होनी चाहिए। हम किसी विधेयक को इस तरह पारित नहीं कर सकते। हम सदन में इसे कुचल नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। अगर मैंने आपको बोलने का अवसर दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जितना मरजी बोल सकते हैं।

श्री ई. अहमद: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं केवल एक बहुत ही उपेक्षित वर्ग की भावनाओं को व्यक्त करना चाहता था।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): मैं सदन में व्यवस्थित रूप से बहस चलाने के आपके इन प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। मैं अपने वरिष्ठ और सदन के अन्य सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं की प्रशंसा करता हूं। इस विधेयक के गुण-अवगुण पर बहस उसके लिए समय निर्धारित होने के बाद की जानी चाहिए और वह आज अपराह्न में है।

मैं इस संबंध यह कहना चाहता हूं कि हम सदन में पुर: स्थापित किए गये विधेयक के पक्ष में हैं। यह कहते हुए मैं बताना चाहूंगा कि हम देश में समाज के कमजोर वर्ग के हितों की सुरक्षा करने के पक्ष में हैं। इसके साथ ही हमारे विचार में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बोलने का अधिकार है और वे बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। ऐसी क्या बात कही है शिवराज जी ने?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज पाटील ने आपको ठेस पहुंचाने जैसी कोई बात नहीं कही। कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है, जिसका विरोध होना चाहिए। उन्हें सदन में बोलने का पूरा अधिकार है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: देखिये, पहले आपको बैठना पड़ेगा। यह ठीक बात नहीं है। उनको बोलने का अधिकार है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, जिसका आपको दुख हो। प्लीज बैठिये। कुंवर अखिलेश जी, आप बैठिये। कांग्रेस लीडर ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, जिसका आप विरोध करें।

[अनुवाद]

कृपया बैठिए। मुझे पता नहीं चला कि आप क्यों परेशान हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बोलने का अधिकार है और वे बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उनको भी बोलने का अधिकार है। यह बात ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरा निवेदन यह है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो श्री शिवराज पाटील कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील: हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यह धर्मनिरपेक्ष ही रहना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि यह धर्मनिरपेक्ष न रहे। अगर यह गैर-धर्मनिरपेक्ष, जातीय...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.44 बजे

(इस समय श्री धर्मराज सिंह पटेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, आप सभी अपनी-अपनी जगहों पर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा अनुरोध है कि आप सब अपनी जगह पर बैठिए।

[हिन्दी]

आप अपनी-अपनी जगह पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप अपनी जगह पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.46 बजे

(इस समय श्री धर्मराज सिंह पटेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बिल पर चर्चा आरम्भ होने से पहले, मैं आप लोगों के नेताओं को बुलाऊंगा, लेकिन इसके लिए सदन का काम रोकने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बिल पर चर्चा होने से पहले मैं सभी पार्टियों के नेताओं को अपने चैम्बर में बुलाऊंगा। आप कृपया सदन की कार्यवाही मत रोकिए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.47 बजे

(इस समय श्री धर्मराज सिंह पटेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं चाहता हूं कि सदन का काम ठीक तरह से चले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे बताने दे कि ऐसा लगता है कि यह विधेयक और अधिक विवादित हो रहा है।

[हिन्दी]

मैं जानता हूं कि इस विषय पर बहुत मतभेद हैं, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि किसी भी विषय पर उत्पन्न हुए मतभेदों को चर्चा करने से दूर किया जा सकता है। इस बारे में कोई रास्ता निकल सकता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस विषय पर चर्चा होने से कोई न कोई रास्ता निकल सकता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): अध्य महोदय, जब उनकी ओर से कोई सदस्य बोलता है तो हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं, किन्तु जब हमारी ओर से कोई बोलता है तो वे व्यवधान पैदा करते हैं। यह ठीक बात नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं एक बात इस विषय में आपसे कहूंगा कि यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। इस बिल पर चर्चा करने से पहले मैं सभी नेताओं को अपने चैम्बर में बुलाऊंगा। इस विषय पर हम जरूर विचार करेंगे। लेकिन एक बात आपको सोचनी चाहिए कि लोकतंत्र में हरेक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। मैंने सबसे छोटी पार्टी होने के बाद भी श्री रामदास आठवले को अपने विचार रखने का अवसर दिया ताकि उनको जो कुछ कहना है, वे इस संबंध में कह सकें। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि जो कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल इस सदन के सामने आ रहा है, वह सायंकाल छः बजे तक आ जाएगा, उससे पहले मैं सभी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपसे चर्चा करने के बाद, इस समस्या का कुछ हल अवश्य निकलेगा, ऐसा मुझे अभी भी विश्वास है।

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): अध्यक्ष महोदय, तब तक सदन को एडजर्न कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: सदन को एडजर्न करने की जरूरत नहीं है। इस पर हम विचार कर सकते हैं और कुछ न कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक श्री शिवराज पाटिल जी की जो भूमिका है, उसे सदन में प्रकट करने की मैं

इजाजत देता हूं। संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करने से पहले हम यहां माननीय सांसदों के विचार सुन सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाइये। वे खड़े हैं, उन्हें बोलने दीजिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि इससे समस्या होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे क्या कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): महोदय, अगर छ: बजे बिल आएगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चतुर्वेदी जी, कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर आप बीच में बोलेंगे तो शिवराज पाटील जी का भाषण रिकार्ड में नहीं जाएगा। क्या आप अपना हित भी नहीं समझते हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस दल की राय भी सदन के सामने आने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका और अन्य सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। मैं कह रहा था कि समाज के कमजोर वर्गों को हरेक क्षेत्र में आवश्यक मदद और सहायता दी जानी चाहिए। ये कहते हुए मैं बताना चाहूंगा कि संविधान को गैर-धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। यह उचित नहीं होगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इसमें इन्होंने क्या गलत बात की है। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हमारे संविधान को गैर-धर्मनिरपेक्ष बनाना उचित नहीं होगा। अगर यह जातीय हो जाता है तो इससे जो खतरा होगा वह किसी अन्य बात से नहीं हो सकता...*(व्यवधान)* महोदय, पिछले नौ वर्षों से सदन में यह विधेयक लम्बित पड़ा है। यह एक लम्बा समय है और यदि और समय चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब वे अन्य विषय पर बोलने लगे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदय, यह क्या तरीका है। *...(व्यवधान)* माननीय सदस्य इस तरह कैसे बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह आप लोगों पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं कहना चाहता हूं कि हमने इसके लिए नौ वर्ष तक प्रतीक्षा की है और यदि आवश्यक है तो ये अभी भी...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.52 बजे

(इस समय श्री रघुराज सिंह शाक्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप सब अपने-अपने स्थान पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सदस्यों को आसन को संबोधित करना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइये।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

यूरिया का मूल्य

***623. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व में हमारे देश में तथा अन्य देशों में यूरिया के प्रति टन विभिन्न 'फीड स्टाक' की लागत कितनी है;

(ख) क्या इसमें भारी अंतर है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि तेल के मूल्य का निर्णय विश्व स्तर पर किया जाता है;

(ग) क्या अन्य देशों में उत्पाद पर राज-सहायता दिए जाने की बजाय फीड स्टाक पर राज-सहायता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या तेल कंपनियों द्वारा ऊंचे मूल्य पर तेल की आपूर्ति किए जाने के कारण हमारी उर्वरक कंपनियां घाटे में चल रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) दिनांक 1.4.2002 के अनुसार हमारे देश में प्रति टन यूरिया के लिए ऊर्जा लागत (फीड स्टाक, ईंधन, खरीदी गई बिजली और औद्योगिक जल सहित) गैस आधारित इकाईयों के लिए 3673 रु. नेफ्था आधारित इकाईयों के लिए 8751 रु. और ईंधन तेल (एफ ओ)/निम्न सल्फर हैवी स्टाक (एलएसएचएस) आधारित इकाईयों के लिए 8194 रु. प्रति टन यूरिया है।

कुछ अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में इन फीड स्टाकों की कीमत नीचे दी गई हैं:-

मद	देश	औसत दर	टिप्पणी
प्राकृतिक गैस	अरब खाड़ी	1 अमरीकी डालर से कम	वर्तमान दर
(प्रति मिलियन ब्रिटिश	रूस	1.02 अमरीकी डालर	जनवरी 2003 की दरें
थर्मल यूनिट अमरीकी	भारत	1.97 अमरीकी डालर	एचबीजे पाइप-लाइन पर 0.73 अमरीकी डालर
डालर में)			परिवहन लागत सहित
नेफ्था	सिंगापुर	304	एफओबी (मार्च, 2003)
(प्रति मी. टन अमरीकी	अरब खाड़ी	282	एफओबी (मार्च, 2003)
डालर)	भारत	374 से 412	उत्तर भारत में सुपुर्दगी मूल्य (मार्च, 2003)
ईंधन तेल	सिंगापुर	251	एफओबी (मार्च, 2003)
(प्रति मी. टन अमरीकी	अरब खाड़ी	240	एफओबी (मार्च, 2003)
डालर)	भारत	262 से 283	उत्तर भारत में सुपुर्दगी मूल्य (मार्च, 2003)

टिप्पणी: (1) विदेशों के मामले में स्थानीय कर, मालभाड़ा, बीमा इत्यादि के कारण अतिरिक्त लागत के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = 48.00 रु. लिया गया है।

(ख) भारत और अन्य देशों के बीच नेफ्था और ईंधन तेल के आपूर्ति मूल्य में अंतर मुख्यत: कर संरचना, मालभाड़ा और कुछ ऊपरिव्यय के कारण हैं। प्राकृतिक गैस के मामले में विभिन्न देश भिन्न-भिन्न सिद्धांतों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, यूएसए में यह ऊर्जा आधार पर तेल तापन के समान है तो अरब खाड़ी में यह कच्चे तेल के मूल्य सूचकांक पर रूस में उत्पादन की लागत के आधार पर और भारत में ईंधन तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से संबद्धता के आधार पर, न्यूनतम और अधिकतम सीमा के साथ निर्धारित होता है। विभिन्न देशों के बीच संरचना में भिन्नता भी गैस की सुपुर्दगी मूल्य में भिन्नता का कारण है।

(ग) और (घ) कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए यूरोप के अनेक विकसित देश और संयुक्त राज्य अमरीका भी राजसहायता प्रदान करते हैं। तथापि, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे उर्वरक के उत्पादन में प्रयुक्त फीड स्टाक पर राजसहायता प्रदान करते हैं।

(ङ) और (च) यूरिया इकाईयों को मानक आधार पर निर्धारित उत्पादन और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के द्वारा बिक्री

से वसूली के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति 31.3.2003 तक प्रतिधारण मूल्य योजना (आरपीएस) के अधीन राजसहायता द्वारा की जा रही थी। प्रतिधारण मूल्य योजना और 1.4.2003 से लागू नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) के अधीन फीड स्टाक और ईंधन की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति खपत के मानक स्तर के आधार पर की जाती है। इसलिए यूरिया इकाईयों को इस कारण हानि नहीं हो सकती है।

संगठित अपराध

*624. **डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में संगठित अपराध में हुई वृद्धि पर ध्यान दिया है;

(ख) इस बुराई को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार बढ़ते संगठित अपराध को रोकने हेतु उपाय सुझाने हेतु उच्च सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों, आसूचना ब्यूरो के सेवानिवृत्त प्रमुखों, मिलीटरी आसूचना प्रमुखों आदि को लेकर कोई उच्च स्तरीय समिति गठन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) यद्यपि संगठित अपराधों के बारे में व्यापक आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण यह कहना कठिन है कि हाल में देश में संगठित अपराध बढ़े हैं, तथापि, सरकार इनकी मात्रा तथा स्वरूप पर निरंतर निगरानी रख रही है।

(ख) केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को दाण्डिक न्याय प्रशासन में सुधार लाने के लिए और अधिक ध्यान केन्द्रित करने की सलाह देती रही है। संगठित अपराध के खतरे से निपटने के लिए, बहुत से राज्यों की संरकारों ने संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम पारित किए हैं। सरकार ने अपराधियों और उग्रवादियों की गतिविधियों पर अकुंश लगाने के लिए समन्वित तथा बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अवैध सीमा पार गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेन्सियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान, समन्वित कार्रवाई के द्वारा संगठित अपराधी गिरोहों की योजनाओं को निष्क्रिय बनाना, आधुनातन हथियारों, संचार प्रणाली तथा प्रशिक्षण के द्वारा राज्य पुलिस बलों तथा केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन करना शामिल है। भारत ने देश पारीय संगठित अपराध तथा इसके तीन प्रोटोकोलों के बारे में संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने कानून से बचकर भागने वाले व्यक्तियों को विभिन्न देशों से वापस लाने के लिए प्रत्यावर्तन संधियों तथा पारस्परिक विधिक सहायता संधियों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) किसी उच्च स्तरीय समिति के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष

*625. **श्री सी. श्रीनिवासन:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यू.आर.आई.एफ.) के लिए कार्यविधि तैयार करने हेतु कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी हां।

(ख) और (ग) समिति ने मई, 2002 में अपनी बैठक में शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष को चलाने की प्रविधियों पर विचार-विमर्श किया और एक करार ज्ञापन तैयार किया जिसे जुलाई, 2002 में राज्य सरकारों को उक्त करार ज्ञापन निष्पादित करने हेतु उनकी इच्छा जानने के लिए परिचालित किया गया था। इस ज्ञापन में प्रत्येक सुधार क्षेत्र में उपलब्ध मानक बताए गए जिन्हें सदृश प्रोत्साहन की पात्रता के लिए राज्यों द्वारा हासिल किया जाना है। राज्यों से प्रत्युत्तर के आधार पर संशोधित करार ज्ञापन तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव दिया गया है कि प्रत्येक सुधार क्षेत्र को अधिमान दिया जाए और पहले चरण में बताए गए सभी सात सुधार क्षेत्रों को पूरा शामिल करने पर जोर दिये बिना राज्य सरकारों को करार ज्ञापन हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाए। करार ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

रक्षित आधार पर कोयला खनन

*626. **श्री नरेश पुगलिया:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने सहायक कोयला कंपनियों को उपभोक्ताओं के साथ बाजार व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देते हुए राज्य सरकारों को रक्षित आधार पर कोयला खनन की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के साथ इस तरह के करार से कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर प्रभावित हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 राज्य सरकार की कंपनियों सहित सरकारी कंपनी को भारत में कोयला खनन करने की अनुमति देता है। तथापि, 1979 में, केन्द्र सरकार ने, राज्य सरकार की कंपनियों/उपक्रमों को, अन्य बातों के साथ-साथ, छोटे तथा पृथक पाकेटों में ओपनकास्ट पद्धति के माध्यम से नॉन-कोकिंग कोयले के खनन को प्रतिबंधित कर दिया। 1993 में, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन के माध्यम से लोहा और इस्पात के उत्पादन में लगी कंपनी के अतिरिक्त, राज्य सरकार की कंपनी सहित, किसी कंपनी को, जो बिजली के उत्पादन, खान से प्राप्त कोयले की धुलाई और दूसरे ऐसे अन्त्य उपयोग में, जिन्हें केन्द्र सरकार अधिसूचना के द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, लगी हैं, गृहीत खनन की अनुमति दी गई थी। 1996 में एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें सीमेंट के उत्पादन में लगी कंपनी को कोयला खनन करने की अनुमति दी गई थी। दिसम्बर, 2001 में, केन्द्र सरकार ने कोयले पर अपनी संशोधित नीति के माध्यम से राज्य सरकार की कंपनियों/उपक्रमों को, 1979 में लगाए गए पूर्व के प्रतिबन्धों के बिना, उनके द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने तथा कुछ अनुबंधों का पालन करने के अध्ययधीन, कोयला खनन करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार राज्य सरकार की कंपनियों को 1993 से कैप्टिव आधार पर कोयला खनन करने की अनुमति दी गई थी। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की अनुषंगियों को नॉन-कोर उपभोक्ताओं के साथ बाजार समझौता करने की अनुमति है। कोर क्षेत्र को जिसमें बिजली, लोहा एवं इस्पात, उर्वरक, प्रतिरक्षा आदि शामिल हैं, स्थायी लिंकेज समिति-दीर्घावधि तथा स्थायी लिंकेज समिति-अल्पावधि के तंत्र के माध्यम से, जोकि कोयला मंत्रालय के कार्य कर रही अन्तर्मंत्रालयी समूह हैं, कोयले की आपूर्ति की जा रही है। नॉन-कोर क्षेत्र को कोयले के विपणन के बारे में, नई कोयला विक्रय नीति, कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कोयला कंपनियों को मूल्य निर्धारण, विपणन समझौतों आदि जैसे सम्बद्ध क्षेत्रों में अपने स्वयं की नीतियां तैयार करने की अनुमति देती है। दिसम्बर, 2001 से राज्य सरकार की कंपनियां/उपक्रम अपनी-अपनी नीतियों के अनुसार कोयले को बेच भी सकती हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार की कंपनियों तथा उपक्रमों द्वारा कोयले का उत्पादन देश में कोयले की समग्र आपूर्ति में सहायक होगा और उस सीमा तक मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करेगा।

महिला आयोग

*627. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने अभी भी राज्य महिला आयोग का गठन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रत्येक राज्य के लिए महिला आयोग का गठन अनिवार्य बनाने के क्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो संसद में ऐसा संशोधन विधेयक कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) राज्य महिला आयोगों की स्थापना का कार्य राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। केन्द्र सरकार के सतत् प्रयासों के फलस्वरूप, अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड और उत्तरांचल राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने राज्य स्तरीय महिला आयोगों की स्थापना कर ली है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आशा है कि इसी प्रकार के प्रयासों के माध्यम से शेष राज्यों को भी राज्य आयोगों की स्थापना के लिए राजी किया जा सकता है। इसलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विश्वविद्यालय

***628. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ज्ञानम और सोनेरी समितियों ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की वर्तमान प्रणाली द्वारा लगाये गये वित्तीय प्रतिबंध विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता केन्द्र बनाने के अनुकूल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समितियों ने सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालयों को निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी जाये;

(घ) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालयों से अपने राजस्व स्वयं जुटाने के लिये कहे जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ज्ञानम समिति की कुछ सिफारिशों, जिन्हें सोनेरी समिति ने स्वीकार कर लिया है, में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि वित्तीय प्रतिबंधों के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन की वर्तमान प्रणाली उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुकूल नहीं है।

(ग) जी, नहीं। उक्त समितियों ने यह सुझाव नहीं दिया है कि विश्वविद्यालयों को गैर-सरकारी सहभागियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की अनुमति दी जाए। तथापि, इस बात पर बल दिया गया है कि उच्चतर शिक्षा के लिए सहायता देने हेतु विशेष पीठों की स्थापना, अनुसंधान कार्यकलापों, आदि के निमित्त स्थाई धर्मार्थ कोष की स्थापना हेतु निगमित क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए। विजिटिंग प्रोफेशरशिप की व्यवस्था करके, परामर्शी सेवाएं देकर, विश्वविद्यालय परिसर में अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना आदि के माध्यम से उद्योग के साथ सहयोग का भी सुझाव दिया गया है।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा जुटाए गए अतिरिक्त संसाधनों के 25 प्रतिशत तक, परन्तु अधिकतम 25.00 लाख रु. तक, समतुल्य अनुदान प्रदान करने के लिए वर्ष 1995 में एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे अपने विकास में समाज को सहभागी बनाकर/उससे अंशदान प्राप्त करके संसाधन जुटाएं और विश्वविद्यालय के विकास के लिए समाज में मिलने वाले संसाधनों के प्रवाह को प्रोत्साहित करके उसमें वृद्धि करें।

सिविल सेवाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

***629. श्री प्रबोध पण्डाः क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न भारतीय सिविल सेवाओं में पदासीन महिलाओं की संख्या क्या है और तत्संबंधी प्रतिशतता क्या है और उनके कम प्रतिनिधित्व के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन सेवाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार, भारतीय सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए कुछ पद या कोटा आरक्षित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) "सिविल सेवाओं", शब्द से रक्षा को छोड़कर, सामान्यतः केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाएं अभिप्रेत हैं। सभी सिविल सेवाओं में महिलाओं की संख्या से संबंधित कोई भी समेकित जानकारी रखी नहीं जाती। फिर भी, पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की रिपोर्ट में निहित जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में महिलाओं की संख्या 2.83 लाख थी, जो केन्द्रीय सरकार की सभी नौकरियों की 7.51% है। सिविल सेवाओं में महिलाओं का आनुपातिक रूप से कम प्रतिनिधित्व, उन सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से है, जिन्होंने महिलाओं की नौकरियों के अवसर, पारम्परिक रूप से सीमित कर दिए हैं।

(ख) और (ग) सरकारी नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दृष्टि से सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करती है कि सरकार के अन्तर्गत नियुक्तियां करते समय, महिलाओं से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत पदों पर/सेवाओं में भर्ती के मामले में महिलाओं से निष्पक्षता-पूर्ण बरताव किया जाना सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में ये निदेश

जारी कर दिए गए हैं कि समूह 'ग' और 'घ' पदों पर/सेवाओं में जब 10 अथवा उन से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जानी हो तब चयन-समिति/बोर्ड के सदस्यों में एक महिला को सदस्य के रूप में रखा जाए। रिक्त पदों की संख्या 10 से कम होने की स्थिति में भी, ऐसी समितियों/बोर्डों में एक महिला अधिकारी को शामिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

(घ) से (च) महिलाओं को सेवाओं में आरक्षण मुहैया करवाए जाने के मुद्दे पर सरकार ध्यान दे रही है, परन्तु इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

महिला समाख्या कार्यक्रम

***630. श्री जी.एस. बसवराज: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां महिला समाख्या कार्यक्रम चल रहा है;

(ख) इन राज्यों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और चालू वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) महिला समाख्या नामक केंद्र प्रायोजित योजना देश के 6 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में चल रही है।

(ख) महिला समाख्या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं, खासकर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की महिलाओं की शिक्षा एवं अधिकारिता से जुड़ा कार्यक्रम है। इन सभी राज्यों में प्रमुख उपलब्धियां निम्नवत हैं:

1. महिला समूहों द्वारा स्वयं के लिए तथा अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए सूचना और ज्ञान की मांग में, जैसा कि प्रतीक मूल्यांकनों द्वारा परिलक्षित है, काफी वृद्धि हुई है।
2. महिला शिक्षा में वृद्धि के लिए और महिला समाख्या के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय स्थितियों के अनुसार प्रत्येक राज्य ने माड्यूल/सामग्री का विकास किया है।
3. सूचना से समृद्ध होकर एवं अपने ज्ञान एवं कौशलों के वैधीकरण से समूह की महिलाएं मुखर हुई हैं तथा वे अब हर प्रकार के मंचों एवं स्थितियों में अपने आप को अभिव्यक्त करने में समर्थ हैं।
4. समूहों ने सफलतापूर्वक जागरूकता बढ़ाई है तथा साक्षरता, स्वास्थ्य, आर्थिक अधिकारिता एवं पर्यवेक्षण पर कार्यक्रम शुरू किया है।
5. समूह सूचना के बहुमूल्य स्रोत के रूप में महिलाओं के लिए अधिक स्वायत्तता का अवसर प्रदान करने वाले विश्वसनीय स्थानीय संगठन के रूप में उभरे हैं। नई आवश्यकताओं के आधार पर राज्य और अन्य एजेंसियों के साथ यथोचित सफलता के साथ मुद्दों को निपटाया गया है तथा कार्यकलाप तय किए गए हैं।
6. परिवर्धित भौतिक और सामाजिक गतिशीलता के कारण समाज में महिलाओं की उपस्थिति प्रत्यक्ष दिखती है।

(ग) इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित निधियां नीचे दी गई हैं:

वर्ष	निर्धारित निधियां
2000-2001	10.00 करोड़ रु.
2001-2002	11.00 करोड़ रु.
2002-2003	20.00 करोड़ रु.
2003-2004	30.00 करोड़ रु.

[हिन्दी]

यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी

***631. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी के पश्चात् पर्यावरण में खतरनाक रसायनों की उपस्थिति के संबंध में कोई जांच करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे खतरनाक रसायनों को निष्प्रभावी बनाने के लिये कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने एनईईआरआई, नागपुर और

आईआईसीटी, हैदराबाद के माध्यम से जांच प्रायोजित की थी। तीन निजी गैर-सरकारी संगठनों ने भी कुछ अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों के परिणामस्वरूप यूनियन कार्बाइड प्लांट के स्थल पर विषैले पदार्थों के होने का संकेत मिला है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने प्लांट स्थल की सफाई करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था। इस कार्य को करने की लागत का अनुमान 50 करोड़ रुपए लगाया गया था।

[अनुवाद]

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु बजट

***632. श्री रघुनाथ झा:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति के संबंध में बढ़ा चढ़ा कर बजट तैयार करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति के लिये मांगी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 2002 (सिविल) की नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संख्या 3 के पृष्ठ 126 पर पैरा संख्या 17 की ओर दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु बजट को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियों की कवरेज, गुणता समस्याओं से निपटने तथा प्रणालियों एवं स्रोतों का स्थायित्व सुनिश्चित करने जैसे ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। विगत पांच वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत मांगी गयी निधियों, आवंटित निधियों, रिलीज की गई निधियों तथा बताए गए खर्च के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत			
	मांगी गई निधि	भारत सरकार द्वारा आवंटित निधि	रिलीज की गई निधि	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताया गया खर्च
1998-99	1627.00	1612.00	1610.64	1745.64
1999-00	3000.00	1800.00	1717.91	1633.24
2000-01	2952.00	1960.00	1896.55	1672.21
2001-02	6190.00	2010.00	1943.05	1752.75
2002-03	4100.00	2235.00	2100.70	1386.34

(घ) और (ङ) जी, हां। रिपोर्ट से पता चलता है कि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा खर्च के रूप में बताई गई राशि अतिशयोक्तिपूर्ण थी। सीएजी के अवलोकन राज्य विशिष्ट हैं और संबंधित राज्यों को सलाह दी गई है कि इस पर सुधारात्मक कार्रवाई करें।

नये शैक्षिक संस्थान

***633. श्री पी.डी. एलामगोवन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में नये विश्वविद्यालय, इजीनियरिंग कालेज और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के संबंध में राज्य सरकारों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे शैक्षिक संस्थानों की राज्यवार सूची क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान क्रमश: यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. और एन.सी.टी.ई. से सम्बद्ध किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संस्थानों को सम्बद्धता संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा।

अकादमिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

***634. श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाहर के देशों के विश्वविद्यालयों के साथ अकादमिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला और अनुसंधान कार्यक्रम आदि आयोजित करने हेतु प्रतिबंध लगाने हेतु कुछ मार्ग-निर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विदेशियों/विदेशी सहयोग वाली अध्ययन/अनुसंधान स्कीमों के संबंध में सुरक्षा/संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से अनुमति लेने के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिसम्बर, 1999 में और भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला, आदि का आयोजन करने के बारे में सुरक्षा की दृष्टि से अनुमति लेने के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 2000 में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी, 2003 को जो दिशा-निदेश जारी किये गये हैं उनका संबंध मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूर्व अनुमति से "विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन सम्पन्न करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया से है। इसी प्रकार राज्य विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिनमें राज्य विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों को क्रमश: राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अनुमति से विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन सम्पन्न करने की अनुमति दी गई है। ये दिशा-निर्देश सुरक्षा/संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं।

खनिज भंडार

***635. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय खनिज भंडारों का राज्यवार और खनिजवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में खनिजों की राज्यवार मांग और आपूर्ति कितनी थी; और

(ग) सरकार द्वारा देश में खनिजों के उत्पादन और संरक्षण में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) 2001-2002 के दौरान भारत ने 4 ईंधन खनिजों, 10 धात्विक खनिजों और 50 अधात्विक खनिजों सहित 64 प्रमुख खनिजों का उत्पादन किया। देश के खनिज भण्डारों की खनिज-वार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। खनिज भण्डारों के राज्य-वार निक्षेपों का खनिज-वार ब्यौरा भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा प्रकाशित भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका में दिया जाता है और उक्त पुस्तिका की प्रति नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भिजवाई जाती है।

(ख) खनिजों की राज्य-वार मांग और आपूर्ति संबंधी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न खनिजों का उत्पादन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी), 1993 ने खनिज क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लाने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित गैर-सरकारी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु उपायों के साथ-साथ खनिज विकास और संरक्षण की आवश्यकता को पहचाना। राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार ने खनन क्षेत्र को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित गैर-सरकारी निवेश हेतु खोल दिया है। खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ निवेश-अनुकूल माहौल उत्पन्न किया जा रहा है और ऐसे निवेश को आकृष्ट करने के लिए अवरोधों को दूर किया जा रहा है। इस प्रकार का उदारीकरण खनन क्षेत्र में विश्व स्तरीय कंपनियों को आकृष्ट कर रहा है जिससे खनन क्षेत्र में पूंजी और उन्नत प्रौद्योगिकी आ रही है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्र सरकार को भारत में खनिजों के संरक्षण तथा सुव्यवस्थित विकास हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने का आदेश देती है। उक्त अधिनियम की इस धारा के अनुसार, केन्द्र सरकार ने खनिजों के संरक्षण और सुव्यवस्थित विकास के लिए खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 (एमसीडीआर) अधिसूचित की है।

विवरण I

गैर-ईंधन खनिजों के अखिल भारतीय भंडार (01.04.2003 की स्थिति के अनुसार)

इकाई '000 टन

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो

खनिज	कुल प्राप्य भंडार
1	2
एपाटाइट	14110
एस्बस्टस (टी)	8161905
बालक्ले	49605
बाक्साइट	252167
बेंटोनाइट	380991
बेराइट्स	74224
केलसाइट (टी)	13800261
चीनी मिट्टी	1525358
क्रोमाइट	97076
तांबा	
अयस्क	537862
धातु	5297
कोरंडम (टी)	32335
डूनाइट	154476
हीरा (कैरट)	2643824
डायास्पोर (टी)	1567196
डायामोमाइट	2274
डोलोमाइट	5682290
फेल्ड्सपर (टी)	48001663
फायरक्ले	542531
फ्लोराइट	3505
फुल्लर्स अर्थ	228330
गारनेट	47703
स्वर्ण	
अयस्क (टी)	19750695
धातु (टी)	88
ग्रेनाइट ('000 क्यू.एम.)	8664656
ग्रेफाइट (टी)	7991629
जिप्सम (टी)	286966
लौह अयस्क	
हेमाटाइट (एमटी)	9919
परलाइट	1011
मेग्नेसाइट	287535
मार्बल	903245
अभ्रक (टी)	56799
मैंग्नीज अयस्क	191457
मोलीब्डेनम	
अयस्क (टी)	13773520
कन्टेन्ड एम ओ एस2 (टी)	6131
ओकर	27364
फास्फोराइट	142630
पाइराइट	100889
पाइरोफिल्लाइट	16549
क्वार्टज/सिलिका सैंड	2429097
क्वार्टजाइट	864710
राक साल्ट	3537
रूबी (कि.ग्रा.)	469
सिल्लीमेनाइट	52165
सफ्फायर (कि.ग्रा.)	450
चांदी	

1	2
अयस्क (टी)	153513114
धातु (टी)	4193
टेल्क/स्टीटाइट/सोपस्टोन	222770
टिन	
अयस्क (टी)	31860621
धातु (टी)	500589
टिटेनियम खनिज	
इल्मेनाइट	279841
रूटाइल	11114
ल्यूकोजीन	106
टिटेनीफेरस-मेग्नेटाइट	11079
टंग्स्टन अयस्क (टी)	38110960
मेग्नटाइट (एमटी)	3516
क्यानाइट	4046
सीसा एवं जस्ता अयस्क	176841
सीसा धातु	2381
जस्ता धातु	9707
चूना पत्थर	75678890
कंटेन्ड डब्ल्यू ओ3 (टी)	86532
वर्मीक्यूलाइट (टी)	810253
वेनेडियम अयस्क (टी)	11568162
धातु	18656
वोल्लास्टोनाइट	9887
जिरकान	1789

नोट: आंकड़े पूर्णांकित किए गए हैं। '000 क्यू.एम.: हजार घन मीटर, टी: टन, कि.ग्रा.: किलोग्राम

इसके अतिरिक्त:

(1) अंडालूसाइट (18450), एन्टीमनी अयस्क (10588 टन), बोरेक्स (74204 टन), कोबाल्ट अयस्क (45 मिलियन टन), निकेल अयस्क (188.71 मिलियन टन), पोटाश (21625 मिलियन टन) और सल्फर (नेटिव) (210 खनिजों के संबंध में केवल सततं संसाधनों का अनुमान लगाया गया है।

(2) एमरल्ड के लिए भंडार/संसाधन का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(3) प्लेटिनम समूह की धातु (14.20 टन) (स्वस्थाने भंडार)।

विवरण II

खनिजों का उत्पादन

(मूल्य करोड़ रु. में)

खनिज	इकाई	2000-2001		2001-2002 (अनंतिम)		2002-2003 (अनुमानित)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी खनिज			58772.86		59509.28		61921.08
ईंधन			47843.63		48547.56		50336.8
कोयला	एम. टन	314	20351.97	328	21225.72	340	21957.17
लिग्नाइट	एम. टन	23	1359.66	24	1390.13	23	1323.93
प्राकृतिक गैस (प्रयुक्त)	एम.सी.एम.	27860	8070.72	27863	8087.10	29203	8489.22

1	2	3	4	5	6	7	8
पेट्रोलियम (क्रूड)	एम. टन	32	18061.28	32	17844.61	33	18566.48
धात्विक खनिज			3737.34		3806.21		4168.09
बाक्साइट	'000 टी	7993	178.75	8585	191.68	9439	190.62
क्रोमाइट	'000 टी	1972	364.98	1811	342.29	2247	496.6
तांबा सांद्र	'000 टी	164	324.33	164	318.72	153	295.57
स्वर्ण	कि.ग्रा.	2615	123.49	2759	119.75	2873	127.2
लौह अयस्क	'000 टी	80762	2126.74	83367	2168.20	86400	2284.02
सीसा अयस्क	'000 टी	54	79.80	52	73.62	58	81.97
मैंग्नीज अयस्क	'000 टी	1595	197.75	1553	208.53	1544	215.23
जस्ता सांद्र	'000 टी	366	305.48	399	340.63	499	425.68
अन्य धात्विक खनिज			36.02		43.79		51.2
अधात्विक खनिज			2034.78		1998.40		2259.06
एपाटाइट	'000 टी	11	1.52	12	1.65	13	1.82
एस्बस्टस	'000 टी	15	2.10	11	1.86	11	1.46
बेराइट्स	'000 टी	845	37.56	916	35.08	664	36.87
हीरा	कैरेट	57407	30.07	81448	39.61	74444	36.54
डोलोमाइट	'000 टी	3078	74.90	3088	70.42	3332	89.31
*फायरक्ले	'000 टी	441	4.91	368	4.37	389	4.38
फ्लोराइट सांद्र	'000 टी	3	2.16	7	4.51	3	2.3
फ्लोराइट ग्रेडिड	'000 टी	44	16.12	48	17.37	2	0.69
गारनेट एब्रेसिव	'000 टी	242	6.50	282	8.40	665	16.97
जिप्सम	'000 टी	2644	44.52	2886	39.96	3117	44.26
काओलिन	'000 टी	871	76.00	808	79.26	783	89.47
लेटराइट	'000 टी	606	3.17	572	3.44	503	3.21
चूना पत्थर	एम. टन	127	1346.97	130	1362.24	147	1581.85
मेग्नेसाइट	'000 टी	318	37.24	280	31.89	270	30.66
अभ्रक	टन	1154	2.60	1266	3.19	1398	3.36
फास्फोराइट	'000 टी	1351	222.94	1057	173.50	1194	195.98

1	2	3	4	5	6	7	8
शेल	'000 टी	828	2.71	872	2.97	1253	5.88
सिलिका बालू	'000 टी	2358	18.00	1428	13.39	1326	12.99
सिल्लीमनाइट	'000 टी	15	5.87	15	5.41	14	5.23
स्टीटाइट	'000 टी	596	37.69	549	34.69	620	33.04
वोल्लास्टोनाइट	'000 टी	122	9.27	135	9.40	178	12.23
अन्य अधात्विक खनिज			52.86		55.79		50.58
गौण खनिज			5157.11		5157.11 (आर)		5157.11 (आर)

एम.टन-मिलियन टन
'000 टी-हजार टन,
एम.सी.एम.-मिलियन घन मीटर,
कि.ग्रा.-किलोग्राम,
*यदि कोयला खनन के दौरान अकस्मात् फायरक्ले प्राप्त होती है तो इसके उत्पादन को छोड़कर,
आर-पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।

अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद की स्थापना

***636. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शारीरिक शिक्षा कार्य की देखभाल हेतु एक अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परिषद में लगभग कितने सदस्य होंगे और इसके कार्य क्या होंगे; और

(घ) इसके कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव उक्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

विधि आयोग के सुझाव

***637. श्री राम टहल चौधरी: क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने बलात्कार और बाल यौनाचार के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) विधि आयोग ने अपनी 172वीं रिपोर्ट में भा.द.सं. 1860 की धारा 375 के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की परिधि का विस्तारण करने और इसे लिंग-भेद के प्रति तटस्थ बनाने के लिए इसमें परिवर्तनों की सिफारिश की है। जिन अन्य परिवर्तनों की सिफारिश की गई है उनमें, भा.द.सं. 1860 की धारा 376 और 376क से 376घ में संशोधन करना, 16 वर्ष से कम आयु के युवाओं के साथ गैर-कानूनी यौन संबंध से निपटने के लिए नई धारा 376-ड जोड़ने, धारा 377 को हटाना और धारा 509 के तहत दण्ड में बढ़ोत्तरी करना शामिल है। भारत के विधि आयोग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में विभिन्न परिणामी परिवर्तनों की सिफारिश भी की है।

दाण्डिक कानून और दण्ड प्रक्रिया, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, अत: विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट को राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचार जानने के लिए भेजा गया है।

शिक्षा स्तर में असमानता

***638. श्री बीर सिंह महतो:**
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तर में व्यापक असमानतायें हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तर में एकरूपता लाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) सरकार को अपने प्रयासों में किस सीमा तक सफलता मिली है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार समुचित शैक्षिक तथा अन्य सहायक संरचना और साथ ही शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में विभिन्न विश्वविद्यालयों में परस्पर विषमताएं हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा दी जा रही शिक्षा के स्तर में असमानताओं के कई महत्वपूर्ण कारण हैं जिनमें विश्वविद्यालयों की आयु, पाठ्यचर्या की गुणवत्ता, शिक्षण कार्यबल, मूल्यांकन पद्धतियां, संसाधनों की उपलब्धता, अभिशासन, नेतृत्व, उत्तरदायित्व, भौगोलिक अवस्थिति आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समुचित उपायों के जरिए विश्वविद्यालयों द्वारा दी जा रही शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाने हेतु कई प्रयास किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ अनिवार्य न्यूनतम अर्हताएं तथा अनुभव का निर्धारण शामिल है।

उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा तथा शोध की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की ओर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद द्वारा विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य बना दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 5 विश्वविद्यालयों को "उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय" के रूप में अभिनिर्धारित किया है। बारह विश्वविद्यालयों को "उत्कृष्टता के केन्द्र" नामक स्कीम के तहत अभिनिर्धारित किया गया है। आयोग ने निर्णय लिया है कि देश भर में स्थित 100 कालेजों को "उत्कृष्टता की संभावना वाले कालेजों" के रूप में अभिनिर्धारित किया जाएगा। देश में स्थित सभी विश्वविद्यालयों को कोर विषयों की माडल पाठ्यचर्याएं इस सलाह के साथ भेजी गई हैं कि वे समयबद्ध तरीके से अपनी पाठ्यचर्याओं को अद्यतन बना लें। समूचे देश में स्थित विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को इंटरानेट तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यू.जी.सी.-इन्फोनेट स्थापित किया है। यू.जी.सी.-इन्फोनेट स्थापित करने हेतु अब तक 77 विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ समझौता ज्ञापन संपन्न किया है। इसके अतिरिक्त, 10वीं योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों हेतु ई-कोर्स तैयार करवाने का भी प्रस्ताव है ताकि उन्हें अपने यहां की गुणवत्ता पाठ्यक्रम सामग्री की सुविधा मिल सके।

शिक्षकों को उनके विषयों की अद्यतन जानकारी देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 51 शैक्षिक स्टाफ कालेजों की स्थापना की है तथा कई विश्वविद्यालय विभागों को अभिनिर्धारित किया है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों की सिनेट और सिंडिकेट के लिये चुनाव

***639. श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित कई विश्वविद्यालयों की सिनेट और सिंडिकेट में चुनाव नहीं कराये जाते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक प्रशासन को बहाल करने की योजना बना रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जहां विद्यार्थियों को सिनेट और सिंडिकेट के लिए निर्वाचित और मनोनीत किया जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं। सिनेट/सिंडीकेट जैसे विश्वविद्यालयों के विभिन्न निकायों का गठन विश्वविद्यालयों के अधिनियमों और संविधियों में दिया जाता है। इन निकायों के लिए निर्वाचन और मनोनयन संबद्ध अधिनियमों एवं संविधियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए धनराशि

*640. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों को पर्याप्त आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के कोष में वृद्धि करने के संबंध में राज्यवार कितने अनुरोध प्राप्त हुये हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से आंगनवाड़ी के और केन्द्रों की स्वीकृति के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा जिन मदों के लिए धनराशि प्रदान की जाती है, उनमें आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं का वेतन, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं का मानदेय, आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा ब्लॉक एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों का किराया, दवा किटों, स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों की खरीद, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहकों की आपूर्ति, सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री, स्टेशनरी और आकस्मिक खर्च शामिल हैं।

सभी स्तरों पर आई.सी.डी.एस. कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 'उदिसा' के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राशि प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, कुछ राज्यों में विश्व बैंक से प्राप्त ऋण से कार्यान्वित की जा रही आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में कुछ अतिरिक्त सुविधाओं, जिनमें अन्य सुविधाओं के साथ-साथ, आंगनवाड़ी भवनों, ब्लॉक स्तर पर कार्यालयों-सह-गोदामों का निर्माण तथा हैण्ड पम्पों की व्यवस्था शामिल है, के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है।

केन्द्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए वर्ष 2001-02 और 2002-03 में पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम को भी धनराशि प्रदान की गई है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार राशि प्रदान की जाती है। 1975 में आई.सी.डी.एस. स्कीम के प्रारम्भ से ही, समय-समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं कि विभिन्न मदों हेतु मानकों में संशोधन किया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा मानकों की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन किये जाते रहे हैं। इन संशोधनों में 1.4.2002 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में क्रमश: 500/- रुपये और 240/- रुपये प्रति माह की वृद्धि नवीनतम संशोधन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्षा जल संरक्षण के लिये "कपार्ट" द्वारा सहायता

*641. **श्री पी.सी. थामस:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लौहमय (फैरो) सीमेंट टैंकों में संचयित वर्षा जल पीने योग्य पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "कपार्ट" ने ऐसी योजनाओं हेतु कुछ गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान दिया है;

(घ) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये योजनायें सफलतापूर्वक लागू की गई हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) असम, मिजोरम तथा अन्य राज्यों में पीने के पानी के लिए अन्य प्रकार के टैंकों सहित फैरो सीमेंट टैंकों को वर्षा जल संचित करने के लिए उपयोग में लाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम व पता
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	हेल्थ एजूकेशन लीगल ऐड फार पीपुल्स सालिडरिटी, धरमवरम; अनंतपुर जिला

1	2
2.	हेराल्ड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, धरमवरम, अनंतपुर जिला
3.	विवेकानंद यूथ क्लब नालगोंडा
4.	यूथ फार एक्शन, पदमा कालोनी, हैदराबाद
5.	एसोसिएशन फार लानचिंग एवयरनस इन रूरल मासेस सरी सांई रेजीडैंसी, हैदराबाद
6.	हेल्थ एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी आर.के. नगर, अनंतपुर
7.	कावुरू चैरीटेबल ट्रस्ट गुडीवाडा, कृष्णा जिला
8.	चैतन्य एजूकेशन सोसाइटी, अनंतपुर
	असम
9.	नारायणपुर आचलिक ग्रा. दान संघ गांव-चराई दलानी, पोस्ट-माधबपुर (असम)
	गुजरात
10.	महिला ग्रामीण विकास केन्द्र, अहमदाबाद
11.	उत्थान, अहमदाबाद
12.	श्री भाल विकास छगन क्षेत्र समिति, अहमदाबाद
13.	ग्रामीण सेवा ट्रस्ट, सुरेन्द्रनगर
14.	श्री सरद सार्वजनिक सेवा मंडल, गांधीनगर
15.	मलधारी सेवा संघ, अहमदाबाद
16.	गजानंद युवक मंडल, भावनगर
17.	उत्थान, अहमदाबाद
18.	शांति ग्राम निर्माण मंडल, भरूच
19.	महिति, अहमदाबाद
	हरियाणा
20.	हरियाणा सोशल वर्क एंड रिसर्च सैंटर, ग्राम एवं पोस्ट-खोरी, जिला रेवाड़ी, हरियाणा
	हिमाचल प्रदेश
21.	महिला मंडल, जाबली
22.	सोसाइटी फार डेवलपमेंट एंड इन्वायरनमेंट प्रोटेक्शन, सोलन
23.	डेवलपमेंट प्रमोटर्स, सोलन
24.	हितकर, सोसाइटी, राजगढ़
25.	महिला मंडल, जाबली
26.	महिला मंडल साई, सोलन
27.	राहुल एसोसिएशन
28.	पीपुल अवेयरनेस फार रूरल एक्शन सोसाइटी, "पारा", जिला-मंडी
29.	सोसाइटी फार सोशल एडूकेशन एम्प्लायमेंट एंड वेलफेयर अफेयर्स, सोलन
30.	सोसाइटी फार रासेम्बमेंट आफ वेस्टर्न हिमालयन इकोलाजी
31.	नव निर्माण कल्याण समिति, ग्राम कच्छोर, पोस्ट-दरकाटा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
32.	पर्वतीय जन शिक्षा एवं विकास संगठन, ग्राम व पो.-बाघपाशोग, जिला-सिरमौर (हि.प्र.)
33.	मानव सेवा संस्थान, कलोल, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)
34.	हितकर सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट, ग्राम कोटली, पो.-शाया चबरन जिला-सिरमौर (हि.प्र.)
35.	पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ग्राम दरन्धर, पो. जौनाजी, जिला सोलन (हि.प्र.)
36.	डेवलपमेंट प्रमोटर्स, कुठार, जिला सोलन (हि.प्र.)
37.	रूरल सेन्टर फार ह्यूमन इन्टरेस्ट्स (रुचि) शालना, रायगढ़ जिला-सिरमौर (हि.प्र.)
38.	सोशल अवेयरनेस थ्रू ह्यूमन इनवाल्वमेंट (साथी), ग्राम-कोटली, पोस्ट-ठाकुरद्वारा, जिला-सिरमौर (हि.प्र.)
39.	सोशल वर्क एंड इन्वायरमेंट इन रूरल इंडिया (स्वेरा), रेनुका ज्वालामुखी, जिला-कांगडा (हि.प्र.)
40.	सोसाइटी फार डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, शाल्हा, पो.-मुमलीघ-173222 जिला-सोलन, हिमाचल प्रदेश
41.	महिला मंडल, जाबली, पो.-रघुनाथपुर, जिला-बिलासपुर (हि.प्र.)
42.	नव निर्माण कल्याण समिति, ग्राम कच्छोर, पोस्ट-दरकाटा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

1	2
झारखंड:	
43.	विकास भारती पो.-बिशुनपुर, जिला-गुमला, झारखंड-835331
केरल:	
44.	कुट्टान्नाडु विकासना समिति, अलापुझा
45.	वी हेल्प मैन पावर, कन्सल्टेंट, कोट्टाया
46.	कोडुमान ग्राम विकासना समिति, त्रिवेन्द्रम
47.	सी.एन. मेमोरियल वनिता समाजम, त्रिवेन्द्रम
48.	विजयपुरम सोशल सर्विस सोसाइटी, पट्टनामथीटा
49.	अलेपी डायोसेशन चेरिटेबल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, अलेपी
50.	पयावूर कम्यूनिटी डेव. प्रो., कन्नानोर
51.	स्वाश्रम, ऐरनाकूलम
52.	इंटी. रूरल डेवल. सोसा., कोट्टायम
53.	इंटी. रूरल डेवल. सोसा., कोट्टायम
54.	जवाहर लाल मेमो. सोशल वेलफेयर पब्लिक काप. सेंटर, कोट्टाटम
55.	गुरुवरुल स्टडी सर्कल, त्रिवेन्द्रम
56.	तिरुवल्ला सोशल सर्विस सोसा., पटनामिथट्टा
57.	सेवा निकेतन, त्रिवेन्द्रम
58.	किलोन सोशल सर्विस सोसा., किलोन
59.	वेलफेयर सर्विस, एरनाकूलम
60.	एसो. फार सोशल डेवल. (सुहरूत सदन)
61.	निर्मल ग्राम वेलफेयर सेंटर, कोठामंगलम
62.	गांधी जी युवा संगदना, पालाकाट
63.	सोसा. फार इंटीग्रल डेव. एक्शन, कुवापल्ली, कोट्टायम, केरल
मणिपुर	
64.	साइंटीफिक एंड ह्यूमैनिटेरियन एसो. फार नालेज आफ टेक्न. इनोवेशन, कांगवाउचेकोन, इम्फाल
मिजोरम	
65.	कम्यूनिटी डेव. सोसा., केलविजियोन स्ट्रीट,
पांडिचेरी	
66.	द सोसा. फार सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेव., एम जी रोड
तमिलनाडु	
67.	रूरल एडु. फार कम्यूनिटी आर्गे. पुदुकोट्टई, थिरुकोकारनम
68.	मास एक्शन फार सोशल वेलफेयर, विलापुरम हाउसिंग बोर्ड, मदुरई
69.	पीपुल्स एसो. फार रूरल वूमन डेव. ट्रस्ट, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, मदुरई
70.	सोसा. फार सोशल डेव., नागेरकौल, के.के. जिला, तमिलनाडु
त्रिपुरा	
71.	वालंटरी हेल्थ एसो. आफ त्रिपुरा सर्किट हाउस एरिया, अगरतल्ला
72.	स्वामीजी जन कल्याण संस्था, एक नो तिल्ला विलोनिया, द. त्रिपुरा
73.	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, कृष्णनगर रोड, अगरतल्ला
74.	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, कृष्णा नगर रोड, अगलतला
75.	नार्थ ईस्ट विलेज डे. सोसा., विलेज पोस्ट, इंद्रनगर, त्रिपुरा प.
उत्तरांचल	
76.	दालियों का दागदया, बिरला परिसर, एचएनबी गढ़वाल यूनि., पौड़ी गढ़वाल
77.	माउंट डे. एसो., दोनी विलंगाना, टिहरी, गढ़वाल
78.	ग्रामीण कृषि एवं पर्या. संवर्धन संस्थान, ग्राम पो., घनशाली, टिहरी गढ़वाल
79.	भा.सामु.वि. संस्थान, ग्रा.पो. गुमानीबाला, देहरादून
80.	श्रीराजराजेश्वरी महिला एवं बाल विकास संस्थान, कैलाश गेट, टिहरी गढ़वाल
81.	रेखा वि. एवं जन कल्याण समिति, ओकालाखल, टिहरी गढ़वाल
82.	जोसुफ ग्रा. वि. सोसा., नाथनपुर, जोगीवाला, देहरादून
83.	ईश्वर ज्योति पर्वतीय महिला ग्रामोद्योग विकास संस्थान, ग्राम गोरखपुर, नैनीताल

1	2
84.	समाज पर्या. एवं ग्रा. उत्थान समिति, ग्राम बारकोट, देहरादून
85.	ग्रा.वि. समिति, ग्रा.पो. कोलागर, देहरादून
86.	हिमालय एडु. एंड रिसोर्स डेव. सोसा., 155 धरमपुर, देहरादून
87.	ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा संस्था, गागर, नैनीताल
88.	उत्तराखंड जन जागृति संस्था खादी, जाजल, टिहरी गढ़वाल
89.	पर्वतीय जनकल्याण समिति, रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल
90.	पर्वतीय ग्राम स्वराज मंडल, जैंती, अल्मोडा
91.	उत्तरांचल जन शक्ति परिषद, भिकियासेन, अल्मोडा
प. बंगाल	
92.	मुक्ति रूरल डेव. एंड चाइल्ड इन निड. सोसा., लारी पुरूलिया
93.	काम्प्रिहेंसिव एरिया डेव. सर्विस, नैहटी, 24 परगना
94.	पृथ्वी सुरक्षा समिति, कुरमासोले, कुंडा, पुरूलिया

विवरण II

राज्यों के नाम, जहां योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई हैं

1.	आंध्र प्रदेश	8.	मणिपुर
2.	असम	9.	मिजोरम
3.	गुजरात	10.	पांडिचेरी
4.	हरियाणा	11.	तमिलनाडु
5.	हिमाचल प्रदेश	12.	त्रिपुरा
6.	झारखण्ड	13.	उत्तरांचल
7.	केरल	14.	प. बंगाल

कम लागत के मकानों का संवर्धन और विकास

***642. डा. एन. वेंकटास्वामी:** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश के छोटे और मध्यम कस्बों में कम लागत के मकानों के संवर्धन और विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और बिल्डिंग मेटिरियल्स एंड टेक्नोलोजी प्रमोशन काऊंसिल आदि जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा आवास के लिए विकसित की गई कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन तकनीकों/प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक प्रयोग में लाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भवन निर्माण में लगे हुए कुशल और अर्ध-कुशल कामगारों को इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने संबंधी कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) कम लागत के मकानों का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा राज्य आवास एवं भवन निर्माण एजेंसियों की विशिष्टताओं में कम लागत की भवन निर्माण प्रौद्योगिकी को समाहित करना तथा कम लागत की प्रभावी सामग्री और भवन निर्माण प्रौद्योगिकी को शामिल करने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा मानक तैयार करना।

2. लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर फील्ड प्रयोगों तथा नवीनतम कम लागत की सामग्री व संघटकों का निर्मित केन्द्रों के माध्यम से तृणमूल स्तर पर तथा भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बी.एम.टी.पी.सी.) के माध्यम से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर उत्पादन का वाणिज्यिकीकरण करने संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

3. निर्मित केन्द्रों पर उत्पादित सभी सामग्री एवं सहायक सामान (संघटकों) को सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क की वसूली से छूट दे दी गई है।

4. लागत प्रभावी भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन तथा जटिल मशीनरी और उपकरणों के आयात विशेषकर जो फ्लाईऐश, पास्फोजिप्सम तथा लाल मिट्टी पर आधारित हैं, के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (उत्पाद तथा सीमा शुल्क रियायतें) उपलब्ध कराना।

5. आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको) के जरिए कम लागत की सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली इकाईयों की स्थापना हेतु संस्थागत वित्त प्रदान करना।

6. हडको, राष्ट्रीय आवास बैंक आदि जैसी आवास वित्त संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित की जा रही आवास योजनाओं में लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी का संवर्धन करना।

(ख) से (घ) बीएमटीपीसी ने कम लागत के मकानों के लिए अनेक प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। इनके वाणिज्यिकीकरण के लिए अनेक उद्यमियों को लाइसेंस दिए गए हैं। इन प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

कम लागत के मकानों एवं उनके त्वरित निर्माण के लिए लागत प्रभावी प्रीफेब भवन निर्माण उपस्करों का उत्पादन करने के लिए बी.एम.टी.पी.सी. द्वारा विकसित मशीनों की एक सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। अब तक इनमें से 1000 से अधिक मशीनें देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। निर्मित केन्द्र योजना के अंतर्गत, 2,26,526 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

बीएमटीपीसी द्वारा विकसित नवीनतम प्रौद्योगिकियां जिनके वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उद्यमियों को अनुमति दी गई है

विकसित प्रौद्योगिकी:

1. औद्योगिक कचरे का प्रयोग करके भवनों के लिए पेंट का विकास
2. बांस की नालीदार रूफिंग शीटों का विकास तथा उत्पादन प्रक्रिया
3. एल्यूमिनियम संयंत्र के कचरे से ग्लास सिरेमिक टाइल्स प्रौद्योगिकी
4. केले के पत्तों का छिलका (सूडो स्टेम) वेनियर का प्रयोग करके पोलीमर बांडेड कम्पोजिट पेनलिंग सामग्री
5. मार्बल ट्रस्ट से ब्लाक तथा ईंट बनाना
6. एसिरिलीन प्लांट से सीमेंट युक्त बाइंडर और बिल्डिंग ब्लाक
7. विभिन्न प्रयोगों के लिए फेरोसीमेंट घटक
8. इंटरलाकिंग ब्लाक मोर्टार रहित चिनाई
9. ग्लास फाइबर प्रबलित पोलीमर बेस्ड दरवाजे और दरवाजों के फ्रेम
10. कायर सीमेंट कम्पोजिट का विकास
11. डोर शटर तथा फ्रेम के लिए सिरेमिक ग्लास फाइबर हाइब्राइड कम्पोजिट के लिए धातु मोल्ड का विकास
12. डोर शटर के लिए पापलर/रबड़ लकड़ी से वीएलएल का विकास
13. काल तार उद्योग कचरे से वॉटर रिड्यूसिंग एजेंट का विकास

प्रौद्योगिकियां जिनके वाणिज्यिक उत्पादन की पहले से अनुमति दी गई थी

1. रेड मड/फ्लाईएश पालीमर फाइबर डोर शटर्स
2. पर्यावरण-अनुकूल रबरवुड फ्लश डोर शटर
3. पर्यावरण अनुकूल सॉलिड कोर पापलर वुड फ्लश डोर शटर
4. ग्लास फाइबर प्रबलित पोलीमर बेस्ड दरवाजे और दरवाजों के फ्रेम
5. राइस हस्क से रिएक्टिव सिलिका के उत्पादन की प्रक्रिया विकसित करना (बातचीत चल रही है)
6. झामरकोटरा फास्फेट और कचरे से ईंट/टाइल्स/पेवरस् का निर्माण
7. जी आर पी/कायर कम्पोजिट का प्रयोग करके दरवाजों और दरवाजों के फ्रेम बनाने के लिए धातु के मोल्ड
8. औद्योगिक गौण उत्पादों तथा अपरिष्कृत माइक्रो फिलरस् से सस्ते मोर्टार
9. ग्रामीण आवास निर्माण के लिए घटिया राफ्टर्स

विवरण II

लागत प्रभावी प्रीफैब भवन निर्माण अवयवों के उत्पादन के लिए विकसित मशीनें

1. कंक्रीट डोर और विंडो फ्रेम बनाने वाली मशीन
2. कंक्रीट लिंटेल, शेल्फ और राफ्टर आदि बनाने वाली मशीन
3. फेरोसीमेंट रूफिंग चेनल बनाने वाली मशीन (6.1 मीटर तक)
4. ब्रिक किल्न में कोयला डालने के लिए स्वचालित कोल स्टोकर
5. फ्लाईएश सैंड लाइम ब्रिक बनाने वाली मशीन
6. प्रीकास्ट कंक्रीट आरसीसी प्लैंक कास्टिंग मशीन
7. प्रीकास्ट कंक्रीट आरसीसी जाइस्ट बनाने वाली मशीन
8. प्रीकास्ट कंक्रीट एल-पेनल बनाने वाली मशीन
9. पाइप और बार काटने वाली मशीन
10. मोबाइल स्टोन/कोल क्रसर
11. फ्लाईएश/कंक्रीट ब्लाक, ब्रिक्स और पेवर्स (तीन मोडल) के लिए बाई-डाइरेक्शनल बाइब्रो प्रेस
12. आलटरनेट स्टेशन हाइड्रलिक फ्लाईएश ब्रिक बनाने वाली मशीन
13. री-मड जूट पालीमर डोर शटर बनाने के लिए मशीन
14. खोखले/ठोस कंक्रीट ब्लाक बनाने वाली मशीन (स्टैंडिंग टाइप)
15. फेरोसीमेंट डोर शटर बनाने वाली मशीन
16. फेरोसीमेंट वाल पेनल बनाने वाली मशीन
17. बहुउद्देशीय स्टोन कटिंग, पोलिशिंग और ग्राइंडिंग मशीन
18. सीमेंट-फलाईएश, ब्लाक ब्रिक्स और पेवर्स के लिए हायड्रालिक प्रेस और पूरा उत्पादन
19. फिंगर शेपिंग और जाइंटिंग के लिए मशीन, लकड़ी के छोटे-छोटे हिस्से जोड़ने के लिए अलग से प्रौद्योगिकी
20. बंबुमैट नालीदार रूफिंग शीट्स के उत्पादन के लिए हॉट प्रेस
21. स्टैबलिइड अर्थ ब्लाक बनाने वाली मशीन (मोटर से चलने वाली)
22. रबल, मलबा आदि के लिए मोबाइल ग्राइंडिंग मशीन
23. क्ले-फलाईएश ब्रिक बनाने वाली मशीन
24. चेकरड/टेराजो टाइल मशीन
25. टीएनजी, ग्रामीण आवास किट
26. आरसीसी फ्लैंक कास्टिंग मशीन (एग लेईंग टाइप)
27. आरसीसी जाइस्ट कास्टिंग मशीन (एग लेईंग टाइप)
28. एमसीआर टाइल बनाने वाली मशीन (हस्तचलित)
29. ठोस/खोखले कंक्रीट ब्लाक बनाने वाली (हस्तचलित)

विवरण III

निर्मित केन्द्रों और नेहरू रोजगार योजना कार्यक्रम के माध्यम से कारीगरों का प्रशिक्षण

31.3.2003 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	निर्मित केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण	नेहरू रोजगार योजना के माध्यम से प्रशिक्षित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	50903	3905
2.	अंडमान निकोबार	110	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	55	0
4.	असम	1073	280
5.	बिहार	12330	1851
6.	चण्डीगढ़	0	143
7.	छत्तीसगढ़	58	0
8.	दादर एंड नगर हवेली	0	0
9.	दमन एवं दीव	0	0
10.	दिल्ली	1683	0
11.	गोवा	0	0
12.	गुजरात	1695	345

1	2	3	4
13.	हरियाणा	6216	863
14.	हिमाचल प्रदेश	413	117
15.	जम्मू और कश्मीर	2332	918
16.	झारखंड	696	0
17.	कर्नाटक	18555	8116
18.	केरल	10338	4866
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	7498	30
21.	महाराष्ट्र	3433	3084
22.	मणिपुर	999	101
23.	मेघालय	364	0
24.	मिजोरम	286	0
25.	नागालैंड	140	0
26.	उड़ीसा	4267	220
27.	पांडिचेरी	473	140
28.	पंजाब	1321	2722
29.	राजस्थान	13188	5672
30.	सिक्किम	0	369
31.	तमिलनाडु	22236	12054
32.	त्रिपुरा	772	0
33.	उत्तर प्रदेश	3661	3365
34.	उत्तरांचल	1465	0
35.	पश्चिम बंगाल	7382	3423
	योग	173942	52584

कुल प्रशिक्षित – 226526

2002-2003 के दौरान – 12982

[हिन्दी]

खतरनाक रसायनों को लाइसेंस मुक्त करना

6195. श्री महेश्वर सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार का 19 खतरनाक रसायनों को लाइसेंस मुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में कोई सिफारिशें भेजी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है कि सभी कंपनियां निर्माण, भंडारण और खतरनाक रसायनों के उपयोग के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा/संरक्षा उपायों का पालन करें; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) से (च) अनिवार्य लाइसेंस के तहत केवल तीन रसायन आते हैं। अनिवार्य लाइसेंस के तहत तीन खतरनाक रसायन निम्नलिखित हैं:-

281119.01	हाइड्रोसाइनिक एसिड एवं इसके व्युत्पाद
281210.01	फासजीन और इसके व्युत्पाद
292910.09	अन्यत्र कहीं अनिर्दिष्ट आइसोसाइनेट्स और हाइड्रो कार्बन के डी-आइसोसाइनेट्स (उदाहरण मिथाइल आइसोसाइनेट)

वर्तमान में इन रसायनों को लाइसेंसमुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रसायनों के समुचित रखरखाव तथा दुर्घटना के प्रबंधन के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक पदार्थ विनिर्माण, भंडारण और आयात निमयावली, 1989 (1994 और 2000 में संशोधित) और रसायन दुर्घटना (आपात आयोजना, तैयारी एवं प्रतिक्रिया) नियमावली, 1996 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं। इन नियमावलियों के तहत विनिर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों को उक्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं में राज्यों का हिस्सा

6196. श्री एम.के. सुब्बा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर असम सरकार से राज्य के किसानों और ग्रामीण जनता के हित में केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं में राज्यों का हिस्सा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने हेतु निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णम राजू): (क) से (ग) जी, हां। मंत्रालय को मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं में राज्य अंश 25 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर देने के लिए असम की राज्य सरकार सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों की राज्य सरकारों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने इस मामले को योजना आयोग को भेज दिया है।

भारत-जर्मनी प्रौद्योगिकी संस्थान

6197. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगाम और डायमैंट मेटलप्लास्टिक जी.एम.बी.एच., जर्मनी की संयुक्त पहल से भारत-जर्मनी प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन दिनांक 3 मार्च, 2003 को बंगलौर में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या जर्मनी की फर्म के संयुक्त उद्यम साझीदार डायमैंट ट्रम्फ मेटलप्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर स्थानीय स्तर पर विश्वविद्यालय की गतिविधियों के साथ समन्वय करेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन अन्य देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ इस संबंध में समझौता हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय-जर्मन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन 3 मार्च, 2003 को बंगलौर में किया गया था जो विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलगाम तथा डायमैंट मेटलप्लास्टिक जी एम बी एच, जर्मनी का संयुक्त उद्यम है। डायमैंट मेटलप्लास्टिक जी एम बी एच, जर्मनी तथा डायमैंट ट्रम्फ मेटलप्लास्टिक प्रा.लि., बंगलौर स्थानीय स्तर पर संस्थान के कार्यकलापों का समन्वय करेंगे।

विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय बेलगाम ने अद्यतन विशेषज्ञतायुक्त प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईजीआईटी की स्थापना करने हेतु डायमैंट मेटलप्लास्टिक जी एम बी एच, जर्मनी तथा डायमैंट ट्रम्फ मेटलप्लास्टिक प्रा.लि. बंगलौर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

इस समझौता ज्ञापन के अनुसार डायमैंट मेटलप्लास्टिक जी एम बी एच, जर्मनी आई जी आई टी के लिए तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएगा जिसमें प्रशिक्षण, विवरणिका, वीडियो तथा गतिशील एवं स्थिर मोल्डिंग प्रौद्योगिकियों के लिए पावर प्वाईंट डेमोस्ट्रेशन, कोल्ड वैल्डिंग पद्धति, कैपिलेरी मेटल इम्प्रेगनेशन तकनीक, धातु संरक्षण तथा परिरक्षण पद्धतियां शामिल हैं। इस विश्वविद्यालय ने किसी अन्य देश के साथ ऐसा समझौता नहीं किया है।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना

6198. श्री राजो सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु संबंधित राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती

6199. श्री टी. गोविन्दन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यमान रिक्तियों को भरने हेतु केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई व्यवस्था की है जबकि नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने संबंधी प्रतिबंध मौजूद हैं; और

(ख) यदि हां, तो रिक्तियों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान भर्ती किए गए शिक्षकों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्तियां मौजूदा केन्द्रीय विद्यालयों के वर्तमान कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति आदि के कारण होती है। शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और यह भर्ती रिक्तियां होने पर की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों के लिए शिक्षण पदों की विभिन्न श्रेणियों में 2077 शिक्षक नियुक्त किए गए थे।

	2000-2001	2001-2002	2002-2003
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	264	87	491
विविध	119	—	—
प्राथमिक शिक्षक	205	—	—
स्नातकोत्तर शिक्षक	—	321	590
कुल	588	408	1081

[हिन्दी]

भर्ती संबंधी सूचनाएं

6200. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि आंध्र प्रदेश के उत्पाद-शुल्क विभाग के मामले में रोजगार-नियोजनालय की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय की न्यायिक जांच के घेरे में आ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने भर्ती सूचनाएं प्रकाशित करने के मुद्दे के संबंध में केन्द्र और राज्य-सरकारों को कुछ निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सही है कि न तो केन्द्र-सरकार और न ही राज्य-सरकारें, भर्ती-सूचनाएं प्रकाशित करने संबंधी इन निर्देशों का पालन कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं कि केन्द्र-सरकार द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में भर्ती-सूचनाएं प्रकाशित करने संबंधी जारी किए गए निर्देशों का दृढ़ता से पालन किया जाए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ग) उत्पाद-शुल्क-अधीक्षक, मल्कापटनम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश बनाम के.बी.एन. विश्वेश्वर राव और अन्य [1996 (6) एस.सी.ए.एल.ई. 676] के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निदेश दिया:-

> "किसी पद पर नियुक्ति की दृष्टि से पात्र उम्मीदवारों की मांग करने वाले प्राधिकरण/संस्थापन के लिए यह अनिवार्य हो कि वह रिक्त पद और उनसे जुड़ी विभिन्न अपेक्षाएं, रोजगार-कार्यालय को सूचित करे तथा रोजगार-कार्यालय के लिए यह अनिवार्य हो कि वह ऐसी मांग करने वाले विभाग की मांग के अनुसार, उन्हें चयन के लिए उम्मीदवारों के नाम, वरिष्ठता और आरक्षण के अनुसार ही भेजे। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त विभाग अथवा उपक्रम अथवा संस्थापन, अपनी मांग, अपेक्षाकृत अधिक व्यापक प्रसार वाले समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाकर तथा अपने कार्यालय के सूचना-पट्टों पर अपनी मांग से संबंधित सूचना प्रदर्शित करके अथवा रेडियो, दूरदर्शन पर, रोजगार-समाचार-बुलेटिनों में उद्घोषित करवाकर उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम आमंत्रित करें और उसके पश्चात्, उन सभी उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करें जिन्होंने आवेदन किया हो।"

(घ) और (ङ) जी, नहीं। संघ-सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त निदेश, सभी मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाते हुए तथा मौजूदा भर्ती-प्रक्रिया, माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार आशोधित करते हुए, इस बारे में सामान्य अनुदेश, मई 18, 1998 को पहले ही जारी कर दिए हैं। इस बारे में जारी किए गए दिनांक मई 18, 1998 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 14024/2/96-स्था-(घ) की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। यह कार्यालय-ज्ञापन सभी राज्य सरकारों को भी पृष्ठांकित कर दिया गया।

* (च) प्रत्येक मागंकर्ता प्राधिकरण/संस्थापन का यह दायित्व है कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर आधारित प्रक्रिया का अनुसरण करे।

विवरण

संख्या-14024/2/96-स्थापना(घ)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक मई 18, 1998

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती।

मुझे, इस विभाग के दिनांक 13.4.1977 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-14024/2/77-स्थापना (घ) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है। इसमें निहित अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि कार्य के स्वरूप व अवधि पर ध्यान दिए बिना, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थापनाओं (अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं तथा सांविधिक संगठनों सहित) के अधीन होने वाली सभी रिक्तियां (संघ-लोक-सेवा-आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को छोड़कर (न केवल रोजगार कार्यालय को सूचित करनी होती हैं बल्कि वे केवल रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही भरी जानी होती हैं। भर्ती के अन्य अनुज्ञेय स्रोतों की सेवाएं तभी ली जा सकती हैं जब संबंधित रोजगार कार्यालय द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाए। भर्ती की इस प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया तब तक नहीं अपनाई जा सकती जब तक कि इस विभाग तथा श्रम मंत्रालय (रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय) से इस संबंध में परामर्श करते हुए पृथक व्यवस्था किए जाने पर पहले कोई सहमति न हो गई हो। इसी प्रकार के अनुदेश, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 500/- रु. प्रति माह से कम मूल वेतन वाले पदों की रिक्तियों जिन्हें केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरा जाना होता है, के संबंध में भी लागू हैं।

2. उत्पाद शुल्क अधीक्षक, मल्कापटनम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश बनाम के.बी.एन. विश्वेश्वर राव एवं अन्य [1996(6) एस.सी.ए.एल.ई. 676] के मामले में, रोजगार कार्यालय प्रक्रिया-योजना की उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक जांच-पड़ताल की गई। उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निदेश दिया:-

"मांगकर्त्ता प्राधिकरण/संस्थापना के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे रोजगार कार्यालय को सूचित करें तथा रोजगार कार्यालय द्वारा मांगकर्त्ता विभागों को चयन के लिए उम्मीदवारों के नाम मांग के अनुसार पूर्णत: वरिष्ठता एवं आरक्षण के अनुरूप भेजे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त विभाग अथवा उपक्रम अथवा संस्थापना की व्यापक प्रसार वाले समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर तथा कार्यालय सूचना पटों पर सूचना प्रदर्शित करके अथवा रेडियो, दूरदर्शन तथा रोजगार समाचार बुलेटिनों में ऐलान करके नाम मंगाने चाहिए एवं इसके पश्चात् उन सभी उम्मीदवारों के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए जिन्होंने आवेदन दिया है।"

3. तद्नुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित श्रेणियों (संघ-लोक-सेवा-आयोग/कर्मचारी-चयन-आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली श्रेणियों को छोड़कर) की रिक्तियों की सूचना रोजगार कार्यालय को दिए जाने के अतिरिक्त, मांगकर्त्ता प्राधिकरण/संस्थापना द्वारा प्रशासनिक/बजट संबंधी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, भारत-सरकार के सूचना और प्रसारण-मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित "रोजगार समाचार" में ऐसी श्रेणियों की भर्ती से संबंधित सूचना प्रकाशित करवाई जाए तथा इसके पश्चात् सभी आवेदकों के मामलों पर विचार किया जाए। उपर्युक्त के अतिरिक्त भर्ती से संबंधित सूचनाएं, व्यापक प्रचार के लिए कार्यालय के सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जानी चाहिए।

4. ये आदेश, जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथा ये ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां भर्ती की प्रक्रिया, रोजगार कार्यालयों/खुले विज्ञापन के माध्यम से उक्त तारीख से पहले शुरू की जा चुकी है।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें तथा सूचना और अनुपालन के लिए इन्हें अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में भी लाएं।

(हरिन्द्र सिंह)
भारत सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
2. लोक उद्यम ब्यूरो, नई दिल्ली।

3. लोक सभा सचिवालय

4. राज्य सभा सचिवालय

5. संघ लोक सेवा आयोग।

6. कर्मचारी चयन आयोग।

7. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।

8. सभी संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें/प्रशासन।

9. कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सभी संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालय

10. संपादक, रोजगार समाचार, पूर्वी ब्लाक-4, 5-7 मंजिल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066।

[अनुवाद]

यूनेस्को के अंतर्गत विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम

6201. **श्री परसुराम मांझी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को के अंतर्गत आने वाले विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम ने भारत में पेयजल की गुणवत्ता को खराब श्रेणी में रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा पेयजल की गुणवत्ता सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम (डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.पी.) ने भारत में पेयजल की गुणवत्ता को खराब श्रेणी में नहीं रखा है। देशों को श्रेणी में रखा गया है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत निधियां देकर इस कार्य में राज्यों की मदद करती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई निधियों का 15 प्रतिशत संखिया, फ्लोराइड, खारापन, नाइट्रेट, लौह आदि जैसी गुणवत्ता समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित किया गया है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार गुणवत्ता संबंधी उपमिशन के अंतर्गत योजनायें या परियोजनायें शुरू की जा सकती हैं। 31.3.98 तक राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा उपमिशन को मंजूर किया जा रहा था। 1.4.98 से ऐसी परियोजनाओं की योजना बनाने, मंजूरी तथा निष्पादन की शक्तियां राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

6202. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "बहुउद्देशीय परिसरों" (बच्चों के लिए भी) के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं और इसके लिए कितना ऋण, अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) इसमें राज्य सरकारों का हिस्सा और वित्तीय योगदान कितना है; और

(ग) 1.4.2000 से पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को इस कार्यक्रम के लिए ऋण अनुदान और वित्तीय सहायता के रूप में वर्ष-वार और योजना-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा "बहुउद्देशीय परिसर" नामक कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मितव्ययिता संबंधी उपाय

6203. **श्री रामदास आठवले:** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार, प्रचार, विज्ञापन, मनोरंजन, खान-पान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, देश-विदेश के दौरों और एस.टी.डी. और आई.एस.डी. बिलों, बिजली-बिलों, विशेषकर एयरकंडीनशनरों और कूलरों के बिलों के भुगतान तथा ऐसे अन्य व्यय-बिलों पर खर्च घटाने हेतु कोई बचत-अभियान चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के तीन विभागों अर्थात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड सहित), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एवं पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न शीर्षों में खर्च की गई धनराशि, संलग्न विवरण में दर्शाई जा रही है।

(ख) और (ग) सरकार का सतत प्रयास, आयोजना-भिन्न, गैर-विकासात्मक व्यय को नियंत्रित रखना रहा है। इसी संदर्भ में सभी मंत्रालय/विभागों को समय-समय पर अन्य उपाय करने के साथ-साथ फिजूल खर्च नहीं करने के अनुदेश जारी किए जाते हैं। इन उपायों में पदों के सृजन पर रोक लगाए जाने, मंजूरशुदा पदों की संख्या घटाए जाने, रिक्त पद भरे जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने, कार्यालय-खर्च घटाए जाने, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाए जाने, विदेश-यात्रा और मनोरंजन/मेजबानी-खर्च पर प्रतिबंध लगाए जाने, एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने, अधिकारियों के आवास पर लगे टेलीफोनों की मुफ्त कालों की संख्या पर प्रतिबंध लगाए जाने आदि जैसे उपाय किए जाने शामिल हैं। सरकार ने व्यय-प्रबंधन किए जाने और वित्तीय सूझ-बूझ अपनाये जाने के बारे में दिनांक 30.11.1990, 05.08.1999, 24.09.2000 और 10.10.2001 को मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किए।

विवरण

कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग (लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड सहित)

(रुपए हजार में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	वास्तविक व्यय 2000-2001	वास्तविक व्यय 2001-2002	वास्तविक व्यय (अनंतिम) 2002-2003
1	2	3	4	5
1.	वेतन	91606	94356	99129
2.	मजदूरी	788	740	809
3.	समयोपरि-भत्ता	1232	1220	1285
4.	अन्तरदेशीय यात्रा-व्यय	2513	3068	3770
5.	विदेश यात्रा-व्यय	1169	1015	1400
6.	कार्यालय-व्यय	25275	23393	24430
7.	लघु निर्माण-कार्य	2846	1481	1905
8.	पी.पी.एस.एस.	804	1129	824
9.	प्रकाशन	953	784	500
10.	सहायता-अनुदान	25803	19906	20800
11.	अन्य प्रशासनिक व्यय	133	0	0
12.	अन्य खर्च अन्य व्यय	13	63	50
13.	विभागीय कैंटीन	3020	3164	3400
	कुल	156155	150319	158302
	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग			
1.	वेतन	19043	20427	22275
2.	मजदूरी	56	37	37
3.	समयोपरि-भत्ता	63	63	63
4.	अन्तरदेशीय यात्रा-व्यय	826	981	750
5.	विदेश यात्रा-व्यय	321	451	950
6.	कार्यालय-व्यय	3981	4074	3200
7.	प्रकाशन	773	926	1190
8.	अन्य प्रशासनिक व्यय	2760	2171	14550
9.	अन्य खर्च	135	33	10
	कुल	27958	29163	43025
	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग			
1.	वेतन	6401	5914	6182
2.	समयोपरि-भत्ता	50	49	50
3.	अन्तरदेशीय यात्रा-व्यय	50	199	250
4.	कार्यालय-व्यय	641	640	617
5.	प्रकाशन	0	0	238
	कुल	7142	6802	7337

[अनुवाद]

कोयले पर रायल्टी

6204. **श्री ए. नरेन्द्र:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित कोयला उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य से कोयले पर रायल्टी के रूप में वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी आय अर्जित की गई;

(ख) कोयला उत्पादन क्षेत्रों के विकास और पर्यावरण रक्षा हेतु राज्यों को प्रदान की गई रायल्टी का प्रतिशत राज्य-वार कितना है;

(ग) क्या कोयला खनन से प्राप्त राजस्व राज्यों के साथ बांटने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) रायल्टी आय उन राज्यों द्वारा अर्जित की जाती है जिनमें कोयला उत्पादित किया जाता है। केन्द्र सरकार को कोयले पर रायल्टी से कोई आय प्राप्त नहीं होती है।

(ख) कोयले पर रायल्टी की राशि सम्बन्धित राज्य सरकार की समेकित निधि में जमा की जाती है। राज्य की समेकित निधि में से किसी भी प्रकार के व्यय के लिए राज्य विधान मण्डल का अनुमोदन लेना होता है। राज्यों की रायल्टी आय के उपयोग में केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

महाराष्ट्र में कुपोषण

6205. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि जन्म के बाद तीन वर्षों में कुपोषण के अधिकांश मामले महाराष्ट्र के आठ जिलों विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में पंजीकृत किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर इस समस्या से निपटने के लिए कोई रणनीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन

6206. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं और इन वित्तीय संस्थाओं का वर्तमान मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत क्या योगदान है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय सेक्टर की स्कीमों और केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों तथा स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों के योगदान का ब्यौरा इस प्रकार है:-

1. छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी):

स्कीम का मुख्य उद्देश्य अवस्थापना सुविधाओं में सुधार करना और छोटे तथा मझोले कस्बों में स्थाई परिसंपत्तियों के सृजन में सहायता करना है, दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना लागत का 20-40% वित्तीय संस्थानों से अथवा अन्य स्रोतों से लिया जा सकता है। यद्यपि कस्बों के आकार के आधार पर केन्द्रीय सहायता की सीमा है तथापि, राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों/सांस्थानिक वित्त एजेंसियों से उपलब्ध कराई जाने वाली राशि की कोई सीमा नहीं है।

2. मेगा शहरों में अवस्थापना विकास:

स्कीम के तहत राशियां केन्द्र और राज्य सरकारों से मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और बंगलौर शहरों में अवस्थापना

विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा अभिनामित नोडल एजेंसियों को दी जाती हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 25%:25% की हिस्सेदारी है। शेष 50% राशि नोडल एजेंसियों/ कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय संस्थानों से जुटानी होती है।

3. त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी):

स्कीम का उद्देश्य 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में पेयजल की समस्याएं हल करना है। स्कीम का वित्तपोषण 50% केन्द्र सरकार द्वारा और 50% राज्य सरकार द्वारा अनुदान के आधार पर किया जाता है जिसमें 5% लाभार्थी/कस्बा अंशदान शामिल है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में 100% वित्तपोषण केन्द्रीय अंश से किया जाता है। स्कीम के कोई संस्थागत वित्त शामिल नहीं है।

4. मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए सस्ती सफाई योजना:

इस योजना का उद्देश्य शुष्क शौचालयों को कम लागत जलशील शौचालयों में परिवर्तित करना तथा जहां सफाई की स्थिति सुधारने एवं मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां नए शौचालयों का निर्माण करना है। योजना के अंतर्गत उप-ढांचे तक निर्माण के लिए योजना की स्वीकृति के बाद इस मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी वित्तीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आवास एवं शहरी विकास निगम लि. (हडको) द्वारा एक साथ ऋण तथा सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय सब्सिडी हडको के माध्यम से दी जाती है। केवल कम आय वर्गों के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाभार्थियों की आमदनी पर ऋण व सब्सिडी अंशदान आधारित होता है।

5. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई):

योजना के अंतर्गत लाभकारी स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए अलग-अलग शहरी गरीब लाभार्थियों अथवा गरीब महिलाओं के समूहों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। व्यावसायिक एवं उद्यमियता कौशल के उन्नयन तथा प्राप्ति हेतु कार्यक्रम से सम्बद्ध लाभार्थियों एवं उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) घटक के अंतर्गत लघु उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत की 15% राशि इमदाद के रूप में मुहैया कराई जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 7500 रु. प्रति लाभग्राही है। प्रत्येक लाभग्राही से परियोजना लागत के 5% का अंशदान नकद में मार्जिन राशि के रूप में अपेक्षित है। बैंकों द्वारा मिश्रित ऋणों के रूप में परियोजना लागत की 95% तक राशि का ऋण (इमदाद सहित) स्वीकृत किया जा सकता है।

यूएसईपी के शहरी क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (डीडब्ल्यूसीयूए) घटक के लिए डीडब्ल्यूसीयूए समूह सोसायटी 1,25,000 रु. की इमदाद अथवा परियोजना लागत का 50% जो भी कम हो, प्राप्त करने की हकदार है।

6. शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ पर रहने वालों के लिए आश्रय और सफाई सुविधाएं (रैन बसेरा स्कीम):

इस स्कीम के तहत शहरी बेघरों के लिए सामुदायिक शौचालयों और स्नानघरों सहित संयुक्त रेन बसेरों के निर्माण के लिए धनराशि मुहैया कराई जाती है। यह स्कीम हडको के मार्फत कार्यान्वित की जा रही है जो केन्द्रीय इमदाद जारी होने के बाद शेष परियोजना लागत पूरी करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण मुहैया कराता है। केन्द्रीय इमदाद भी हडको के मार्फत मुहैया कराई जाती है।

7. निर्मित केन्द्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क:

इस स्कीम के तहत निर्मित केन्द्र स्थापित करने के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी। निर्मित केन्द्रों में कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न लागत प्रभावी भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण संघटकों और प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से बाहर लाकर व्यवहार में लाने का प्रदर्शन किया जाता है। यह स्कीम भी हडको की मार्फत कार्यान्वित की जा रही थी। तथापि, अब दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह स्कीम बंद कर दी गई है। योजना आयोग के समक्ष इस स्कीम को दुबारा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

8. बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (बाम्बे):

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्लम निवासियों के लिए मकानों का निर्माण और मौजूदा मकानों में सुधार करना और सामुदायिक शौचालय बनाकर स्वास्थकर और सहायक शहरी पर्यावरण उपलब्ध कराना है। भारत सरकार 50% राशि की इमदाद मुहैया कराती है और शेष 50% की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी। राज्य सरकार अपने अंश की राशि किसी अन्य स्रोत से इमदाद के रूप में अथवा हडको या किसी अन्य एजेंसी से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकती है। राज्य की 50% की समान राशि जारी किए जाने के बाद ही भारत सरकार की इमदाद जारी की जाती है। इमदाद हडको के जरिए जारी की जाती है।

9. शहरी मानचित्रण योजना:

इस योजना में शहरी आयोजना तथा विकास के लिए कंप्यूटर आधारित भौगोलिक सूचना प्रणालियां (जीआईएस) तथा दूर संवेदी तकनीक अपनाकर वर्तमान आधार नक्शे तैयार करने व उन्हें अद्यतन

करने के लिए आकाशीय फोटोग्राफी और दूर संवेदी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का विचार किया गया है। इस योजना के लिए 100% धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा जाती है और इसका कार्यान्वयन नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के माध्यम से किया जाता है। इस योजना में कोई वित्तीय संस्थान शामिल नहीं है।

10. शहरी परिवहन आयोजना:

इस योजना के तहत राज्य सरकारों को शहरी परिवहन क्षेत्र में व्यवहार्यता अध्ययन चलाने और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए अनुदान सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना में कोई वित्तीय संस्थान शामिल नहीं है।

11. पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की शहरी कालोनियों में अवस्थापना सुविधाओं का प्रावधान:

इस योजना के अंतर्गत शरणार्थी कालोनियों में जल आपूर्ति, जल निकासी, सड़कें और फुटपाथ, सफाई तथा अन्य मदों के प्रावधान के लिए धनराशि मुहैया कराई जाती है। धनराशि पश्चिम बंगाल सरकार को सीधे ही दी जाती है। इस योजना में कोई वित्तीय संस्थान शामिल नहीं है।

12. (क) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी प्रशिक्षण कार्यक्रम (पीएचई प्रशिक्षण)

(ख) अनुसंधान एवं विकास

(ग) मानीटरिंग तथा प्रबंध सूचना पद्धति

पीएचई प्रशिक्षण कार्यक्रम लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी क्षेत्र से विभिन्न जल आपूर्ति तथा सफाई विभागों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करते हैं। अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत यह मंत्रालय जल आपूर्ति, सफाई तथा कचरा निपटान के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान व शैक्षिक संस्थानों को व्यवहार्य अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं प्रायोजित करता है। मानीटरिंग तथा प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत यह मंत्रालय त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा किफायती सफाई योजना जैसी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का मूल्यांकन स्वतंत्र (गैर-सरकारी) एजेंसियों से करवाने पर विचार कर रहा है।

इस योजना में कोई संस्थागत वित्त शामिल नहीं है।

सरकारी आवास का आवंटन

6207. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों को न्यासों, स्मारकों और राजनीतिक दलों को सरकारी आवास के आवंटन के संबंध में कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवास के आवंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आवंटनों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) ट्रस्टों, मेमोरियलों तथा राजनैतिक दलों को सरकारी आवास का आबंटन निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत किया जाता है। जो मामले दिशानिर्देशों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, उनमें मंत्रीमंडलीय आवास समिति का अनुमोदन लिया जाता है।

(ख) दिशानिर्देशों की प्रतियां विवरण-I से III तक संलग्न है।

(ग) ब्यौरा संलग्न IV में दिया गया है।

विवरण I

सं. 12014/2/06-नीति-II
भारत सरकार
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
सम्पदा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई, 2000

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजनीतिक दलों को सामान्य पूल से सरकारी रिहायशी आवास के आवंटन हेतु परिशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त

सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 585/94 में दिनांक 23.12.96 के अपने आदेश में यह निर्देश दिया था कि राजनीतिक दलों को सरकारी आवास के आवंटन हेतु परिशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जाएं। तदनुसार सरकार द्वारा निम्नलिखित सिद्धान्त अनुमोदित किए गए:-

(1) राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी गयी है, उन्हें मू.नि. 45-क के तहत लाइसेंस फीस अर्थात सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर अपने कार्यालय प्रयोग हेतु दिल्ली में सामान्य पूल से एक आवासीय इकाई रखे रहने/आबंटन प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।

(2) उक्त आवास तीन वर्ष की अवधि हेतु उपलब्ध कराया जाएगा जिसके दौरान पार्टी किसी सांस्थानिक क्षेत्र में भूखंड अर्जित कर लेगी और पार्टी कार्यालय हेतु स्वयं को आवास निर्मित करा लेगी।

(3) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल या अध्यक्ष को एक रिहायशी आवास आबंटित/रखे रहने की अनुमति दी जाएगी, यदि अध्यक्ष के पास दिल्ली में स्वयं का अन्यथा किसी अन्य हैसियत से सरकार द्वारा उन्हें दिया गया आवास नहीं है।

(4) भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तर के दलों को भी कार्यालय आवास की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि मंत्रिमंडल की आवास समिति के मतानुसार संसद में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तथा मामला उसके गुणावगुण आधार पर आबंटन हेतु सीसीए द्वारा अनुमोदित हो।

(5) किसी अन्य राजनीतिक दल का आवंटित अन्य भवन मसूख कर दिए गए हैं। तथापि पार्टी की वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा सरकारी आवास खाली करने के लिए छः माह अथवा वह अवधि जब तक के लिए आबंटन किया गया है, इनमें से जो भी पहले ही तक का समय दिया जाएगा।

2. सभी आबंटन अनुभाग से तदनुसार आगे कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

3. ये मार्गदर्शी सिद्धांत 22.02.2000 से लागू होंगे।

4. ये आदेश इस निदेशालय के दिनांक 24.10.1985 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12016/2/80-01-II (खंड-III) (XVIII) का अधिक्रमण करते हुए जारी किए गए हैं।

हस्ता./-
(महेन्द्र सिंह)
संपदा उप निदेशक

विवरण II

सं. 12/11/2000-समन्वय-1/नीति-II
भारत सरकार
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
संपदा निदेशालय

नई दिल्ली, 4 मई, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को सरकारी आवास का आबंटन-मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल रिट याचिका सं. 585/94 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.1996 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राजनीतिक दलों को सरकारी आवास का आबंटन करने हेतु, सीसीए के अनुमोदन से परिशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि कार्यालय आवास की सुविधा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तर की पार्टियों को भी दी जाएगी बशर्ते कि मंत्रिमंडल की आवास समिति की दृष्टि में संसद में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तथा आबंटन के लिए उनका मामला सीसीए द्वारा गुणावगुण आधार पर अनुमोदित हो।

2. सीसीए ने अपनी दिनांक 8.3.2001 की बैठक में इस मामले पर विचार किया तथा निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों को अनुमोदित किया:-

(1) केवल उन मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों, जिनके संसद के दोनों सदनों में 7 सदस्य हैं, को पार्टी कार्यालय के लिए आवास के आबंटन के लिए पात्र बनाया जाए।

(2) इस तरह के आवास केवल वी.पी. हाऊस में ही प्रदान किये जाएं।

(3) मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल को वी.पी. हाऊस में एक डबल स्यूट आवास आबंटित किया जाए।

(4) राज्य स्तरीय दल को उक्त आवास तभी तक प्रदान किया जाएगा जब तक उसे भारत के निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त रहेगी तथा उसका संसद में सी.सी.ए. द्वारा निर्धारित पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

3. शिव सेवा, तेलगू देशम पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ए.आई.ए.डी.एम.के. आल इंडिया त्रिणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिन्होंने पार्टी कार्यालय हेतु आवास के लिए आवेदन किया है तथा उपर्युक्त पैराग्राफ-2 में वर्णित मार्गदर्शी सिद्धांतों की शर्तों के अनुसार जिन दलों के संसद में 7 या 7 से अधिक सदस्य हैं, को वी.पी. हाऊस में एक डबल स्यूट आवास आबंटित किया जाए।

4. संपर्क अधिकारी (सांसद) और समन्वय-1 अनुभाग से अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

ह./-
(महेन्द्र सिंह)
संपदा उप निदेशक

विवरण III

सं. 12035/8/94-नीति-II
भारत सरकार
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
संपदा निदेशालय

नई दिल्ली, 19.10.2000

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एल.बी. जैड क्षेत्र के बंगलों का स्मारकों के रूप में परिवर्तन।

सामान्य पूल में बंगला टाइप आवास केवल मंत्रिपरिषद के सदस्यों, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के अन्य जजों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आबंटन के लिए है। एल.बी. जैड क्षेत्र के मृतक नेताओं के स्मारकों में परिवर्तित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था। ऐसे आबंटन के कोई मार्गदर्शन/मानदंड निर्धारित नहीं है। हालांकि नेताओं की मृत्यु के पश्चात सरकार बंगलों को उनके स्मारकों में परिवर्तित करने के पक्ष में नहीं है। तब भी नेताओं द्वारा देश के लिए की गई सेवाओं को देखते हुए सरकारी बंगले मृत नेताओं के स्मारकों के रूप में परिवर्तित किए गए हैं।

मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और अब यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में सरकारी बंगलों के मृत नेताओं के स्मारकों में परिवर्तित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए।

ह./-
(महेन्द्र सिंह)
संपदा उपनिदेशक (नीति)

विवरण IV

क्र.सं.	राजनीतिक दल का नाम	आवास संख्या	आबंटन की तारीख
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय जनता दल	13 (डबल)	23.5.2001
2.	अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मनेत्र कजघम (एआईएडीएमके)	113 (डबल)	23.5.2001
3.	तेलगू देशम	414 (डबल)	23.5.2001
4.	शिव सेना	513 (डबल)	23.5.2001
5.	समता पार्टी	220 (डबल)	4.5.2001 से आबंटन नियमित
6.	जनता दल (यूनाइटेड)	4 (सिंगल)	6.9.2002
7.	जनता दल (यूनाइटेड)	5 (सिंगल)	4.10.2002
8.	भारतीय जनता पार्टी	24, वी.पी.हाऊस	4.10.2001 से आबंटन नियमित
9.	भारतीय जनता पार्टी	104, वी.पी. हाऊस	27.4.2001
10.	भारतीय जनता पार्टी	301, वी.पी. हाऊस	18.1.2001
11.	भारतीय जनता पार्टी	302, वी.पी. हाऊस	18.1.2001
12.	भारतीय जनता पार्टी	317, वी.पी. हाऊस	18.1.2001
13.	भारतीय जनता पार्टी	417, वी.पी. हाऊस	22.2.2001
14.	भारतीय जनता पार्टी	503, वी.पी. हाऊस	21.11.2000

1	2	3	4
15.	भारतीय जनता पार्टी	122, वी.पी. हाऊस	29.5.2002
16.	कांग्रेस पार्टी	15, वी.पी. हाऊस	11.1.2001
17.	कांग्रेस पार्टी	16, वी.पी. हाऊस	19.10.2000
18.	कांग्रेस पार्टी	112, वी.पी. हाऊस	25.10.2000
19.	कांग्रेस पार्टी	211, वी.पी. हाऊस	25.10.2000
20.	कांग्रेस पार्टी	411, वी.पी. हाऊस	10.4.2001
21.	कांग्रेस पार्टी	416, वी.पी. हाऊस	25.10.2000
22.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	309, वी.पी. हाऊस	3.10.2000 से तीन वर्ष रखने की अनुमति
23.	भारतीय जनता पार्टी	20, तुगलक क्रिसेंट	18.9.2001
24.	भारतीय जनता पार्टी	30, औरंगजेब रोड	1.7.2002
25.	बहुजन समाज पार्टी	सी-1/11, हुमायूं रोड	14.6.2002
26.	तृणमूल कांग्रेस	13, महादेव रोड	17.2.2003
27.	सीपीआई(एम)	8, तीनमूर्ति लेन	27.2.2002
28.	सीपीआई	एवी-4, पुराना किला रोड	9.9.1997

मैमोरियल

मंत्रिमंडल के दिनांक 1.2.2000 के निर्णय के तहत लाल बहादुर शास्त्री मैमोरियल को टाइप-VII बंगला सं. 1 मोती लाल नेहरू मार्ग

जीन का पेटेन्ट कराया जाना

6208. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जीन की पहचान करने और उनका पेटेन्ट कराने में सहायता प्रदान करने हेतु डाटा बैंक की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार कितने जीनों की पहचान की गई और उनका पेटेन्ट किया गया?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा'): (क) और (ख) जी नहीं, ऐसा कोई डाटा बैंक नहीं है जो विशेषतौर पर जीनों की पहचान करने तथा उनकी पेटेंटिंग के लिए बनाया गया हो। तथापि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलाजी विभाग ने देश में भारतीय विज्ञान संस्थान, (आईआईएससी), बंगलौर, पूणे विश्वविद्यालय, पुणे; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, (जेएनयू), नई दिल्ली तथा सूक्ष्मजैविक प्रौद्योगिकी संस्थान (इमटेक), चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय जीनोमिक डाटाबेसिस के मिरर स्थलों की स्थापना की है। इन डाटाबेसिस में जीनोम डाटाबैंक (जी डी बी), प्रोटीन डाटाबेस (पी डी बी), पादप जीनोम डाटाबेसिस तथा यूरोपियन बायोइन्फार्मेटिक्स इंस्टीट्यूट (ईबीआई) में लगे डाटाबेसिस और साफ्टवेयर शामिल हैं। ये मिरर स्थल जीनोमिक तथा प्रोटियोमिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं। इस समय जीनों का इस प्रकार से भारत में पेटेंट नहीं किया जा सकता है तथापि केवल कुछ उपयोगिता वाले नवीन जीन/डीएनए के भागों को अन्य देशों में पेटेंट किया जा सकता है।

(ग) अभी तक भारतीय वैज्ञानिकों ने 8 पेटेंट योग्य जीनों की पहचान की है जिनमें से दो जीनों को बायोटेक्नोलाजी विभाग के जरिए यूएस में पेटेंट कराया गया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अनिवासी भारतीयों हेतु पाठ्यक्रम

6209. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भारतवंशियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम देसी संस्कृति पाठ शुरू करने का निर्णय किया है जैसा कि दिनांक 16.04.2003 के 'दि हिन्दु' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और विवरण क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड दो वर्ष पूर्व अनिवासी भारतीयों के लिए विशेष पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु सहमत हो गया था;

(घ) यदि हां, तो इन वचनबद्धताओं को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उक्त कार्य को पूरा करने हेतु समय सीमा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बोर्ड ने भारतीय भाषा तथा भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित स्तरों के पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है:-

- परिचय
- प्रबोध
- प्रवीण

इन पाठ्यक्रमों में सभी आयु वर्ग के भारतीय दाखिला ले सकते हैं। ये पाठ्यक्रम स्वाध्याय पैकेजों के रूप में होंगे जिनमें मुद्रित सामग्री तथा सी.डी. रोम शामिल होंगे।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस सामग्री को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा लेन-देन

6210. श्री रामजी मांझी:
श्री शीश राम सिंह रवि:

क्या उप-प्रधान मंत्री 28.11.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1779 के उत्तर में संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीयक सतर्कता-आयोग ने केन्द्रीय भण्डारों द्वारा किए गए दो करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि के भण्डार/खरीद और इतनी ही धनराशि के किए किए गए समझौतों हेतु विवरणी भरने से केन्द्रीय भण्डार को छूट प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वाहन उठाना

6211. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में यातायात पुलिस द्वारा जिले-वार कितने वाहन उठाए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा जिले-वार कितने चालान किए गए;

(ग) पुलिस द्वारा वाहन स्वामी को उसका वाहन उठाए जाने के बारे में सूचित करने हेतु क्या प्रणाली अपनाई गई है;

(घ) उठाए गए वाहनों को छोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ङ) क्या यह सच है कि उठाए गए अधिकतर वाहन असंदिग्ध निर्दोष वाहन स्वामियों से पैसा लेकर छोड़ दिए जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा यातायात पुलिस के उत्पीड़न से वाहन स्वामियों को बचाने हेतु प्रणाली को सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	जिला	उठाकर ले गए वाहनों की संख्या		अभियोजित मामलों की संख्या	
		2002	2003 (30 अप्रैल, 2003 तक)	2002	2003 (30 अप्रैल, 2003 तक)
1.	दक्षिण	29538	9718	29538	9718
2.	दक्षिण-पश्चिम	12207	3570	12207	3570
3.	पश्चिम	18397	5350	18397	5350
4.	उत्तर	29505	6690	29505	6690
5.	केन्द्रीय	28714	8341	28714	8341
6.	उत्तर-पश्चिम	11771	3829	11771	3829
7.	नई दिल्ली	16434	5158	16434	5158
8.	पूर्व	6242	1431	6242	1431
9.	उत्तर-पूर्व	2081	666	2081	666
	कुल	154889	44753	154889	44753

(ग) नियम तोड़ने वाले वाहन को उठाने से पूर्व, ड्यूटी पर तैनात यातायात स्टाफ उठाकर ले जाने वाले वाहन पर लगी जन संबोधित प्रणाली से यथोचित उद्घोषणा करते हैं। इसके अतिरिक्त, उचित स्थानों पर सूचना पट लगाए गए हैं जिसमें उस स्थान के बारे में सूचना दी जाती है जहां उठाकर ले गए वाहन को सामान्यतया ले जाया जाता है।

(घ) उठा कर ले गए वाहनों को, अपराध का निपटारा करके और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए वाहनों के निर्धारित शुल्क की अदायगी करने के पश्चात् छोड़ा जाता है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) इस प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने के लिए उठाए गए कदमों में, दिल्ली यातायात पुलिस में दिल्ली यातायात पुलिस अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार/परेशान करने से सम्बन्धित शिकायतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र जन सम्पर्क और शिकायत कक्ष की स्थापना; सतर्कता दस्ते द्वारा प्राय: निरीक्षण; और कदाचार में संलिप्त पाए लोगों को दण्ड देना शामिल हैं।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

6212. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में चल रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत क्या लक्षित निर्धारित किया गया है और यह लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(घ) क्या सरकार अब तक प्राप्त किए गए लक्ष्य से संतुष्ट है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट नहीं होती। इस विभाग द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यवार बजट आवंटन नहीं किए जाते। तथापि, प्राप्त प्रस्तावों, संसाधनों की उपलब्धता तथा पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति के मद्देनजर राज्य सरकारों को अनुदान जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बागडिघी कोयला खान

6213. प्रो. रीता वर्मा: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान सुरक्षा महानिदेशालय ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बागडिघी कोयला खान का निरीक्षण करने के बाद सितम्बर, 2000 में खान की बैरियरों की जर्जरता और उससे होने वाले खतरों को बताया है;

(ख) यदि हां, तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधन ने इस खतरे का पहले से निवारण करने हेतु कोई पूर्व क्रियात्मक उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या जल आप्लावन के कारण उसमें हुई घटना से पूर्व बागडिघी कोयला खान को सुरक्षा कारणों से बंद करने हेतु पहले ही नोटिस दिया गया था;

(च) यदि हां, तो क्या कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और महानिदेशालय खान-सुरक्षा को कंपनी को दिए गए नोटिस की पूर्ण जानकारी थी;

(छ) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना के बाद उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ज) क्या खान सुरक्षा महानिदेशालय ने भी पूर्वोक्त खान से कोयला खनन बंद करने हेतु सुझाव दिया था; और

(झ) यदि हां, तो उचित सुरक्षा प्रबंधों के न होने के बावजूद भी कोयले का खनन किस प्रकार किया जा रहा था?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) डी.जी.एम.एस. अधिकारियों ने 25 सितम्बर, 2000 को बी.सी.सी.एल. बागडिघी खान का निरीक्षण करने के पश्चात, कोयला खान विनियमन 1957 के नियम 59(4) के अंतर्गत, स्थल पर निरीक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार इंगित किया था:-

"बागडिघी और जयरामपुर के बीच सीम 8 और 7 के अवरोधक के खदानों की कुछ खदानें संदिग्ध हैं। बागडिघी के एजेन्ट को जयरामपुर के एजेन्ट के साथ परामर्श से नया नक्शा बनाने और नए नक्शे को, ऊपर उल्लिखित खदानों को दर्शाते हुए, इस निदेशालय को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।"

नियम 59(4) के मूलत: "खान बाउन्ड्री के संबंध में नक्शों के प्रकार" से संबंधित हैं। तथापि, कोयला खान विनियमन, 1957 के नियम 127, भूमिगत जलाप्लावन से खतरे से संबंधित है और उपर्युक्त निरीक्षण नोट में जयरामपुर और बागडिघी के बीच जलाप्लावन से खतरे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

(ख) उपर्युक्त निरीक्षण नोट के अनुसार, कोई खतरा इंगित नहीं किया गया था। केवल खान की बाउन्ड्री को दर्शाते हुए नए नक्शे तैयार करने की सलाह दी गई थी।

(ग) से (घ) खान प्रबंधन ने सीम 7 का सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया लेकिन यह कार्य दुर्घटना से पहले पूर्णत: पूरा नहीं किया जा सका।

(ङ) बागडिघी कोलियरी को बंद करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था। तथापि, खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 ए (1) के अंतर्गत सुधार नोटिस जारी किया गया था जिसके तहत डी.जी.एम.एस. द्वारा 10.11.2000 को ब्लास्टिंग की अनुमति को वापस ले लिया गया था जिसे 10.1.2001 को बहाल किया गया था।

(च) खान सुरक्षा महानिदेशालय और बी.सी.सी.एल. के नामित निदेशक उपर्युक्त सुधार नोटिस के बारे में भलीभांति अवगत थे।

(छ) ऊपर भाग (ङ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ज) और (झ) डी.जी.एम.एस. ने दुर्घटना से पूर्व बागडिघी कोलियरी में कोयले के खनन प्रचालन को नहीं रोका।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की परियोजनाओं का वित्त पोषण

6214. श्री हरिभाऊ शंकर महाले: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का संघटक प्रतिष्ठान है के पास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा वित्तपोषित अनेक परियोजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अलावा अन्य एजेन्सियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में वर्ष-वार, परियोजना-वार और श्रेणी-वार भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या उपयोग किए गए अनुदान और कुल स्वीकृत अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी वित्त पोषित परियोजनाओं की संख्या घटती रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी वैज्ञानिक को विदेशी वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु आवेदन करने/प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी हां। गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण I से III में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2000-2001 के दौरान निस्टैड्स में आरंभ की गई प्रायोजित/परामर्शी परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी का नाम	कुल अनुदान (रुपये लाखों में)	प्राप्त कुल अनुदान	उपयोग में लाया गया अनुदान (रुपये लाखों में)	भर्ती किया गया स्टाफ
1.	दिल्ली में पर्यावरणीय सांख्यिकी तथा मानचित्रण: स्थानिक प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग	पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय	7.40	6.70	4.42	3
2.	ऐसे रसायनों और उत्पादों से संबंधित नवीनतम रिपोर्ट जिनके उत्पादन और निर्यात को अन्य राष्ट्रों द्वारा तो प्रतिबंधित कर दिया गया है किन्तु भारत में अभी भी इनका उत्पादन किया जा रहा है।	पर्यावरण विभाग	2.65	2.10	2.10	2

विवरण II

वर्ष 2001-2002 के दौरान निस्टैड्स में आरंभ की गई प्रायोजित/परामर्शी परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी का नाम	कुल अनुदान (रुपये लाखों में)	प्राप्त कुल अनुदान	उपयोग में लाया गया अनुदान (रुपये लाखों में)	भर्ती किया गया स्टाफ
1.	कृषि जैवप्रौद्योगिकी में भारतीय पेटेन्ट्स	इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) वाशिंगटन डी.सी. यू.एस.	3.25	3.21	2.51	1
2.	समपोषणीय कृषि हेतु पारिस्थितिकीय अर्थव्यवस्था, भारत में मृदा विज्ञान अनुसंधान के मूल्यांकन सूचक	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)	14.81	8.21	5.89	1
3.	सांस्कृतिक भावना वाले लोगों में वैज्ञानिक समझ पैदा करना: कुंभ मेले के दौरान सर्वेक्षण	राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एनसीएसटीसी)	1.70	1.70	1.70	–
4.	सीएडी के माध्यम से कलात्मक हथकरघा डिजाइन की प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु जैकार्ड एम/सी का उन्नयन	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	10.43	2.61	2.61	–

विवरण III

वर्ष 2002-2003 के दौरान निस्टैड्स में आरंभ की गई प्रायोजित/परामर्शी परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी का नाम	कुल अनुदान (रुपये लाखों में)	प्राप्त कुल अनुदान	उपयोग में लाया गया अनुदान (रुपये लाखों में)	भर्ती किया गया स्टाफ
1	2	3	4	5	6	7
1.	तिलहन परियोजना का मध्यावधि मूल्यांकन	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, भारत (डीएफआईडी), ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली	1.20	0.75	–	–

1	2	3	4	5	6	7
2.	आरआईडी परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)	2.60	2.60	1.50	–
3.	समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर सुग्राहीकरण पाठ्यक्रम	डीएसटी/एआईसीटीई/ भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर)	1.00	1.00	1.00	–
4.	ज्ञान संघन क्षेत्रों में जनशक्ति की गुणवत्ता: औषधियों एवं रसायन क्षेत्रों के मामले	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)	11.00	7.00	–	2
5.	भारत में ज्ञान सृजित करने वाले संस्थान के पहलू: भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में क्षमता, संगठन तथा निर्गत का अध्ययन	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)	13.30	6.00	–	2
6.	हथ-करघा के लिए डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना का मूल्यांकन	वस्त्र मंत्रालय	8.00	4.00	–	1

बिक्रीकर विभाग के विरुद्ध अपील

6215. श्री शीश राम सिंह रवि: क्या **उप-प्रधान मंत्री** 20.03.2002 और 18.02.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2747 और 71 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार द्वारा बिक्रीकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर द्वितीय अपील भी खारिज कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें पारित आदेश का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विस्तार योग्य आवास योजना 1996

6216. डा. रमेश चंद तोमर: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार विस्तार योग्य आवास योजना, 1996 के हायर-परचेज विकल्प के अंतर्गत दस में अंतिम तीन किस्तें माफ करने/छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विस्तार योग्य आवास योजना 1996 के नकद विकल्प विशेषकर रोहिणी क्षेत्र में क्षेत्रवार फ्लैटों की पूर्ण लागत जमा करने वाले आवंटियों को कितनी धनराशि वापिस किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ऐसे आवंटियों की अलग-अलग संख्या कितनी है जिन्होंने हायर-परचेज विकल्प और नकद विकल्प को चुना है; और

(च) कितने आवंटियों ने अपनी किस्तों का भुगतान आज तक लगातार किया है और कितने आवंटी अपनी किस्तें लगातार जमा करने में विफल रहे हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन पर अलग-अलग और क्षेत्र वार कितना जुर्माना किया गया?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) स्कीम की निबंधन और शर्तों के अंतर्गत आबंटियों को या तो किराया खरीद अथवा नकद भुगतान आधार स्वीकार करने का विकल्प है। आबंटियों को फ्लैटों का कब्जा लेने के बाद एक अन्य विकल्प किसी भी समय किराया-खरीद को नकद भुगतान अथवा इसके विपरीत क्रम में शुरू करने का है। इस प्रकार, किराया-खरीद विकल्प अथवा नकद भुगतान विकल्प के अंतर्गत आबंटियों अथवा ऐसे आबंटियों जिन्होंने आज की तारीख तक अथवा अन्यथा सभी किस्तों का भुगतान कर दिया है, की केन्द्रीय रूप से कोई भी सूचना नहीं रखी गई है। तथापि, विस्तारित आवास योजना, 1996 के अंतर्गत किए गए 8404 आबंटनों में से 4902 आबंटन रद्द कर दिए गए हैं।

दिल्ली में बच्चों की बिक्री और छीना जाना

6217. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बच्चों की बिक्री बढ़ रही है;

(ख) क्या दिल्ली में बच्चों को उनकी माताओं से छीनने के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले एक वर्ष के दौरान कितने मामले सूचित किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाएं रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ग) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस को तीन पृथक-पृथक मामले सूचित किए गए जिनमें या तो दोषी शिशुओं की बिक्री के अवैध धंधे में कथित रूप से संलिप्त थे या फिर बच्चों का अपहरण किया गया या वे धोखे से छीन लिए गए।

(घ) दिल्ली पुलिस ने अपने स्टाफ को कड़ी निगरानी रखने के प्रति ब्रीफ किया है और उन्हें सुग्राही बनाया है।

दिल्ली नगर निगम में टेंडर माफिया

6218. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टेंडर माफिया दिल्ली नगर निगम में एक कार्य करने के लिए एक से अधिक बार भुगतान प्राप्त करने हेतु सक्रिय हैं जैसाकि दिनांक 25.4.2003 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसे मामलों में कौन से विभाग शामिल हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (च) समाचार में निहित रिपोर्ट, नगरपालिका मुख्य लेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में गई अभियुक्तियों पर आधारित है। निगम ने इन अभियुक्तियों, जो निगम के सिविल लाईन जोन (डिवीजन XII) की रखरखाव डिवीजन से संबंधित है, को नोट कर लिया है और मामले की व्यापक जांच शुरू कर दी है ताकि चूक करने वालों, यदि कोई हो, के खिलाफ कानून के तहत समुचित कार्रवाई की जा सके।

स्वजल धारा योजना के तहत हैण्ड पम्प लगाना

6219. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वजल धारा, योजना के तहत आज की तिथि के अनुसार हैण्ड पम्प लगाने के लिए केन्द्र सरकार को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के तहत विशेषकर कांगड़ा जिले के अब तक स्वीकृति दिये गये आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष आवेदन पत्रों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (ग) भारत सरकार को स्वजलधारा के अंतर्गत हैण्डपम्प लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से 321 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन्हें स्वीकृति दे दी गई है। इनमें कांगड़ा जिला से संबंधित 259 प्रस्ताव शामिल हैं।

झींगा मछली जैव-रसायन और इथानोल संयंत्र की स्थापना

6220. **श्री गंता श्रीनिवास राव:**
श्री गुनीपाटी रामैया:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि जैव तकनीकी विभाग के अधीन बायो जीन इण्डिया ने 300 करोड़ रुपये का निवेश करने के प्रयोजन से काकीनाडा में झींगा मछली जैव-रसायन और इथानोल संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचित किया है कि झींगा मछली जैव उर्वरक और इथनोल संयंत्र की स्थापना करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिये उन्हें कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पोषाहार मिशन

6221. **डा. वी. सरोजा:**
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश के पोषाहार की दृष्टि से पिछड़े चुनींदा जिलों में कोई राष्ट्रीय पोषाहार मिशन चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 2002-2003 के लिए 103.33 करोड़ रुपयों में से केवल 53.96 लाख रुपये ही राज्यों को जारी किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शेष धनराशि के कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है;

(च) क्या राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के तहत मध्य प्रदेश के लिए किसी योजना को स्वीकृति दी गयी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उक्त योजना के तहत अब तक क्या प्रगति हुई है और उक्त योजना के तहत किस तिथि से गेहूं वितरित किये जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की संरचना को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

(ख) से (घ) एक प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03 हेतु राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रारम्भ में, 51 अभिनिर्धारित जिलों में, 103.33 करोड़ रुपए आबंटित किए गए, ताकि अल्पोषित किशोर बालिकाओं और गर्भवती व शिशुवती माताओं को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान किए जा सकें। वर्ष 2002-03 में 53.96 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए। वर्ष 2002-03 में शेष राशि निर्मुक्त नहीं की गई। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विवरण

अल्प-पोषित किशोर लड़कियों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 51 जिलों में प्रायोगिक परियोजना हेतु वर्ष 2002-03 में आबंटित/निर्मुक्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

राशि (रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिला-1	जिला-2	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	
				आबंटित	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	अलीदाबाद	महबूब नगर	995.7	527.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	लोहित		7.02	4.23

1	2	3	4	5	6
3.	असम	कोकराझार	करबी एंगलोंग	231.6	124.51
4.	बिहार	औरगाबाद	गया	769.77	412.24
5.	छत्तीसगढ़	सरगुजा		239.39	129.55
6.	गोवा	उत्तरी गोवा		80.65	44.11
7.	गुजरात	पंचमहल	दोहाद	581.75	309.17
8.	हरियाणा	अम्बाला	यमुनानगर	176.92	98.44
9.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा		127.88	70.63
10.	जम्मू व कश्मीर	अनन्तनाग		125.11	68.41
11.	झारखण्ड	पश्चिमी सिंहभूम		259.4	140.1
12.	कर्नाटक	गुलबर्ग	कोलार	952.76	504.62
13.	केरल	पालक्कड़	मालाप्पुरम	469.96	266.21
14.	मध्य प्रदेश	सागर	दामोह	408.81	219.93
15.	महाराष्ट्र	नान्देड़	नागपुर	1132.42	600.81
16.	मणिपुर	सेनापती		29.76	16.78
17.	मेघालय	पूर्वी खासी पहाड़ियां		33.5	18.22
18.	मिजोरम	लुंगलई		12.5	6.93
19.	नागालैण्ड	तयानसेंग		30.32	17.23
20.	उड़ीसा	कोरापुट	कालाहांडी	537.51	281.32
21.	पंजाब	होशियारपुर	जालन्धर	193.75	114.03
22.	राजस्थान	डूंगरपुर	बांसवाड़ा	343.82	184.95
23.	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम		12.31	7.38
24.	तमिलनाडु	तिरुवनन्मलाई	रामनाथपुरम	392.85	213.25
25.	त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा		165.84	90.57
26.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	सोनभद्र	461.1	248.44
27.	उत्तरांचल	हरिद्वार		150.9	82.67
28.	प. बंगाल	जलपाईगुडी	पुरूलिया	1127.07	593.23
29.	दिल्ली	उत्तर-पश्चिमी दिल्ली		116.47	
30.	पांडिचेरी	कराईक्कल		20.42	

1	2	3	4	5	6
31.	अ. व नि. द्वीप समूह	अंडमान		35.18	
32.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़		46.2	
33.	दादर व नगर हवेली	दादर व नगर हवेली		36.63	
34क.	दमन व दीव	दीव		7.63	
34ख.	दमन व दीव	दमन		15.17	
35.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप		5.04	
	भारत			10333.11	5395.74

दिनांक: 1.5.2003

एच.एफ.सी.एल. और एफ.सी.एल. में वी.एस.एस.

6222. श्री सुनील खां: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि 19 सितम्बर, 2002 को एच.एफ.सी.एल. और एफ.सी.आई. के कर्मचारियों को जारी किये गये वी.एस.एस. परिपत्र में किये गये प्रावधान के अनुसार जिन्होंने 30 वर्षों से कम वर्षों की नौकरी पूरी की है वे मुआवजे के तौर पर अधिकतम 60 माह के वेतन के पात्र होंगे बशर्ते कि स्वैच्छिक तौर पर नौकरी छोड़ते समय बची शेष सेवावधि का वेतन/मजदूरी उनको मिलने वाले वेतन से अधिक न हों;

(ख) यदि हां, तो क्या यह यही है कि उक्त दोनों निगमों के किसी भी कर्मचारी द्वारा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण न किये जाने पर उसे यह लाभ दिया गया है और सेवा के प्रत्येक पूरे किये गये वर्षों के लिए उन्हें 45 दिन के वेतन के आधार पर अनुग्रह राशि प्रदान की गई है जैसाकि तीस वर्ष से कम की सेवा पूरी करने वाले अन्य कर्मचारियों के मामले में किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस खंड के लाभार्थियों की सूची क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) से (घ) जी हां। लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गयी स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) के अनुसार पेशकश किये जाने की तारीख से तीन माह के भीतर वीएसएस का चयन करने वाले कर्मचारी निम्नलिखित लाभों के लिए पात्र हैं:-

(1) कर्मचारी, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 45 दिन की परिलब्धियों (वेतन+मंहगाई भत्ता) या सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियों गुणा सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख से पूर्व बचे शेष सेवा माह, जो भी कम हो, के बराबर अनुग्रह राशि की अदायगी के लिए पात्र होगा।

(2) 30 वर्ष से अनधिक सेवा काल पूरा करने वाले सभी कर्मचारी मुआवजे के रूप में अधिकतम 60 (साठ) माह के वेतन/मजदूरी के पात्र होंगे। यह राशि शेष बची सेवा अवधि के वेतन/मजदूरी से अधिक नहीं होगी। (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय मासिक वेतन/मजदूरी की दर पर)

सभी कर्मचारियों को लोक उद्यम विभाग के उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसार अदायगी की जानी है और यदि अधिक अदायगी की गई है तो वसूल करने के लिए एचएफसी तथा एफसीआई को, निर्देश दिये गये हैं।

[हिन्दी]

गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था

6223. श्री नागमणि: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गर्भवती महिलाओं को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय के कब तक लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत धनराशि का आवंटन

6224. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री बालकृष्ण चौहान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत जिलों को आवंटित धनराशि का योजनावार और जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक जिले में गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित उनके द्वारा सदुपयोग की गई धनराशि का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न केन्द्रीय विकास योजनाओं के अंतर्गत 2003-2004 के दौरान धनराशि बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) चूंकि जिलावार सूचना, इन्हें संकलित करने के लिए जरूरी लागत और प्रयास की दृष्टि से काफी अधिक और निषेधात्मक प्रकृति की है इसलिए 2000-01, 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार आबंटनों को संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) ग्रामीण आवास संबंधी अभिनव चरण के अंतर्गत 2000-01 एवं 2000-03 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग की गई उन्हें आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) ऐसा नहीं लगता कि 2003-04 के दौरान केन्द्रीय निधियों को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्यों को निधियों का आबंटन संबंधित योजनाओं के लिए मंत्रालय के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

विवरण I

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ई.ए.एस/एसजीआरवाई-1 केन्द्रीय आवंटन				जेजीएसवाई/एसजीआरवाई-2 केन्द्रीय आवंटन				एसजीएसवाई केन्द्रीय आवंटन				आईएवाई केन्द्रीय आवंटन			
		2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	6586.59	9952.70	9451.49	10945.80	8727.55	9921.52	9525.83	11068.38	5303.03	3068.31	3068.31	4238.88	11036.00	11794.45	12070.22	13669.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	406.80	519.21	493.74	571.71	456.91	519.38	493.24	571.14	276.91	164.76	127.10	221.53	726.86	555.06	569.92	627.75
3.	असम	10546.62	13490.96	12810.39	14833.50	11872.04	13495.28	12816.04	14840.03	7195.18	4281.13	3302.59	5756.15	16354.79	12489.11	12823.65	14124.59
4.	बिहार	138184.87	19930.10	18926.54	21918.95	16476.68	18730.78	17400.97	20218.76	12616.76	7300.00	7303.00	10084.97	29832.84	32038.79	32787.84	37131.83
5.	छत्तीसगढ़	3725.40	5616.92	5334.11	6177.47	5094.75	4197.65	3951.95	4591.90	2800.88	1620.58	1620.58	2238.84	2045.34	2016.89	2064.05	2337.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	दिल्ली	15.18	22.94	21.79	25.24	128.41	145.98	136.57	158.69	50.00	50.00	50.00	50.00	68.00	76.20	77.98	88.32
7.	गोवा	2479.32	3746.38	3557.65	4120.14	3285.21	3734.65	4175.66	4846.03	1986.15	1154.96	1154.96	1595.58	3243.00	3389.62	3468.85	3928.46
8.	गुजरात	1458.62	2204.06	2083.09	2424.02	1932.75	2197.16	2197.16	2552.95	1174.37	679.48	679.43	938.70	1171.00	1146.14	1172.95	1328.34
9.	हरियाणा	614.28	928.21	881.48	1020.85	813.95	925.31	925.31	1075.15	494.67	286.16	286.16	395.33	515.00	507.06	518.91	587.66
10.	हिमाचल प्रदेश	760.26	1148.80	1090.95	1263.44	1007.38	1145.20	1063.89	1236.17	612.1	354.16	354.16	489.27	618.00	606.54	620.72	702.96
11.	जम्मू व कश्मीर	8385.06	12673.81	12035.69	13938.61	12113.79	13771.01	12793.29	14864.95	4755.33	2751.41	2751.41	3801.06	8765.16	9413.29	9633.38	10909.67
12.	झारखण्ड	4973.80	7515.70	7137.20	8265.64	6590.54	7492.16	6960.88	8088.08	4004.53	2317.00	2317.00	3200.94	5898.00	6100.88	6243.55	7070.71
13.	कर्नाटक	2231.73	3372.27	3202.48	3706.80	2957.15	3361.70	3123.04	3628.76	1796.82	1039.63	1039.63	1436.25	3552.00	3780.58	3868.97	4381.56
14.	केरल	7217.24	10909.15	10359.77	11997.72	9397.00	12276.64	11481.35	13340.51	6004.58	3474.22	3474.22	4799.65	7137.66	7038.38	7202.92	8157.24
15.	मध्य प्रदेश	9832.00	14856.70	14108.68	16339.34	13027.87	1481.16	13894.00	16143.90	7915.98	4580.15	4580.15	6327.49	10585.00	10824.79	11077.83	12545.56
16.	महाराष्ट्र	707.18	904.42	860.17	996.01	795.90	904.72	859.19	994.88	482.36	287.00	221.40	385.88	866.65	661.80	679.51	748.47
17.	मणिपुर	792.68	1013.29	963.63	1115.82	891.69	1013.61	962.59	1114.81	540.42	321.55	248.05	432.33	1151.46	879.29	902.85	994.44
18.	मेघालय	183.36	234.48	222.99	258.21	206.33	234.54	222.74	257.92	125.06	74.41	57.40	100.04	276.42	211.09	216.73	238.73
19.	मिजोरम	543.30	695.06	660.99	765.38	611.66	695.29	660.30	764.58	370.70	220.57	170.16	296.58	743.31	567.62	582.84	641.95
20.	नागालैंड	7553.70	11383.84	10810.67	12519.90	9982.52	11348.19	10542.48	12249.66	6065.56	3509.50	3509.509	4848.38	9154.00	9494.97	9716.97	11004.35
21.	उड़ीसा	708.88	1071.15	1017.21	1178.05	939.30	1067.80	2443.84	2839.58	570.73	330.22	330.22	456.20	745.00	759.25	777.00	879.95
22.	पंजाब	3776.78	5706.92	5419.60	6276.45	5004.41	5689.04	5291.01	6147.80	3040.77	1759.38	1759.38	2430.60	3233.00	3198.28	3273.06	3706.70
23.	राजस्थान	203.84	259.60	246.88	285.87	228.45	259.69	246.62	285.57	138.45	82.38	63.55	110.76	199.28	152.17	156.25	172.10
24.	सिक्किम	5824.00	8800.37	8357.28	9678.62	7717.07	8772.80	8207.15	9536.15	4689.03	2713.06	2713.06	3748.10	5846.00	5922.86	6061.33	6864.39
25.	तमिलनाडु	1276.22	1632.98	1553.21	1798.50	1437.02	1633.50	1551.28	1796.27	870.92	518.20	399.75	696.73	1681.23	1283.85	1318.25	1451.97
26.	त्रिपुरा	22258.95	33634.47	31940.92	36990.97	29503.89	33540.13	31302.41	36371.30	18163.60	10509.37	10509.37	14518.73	21347.67	21595.12	22100.04	25028.00
27.	उत्तरांचल	1483.15	2246.42	2133.31	2470.60	1960.17	2228.37	2125.56	2469.75	954.45	552.30	552.30	763.00	2217.33	2242.99	2295.43	2599.55
28.	उत्तर प्रदेश	8372.22	12650.87	12013.90	13913.37	11093.58	12611.24	11715.86	13613.04	6740.66	3900.11	3900.11	5368.01	12064.00	12729.32	13026.91	14752.84
29.	पश्चिम बंगाल		52.94	50.27	58.22	84.64	96.21	89.61	104.12	50.00	50.00	50.00	50.00	129.00	143.47	146.82	166.27
30.	अण्डमान एवं निकोबार	35.05															
31.	चण्डीगढ़	35.04	52.94	50.27	58.22	55.87	63.51	59.00	68.55	50.00	50.00	50.00	50.00	69.00	75.29	77.05	87.26
32.	दादरा व नगर हवेली	1.17	1.76	1.68	1.95	27.07	30.77	28.59	33.22	50.00	50.00	50.00	50.00	27.00	31.16	31.89	36.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33.	दमन व दीव																
34.	लक्षद्वीप	2.34	3.53	3.35	3.88	42.43	48.23	44.81	52.07	50.00	50.00	50.00	50.00	3.00	2.44	2.50	2.83
35.	पांडिचेरी	44.36	67.06	63.68	73.75	86.00	97.76	90.82	105.53	50.00	50.00	50.00	50.00	67.00	71.22	72.90	82.55
	जोड़	126200.00	187300.01	177875.06	205995.00	164549.98	187059.98	177383.04	206030.00	100000.00	58150.00	56793.00	80000.00	161389.00	161799.97	165640.07	187050.00

ईएएस-सुनिश्चित रोजगार योजना

जेजीएसवाई: जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

एसजीआरवाई: संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

एसजीएसवाई: स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

आईएवाई: इंदिरा आवास योजना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एन.ओ.ए.पी.एस. केन्द्रीय आवंटन		एन.एम.बी.एस. केन्द्रीय आवंटन	एन.एफ.बी.एस. केन्द्रीय आवंटन		पी.एम.जी.एस.वाई. केन्द्रीय आवंटन			ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. केन्द्रीय आवंटन			सी.आर.एस.पी. केन्द्रीय आवंटन	
		2000-2001	2001-2002	2000-2001	2000-2001	2001-2002	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2000-2001	2001-2002
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	आंध्र प्रदेश	4361.76	4360.76	1590.19	3035.50	2391.35	19000.00	19000.00	19000.00	14872.45	13889.68	14865.00	203.67	1954.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	181.26	181.26	27.11	57.78	54.82	3500.00	3500.00	3500.00	4389.00	4476.00	4977.00	11.50	56.91
3.	असम	2624.34	2624.34	419.43	1552.78	1473.14	7500.00	7500.00	7500.00	7372.00	7561.00	8407.00	303.95	518.93
4.	बिहार	5144.85	4620.99	618.14	1234.38	972.44	15000.00	15000.00	15000.00	4661.00	7274.00	7406.00	565.60	1813.96
5.	छत्तीसगढ़	1243.22	1116.63	304.52	1053.35	829.83	8700.00	8700.00	8700.00	158.00	3877.00	2443.00	93.93	264.84
6.	गोवा	27.94	25.10	2.58	12.22	9.63	500.00	500.00	500.00	1404.00	1455.00	122.00	2.31	0.87
7.	गुजरात	561.60	504.42	104.00	158.76	125.07	5000.00	5000.00	5000.00	9260.68	8237.00	6699.00	126.79	47.93
8.	हरियाणा	535.80	481.24	64.69	54.21	42.71	2000.00	2000.00	2000.00	2162.00	3108.64	2946.00	63.87	86.21
9.	हिमाचल प्रदेश	236.55	212.46	19.11	30.72	24.20	600.00	600.00	600.00	5678.00	559.41	5643.00	25.17	36.28
10.	जम्मू व कश्मीर	317.26	284.96	49.27	57.38	45.20	2000.00	2000.00	2000.00	9070.00	10105.88	12388.00	31.34	11.85
11.	झारखण्ड	1732.39	1555.99	205.45	465.63	363.82	11000.00	11000.00	11000.00	4719.00	3619.00	3063.00	142.18	698.15
12.	कर्नाटक	2959.63	2658.27	402.66	649.22	511.45	9500.00	9500.00	9500.00	10859.00	13547.74	12313.00	164.51	62.19
13.	केरल	1396.31	1254.13	136.58	382.10	301.02	2000.00	2000.00	2000.00	5752.00	6331.00	3698.00	106.41	782.21
14.	मध्य प्रदेश	3342.24	3001.92	600.20	2904.11	2287.84	21300.00	21300.00	21300.00	9529.00	8877.00	7159.00	312.54	301.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	महाराष्ट्र	4158.51	3735.07	453.49	1026.73	808.86	13000.00	13000.00	13000.00	16934.00	19159.00	16829.00	287.11	108.55
16.	मणिपुर	327.06	327.06	48.80	65.00	61.66	4000.00	4000.00	4000.00	1475.00	1643.00	1826.00	20.31	7.26
17.	मेघालय	352.67	352.67	52.81	72.22	68.52	3500.00	3500.00	3500.00	1869.07	1760.00	1957.00	22.04	7.87
18.	मिजोरम	98.51	98.51	14.85	21.67	20.56	2000.00	2000.00	2000.00	1226.00	1257.00	1398.00	5.67	2.03
19.	नागालैंड	256.13	256.13	38.43	36.11	34.26	2000.00	2000.00	2000.00	1275.00	1308.00	1454.00	15.27	5.45
20.	उड़ीसा	3682.21	3307.28	624.24	1346.69	1060.92	17500.00	17500.00	17500.00	6213.00	6522.00	6225.00	188.31	639.02
21.	पंजाब	386.79	429.15	46.98	134.16	105.69	2500.00	2500.00	2500.00	2383.00	2277.00	2581.00	55.36	163.10
22.	राजस्थान	1474.54	1324.40	325.34	468.16	368.81	13000.00	13000.00	13000.00	23634.65	24499.65	26750.00	170.61	64.50
23.	सिक्किम	94.57	94.57	14.15	21.67	20.56	2000.00	2000.00	2000.00	650.00	536.00	597.00	5.64	126.43
24.	तमिलनाडु	3276.00	2942.43	906.36	1904.76	1500.56	8000.00	8000.00	8000.00	7340.00	7956.00	6358.00	202.33	1765.48
25.	त्रिपुरा	565.46	565.46	84.41	122.78	116.48	2500.00	2500.00	2500.00	1521.00	1559.00	1734.00	35.63	377.35
26.	उत्तर प्रदेश	7861.76	7061.24	1627.32	2775.42	2186.46	31500.00	31500.00	31500.00	12472.00	13269.00	13022.00	699.94	2601.21
27.	उत्तरांचल	403.07	362.03	86.60	246.48	194.18	6000.00	6000.00	6000.00	2304.00	3356.00	3083.00	32.43	46.88
28.	पश्चिम बंगाल	3312.50	2975.21	541.17	975.73	768.68	13500.00	13500.00	13500.00	14173.78	8773.00	8545.00	304.12	1285.97
29.	अण्डमान एवं निकोबार	17.38	15.61	1.09	2.86	2.25	1000.00	1000.00	1000.00	13.00	13.00	13.00	4.88	4.88
30.	चण्डीगढ़	13.66	12.27	2.65	2.86	2.25								
31.	दादरा व नगर हवेली	11.80	10.60	0.47	2.86	2.25	500.00	500.00	500.00	7.00	7.00	7.00	3.88	3.88
32.	दमन एवं दीव	2.48	2.23	0.31	2.86	2.25	500.00	500.00	500.00				0.77	0.76
33.	दिल्ली	249.58	224.17	36.97	31.56	24.78	500.00	500.00	500.00		5.00	5.00	2.31	2.31
34.	लक्षद्वीप	1.86	1.67	0.16	2.86	2.25	500.00	500.00	500.00				0.48	0.48
35.	पांडिचेरी	49.05	44.06	5.25	2.86	2.25	500.00	500.00	500.00		5.00	5.00	2.68	50.11
	अखिल भारत	51260.74	47024.29	9455.78	20914.34	16790.00	237500.00	237500.00	237500.00	184803.63	191823.00	184518.00	4213.54	13897.76

पी.एम.जी.एस.वाई और ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के लिए केन्द्रीय आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सी.आर.एस.पी. वर्ष 2002-03 से मांग आधारित योजना है।

पी.एम.जी.एस.वाई.-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,

सी.आर.एस.पी.-केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम,

एन.एफ.बी.एस-राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना,

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

एन.ओ.ए.पी.एस.-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

एन.एम.बी.एस-राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

विवरण II

ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के अभिनव चरण योजना की शुरूआत से अब तक राज्यवार रिलीज की गई निधियां एवं गैर-सरकारी संगठन द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आज तक रिलीज की गई निधियां	आज तक उपयोग की गई निधियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	45.63	12.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00
4.	बिहार	20.00	16.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00
7.	गुजरात	12.99	8.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0.57	0.00
13.	केरल	37.60	19.88
14.	मध्य प्रदेश	8.29	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00
16.	मणिपुर	5.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00
19.	नागालैंड	8.00	0.00
20.	उड़ीसा	8.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00
22.	राजस्थान	7.86	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	18.00	8.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	52.81	18.24
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	14.92	0.00
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0.00	0.00
30.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00
31.	दमन एवं दीव	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
33.	पांडिचेरी	0.00	0.00
	जोड़	239.67	82.66

माध्यमिक स्तर पर कृषि शिक्षा

6225. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन राज्यों में माध्यमिक स्तर पर कृषि शिक्षा दी जाती है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के सभी राज्यों के सभी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर तक कृषि को एक विषय के तौर पर शामिल किये जाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम को नयी दिशा प्रदान और इसमें परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ङ) सरकार को इस बात की

जानकारी नहीं है कि किसी राज्य में कृषि शिक्षा को स्कूल स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इस समय इस सम्बन्ध में सरकार किसी प्रस्ताव पर भी विचार नहीं कर रही है। राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना-2000 में स्कूल स्तर पर अध्ययन के एक अलग विषय के रूप में कृषि का कोई विशेष उल्लेख नहीं है।

झारखण्ड संवर्ग का गठन

6226. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखण्ड-संवर्ग के गठन के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि बिहार और झारखण्ड के बीच संवर्ग-विवाद के कारण विकास-गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप क्या सफलता प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) जी, हां।

(ख) बिहार-राज्य को बिहार-राज्य और झारखण्ड-राज्य में विभाजित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, पहले के बिहार-राज्य के अखिल भारतीय सेवाओं के संवर्ग के पद, दिनां, 21.10.2000 की अधिसूचना द्वारा दिनांक 15.11.2000 से, उपर्युक्त दो राज्यों में निम्नानुसार विभाजित कर दिए गए:-

	बिहार	झारखण्ड
भारतीय प्रशासनिक सेवा	264	129
भारतीय पुलिस-सेवा	163	87
भारतीय वन-सेवा	43	130

(ग) बिहार-राज्य और झारखण्ड-राज्य में विकासात्मक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले उपर्युक्त संवर्गों से संबंधित विवाद का कोई भी दृष्टांत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संवर्ग-विभाजन, अन्य बातों के साथ-साथ, अपेक्षाकृत छोटे राज्यों में कुशल प्रशासन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण रखने, सेवा में मौजूद कार्मिकों की सेवाओं का इष्टतम उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, विभागों/पदों को युक्तिसंगत ढंग से समूह-बद्ध किए जाने की आवश्यकता तथा करिअर का समुचित प्रबंधन ध्यान में रख कर किया गया था। ये उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं।

[अनुवाद]

हुडको की ब्याज दरें

6227. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि हाल ही में बंगलौर में हुडको के स्थानीय मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हुडको गृह और आधारभूत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दर 9.5% से भी कम कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्): (क) जी हां।

(ख) आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हुडको) के स्थानीय मुख्यालय का उद्घाटन दिनांक 28 मार्च, 2003 को किया गया है।

(ग) और (घ) आवास तथा अवस्थापना परियोजनाओं के लिए ब्याज दर हुडको द्वारा बाजार प्रवृत्तियों/ऋण की लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है और इसकी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। हुडको की मौजूदा वित्तपोषण पद्धति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वित्तपोषण पद्धति

क्र.सं.	ईडब्ल्यूएस, कार्य योजना तथा हुडको निवास के अलावा टेक-आउट वित्त प्रबंध सहित सभी परियोजनाओं के लिए ऋण	अधिकतम वित्त (%)	ब्याज दर (%) प्रतिवर्ष (शुद्ध)		
			5 वर्ष	10 वर्ष	15 वर्ष
क.	सरकारी एजेंसियां	85	10.00	10.25	10.75
	सरकारी पुलिस संगठनों द्वारा प्रत्यक्ष ऋण	100	10.00	10.25	10.50
ख.	निजी एजेंसियां/सहकारी एजेंसियां				
	(1) बंधक, नियोजित पुनर्भुगतान के साथ एस्क्रो	70	11.00	11.50	11.75
	(2) अलग परियोजना खाते के साथ बंधक	70	11.50	11.75	12.00

टिप्पणी: निजी एजेंसियों के मामले में, क्षेत्रीय प्रमुख जोखिम के आधार पर ब्याज दर बढ़ा सकता है। सह-उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में सरकारी प्रतिभूति योजनाओं के लिए अधिकतम ऋण 80% है और अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए 60% है। सह उत्पादन परियोजना के लिए ब्याज दर शहरी अवस्थापना योजना के बराबर होगी।

50 करोड़ रु. से अधिक निजी क्षेत्र ऋण संकाय आधार पर दिया जाएगा और यह परियोजना लागत के अधिकतम 50% से अधिक नहीं होगा।

सामान्य टिप्पणियां

1. ईडब्ल्यूएस, कार्य योजनाओं, निर्मिति केन्द्र तथा गैर-सरकारी संगठन केवल (ईडब्ल्यूएस आवास) योजनाओं के लिए ब्याज दर 10%

2. एजेंसी द्वारा ऋण के आवेदन पत्र के साथ अप्रतिदेय आवेदन शुल्क तथा फ्रंट एंड शुल्क जमा कराया जाएगा जो एजेंसी द्वारा अग्रिम के रूप में जमा कराया जाएगा अथवा स्वीकृति-पत्र जारी होने के बाद पहली बार प्रदान की गई राशि से समायोजित किया जाएगा।

योजना की प्रकृति	ऋण राशि की प्रतिशतता (%)	
	आवेदन शुल्क*	फ्रंट एंड शुल्क
ईडब्ल्यूएस, एलआईजी कार्य योजनाएं तथा गैर-सरकारी संगठन	0.10	0.25
अन्य सभी योजनाएं	0.10	0.50

* 10,000 रु. के अगले स्लैब तक पूर्ण करते हुए न्यूनतम 10,000 रु. तथा अधिकम 1.00 लाख रु. के अध्यधीन। 50 करोड़ रु. से अधिक ऋण राशि के लिए फ्रंड एंड शुल्क 0.25 की दर से लिया जाएगा।

टिप्पणी: कोई आर एंड डी प्रभार नहीं लिया जाएगा।

3. संकाय वित्तपोषण के मामले में शर्तें व निबंधन प्रधान संकाय भागीदारों की शर्तों व निबंधनों के अनुसार होंगे।

4. सरकार की 26% से अधिक इक्विटी प्राप्त संयुक्त क्षेत्र एजेंसियों से सार्वजनिक एजेंसियों के लिए लागू दर वसूल की जाएगी। शेष संयुक्त क्षेत्र एजेंसियों से निजी एजेंसियों के लिए लागू दर वसूल की जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा भूमि आवंटन

6228. श्री भान सिंह भौरा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और कल्याण संगठनों को दिल्ली में भूमि आवंटित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने संगठनों को भूमि आवंटित की गयी है;

(ग) इस प्रकार के संगठनों के कितने आवेदन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास लम्बित हैं और वे कब से लम्बित हैं; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उनको शीघ्र निपटाने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अर्द्ध-सैनिक बलों को कैन्टीन सुविधा

6229. श्रीमती प्रभा राव: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि अर्द्ध-सैनिक बलों के कर्मचारी सैन्य बलों के कर्मचारियों की तरह रियायती कैन्टीन का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों को भी कैन्टीन सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं जबकि अर्द्ध-सैनिक बलों के जवान भी सीमा पर और अशांत क्षेत्रों में उसी प्रकार की परिस्थितियों में कार्य करते हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट (सी.एस.डी.) की सुविधाएं रक्षा बलों के कार्मिकों के लिए उपलब्ध हैं और अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों को स्वीकार्य नहीं हैं सिवाय तब, जब वे सेना के आपरेशनल नियंत्रण में होते हैं।

(ख) अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों को सी.एस.डी. सुविधा उपलब्ध कराने के प्रश्न पर रक्षा मंत्रालय से परामर्श करके जांच की गई। संरचनात्मक और वित्तीय दबावों के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है।

(ग) से (ङ) अर्द्धसैनिक बलों ने अपने कार्मिकों को इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुछ प्रबंध किए हुए हैं।

शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं का कार्य निष्पादन

6230. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहायता से विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या कमियां पाई गई हैं;

(ग) तमिलनाडु में क्रियान्वित की जा रही ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्): (क) से (घ) राज्य सरकारें विदेशी सहायता से शहरी अवस्थापना विकास परियोजनाएं कार्यान्वित करती हैं।

केन्द्र सरकार विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के निष्पादन की समीक्षा के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित करती है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सामने आई कमियों के बारे में उपचारी कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को बताया जाता है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार दो परियोजनाएं, अर्थात, तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना-2 तथा द्वितीय चेन्नई जल आपूर्ति तमिलनाडु में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

आईआईटी स्नातकों को रोजगार

6231. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लगभग 50 प्रतिशत या उससे अधिक आईआईटी स्नातक नौकरी के लिए भारत में नहीं ठहर रहे हैं, जैसाकि 30 मार्च, 2003 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) किसी भी आईआईटी से स्नातक करने वाले छात्रों की मदद के लिए सरकार द्वारा प्रति छात्र औसतन कितना खर्च किया जाता है;

(घ) क्या आईआईटी को अपने खर्च पूरे करने के लिए उसे अपने स्वयं का कोष बनाने के लिए कोई प्रयास किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में आई.आई.टी. स्नातकों के निर्यात का वित्तपोषण करती रहेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) सरकार को इस प्रकार के सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है। तथापि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्नातक नौकरियों तथा उच्च अध्ययन के लिए अन्य देशों में प्रवास हेतु जाते हैं। फिर भी, बड़ी संख्या में इसके छात्र विभिन्न क्षमताओं में राष्ट्र सेवा करते हुए भारत में बने रहते हैं। सरकार द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक स्नातक पर किया गया औसतन व्यय लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

(घ) से (च) यद्यपि प्रायोजित अनुसंधान; परामर्श, आदि के माध्यम से आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाता है, तथापि सरकार अभी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए मुख्य निधियन स्रोत है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को आवश्यकता के अनुसार निधियां देते रहने की सरकार की सुविचारित नीति है।

अतिरिक्त माइनिंग ब्लाकों को निजी उद्यमों के हाथों में दिया जाना

6232. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री कमलनाथ:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अतिरिक्त माइनिंग ब्लाकों को निजी उद्यमों के हाथों में न दिए जाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की आलोचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अगले कुछ वर्षों में अनुमानित कोयला उत्पादन को बनाए रखने के लिए सरकार का विचार अतिरिक्त माइनिंग ब्लाकों को निजी उद्यमों के हाथों में देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सार्वजनिक/निजी क्षेत्र को गृहीत खनन हेतु आवंटन के लिए, कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगियों ने 121 ब्लाकों/उप-ब्लाकों तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. ने 7 ब्लाकों, कुल 128 ब्लाकों की पहचान की गई है। उक्त ब्लाकों में से हालांकि अभी तक 27 ब्लाकों को आवंटित किया जा चुका है, कोयले का खनन 4 ब्लाकों में ही प्रारम्भ हुआ है।

सेक्टर सुधार परियोजना

6233. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण जलापूर्ति सेक्टर के अंतर्गत सेक्टर सुधार परियोजनाओं के देश के विभिन्न जिलों में आशानुरूप परिणाम नहीं निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिलेवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इसमें अब तक कितनी उपलब्धि मिली है; और

(घ) पायलट परियोजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (घ) क्षेत्र सुधार परियोजनाएं 1999 में शुरू की गईं। इसमें 26 राज्यों के 67 जिले शामिल हैं। क्षेत्र सुधार परियोजनाएं प्रक्रिया परियोजनाएं हैं। इस प्रकार इन परियोजनाओं को शुरूआत में गति पकड़ने में समय लगा क्योंकि सहभागी, मांग आधारित दृष्टिकोण पर आधारित हैं जो लक्ष्य आधारित, मांग आधारित दृष्टिकोण से पूर्णत: अलग है। क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन से लाभार्थी समुदाय के साथ-साथ कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों के आचार-व्यवहार तथा प्रतिक्रिया में प्रमुख परिवर्तन लाने की अपेक्षा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 631.66 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं तथा 346.36 करोड़ रु. के खर्च की सूचना दी गई है। 58.63 करोड़ रु. का सामुदायिक अंशदान 21.56 लाख लोगों से प्राप्त हुआ था। 31 जिलों ने उपलब्ध निधियों के 60% तक के खर्च की सूचना दी जबकि यह 20 जिलों के लिए 30% से कम है। प्रगति के जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विभाग क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन में कठिनाइयों का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने में सहायता देने के लिए समीक्षा मिशन भेजकर तथा राज्य और जिला अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके विभिन्न जिलों तथा राज्यों में क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा कर रहा है।

विवरण

क्षेत्र सुधार परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	जिला	राज्य	अनुमोदित परियोजना लागत	भारत सरकार का अंश	प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि	रिलीज की गई निधियां	सूचित व्यय	सामुदायिक अंशदान	अंशदाताओं की सं.	प्रतिशत खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00	7-जून-00	1122.00	1039.36	202.52		92.63
2.	खम्माम	आंध्र प्रदेश	3753.00	3509.00	7-जून-00	2052.70	2144.10	288.59	227432	104.45
3.	नालगोंडा	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00	7-जून-00	1122.00	1105.66	563.82	95000	98.54
4.	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00	15/19-जून-01	1122.00	397.18	123.56	498	35.40
5.	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00	7-जून-00	1122.00	948.09	376.56	103790	84.50
6.	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00	1-अप्रैल-02	1122.00	476.99	438.82	24006	42.51
7.	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.00	17-जून-02	374.00	31.09.	77.55		8.31
8.	लोहित	अरुणाचल प्रदेश	900.00	841.50	4-फर.-00	252.45	66.17	58.50		26.21
9.	प. सियांग	अरुणाचल प्रदेश	700.00	654.50	4-फर.-00	392.70	372.70	20.27		94.91
10.	जोरहट	असम	1275.00	1188.60	4-फर.-00	356.58	240.08	30.20	22000	67.33
11.	कामरूप	असम	1000.00	935.00	4-फर.-00	280.50	171.05	12.70	3290	60.98
12.	सोनितपुर	असम	1181.00	1103.49	4-फर.-00	331.04	156.78	16.80	5500	47.36
13.	वैशाली	बिहार	4000.00	3740.00	23-फर.-00	1122.00	438.99	47.94		39.13
14.	दुर्ग	छत्तीसगढ़	4000.00	3740.00	15-जून-01	1122.0	130.59	5.39	5598	11.64
15.	मेहसाना	गुजरात	4000.00	3740.00	4-फर.-00	1122.00	40.90	143.97	13500	3.65
16.	राजकोट	गुजरात	4000.00	3740.00	9-फर.-00	1122.00	412.89	160.00	105500	36.80
17.	सूरत	गुजरात	4000.00	3740.00	4-फर.-00	1122.00	491.49	110.00	10200	43.80
18.	करनाल	हरियाणा	1507.00	1409.05	23-फर.-00	422.71	422.77	32.33	3840	100.01
19.	यमुना नगर	हरियाणा	986.18	922.08	23-फर.-00	276.62	312.07	42.57	8346	112.81
20.	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश	2005.00	1857.50	3-फर.-00	557.25	230.44	28.58	29058	41.35
21.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	2511.00	2347.79	3-फर.-00	704.33	458.63	38.63		65.12
22.	ऊधमपुर	जम्मू और कश्मीर	2500.00	2250.00	4-फर.-00	675.00	631.66	52.34	11801	93.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	धनबाद	झारखण्ड	4000.00	3740.00	23-फर.-00	1122.00	14.66	1.24	486	1.31
24.	बेल्लारी	कर्नाटक	4000.00	3740.00	18-फर.-00	1122.00	676.27	171.68	22238	60.27
25.	मंगलौर	कर्नाटक	4000.00	3740.00	04-फर.-00	1122.00	879.16	233.36	248778	78.36
26.	मैसूर	कर्नाटक	4000.00	3740.00	04-फर.-00	1122.00	251.90	153.04	14400	22.45
27.	कसारगोढ़	केरल	4000.00	3740.00	16-मार्च-00	1122.00	431.94	92.36	21655	38.50
28.	कोल्लम	केरल	4000.00	3740.00	24-अगस्त-00	1122.00	127.20	7.06		11.34
29.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	2927.94	2737.62	02-फर.-00	821.29	219.83	21.60		26.77
30.	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	4000.00	3740.00	20-अप्रैल-00	1122.00	196.21	29.29	5946	17.49
31.	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश	4000.00	3740.00	19-अप्रैल-00	1122.00	214.13	50.25		19.08
32.	रायसेन	मध्य प्रदेश	4000.00	3740.00	19-अप्रैल-00	1122.00	334.25	22.50	18800	29.79
33.	सीहोर	मध्य प्रदेश	1795.00	1678.15	16-मार्च-00	503.44	160.55	22.05	5940	31.89
34.	अमरावती	महाराष्ट्र	2126.00	1973.50	04-फर.-00	592.05	419.93	14.41	16952	70.93
35.	धूले	महाराष्ट्र	3952.78	3692.96	04-फर.-00	1107.88	495.91	0.00	11088	44.76
36.	नांदेड़	महाराष्ट्र	4000.00	3740.00	04-फर.-00	1122.00	189.55	14.14		16.89
37.	रायगढ़	महाराष्ट्र	3793.00	3473.80	04-फर.-00	1042.13	55.47	14.60	4377	5.32
38.	रि-भोई	मेघालय	975.11	907.01	15/19-जून-01	272.10	125.52	14.49	8551	46.13
39.	सिरचिप	मिजोरम	268.98	248.17	04-फर.-00	223.35	186.78	19.65	28071	83.63
40.	दीमापुर	नागालैंड	594.00	555.39	04-फर.-00	166.61	170.22	7.89	102549	102.17
41.	बालासोर	उड़ीसा	4000.00	3740.00	25-31-अक्तू.-00	1122.00	409.87	41.90	16896	36.53
42.	गंजम	उड़ीसा	4000.00	3740.00	15-19-जून-01	1122.00	542.04	83.24	4500	48.31
43.	सुंदरगढ़	उड़ीसा	4000.00	3740.00	19-अप्रैल-00	1122.00	971.68	45.09	4251	86.60
44.	भटिंडा	पंजाब	752.19	700.95	03-फर.-00	210.28	205.11	13.50		97.54
45.	मोगा	पंजाब	344.00	321.44	03-फर.-00	96.43	112.94	13.20		117.12
46.	मुक्तसर	पंजाब	3992.80	3733.27	25-31-अक्त.-00	1119.98	54.26	2.67	0	4.84
47.	अलवर	राजस्थान	4000.00	3740.00	04-फर.-00	1122.00	1126.88	121.54	32110	100.43
48.	राजसमंद	राजस्थान	4000.00	3740.00	26-मार्च-02	1122.00	12.44	7.97	3528	1.11
49.	जयपुर	राजस्थान	4000.00	3740.00	04-फर.-00	1122.00	1167.78	147.72	10110	104.08
50.	सीकर	राजस्थान	2171.00	1986.05	16-मार्च-00	595.81	423.21	21.27	2200	71.03
51.	द. सिक्किम	सिक्किम	1322.48	1210.07	16-मार्च-00	363.02	0.00	7.97	3528	0.00
52.	प. सिक्किम	सिक्किम	892.35	816.50	16-मार्च-00	244.95	0.00	0.00		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	4000.00	3740.00	03-फर.-00	2244.00	2564.08	315.00	93183	114.26
54.	कुडालोर	तमिलनाडु	4000.00	3740.00	04-फर.-00	2244.00	1947.08	201.27	141600	86.77
55.	पेराम्बलूर	तमिलनाडु	4000.00	3740.00	19-अप्रैल-00	2244.00	1546.99	283.49	128600	68.94
56.	भेल्लोर	तमिलनाडु	4000.00	3740.00	16-मार्च-00	3366.00	2452.31	314.28	253986	72.86
57.	कांचीपुरम	तमिलनाडु	4000.00	3740.00	18-जून-02	374.00	16.38	26.33	6403	4.38
58.	विरु धूनगर	तमिलनाडु	4000.00	3740.00	18-जून-02	374.00	243.59	61.91	10087	65.13
59.	प. त्रिपुरा	त्रिपुरा	2819.40	2566.90	04-फर.-00	1540.14	881.68	87.33	130320	57.25
60.	आगरा	उत्तर प्रदेश	3000.00	2805.00	19-अप्रैल-00	841.50	111.12	10.13	11585	13.20
61.	चंदौली	उत्तर प्रदेश	2500.00	2337.50	04-फर.-00	701.25	451.27	3.53		64.35
62.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	4000.00	3740.00	04-फर.-00	1122.00	502.80	7.81	4580	44.81
63.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	3000.00	2805.00	04-फर.-00	841.50	474.19	2.96	657	56.35
64.	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	2500.00	2337.50	04-फर.-00	701.25	479.73	66.75	14362	68.41
65.	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	4000.00	3740.00	24-अगस्त-00	1122.00	952.89	82.00	40500	84.93
66.	उ. 24 परगना	पश्चिम बंगाल	4000.00	3740.00	24-अगस्त-00	1122.00	1103.78	125.03	59409	98.38
67.	हरिद्वार	उत्तरांचल	4000.00	3740.00	11-नव.-01	1122.00	13.39	8.00	4500	1.19
	कुल		206045.21	192285.28		63166.86	34636.65	5863.13	2156085	

[हिन्दी]

जल की कम आपूर्ति

6234. श्री राम विलास पासवान: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में 75 एकड़ भूमि को जल की आपूर्ति कराने वाला वाटर चैनल पिछले तीन वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या जल बोर्ड इस पार्क के कर्मचारियों और वहां प्रतिदिन जाने वाले हजारों लोगों को पीने के पानी तक की आपूर्ति नहीं कराता हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वहां कब तक पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति कराए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जल बोर्ड से पानी की अपर्याप्त जल आपूर्ति को बढ़ाने हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बागवानी तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पार्क में नलकूप लगाए हैं यद्यपि गिरते हुए भू-जल स्तर के कारण पानी की उपलब्धता बाधित हुई है। विभिन्न नागरिक एजेंसियों के बीच अधिकतम समन्वयन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त के.लो.नि.वि. को बरसाती जल संग्रहण अपनाने की सलाह दी जा रही है ताकि कमी को पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

भारतीय नागरिकता

6235. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हजोंग लोगों द्वारा दिए गए 4000 आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इन लोगों को कब तक भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) और (ख) राज्य सरकार के साथ परामर्श करके मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

विशिष्ट लोगों की सुरक्षा

6236. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अति विशिष्ट और विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कितने कमांडो तैनात किए गए हैं;

(ख) क्या विशिष्ट और अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात कमांडो अपना वेतन नहीं पा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (घ) फिलहाल संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के 182 कमांडो तैनात है। कुछ कार्य विधि उलझनों के चलते फरवरी और मार्च, 2003 महीनों में 71 कमांडो के वेतन की रिलीज में कुछ विलंब हुआ था। अब मामले को सुलझा दिया गया है और प्रश्नाधीन कमांडो को उनके वेतन का भुगतान किया गया है।

[अनुवाद]

पक्की सड़कों के लिए धन का आवंटन

6237. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पक्की सड़कों के निर्माण के लिए राज्यवार कितने धन का आवंटन किया गया और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): सरकार ने दसवीं योजना अवधि (2007) के अंत तक 500 तथा उससे अधिक की आबादी वाली (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तरांचल तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम में निर्धारित मरूभूमि क्षेत्रों और जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों के संबंध में 250 व्यक्तियों) सड़कों से न जुड़ी बसावटों को बारहमासी सड़कें मुहैया कराने के लिए नौवीं योजना के उपान्तिम वर्ष अर्थात् दिसम्बर, 2000 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) शुरू की है। नौवीं योजना अवधि के दो वर्षों, जब कार्यक्रम चल रहा था, के दौरान तथा दसवीं योजना के प्रथम वर्षों में रिलीज की गई राज्यवार निधियां और 2003-2004 के लिए राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। दसवीं योजना अवधि के शेष वर्षों के लिए अब तक राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है।

विवरण

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान रिलीज की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधियां तथा 2003-2004 के लिए आबंटन

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नौवीं योजना में रिलीज की गई राशि		दसवीं योजना में रिलीज की गई राशि	आवंटन
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	195.00	224.65	219.29	90.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.95	45.00	41.51	35.00
3.	असम	75.00	80.00	74.92	75.00

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	149.90	0.00	0.00	150.00
5.	छत्तीसगढ़	92.41	98.62	159.60*	87.00
6.	गोवा	5.00	5.00	0.00	5.00
7.	गुजरात	59.81	60.00	51.70	50.00
8.	हरियाणा	25.18	30.00	44.75*	20.00
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	72.09	104.57	60.00
10.	जम्मू-कश्मीर	20.00	0.00	35.00	20.00
11.	झारखण्ड	110.05	120.00	0.00	110.00
12.	कर्नाटक	100.57	108.37	97.74	95.00
13.	केरल	19.71	27.65	11.43	20.00
14.	मध्य प्रदेश	217.64	248.00	450.39*	213.00
15.	महाराष्ट्र	130.21	134.50	114.58	130.00
16.	मणिपुर	40.00	40.00	0.00	20.00
17.	मेघालय	34.95	45.72	35.00	35.00
18.	मिजोरम	19.93	26.53	50.88*	20.00
19.	नागालैंड	19.75	25.53	22.23	20.00
20.	उड़ीसा	179.70	175.00	170.09	175.00
21.	पंजाब	24.66	55.00	20.39	25.00
22.	राजस्थान	140.09	150.00	241.74*	130.00
23.	सिक्किम	13.16	20.00	17.81	20.00
24.	तमिलनाडु	99.25	88.57	80.32	80.00
25.	त्रिपुरा	24.75	26.85	25.00	25.00
26.	उत्तर प्रदेश	321.11	348.11	240.54	315.00
27.	उत्तरांचल	60.63	70.00	0.00	60.00
28.	पश्चिम बंगाल	135.00	149.65	159.52	135.00
	कुल (राज्य)	2414.41	2474.84	2469.00	2220.00

1	2	3	4	5	6
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अं. व निको द्वीप समूह	10.59	0.00	0.00	10.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	5.00	0.00	5.00
31.	दमन व दीव	5.00	0.00	0.00	5.00
32.	दिल्ली	0.00	5.00	0.00	5.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	4.89	0.00	5.00
34.	पांडिचेरी	5.00	0.00	0.00	5.00
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	20.59	14.89	0.00	35.00
	कुल योग	2435.00	2489.73	2469.00	2255.00

*2003-04 के सड़क कार्यों के लिए 25% अग्रिम रिलीज सहित

सीएसएस के ग्रेड-I में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व

6238. श्री ए. कृष्णास्वामी: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1.7.1986 तक की स्थिति के अनुसार सीएसएस के ग्रेड-I में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का समग्र प्रतिनिधित्व सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार, इस संवर्ग के लोगों के लिए निर्धारित $22^1/_2$% आरक्षण की प्रतिशतता से काफी नीचे है और 1.7.1987 तक की स्थिति के अनुसार, इस संवर्ग के लोगों का अधिशेष प्रतिनिधित्व नहीं था;

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी के लोगों के लिए वर्ष, 1987 से 1990 तक की हाल ही में जारी चयन-सूचियों में अनुसूचित जाति के अधिकारियों के लिए आरक्षण के न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन चयन-सूचियों में इस संवर्ग के लोगों को $22^1/_2$% का देय प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) और (ख) पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का कोटा, क्रमश: 15 प्रतिशत और $7^1/_2$ प्रतिशत है। दिनांक 01.07.1986 को मौजूद स्थिति के अनुसार और 01.07.1990 तक, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के ग्रेड-1 में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व, उनके लिए आरक्षित पदों के कोटे से अधिक था। अत: वर्ष 1987 से 1990 तक की प्रवर सूचियों में अनुसूचित जातियों के अधिकारियों को बिलकुल भी आरक्षण मुहैया नहीं करवाया गया। फिर भी, दिनांक 1.7.1986 से 1.7.1990 तक की अवधि के दौरान, उपर्युक्त ग्रेड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व उनके लिए आरक्षित पदों के कोटे से कम रहा, क्योंकि बढ़ाए गए विचारण-क्षेत्र में भी (रिक्तियों की संख्या के पांच गुणे अधिकारियों में भी) अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त पात्र अधिकारी नहीं मिले। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद, बाद की प्रवर सूचियों में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों से ही भरे जाने के लिए अग्रेनीत कर दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सी.सी.एल. के राजहरा क्षेत्र में उत्पादन

6239. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के राजहरा क्षेत्र में उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): पिछले तीन वर्षों के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के राजहरा क्षेत्र का उत्पादन निम्नानुसार है:-

(आंकड़े हजार टन में)

वर्ष	उत्पादन
2000-2001	228
2001-2002	254
2002-2003	301

[अनुवाद]

रासायनिक रंगों (डाई) का निर्माण

6240. श्री सईदुज्जमा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़ी मात्रा में रासायनिक रंगों (डाईयों) का निर्माण किया जाता है जैसा कि 19 मार्च, 2003 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष अनुमानित कितनी मात्रा में रंगों (डाईयों) का निर्माण किया जाता है और इसका अनुमानित मूल्य क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि एनबीआरआई, लखनऊ और अन्य संगठन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक संश्लेषित रंगों के बजाय पादप आधारित हर्बल रंगों को बढ़ावा देते रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बीएसआई ने हर्बल रंगों के लिए विशेषकर उनकी सुरक्षा के लिए कोई मानदंड तैयार किया है;

(च) क्या यह सच है कि हर्बल रंग काफी मंहगे होते हैं जिससे कि विक्रेता संश्लेषित रंगों को ही हर्बल रंग के रूप में बेच रहे हैं;

(छ) क्या इस संबंध में कोई नमूना परीक्षण किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) और (ख) जी हां, देश में रासायनिक रंजकों का विनिर्माण पर्याप्त मात्रा में अनेक अनुप्रयोगों जैसे वस्त्र, प्लास्टिक, रबड़ पेपर, चमड़ा और खाद्य आदि के लिए किया जाता है। संगठित क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान रासायनिक रंजकों की विनिर्माण इकाइयों द्वारा कुल उत्पादन जैसी कि रिपोर्ट दी गई है, निम्न प्रकार है:-

वर्ष	उत्पादन मी. टन में
1999-2000	28306 मी. टन
2000-2001	28788 मी. टन
2001-2002	24399 मी. टन
2002-2003 (अनुमानित)	30400 मी. टन

उत्पादन के मूल्य को मानीटर नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने प्लांट आधारित हर्बल रंगों और खाद्य रंगद्रव्यों को इसके दो संघटक प्रयोगशालाओं नामत: नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनबीआरआई), लखनऊ और सेन्ट्रल फूड टेक्नालाजी रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएफटीआर) मैसूर में विकसित करने के लिए आर एंड डी कार्यक्रम आरंभ किया है। एनबीआरआई ने पारिस्थितिक अनुकूल हर्बल गुलाल के लिए प्रक्रिया विकसित की है जिसे व्यावसायिक बना दिया गया है। विभिन्न शेडों में हर्बल गुलाल को उपभोक्ताओं ने काफी पसंद किया है। एनबीआरआई ने रंगों के शेड पर आधारित पंद्रह पादपों को छांटा है। सीएफटीआरआई ने खाद्य रंगों को छांटा और विकसित किया है, जैसे चुकन्दर, कोकुम और मिर्च से लाल रंग, कुसुम और हल्दी से पीला रंग, अंगूर से गुलाबी रंग और एनाटों के बीज से नारंगी रंग बनाया है।

(ङ) से (ज) बीआईएस ने हर्बल रंगों के लिए कोई मानक प्रकाशित नहीं किया है। हर्बल रंग सिंथेटिक रंगों से अधिक मंहगे होते हैं। तथापि, लागत, कच्चे माल की गुणवत्ता की उपलब्धता, इसमें लगी निष्कर्षण प्रक्रिया और रंग के प्रकार पर निर्भर करती है।

करगिल शहीदों के लिए फ्लैट

6241. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 13 अप्रैल, 2003 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार द्वारका में वीर आवास योजना में

डी.डी.ए. द्वारा बनाये गये और करगिल शहीदों के परिवारों के लिए आबंटित फ्लैटों में दरारें पड़ने लगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) घटिया गुणवत्ता वाले ऐसे मकानों के निर्माण के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्षतिग्रस्त फ्लैटों की तत्काल मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि विजयी वीर आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैटों में कोई दरार नहीं है।

(ग) और (घ) इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 13.4.2003 को प्रकाशित समाचार में दिए गए तथ्यों का सत्यापन दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग द्वारा किया गया है।

'वेल्थ आफ इंडिया' की छपाई

6242. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सक्षम प्राधिकारी ने एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर. (निसकेअर) (सी.एस.आई.आर.) के प्रकाशन, एनसाइक्लोपीडिया, वेल्थ आफ इंडिया रॉ मैटीरियल की प्रतिलिपियों की छपाई का कार्य हाल ही में आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर. (निसकेअर) में गत तीन वर्षों से 'वेल्थ आफ इंडिया' के प्रत्येक खंड के वर्षवार और श्रेणीवार भंडार की स्थिति क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों से 'वेल्थ आफ इंडिया' की खंडवार, श्रेणीवार और वर्षवार मांग और बिक्री क्या रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के अनन्य रूप से 'वेल्थ आफ इंडिया' के लिए कार्य कर रहे वैज्ञानिकों की वर्षवार, पदनामवार, श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी हां।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान वेल्थ आफ इंडिया-रॉ मैटीरियल (डब्ल्यूओआई) की स्टाक की स्थिति, मांग तथा बिक्री से संबंधित ब्यौरा निम्नांकित है:

क्र.सं.		1 जनवरी को स्टाक की स्थिति			वर्ष के दौरान बिक्री (जनवरी-दिसम्बर)			पुन:मुद्रण की तारीख
		2000	2001	2002	2000	2001	2002	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्राथमिक श्रृंखला	—	—	—	—	—	—	—
	खंड-I	—	—	—	—	—	—	—
	खंड-II	—	—	—	—	—	—	—
	खंड-III	—	—	—	—	—	—	—
	खंड-IV	271	164	70	107	92	70	14.1.2003
	खंड-V	99	शून्य	698	99	51	66	22.6.2001
	खंड-VI	247	146	48	100	97	47	21.4.2003
	खंड-VII	107	2	703	105	48	94	27.6.2001
	खंड-VIII	210	108	23	102	84	23	21.4.2003

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	खंड-IX	277	163	70	114	92	70	21.4.2003
	खंड-X	240	137	32	103	104	30	17.3.2003
	खंड-XI	232	129	27	103	101	12	21.4.2003
	सप्ल. फिश एंड	138	45	3	93	42	3	07.4.2003
	फिशरीज लाइवस्टाक/पोल्ट्री	128	32	शून्य	96	32	शून्य	21.4.2003
2.	संशोधित श्रृंखला							
	खंड-1-1क	251	51	शून्य	199	51	शून्य	21.3.2003
	खंड-2-2ख	1755	1640	1550	114	89	174	—
	खंड-3 3 सीए-सीआई	2093	1983	1743	109	239	52	—
3.	सप्लीमेंट श्रृंखला							
	खंड-1 (ए-सीआई)	—	400	260	90	137	122	24.3.2000
	खंड-2 (सीएल-सीवाई)	—	—	380	शून्य	114	139	14.5.2001
	खंड-3 (डी-आई)	—	—	—	शून्य	शून्य	117	26.6.2002

(घ) डब्ल्यूओआई सप्लीमेंट के लिए कार्यरत संपूर्ण डब्ल्यूओआई टीम तथा संबंधित क्षेत्रों का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	वर्ष	2000	2001	2002
1.	कार्यरत वैज्ञानिकों की संख्या	समूह-IV (5) 3	समूह-IV (5) 3	समूह-IV (5) 2
		समूह-IV (4) 12	समूह-IV (4) 12	समूह-IV (4) 10
		समूह-IV (3) 1	समूह-IV (3) 1	समूह-IV (3) 1
		समूह-IV (2) 3	समूह-IV (2) 3	समूह-IV (2) 2
		कुल = 19	कुल = 19	कुल = 15

विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग

6243. श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत उत्पादन के लिए कितने प्रतिशत कोयले का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) इससे कितनी आय अर्जित की जा रही है;

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान कोयला आधारित विभिन्न विद्युत संयंत्रों को कितने कोयले की आवश्यकता थी और उन्हें कितने कोयले की आपूर्ति की गई;

(घ) क्या सरकार ने दसवीं योजना अवधि के दौरान विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले की मांग का कोई अनुमान लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा कोयला खान मजदूरों की उत्पादनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) देश में विद्युत के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जा रहे कोयले का प्रतिशत वर्ष 2002-03 के लिए कुल उत्पादित कोयले का लगभग 74% (अनंतिम) है।

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान अर्जित की गई आय अर्थात सी.आई.एल. तथा एस.सी.सी.एल. से तापीय विद्युत संयंत्रों को आपूर्तित कोयले की बिक्री का मूल्य 21491 करोड़ रु. (अनंतिम) है।

(ग) नौवीं योजनावधि के दौरान कोयला आवंटन/लिंकेज तथा प्राप्तियों को वर्ष-वार दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:-

(मिलियन टन में)

वर्ष	आवंटन/लिंकेज	प्राप्तियां (देशीय कोयला)
1997-1998	233.640	208.050
1998-1999	220.570	202.370
1999-2000	236.270	216.650
2000-2001	241.880	230.060
2001-2002	250.550	240.009

(घ) और (ङ) योजना ने 10वीं योजना के अंतिम वर्ष (2006-07) के लिए विद्युत (उपयोगिता) क्षेत्र हेतु 317.14 मिलियन टन कच्चे कोयले तथा 3.74 मिलियन टन मिडलिंगस की मांग को अंतिम रूप दिया है।

(च) कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में नई परियोजनाओं को प्रारम्भ करना/नई खानों को खोलना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण/विस्तार, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि, आदि शामिल हैं।

(छ) उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. श्रमशक्ति के नियोजन का युक्तिकरण।
2. भू-खनन स्थितियों पर निर्भर करते हुए उपयुक्त मशीनीकरण को प्रारम्भ करना।
3. डिस्ट्रिक्ट को ईष्टतम बनाना, नक्शे को पुन: व्यवस्थित करना।
4. आदानों के उपयोग को ईष्टतम बनाना।
5. बेहतर वायु संचरण आदि के द्वारा कार्य की परिस्थितियों में सुधार।

सरकारी क्षेत्र में औषध और भेषज उद्योग

6244. श्री अनन्त नायक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र में स्थानवार कितने औषध और भेषज संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव दसवीं योजना के दौरान इनमें से कुछ इकाइयों का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं योजना के दौरान औषध और भेषज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पांच उद्यमों के पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में नौ संयंत्र हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सितम्बर, 1994 में घोषित औषध नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य लागत-प्रभावी उत्पादन को प्रोत्साहित करने, नई प्रौद्योगिकियों/नई दवाओं की शुरूआत करने तथा दवाओं के उत्पादन के लिए स्वदेशी सक्षमता सुदृढ़ करने के लिए भेषज उद्योग में नए निवेश को सरणीकृत करने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करना है।

आरक्षित वनों में खनिज भंडार

6245. श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
श्री वाई.वी. राव:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरक्षित वन क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र बहुमूल्य खनिजों और धातु संपदा से संपन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, खनिजवार और धातुवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों से खनिज संसाधनों का पता लगाने और उनका दोहन करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि भारत के वन तथा जनजातीय क्षेत्र खनिज सम्भावित क्षेत्र हैं।

(ख) और (ग) संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्र (जनजातीय क्षेत्र) आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में अधिसूचित हैं। लगभग समस्त छत्तीसगढ़ और झारखण्ड राज्य तथा उड़ीसा और राजस्थान के अधिकांश खनिज धारक क्षेत्र, अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्र वन क्षेत्रों में भी शामिल हैं। यद्यपि खनिज भंडारों का वन क्षेत्रों अथवा जनजातीय क्षेत्रों की दृष्टि से पृथक-पृथक अनुमान नहीं लगाया जाता है तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्यतया भारत के वन और जनजातीय क्षेत्र कोयले जैसे ईंधन खनिजों तथा बाक्साइट, लौह, जस्ता और सीसे जैसे धात्विक खनिजों से सम्पन्न हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे क्षेत्रों में चूना-पत्थर, जिप्सम आदि खनिज भी उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में यह परिकल्पना की गई है कि खनिजों के निष्कर्षण और विकास का भूमि, जल, वायु और वन जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधनों के साथ निकट संबंध है। जिन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं वहां अक्सर अन्य संसाधन भी विद्यमान होते हैं जिससे संसाधनों को चुनने का विकल्प मिलता है। कुछ ऐसे क्षेत्र पारिस्थितिकी की दृष्टि से नाजुक हैं तथा कुछ क्षेत्र जैविक दृष्टि से सम्पन्न हैं। वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा की आवश्यकता सहित विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि उपयोग के विकल्प अथवा क्रय को सुसाध्य बनाने हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। पर्यावरण के सामंजस्य में खनिज संसाधनों के सतत् विकास को सुनिश्चित करने और सुसाध्य बनाने के लिए दोनों ही पहलुओं का उपयुक्त समन्वय करना होगा।

खनन विधान में यह प्रावधान है कि खनिजों के विदोहन से पूर्व पर्यावरण और वन संबंधी दृष्टिकोण से पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजूरी ली जाए। पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ निरंतर बातचीत के फलस्वरूप खनन क्रियाकलापों हेतु वन तथा पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। इसमें खनन पट्टों के नवीकरण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और फार्मों का सरलीकरण शामिल है। खनिज सलाहकार परिषद् की बैठक, राज्यों के खनन और भूविज्ञान मंत्रियों का सम्मेलन तथा निवेशकों की बैठक जैसे विभिन्न मंचों पर पर्यावरण और वन संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है। खान मंत्रालय, इन बैठकों में इंगित किए गए कार्रवाई योग्य बिन्दुओं के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए रखता है।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) का कार्य-निष्पादन

6246. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002-03 के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का कार्य-निष्पादन पिछले कुछ वर्षों की तुलना में सुधरा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या झारखण्ड सरकार ने लंबित परियोजनाओं के लिए समय पर भूमि के आवंटन के लिए कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड मगध और आम्रपाली में अपने सबसे अच्छे दो खनन ब्लाकों को खोलने में विफल रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) जी, हां। सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) के लिए पिछले तीन वर्षों के मुख्य कार्य-निष्पादन पैरामीटरों के सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

कम्पनी	2000-01	2001-02	2002-03
कोयला उत्पादन (मि.ट.)	31.75	33.81	37.02
उठान (मि.ट.)	33.21	33.27	36.72
प्रति श्रमपाली उत्पादन (टन)	1.98	2.13	2.42
लाभ (करोड़ रु. में)	(-) 792.91	(-)108.32	(+)301.90

(ग) और (घ) जी, हां। गैर-वन भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों की समीक्षा करने के लिए झारखण्ड राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की हैं। लंबित परियोजनाओं के लिए भूमि को समय पर निर्मुक्त करने को गति प्रदान करने के लिए इस समिति की बैठकें प्रत्येक माह आयोजित की जाती हैं। वन भूमि के संबंध में सीसीएल तथा झारखण्ड राज्य सरकार, लंबित परियोजनाओं के लिए वन भूमि को निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के संबंध में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमओईएफ) के साथ मामले का अनुवर्तन कर रही हैं। इस संदर्भ में 40 आवेदनों में से 27 आवेदनों पर कार्रवाई कर दी गई है और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं। सीसीएल ने 10वीं योजनावधि के दौरान इन दो ओपनकास्ट परियोजनाओं अर्थात मगध ओसीपी (12 एम.टी.वाई.) तथा आम्रपाली ओसीपी (12 एम.टी.वाई.), जिन्हें दो सुपर तापीय विद्युत ग्रहों नामत: क्रमश: एन.के. एस.टी.पी.एस. तथा बी.ए.आर.एच.एस.टी.पी.एस. के साथ सम्बद्ध किया गया है, को खोलने की योजना बनाई है। वर्तमान में परियोजना की प्रगति समयानुसार है और निर्धारित कोयला उत्पादन के 10वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2006-07 में आरम्भ होने की सम्भावना है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रधान मंत्री के निवास स्थान का निर्माण

6247. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधान मंत्री के लिए सुरक्षित स्थायी निवास स्थान के संबंध में सरकार की राय मांगी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या राय है;

(ग) क्या सरकार एक विशेष स्थान पर प्रधान मंत्री निवास का निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्): (क) एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एडिशनल सालिस्टिर जनरल आफ इण्डिया से अनुरोध किया कि प्रधान मंत्री के लिए स्थाई निवास के मुद्दे पर सरकार के विचार सुनिश्चित किए जाएं।

(ख) इस मामले में सरकार को अपनी राय अभी तय करनी है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली में ऊंचे भवनों में अग्नि सुरक्षोपाय

6248 श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अग्नि सुरक्षोपाय रहित ऊंचे भवनों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ऊंचे भवनों में अग्नि सुरक्षोपाय की तत्काल स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) सरकार द्वारा दिये गये सुझावों पर मालिकों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) जी, हां, श्रीमान।

(ख) ऐसी 63 इमारतें हैं जिनमें मुश्किल से न्यूनतम अग्नि सुरक्षोपाय संबंधी सुविधाएं हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने दिल्ली अग्नि निवारण और अग्निशमन सुरक्षा अधिनियम, 1986 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत ऐसी इमारतों के मालिकों/निवासियों को नोटिस जारी किए हैं।

(घ) परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं और अधिकांश मालिकों ने निर्धारित सुरक्षोपाय अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु कदम उठाये हैं।

सार्स को नियंत्रित करने के लिए औषध

6249. श्री जे.एस. बराड़: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी भेषज कंपनी ने सार्स को नियंत्रित करने और उसका उपचार करने हेतु औषध के विकास और उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने किसी अनुसंधान संस्थान से सार्स रोधी औषध विकसित करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा परिषद तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से सार्स-रोधी औषध का विकास करने के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया है। शुरूआत में सार्स-रोधी यौगिकों की उपस्थिति के लिए मरीन ओरिजिन के जैविक रूप से सक्रिय अर्क की जांच की जाएगी। इसके बाद परियोजना की सफलता के आधार पर औषध के रूप में विकसित करने के लिए सक्रिय अणु का शुद्धिकरण तथा सरणीकरण किया जाएगा।

नालको द्वारा ग्रामीणों को मुआवजा

6250. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नालको के 'ऐश पौन्ड' में आयी दरार, जिसके कारण नन्दिरा नदी क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गयी थी, के कारण प्रभावित हुए सभी ग्रामीणों को मुआवजा दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को भुगतान किये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नालको ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठायें हैं कि भविष्य में ऐसी दु:खद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी (नालको) के ऐश पौंड में आयी दरार के कारण प्रभावित हुए 1028 व्यक्तियों में से 965 व्यक्तियों को 3,18,25,680/ रु. की राशि का भुगतान किया गया है। जिला राजस्व प्राधिकारी के समक्ष स्वामित्व संबंधी विवाद (टाइटिल डिसप्यूट) के लंबित होने के कारण बकाया मामलों को निपटाया नहीं जा सका है।

(ग) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साईंस, बैंगलूर के विशेषज्ञों ने नालको के दोनों ऐश पौंडों की जांच की है। उनके सुझावों के अनुसार अपेक्षित मरम्मत, पुन:निर्माण और मजबूती प्रदान करने वाले कार्य किए गए हैं। ऐश पौंड प्रणाली के प्रबंधन हेतु पूर्ण विकसित आपरेशन एवं रख-रखाव मैनुअल सहित एक अलग विभाग की स्थापना की गई है। उपरोक्त को देखते हुए भविष्य में इसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं है।

नालको/बालको में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

6251. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नालको और बालको में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार इन कंपनियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों की अलग-अलग स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार ने बकाया रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, नहीं। खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. (नालको) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) का प्रतिनिधित्व बहुत कम नहीं है। जहां तक भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. (बालको) का संबंध है तो अब यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है।

(ग) नालको में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) कर्मचारियों की बकाया रिक्तियों की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है:-

ग्रुप	रिक्तियों की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ए	-	-
बी	-	-
सी	09	62
डी	03	02

(घ) नालको ने सूचित किया है कि बकाया रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

आरक्षण से संबंधित परिपत्रों को वापस लेना

6252. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कार्मिक विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण को प्रभावित करने वाले सभी परिपत्रों को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक वापस लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के तीन कार्यालय-ज्ञापनों अर्थात् दिनांक 29.8.1997 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 36012/5/97-स्था. (आरक्षण), दिनांक 22.7.1997 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 36012/23/96-स्था. (आरक्षण) और दिनांक 30.1.1997 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 20011/1/96-स्था. (घ) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव समाप्त करने की दृष्टि से उन्हें, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 20.7.2000 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 36012/5/97-स्था. (आरक्षण) खण्ड-II, दिनांक 03.10.2000 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 36012/23/96-स्था. (आरक्षण) खण्ड-II और दिनांक 21.01.2002 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 20011/1/2001-स्था. (घ) द्वारा उपयुक्त रूप से आशोधित कर दिया गया है।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा जारी किए गए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आरक्षण को प्रभावित करने वाले सभी परिपत्रों को वापस ले लिए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

6253. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विशेषकर पूर्वी जिला दिल्ली के तहत आने वाले विभिन्न पुलिस थानों के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेवार कारक क्या है और वर्ष 2002 के दौरान उक्त पुलिस-जिले के अंतर्गत दर्ज किए गए महिलाओं के विरुद्ध अपराध का पुलिस-थानावार ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा उपरोक्त मामलों में से कितने मामलों को उन पुलिस थानों को स्थानांतरित किया गया है;

(घ) निपटाए गए ऐसे मामलों की पुलिस थानावार संख्या कितनी है;

(ङ) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा शक्करपुर पुलिस थाना को स्थानांतरित मामला सं. 350, तिथि 7 अगस्त, 2002 सहित कुल मामलों का ब्यौरा क्या है जो कि वहां अभी भी लम्बित पड़े हुए हैं;

(च) क्या यह भी सच है कि उक्त पुलिस थाने के कुछ पुलिस कर्मियों की सांठ-गांठ महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों के साथ होने अथवा उनकी शिथिलता के कारण वहां दर्ज ऐसे मामलों में कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गयी है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में मामलावार ब्यौरा क्या है; और

(ज) वर्तमान कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप उन लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्वजलधारा योजना के तहत विद्यालयों को शामिल किया जाना

6254. श्री प्रभात सामंतराय: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार को स्वजलधारा योजना लागू होने के समय से इसके तहत विद्यालयों को पेयजल प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) स्वजलधारा के तहत आंध्र प्रदेश से विशेषकर विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 91 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) इनमें से किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया क्योंकि इन सभी मामलों में सामुदायिक अंशदान नहीं था और समग्र 10% अंशधान संसद सदस्य स्थानीय विकास कार्यक्रम निधि से किया गया था। वह स्वजलधारा दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है जिनमें यह प्रावधान है कि संसद सदस्य स्थानीय विकास कार्यक्रम निधि का उपयोग केवल समुदाय द्वारा जुटाई गई वास्तविक निधि और पूंजी लागत के बीच के 10% अंतर को पूरा करने के लिए तभी किया जाए जब सामुदायिक अंशदान जुटाने में वास्तविक समस्या हो।

बांस प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय मिशन

6255. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बांस प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.बी.ए.) ने कम लागत वाले ग्रामीण आवास भूकंपरोधी आवास और बांस आधारित वस्तुओं से प्रिफेब्रेकेटिड हाऊसिंग हेतु कतिपय नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस नई प्रौद्योगिकी को लोगों विशेषकर ग्रामीण और भूकंप क्षेत्रों के निर्धन लोगों को प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) बांस प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय मिशन ने अपने गतिविधि कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बांस-आधारित वस्तुओं से कम लागत वाले ग्रामीण आवास, भूकंपरोधी आवास और पूर्वनिर्मित आवास का विकास शुरू किया है। वर्तमान में ऐसे आवास के माडल विकास की प्रक्रिया में हैं परन्तु प्रौद्योगिकीय रूप से प्रचार हेतु इन्हें सक्षम बनाने के लिए इन्हें अंतिम रूप देने का कार्य, इनका मूल्यांकन व प्रमाणन नहीं किया गया है।

चंडीगढ़ में सरकारी क्वार्टरों का अनुरक्षण

6256. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चंडीगढ़ स्थित संघ राज्य क्षेत्र पूल के तहत सरकारी क्वार्टरों की श्रेणी-वार/टाइप-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश क्वार्टर अपर्याप्त रख-रखाव के कारण बहुत बदहाल स्थिति में हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन क्वार्टरों के अनुरक्षण हेतु निर्धारित मानदंड यदि कोई हैं, क्या हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन क्वार्टरों के अनुरक्षण पर खर्च की गयी धनराशि का श्रेणीवार/टाइपवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

युवा वैज्ञानिकों हेतु योजनाएं

6257. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी युवाओं हेतु कल्याण योजनाओं के तहत युवा वैज्ञानिकों के लिए कौन से कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और इस संबंध में ऋण, अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) इन योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों का हिस्सा अथवा अंशदान कितना है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1.4.2000 से आज तक युवा वैज्ञानिकों हेतु योजनाओं के तहत कार्यान्वित कार्यक्रमों के नाम क्या हैं और ऋण, अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की गयी धनराशि का वर्ष-वार, कार्यक्रम-वार और एजेन्सी-वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क)

और (ख) युवा वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से प्रमुख हैं- अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम, अध्येतावृत्तियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा सहयोग आदि। इन योजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और परियोजनाओं का चयन वैज्ञानिक गुण-दोषों के आधार पर किया जाता है।

(ग) इन कार्यक्रमों पर वर्ष-वार व्यय का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुदान लाख रुपये में		
		2000-2001	2001-2002	2002-2003
1.	अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम	220	702	1227
2.	अध्येतावृत्ति, प्रशिक्षण/यात्रा सहयोग	430	438	373
3.	किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना	120	50	160

पश्चिम बंगाल में जल और मल व्ययन प्रणाली

6258. श्री बीर सिंह महतो: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य के विभिन्न नगरों और कस्बों में जल और मल व्ययन प्रणाली में सुधार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उनमें से किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और इस वित्तीय वर्ष में ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन में कितना वित्तीय आवंटन किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्): (क) से (ङ) यह मंत्रालय 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादीवाले कस्बों के लिए त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) कार्यान्वित कर रहा है। एयूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत अप्रैल, 2000 से मार्च, 2003 के बीच 8 कस्बों नामत: देवरा, मदनपुर, बेगमपुर, बलरामपुर, उत्तर लतावाड़ी, खटरा, उत्तर कमख्यपुरी और मिरीक के लिए जलापूर्ति स्कीमें भेजी गई थी जिनमें से 7 कस्बों की स्कीमें अनुमोदित कर दी गई हैं और राज्य सरकार द्वारा तकनीकी अनुपालन न किए जाने के कारण मिरी कस्बे की एक स्कीम पश्चिम बंगाल सरकार को वापस भेज दी गई। इस मंत्रालय के पास एयूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है।

गत तीन वर्षों के दौरान एयूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को आबंटित/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	आबंटित धनराशि	जारी की गई धनराशि
2000-2001	197.56	248.51
2001-2002	293.26	280.43
2002-2003	376.45	184.95

इस समय, कोई ऐसी केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र प्रवर्तित स्कीम नहीं है जिसके तहत सीवरेज और सीवेज निपटान स्कीमों के लिए मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में शहरी अवस्थापना विकास में निजी सेक्टर का निवेश बढ़ने के लिए विस्तृत अध्ययन करने और भविष्य की नीति तैयार करने के लिए सरकार निजी अवस्थापना परामर्शदाता सुविधा (पब्लिक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी) से 74000 अमरीकी डालर की सहायता मांगी थी। इस मंत्रालय और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इस प्रस्ताव की संस्तुति की गई थी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानगर (साल्ट लेक सिटी) की नगरपालिका के लिए जलापूर्ति, सीवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी सेवाएं मुहैया कराने के लिए सरकारी निजी सहभागिता पर व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए फ्रांस से भी सहायता मांगी है। इस मंत्रालय और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा फ्रांसीसी सहायता के इस प्रस्ताव की संस्तुति की गई है। फ्रांस से कितनी सहायता राशि प्राप्त होगी यह यथासमय ही मालूम होगा। सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कोई आबंटन नहीं किया गया है।

व्याख्याताओं हेतु प्रबोधन पाठ्यक्रम

6259. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने 'कैरियर एडवांसमेंट स्कीम' के तहत राज्य में सरकारी और अनुदान प्राप्त प्रथम श्रेणी के महाविद्यालयों के व्याख्याताओं हेतु प्रबोधन पाठ्यक्रम को दिसंबर,

2004 तक जारी रखने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रबोधन पाठ्यक्रम के लिए समय नहीं बढ़ाया है जबकि 'रेफ्रेशर कोर्सेज' के हेतु समय में वृद्धि की है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से व्याख्याताओं हेतु प्रबोधन पाठ्यक्रमों को राज्य में जारी रखने हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य के इस प्रस्ताव को किस हद तक स्वीकृति दी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अवधि के पहले ही 31.12.2004 तक बढ़ा दिया है। तथापि प्रबोधन पाठ्यक्रमों के लिए इस प्रकार की छूट नहीं दी गई है।

केन्द्रीय विद्यालय

6260. श्री अशोक अर्गल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विशेषकर महिला शिक्षकों को, जरूरत से ज्यादा करार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे शिक्षकों को कहीं और स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक स्थानांतरित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) यह सत्य है कि अध्यापिकाओं सहित कई अध्यापकों को सरप्लस घोषित किया गया है परंतु इसमें महिलाओं और पुरूषों के बीच भेदभाव नहीं किया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) अधिकतर सरप्लस अध्यापकों को मानदंडों के अनुसार पहले ही तैनात कर दिया गया है। बाकी सरप्लस अध्यापकों को यथाशीघ्र तैनात करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम, तालचर

6261. श्री परसुराम माझी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार तालचर स्थित भारतीय उर्वरक निगम की पेयजल परियोजना को उड़ीसा राज्य सरकार को बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस परियोजना को कितने दाम पर बेचा जा रहा है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) से (ग) जी, हां। एफसीआई इसके पेयजल आपूर्ति नेटवर्क को उड़ीसा सरकार को अंतरित कर देने के लिये उड़ीसा सरकार के अनुरोध से सहमत है और उसने उड़ीसा सरकार को परियोजना की लागत 5.92 करोड़ रु. बता दी है।

मंत्रियों के लिए व्यक्तिगत स्टाफ की नियुक्ति

6262. श्री रघुनाथ झा: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय केबिनेट और राज्य मंत्रियों के लिए व्यक्तिगत स्टाफ की नियुक्ति हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रियों द्वारा उक्त मानदंडों का अदण्डित भाव से पालन किया जा रहा है और उनमें से अधिकांश के पास उनके मंत्रालय के तहत कार्यरत उपक्रमों/निगम से लिए हुए उससे अधिक व्यक्तिगत स्टाफ है जितने के लिए वे हकदार हैं;

(घ) यदि हां तो मंत्रियों के साथ कार्यरत अतिरिक्त व्यक्तिगत स्टाफ की संख्या रोकने और हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय केबिनेट के स्तर के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ के ग्राह्य पदों की संख्या और उनका स्तर संलग्न विवरण में दर्शाया जा रहा है।

(ग) से (ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा अपने दिनांक अगस्त 6, 1991 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 8/5/85-के.से.-II द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में यह विशेष रूप से और सुस्पष्टत: निर्धारित है कि मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ के कर्तव्यों के निर्वाह हेतु संबंधित मंत्रालय/विभाग के मुख्य संस्थापन से, अनौपचारिक रूप से भी, किसी भी अतिरिक्त कर्मचारी को नहीं लिया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित, मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को अनौपचारिक रूप से मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में तैनात किए जाने पर, पूरी रोक लगाते हुए, ये अनुदेश, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 20.1.1998 के पत्र संख्या 20/48/97-के.से.-II में आगे और दोहरा दिए गए।

विवरण

केन्द्रीय कैबिनेट के स्तर के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की वैयक्तिक कर्मचारी रखने की पात्रता

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	ग्राह्य पदों की संख्या	
			केन्द्रीय कैबिनेट के स्तर के मंत्री	राज्य मंत्री
1.	निजी सचिव	(14,300-18,300 रुपए) (12,000-16,500 रुपए)	1	1
2.	अपर निजी सचिव	(10,000-15,200 रुपए)	2	1
3.	सहायक निजी सचिव	(65,00-10,500 रुपए)	2	1
4.	प्रथम वैयक्तिक सहायक	(6,500-10,500 रुपए)	1	1
5.	द्वितीय वैयक्तिक सहायक	(5,500-9,000 रुपए)	1	2
6.	हिन्दी आशुलिपिक	(5,000-8,000 रुपए)	1	1
7.	लिपिक	(3,050-4,590 रुपए)	1	1
8.	वाहन चालक	(3,050-4,590 रुपए)	1	1
9.	परिचर	(2,610-3,540 रुपए)	1	1
10.	चपरासी	(2,550-3,200 रुपए)	4	3
		कुल	15	13

शहरी जलापूर्ति योजनाओं को पुनर्जीवित करने हेतु आकस्मिक योजना

6263. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों और विशेषकर दक्षिणी राज्यों से शहरी जलापूर्ति योजनाओं को पुनर्जीवित करने हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में कोई आकस्मिक योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके अनुरोधों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्): (क) से (ग) शहरी जल आपूर्ति राज्य का विषय है। अत: अपने-अपने क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुविधाओं की योजना बनाना, तैयार करना, कार्यान्वयन, परिचालन तथा अनुरक्षण करना और अपनी राज्य योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान करना संबंधित राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों का दायित्व है। तथापि, राज्य सरकार के प्रयासों में मदद देने के लिए भारत सरकार ने 1993-94 के दौरान केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए जल आपूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र तथा राज्य द्वारा 50:50 के अनुपात में धनराशि मुहैया कराई जाती है। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम की 31.3.2003 तक की कार्यान्वयन स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम—वित्तीय प्रगति

लाख रु. में

स्थिति 31.03.2003

राज्य	वार्षिक नियतन 2002-2003 संशोधित	अब तक अनुमोदित डीपीआर						आबादी 1991 जनगणना	प्रति व्यक्ति लागत दर (रु. में)	जारी धनराशि (केन्द्रीय अंश)			जारी राज्य अंश	सूचित व्यय	माह तक प्रगति रिपोर्ट
		2001-2002 तक		2002-2003		कुल				पूर्वी योजना के दौरान	दौरान 2002-03	कुल			
		संख्या	अनु. लागत	संख्या	अनु. लागत	संख्या	अनु. लागत								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	382.19	7	1494.40	शून्य	—	7	1494.40	101578	331-2919	361.30	385.90	747.20	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	92.09	2	2467.00	शून्य	—	2	2467.00	34288	5394-8372	303.53	0.00	303.53	203.88	1465.58	मार्च-02
असम@	608.35	12	2357.77	2	999.78	14	3357.55	167750	687-4486	857.24	571.60	1428.84	743.74	957.65	सित.-02
बिहार@	336.27	12	1417.49	1	70.69	13	1488.18	185042	490-1096	307.37	419.05	726.42	306.59	614.39	दिस.-02
छत्तीसगढ़	339.72	27	2165.17	8	674.81	35	2839.98	411949	299-1990	820.77	430.52	1251.29	605.81	885.92	सित.-02
गोवा	73.45	4	352.35	शून्य	—	4	352.35	38485	202-306	100.89	75.29	176.18	25.85	51.41	दिस.-97
गुजरात	627.80	25	3099.46	22	2308.58	47	5408.04	597239	109-2398	1453.31	664.47	2117.78	1841.32	2277.52	दिस.-02
हरियाणा@	244.46	25	4313.73	4	1182.01	29	5495.74	382752	473-4496	1791.04	579.94	2370.98	1781.04	2534.56	दिस.-02
हिमाचल प्रदेश@	91.81	10	2244.25	शून्य	—	10	2244.25	48513	1035-17138	824.53	297.60	1122.13	1341.85	2001.47	दिस.-02
जम्मू-कश्मीर@	57.38	4	766.83	शून्य	—	4	766.83	34228	1603-2587	310.23	0.00	310.23	295.98	450.62	जून-01
झारखण्ड	250.20	9	1490.64	शून्य	—	9	1490.64	109980	382-3941	299.35	445.97	745.32	164.77	77.79	मार्च-01
कर्नाटक@	756.34	29	5437.08	4	3129.98	33	8567.06	452989	194-2882	2445.69	1055.35	3501.04	2148.13	4046.23	दिस.-02
केरल	270.86	5	1223.52	5	1072.84	10	2296.36	112115	1167-2060	611.78	268.21	879.97	827.50	638.09	दिस.-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
मध्य प्रदेश	1418.56	83	7414.11	42	5042.29	125	12456.40	1384469	171-2903	3707.05	1236.48	4943.51	2677.91	4114.84	दिस.-02
महाराष्ट्र	743.72	20	4906.42	5	2255.02	25	7161.44	379185	132-4858	2453.26	563.76	3017.02	2482.00	3674.13	सित.-02
मणिपुर	192.55	16	1880.76	5	558.12	21	2438.88	180650	280-3265	905.11	174.80	1079.91	362.99	1146.16	दिस.-02
मेघालय	36.28	2	581.73	शून्य	—	2	581.73	18203	1633-3222	290.87	0.00	290.87	104.64	228.19	दिस.-02
मिजोरम	100.46	7	948.43	1	186.28	8	1134.71	36378	839-5758	474.22	46.57	520.79	423.43	894.76	दिस.-02
नागालैण्ड	47.44	2	902.81	शून्य	—	2	902.81	24011	2605-4385	365.98	85.42	451.40	445.43	1259.00	मई-02
उड़ीसा	469.41	20	2908.98	3	1019.22	23	3928.20	306802	368-2488	1454.49	254.81	1709.30	1306.10	2396.19	दिस.-02
पंजाब	257.08	9	579.22	शून्य	—	9	579.22	103433	370-1131	289.61	0.00	289.61	289.00	502.35	दिस.-02
राजस्थान@	720.76	41	4759.37	10	1341.13	51	6100.50	726847	81-2586	2146.49	568.48	2714.97	1671.42	3242.06	जन-02
सिक्किम	13.95	1	115.68	1	335.88	2	451.58	5842	2981	57.84	83.97	141.81	57.84	115.68	जन-02
तमिलनाडु	717.31	36	5737.66	10	1972.52	46	7710.18	599923	61-3495	2548.80	813.16	3361.96	1834.76	5094.97	दिस.-02
त्रिपुरा@	128.37	6	1500.33	2	599.40	8	2099.73	84438	1339-3348	658.35	241.66	900.01	364.00	829.05	जुलाई-02
उत्तर प्रदेश@	2655.79	226	17959.67	89	6564.76	315	24524.43	3503731	232-2385	8188.68	2426.09	10614.77	9191.87	12565.23	दिस.-02
उत्तरांचल@	185.93	11	2587.58	7	1283.86	18	3871.44	133185	511-7990	1293.79	320.97	1614.76	1064.24	1530.05	दिस.-02
पश्चिम बंगाल	376.45	9	1536.13	2	610.92	11	2147.05	135489	797-2578	735.85	184.95	920.80	266.52	556.51	सित.-02
कुल	12195.00	660	83148.57	223	31208.09	883	114356.66	10299494		36057.40	12195.00	48252.40	32826.41	54150.40	

टिप्पणी : मूल नियतन 14300.00 लाख रु. थे।
@ : संशोधित लागत।

क्रिकेट में सट्टेबाजी

6264. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें अपने राजकोष में बढ़ोत्तरी करने हेतु क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध ठहराने जा रही है और साथ ही अपराध जगत को कमजोर करने जा रही है जिसका कि इस कारोबार में बड़ा हिस्सा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार भी क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध ठहराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) राजकोष में बढ़ोत्तरी करने और अपराध जगत, जिसका इस कारोबार में बड़ा हिस्सा है, को कमजोर करने के लिए, क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध ठहराने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मतदाता सूचियों में अनियमितताएं

6265. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने राज्य की मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त अनियमितताओं में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर कुछ विरोधाभास चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारत के निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से, रेवा, शहदोल और खारगांव के भूतपूर्व समाहर्ता-एवम-जिला निर्वाचन अधिकारियों (डी.ई.ओ.) और इन जिलों की उप डी.ई.ओ. को मसौदा मतदाता सूचियों में पायी गई तथाकथित बेशुमार गलतियों के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की थी। आयोग ने दमोह, धिनदोरी, जबलपुर, कटनी और नरसिंगपुर जिलों के समाहर्ता एवम निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों ने खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) रेवा, शहदोल और खारगांव जिले के समाहर्ता-एवम जिला निर्वाचन अधिकारियों ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर में याचिका दायर की और न्यायाधिकरण ने भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी। भारत के निर्वाचन आयोग ने न्यायाधिकरण के आदेश को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ में चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के अलावा टिप्पणी की कि मध्य प्रदेश सरकार रिट याचिका के अनिर्णित रहने के दौरान शहदोल और खारगांव जिलों के समाहर्ता-एवम-जिला निर्वाचन अधिकारियों का तबादला करने पर विचार कर सकती है। संदर्भाधीन इन तीनों अधिकारियों को राज्य सरकार ने स्थानांतरित कर दिया है तथापि, दमोह धिनदोरी, जबलपुर और कटनी और नरसिंगपुर जिलों के समाहर्ता-एवम-जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गए बिना शर्त माफीनामें को निर्वाचन आयोग ने स्वीकार कर लिया है। रेवा, शहडोल और खारगांव के भूतपूर्व समाहर्ता-एवम-जिला निर्वाचन अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस ले ली गई है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन करने हेतु सड़क मानचित्र

6266. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से पश्चिमी तटों के आस-पास विशेष आर्थिक क्षेत्रों का गठन करने हेतु सड़क मानचित्र को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इसके तहत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) इस मंत्रालय के अधीन भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) एक अधीनस्थ विभाग है जो देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों के आस-पास प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए समुद्र तल सर्वेक्षण और संबंधित अध्ययन कार्य करता है।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र में (पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और हाइड्रोकार्बन संसाधनों को छोड़कर) खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित दोहन सुनिश्चित करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए खान मंत्रालय ने इसके विकास और विनियमन के प्रावधान शामिल करते हुए 31.1.03 को अपतटीय खनिज क्षेत्र (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 अधिसूचित किया है।

ग्रामीण लोगों द्वारा खाली भूमि की बिक्री

6267. **श्री रामदास आठवले:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना के अनुसार ग्रामीण लोगों को उनकी खाली भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि को सीधे लोगों को बेचने का अधिकार देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्): (क) से (ग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने सूचित किया है दिल्ली में कृषि योग्य भूमि की बिक्री दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 और दिल्ली भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 के द्वारा विनियमित होती है। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान है कि किसी भूमिधर को किसी व्यक्ति को विक्रय द्वारा भूमि अंतरित करने का हक नहीं होगा यदि इस अंतरण के परिणामस्वरूप अंतरिती के पास दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में आठ मानक क्षेत्रफल से कम भूमि रह जाती हो। इसी प्रकार दिल्ली भूमि (अंतरण पर

निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 और 4 के अनुसार सरकार द्वारा किसी सरकारी प्रयोजन से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित की गई अथवा अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का अंतरण/विक्रय निषेध है।

यूरिया का उत्पादन

6268. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरिया-उत्पादन की लागत में विभिन्न फीड स्टाक, कच्चे माल, ऊर्जा, वेतन और पूंजी का योगदान कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि चीन और दक्षिण अफ्रीका में कोयला-आधारित उर्वरक संयंत्र सफलतापूर्वक चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तुलनात्मक आंकड़ों एवं उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है और भारत में इनके असफल होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या विश्व में तेल आधारित कोई भी संयंत्र सफल नहीं रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) फीड स्टाक संयंत्र के पुरानेपन, संयंत्र की अवस्थिति आदि पर निर्भर करते हुये इकाई-दर इकाई यूरिया की उत्पादन लागत में भिन्नता होती है। यूरिया इकाईयों के लिए दिनांक 1.4.2002 को अधिसूचित किये गये प्रतिधारण मूल्यों के आधार पर गैस आधारित नेफ्था आधारित, एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाईयों के लिये प्रति टन यूरिया फीड स्टाक/ईंधन/ऊर्जा के रूप में कच्चे मालों, परिवर्तन लागत (जिसमें वेतन एवं मजदूरी शामिल हैं), मूल्यह्रास, पूंजी सम्बद्ध प्रभारों का भारित औसत योगदान नीचे तालिका में दिया गया है:-

(रु./मी.टन)

फीडस्टाक	कोल, बिजली और पानी आदि सहित फीडस्टाक/ईंधन के प्रति लागत	परिवर्तन लागत	मूल्यह्रास	पूंजी संबद्ध प्रभार
गैस आधारित इकाइयां	3673	784	543	1185
नैफ्था आधारित इकाइयां	8751	1161	499	1456
एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयां	8194	1545	234	920

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार चीन और दक्षिण अफ्रीका में कोयला आधारित यूरिया संयंत्र सफलतापूर्वक चल रहे हैं। तथापि, इन संयंत्रों के लागत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। भारत में कोयला आधारित उर्वरक संयंत्रों की विफलता का मुख्य कारण भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा तथा उपकरणों की इंजीनियरिंग त्रुटि था।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार चीन, ब्राजील तथा यूरोप में तेल आधारित उर्वरक संयंत्र सफलतापूर्वक चल रहे हैं। भारत में तेल आधारित संयंत्र नंगल, भटिंडा, पानीपत और भरुच में चल रहे हैं।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोलियरियों में निजी डम्पों का संचालन

6269. श्री नरेश पुगलिया: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में चन्द्रपुर, नागपुर एवं यवतमाल जिलों में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोलियरियों के आस-पास के क्षेत्रों में निजी डम्पों का संचालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने इन निजी डम्पों को हटाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, नहीं। डब्ल्यू.सी.एल. की कोलियरियों के पट्टे वाले क्षेत्रों में कोई निजी डम्प संचालित नहीं किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

धोनी परियोजना का घाटे में चलना

6270. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड झारखण्ड के धोनी क्षेत्र के अन्तर्गत धोनी परियोजना घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना को कितना नुकसान हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस नुकसान के लिए परियोजना प्रबंधन को उत्तरदायी ठहराया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) धोनी परियोजना को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए प्रचालन घाटे के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	घाटा (करोड़ रु.)
2002-2003	10.53
2001-2002	08.80
2000-2001	15.98

धोनी परियोजना को घाटा होने के कारण ये हैं:-

- कोयला उत्पादन का काफी बड़ा भाग घटिया, अर्थात् 'एफ' ग्रेड का कोयला, होता है, जिसके परिणामत: कोयले की प्रतिटन आय कम होती है।
- प्रति टन वेतन लागत तथा प्रति टन कुल लागत पर प्रति टन वेतन लागत का अनुपात, दोनों तरह से, ओपनकास्ट खानों के लिए कम्पनी के औसत की तुलना में बहुत बड़ी जनशक्ति का उच्च वेतन लागत होना।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न के भाग (घ) तथा (ङ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश प्रव्रजन का मुद्दा

6271. श्री विनय कुमार सोराके: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बांग्लादेश अपनी 1992 की विज्ञप्ति के आधार पर प्रव्रजन मुद्दे का समाधान करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ढाका ने बड़ी संख्या में भारत में अपने नागरिक होने की बात को साफ तौर पर स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या सरकार बांग्लादेश को बांग्लादेश का अवैध आव्रजन संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध करा पायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर बांग्लादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) जी, हां, श्रीमान। मई, 1992 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान इस मुद्दे को बांग्लादेश पक्ष के साथ उठाया गया और इस अवसर पर एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें दोनों पक्षों की ओर से इस सम्बन्ध में मौजूदा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने तथा पारस्परिक सहयोग सहित सभी सम्भव साधनों के द्वारा सीमा पार से लोगों की आवाजाही रोकने के लिए निश्चय जाहिर किया गया।

(ख) बांग्लादेश सरकार ने यह रुख अपनाया है कि भारत में कोई अवैध बांग्लादेश अप्रवासी नहीं है।

(ग) से (ङ) सामान्तया अवैध अप्रवासियों के पास कोई यात्रा दस्तावेज नहीं होते हैं। तथापि, जब कभी भारत में अवैध बांग्लादेशी राष्ट्रिकों के बारे में जब साक्ष्य उपलब्ध हुए तो वे बांग्लादेश को उपलब्ध कराए गए, बांग्लादेश सरकार ने उनकी राष्ट्रिकता का विधिवत रूप से सत्यापन करने के बाद अपने राष्ट्रिकों को वापस ले लिया है।

ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र

6272. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार किन स्थानों पर समेकित ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में अब तक इन केन्द्रों को आबंटित/जारी की गई धनराशि कितनी है; और

(ग) इन केन्द्रों का गठन किए जाने का उद्देश्य क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) बिहार को छोड़कर, प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास संस्थान है। राज्य-वार सूची विवरण-I में दी गई है।

(ख) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इन संस्थाओं को निधियां रिलीज की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं को रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण-II में दिया गया है। चालू वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत आबंटन 13.00 करोड़ रुपये है।

(ग) इन संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य राज्य एवं जिला स्तरों पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल सरकारी कर्मचारियों और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है।

विवरण I

राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों की सूची

क्र.सं.	नाम व पता
1	2
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास अकादमी राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500 030 आंध्र प्रदेश
2.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ओल्ड एम एल ए होस्टल काम्प्लेक्स नाहरलगुन-791110, अरुणाचल प्रदेश
3.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जी.एस. रोड, खानपाड़ा, जि.-कामरूप, गुवाहाटी-781022, असम
4.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान पो.-हेहाल, रांची-834005, झारखण्ड
5.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एस.पी.आई.पी.ए. कैम्पस इसरो सैटेलाईट रोड के पीछे अहमदाबाद-380015, गुजरात
6.	हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान ई.टी.सी. काम्प्लेक्स, जि.-करनाल नीलोखेड़ी-132117 (हरियाणा)
7.	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फैयरलान्स शिमला-171012, हिमाचल प्रदेश
8.	जम्मू-कश्मीर प्रबंधन संस्थान, लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास (आईएमपीए एण्ड आरडी) एम.ए. रोड, पो. बा. 705, श्रीनगर-190001
9.	ए एन एस-राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ए टी आई कैम्पस, ललिता महल रोड, मैसूर-570011 (कर्नाटक)
10.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ईटीसी, पो.-कोलन जिला, कोट्टरकारा-691531, केरल
11.	एम जी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान अधरतल, जबलपुर-482004, मध्य प्रदेश
12.	यशवंत राव चौहान एकेडमी आफ डेव. एडमिनि. (यशदा) राजभवन, कम्प्लेक्स, बनेर रोड, पुणे-411007
13.	राज्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान पोराम्पेट, इम्फाल-795103, मणिपुर
14.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान पो. उमियाम बरापानी, नौंगसदर-793103, मेघालय

1	2
15.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कोलासिब, आइजल, मिजोरम
16.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान उच्च विद्यालय क्षेत्र वोखा रोड, कोहिमा-797001 (नागालैण्ड)
17.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान गोपबंधुनगर, भुवनेश्वर-751012 (उड़ीसा)
18.	पंजाब-राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जिला-पटियाला, नाभा-147201, पंजाब
19.	आई जी पी आर एस एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान
20.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कारफेक्टर-737121, जोरथांग, सिक्किम दक्षिण
21.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान मरमलेनगर-603 209 जि. कांचीपुरम, तमिलनाडु

1	2
22.	राज्य लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान पो.-ए डी नगर, अगरतला-799003 त्रिपुरा पश्चिम
23.	डीडीयू-राज्य ग्रामीण विकास संस्थान इंदोराबाग, बक्शी-का-तालाब, लखनऊ-227202, यू.पी.
24.	राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कल्याणी-741235, जिला-नाडिया, पश्चिम बंगाल
25.	गोवा ग्रामीण विकास एवं स्थानीय प्रशासन संस्थान कैम्प कार्यालय, बी-3 टाइप-डी/गवर्नमेंट कालोनी, पट्टो पणजी-गोवा
26.	राजीव गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
27.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रूद्रपुर, उत्तरांचल
28.	बिहार-गठन किया जाना बाकी है।

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों को रिलीज की गई निधियां

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्थान का नाम	रिलीज की गई राशि		
			2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	ए पी ग्रामीण विकास अकादमी, हैदराबाद	7.42	26.26	26.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, नहारलगून	30.17	22.57	33.07
3.	असम	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, गुवाहाटी	136.00	141.12	76.35
4.	छत्तीसगढ़	राजीव गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रायपुर	—	58.00	6.38

1	2	3	4	5	6
5.	गोवा	गोवा ग्रामीण विकास संस्थान एवं स्थानीय प्रशासन, पणजी	—		3.28
6.	हरियाणा	हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी	19.59	29.02	37.77
7.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला	20.03	48.09	11.98
8.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू व कश्मीर प्रबंध, लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, श्रीनगर	—	15.50	—
9.	कर्नाटक	एएनएस-राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मैसूर	65.17	45.01	44.38
10.	केरल	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, कोटारकारा	65.67	29.91	37.51
11.	मध्य प्रदेश	एमजी-राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर	21.00	7.46	6.00
12.	महाराष्ट्र	यशवंतराव चौहान विकास प्रशासन अकादमी, पुणे	7.75	7.75	53.52
13.	मणिपुर	राज्य पंचायती एवं ग्रामीण विकास संस्थान, इम्फाल	65.77	55.92	50.45
14.	मेघालय	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, नौंगसदर	44.89	44.31	44.66
15.	मिजोरम	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, कोलासिब	—	73.02	49.63
16.	नागालैंड	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, कोहिमा	102.65	91.17	98.97
17.	उड़ीसा	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, भुवनेश्वर	19.49	12.82	4.23
18.	राजस्थान	इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर	—	54.00	63.29
19.	सिक्किम	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, करफेक्टर	102.54	5.69	40.87
20.	त्रिपुरा	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, करफेक्टर	58.76	52.04	53.59
21.	तमिलनाडु	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मरियामलाईनगर	115.90	—	62.86
22.	उत्तर प्रदेश	डीडीयू-राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ	63.93	—	28.92
23.	उत्तरांचल	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रूद्रपुर	—	18.82	—
24.	प. बंगाल	राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, कल्याणी	92.04	42.36	119.95
		कुल	1039.00	880.84	953.70

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी

6273. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या मानव संसाधन **विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य अभियंत्रण महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के शिक्षण कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) रिक्तियों को न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) शिक्षण कर्मचारियों में उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा-क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अभियंत्रण शिक्षण कर्मचारी के अर्हता संबंधी मानदंडों में छूट देने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) इंजीनियरी संस्थाओं में शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों की आरक्षण नीति द्वारा अभिशासित होती है जिसका ब्यौरा केंद्र स्तर पर नहीं रखा जाता।

(घ) और (ङ) तकनीकी संस्थाओं में संकाय की कमी को देखते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सिर्फ सहायक प्रोफेसर के पद के मामले में पात्रता मानदंड में ढील दी है। 19.2.2003 को नई अधिसूचना जारी की गई है जिसके अनुसार सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की तारीख से 7 वर्ष के भीतर उम्मीदवारों को पीएचडी डिग्री हासिल करनी होगी। यह रियायत सिर्फ इंजीनियरी, एमसीए., एमबीए और फार्मेसी के संदर्भ में ही लागू है।

विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

6274. श्री सुबोध मोहिते: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोयला क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मद्देनजर देश में इस क्षेत्र हेतु विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (ग) एकीकृत कोयला नीति संबंधी समिति (चारी समिति) की सिफारिशों के मद्देनजर 1997 में केन्द्र सरकार ने अन्य चीजों के साथ-साथ देश में कोयला तथा लिग्नाइट के अन्वेषण प्रस्तावों की मानीटरिंग और कार्यवाही का कार्य करने और प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों को नये कोयला तथा लिग्नाइट ब्लाकों के आबंटन के लिए एक स्वतंत्र निकाय गठित करने का निर्णय लिया। निजी क्षेत्र द्वारा नान-कैप्टिव कोयला खनन को अनुमति प्रदान करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के संशोधन के सन्दर्भ में प्रस्ताव पर विचार किया गया था। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई संसद द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 2000 को अधिनियमित किये जाने के पश्चात ही की जा सकती है।

अयोध्या पूजास्थल की सुरक्षा

6275. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में अयोध्या पूजा स्थल की सुरक्षा हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में उत्तर प्रदेश में अयोध्या पूजास्थल की सुरक्षा हेतु तैनात अर्द्ध-सैनिक बलों में अनुशासहीनता की घटना आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अर्द्ध-सैनिक बलों में उच्च अनुशासन को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) अयोध्या में अर्जित संपत्ति के प्रबंधन के लिए अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत आयुक्त, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश को प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्जित क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैनात प्रोविंसियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी के अतिरिक्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

(ख) अयोध्या में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद परिसर में परिसर की सुरक्षा हेतु तैनात के.रि.पु. बल के किसी भी सदस्य द्वारा अनुशासन तोड़ने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की रिक्तियां

6276. श्री राजो सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल में देश में कार्यरत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने हेतु कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की रिक्तियों के संबंध में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से किसी प्रकार की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों में विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसके द्वारा ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिन्दी शिक्षण

6277. श्री राम टहल चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के शिक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) सरकार ने अहिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) अहिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के विद्यालयों में हिन्दी शिक्षकों के वेतन हेतु निधियां प्रदान की जाती है। यह स्कीम दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही चल रही है। इस स्कीम के तहत वर्ष 2002-03 के दौरान पांच राज्यों को कुल 10.30 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई है।

(2) इस विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने हैदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई तथा कोलकाता जैसे अहिन्दीभाषी राज्यों में पांच अधीनस्थ केन्द्र स्थापित किए हैं। यह केन्द्र अहिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने संबंधी कई स्कीमों को लागू करता है। इन स्कीमों में निम्नलिखित शामिल हैं:- (क) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा सहित 200 से अधिक स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को प्रतिवर्ष 3.00 करोड़ रु. से अधिक का अनुदान (ख) हिन्दी शिक्षण पत्राचार पाठ्यक्रम जिसके जरिए 3.96 लाख छात्र लाभान्वित हुए (ग) ऐसे लेखों (जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है) द्वारा हिन्दी में लेखन हेतु प्रतिवर्ष 50,000/- रु. की राशि के 19 पुरस्कार दिए जाते हैं (घ) अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में पुस्तकालयों तथा संस्थानों हेतु हिन्दी पुस्तकों का वितरण आदि (ङ) हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में द्विभाषी शब्दकोशों जैसे हिन्दी-उर्दू, हिन्दी-गुजराती, हिन्दी-तेलगु, हिन्दी-तमिल, हिन्दी-कश्मीरी आदि का प्रकाशन।

(3) इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान ने हैदराबाद, शिलांग, गुवाहाटी तथा मैसूर जैसे अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में शाखा कार्यालय भी स्थापित किए हैं। यह संस्थान प्रबोधन, डिप्लोमा, बी.एड., तथा अन्य पाठ्यक्रमों के जरिए अहिन्दीभाषी राज्यों में स्थित विद्यालयों के हिन्दी शिक्षकों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में संलग्न है। पिछले वर्ष अहिन्दीभाषी राज्यों के 1700 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

ऊपरोल्लिखित आंकड़ों तथा संवितरित धनराशियों से यह स्पष्ट है कि सभी राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों तथा व्यक्तियों का विभिन्न स्कीमों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है।

प्राथमिकता आधार पर भूमि का आवंटन

6278. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही के दौरान कई लोगों को प्राथमिकता आधार पर आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान श्रेणी-वार और स्थान-वार कितने आवंटन किए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने आबंटन रद्द किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

6279. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रजहरा डिवीजन और सी.सी.एल. द्वारा सामुदायिक विकास निधि से वित्तपोषित कौन-कौन सी विकास योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और उन पर व्यय की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त डिवीजन में सामुदायिक विकास निधि से कुछ विशेष विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर ही धनराशि व्यय किए जाने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. खानों/क्षेत्रों की 8 किलोमीटर की परिधि के भीतर के गांवों/क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलाप कर रही है, जो निम्न प्रकार हैं:-

1. विद्यालय के भवनों का निर्माण/मरम्मत/विस्तार।
2. पेय जल हेतु कुएं खोदना, तालाबों का विकास करना तथा हैण्ड पम्प लगाना।
3. ग्रामों को ग्रामीण सड़क लिंक।
4. चिकित्सा शिविरों, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल।
5. सामुदायिक केन्द्र/बस शैडों/बच्चों के पार्कों के इत्यादि का निर्माण।
6. खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप।
7. सिलाई का काम, जूते बनाना, पत्तल की प्लेट बनाना, बुनाई, वाहन चलाने का प्रशिक्षण आदि जैसे स्व-रोजगार प्रशिक्षण क्रियाकलाप।

गत तीन वर्षों के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) में समग्र तौर पर तथा विशेषकर राजहरा में इन क्रियाकलापों पर हुआ कुल व्यय नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े लाख रु. में)

	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (अनंतिम)
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	58.25	50.34	70.24
राजहरा	1.82	1.21	1.42

(ख) सामुदायिक विकास योजना के लिए निर्धारित निधियों को क्षेत्र स्तरीय सामुदायिक विकास बैठक में क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से लिए गए निर्णयों के अनुसार खर्च किया जाता है। इन निर्णयों को सामूहिक तौर पर लिया जाता है और ये क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

सी.आई.एस.एफ. में अनुकंपा आधार पर रोजगार

6280. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अपने उन कर्मियों के आश्रितों के अनुकंपा आधार पर रोजगार प्रदान करने हेतु, विशिष्ट भर्ती नियम हैं जो घायल हो जाते हैं और आगे कार्य नहीं कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान अनुकंपा आधार पर सी.आई.एस.एफ. द्वारा कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(घ) क्या सी.आई.एस.एफ. महिला आश्रितों को रोजगार प्रदान किए जाने को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहा है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे लिंग भेद के क्या कारण हैं;

(च) अनुकंपा आधार पर नौकरी दिए जाने हेतु प्राप्त ऐसे आवेदनों का ब्यौरा क्या है जो कि तीन वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित हैं;

(छ) क्या सी.आई.एस.एफ. पूर्व-कर्मियों या मृतक कर्मियों के परिवारों से प्राप्त पत्रों का उत्तर नहीं देता है;

(ज) सी.आई.एस.एफ. द्वारा पत्राचार के संबंध में ऐसा असंवेदनशील रवैया अपनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(झ) सी.आई.एस.एफ. के जनसम्पर्क में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) और (ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर की जाती है।

(ग) 121

(घ) और (ङ) महिला आश्रितों, जो भर्ती नियमों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जाती है बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों।

(च) अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां सेक्टर महानिरीक्षकों के स्तर पर की जाती हैं और केन्द्रीय रूप से ब्योरे नहीं रखे जाते हैं।

(छ) और (ज) भूतपूर्व कर्मचारियों या मृतक बल कर्मी के आश्रितों से प्राप्त सभी अनुरोधों की जांच करने के पश्चात् उनके उत्तर दिए जाते हैं।

(झ) इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में समुचित जन संपर्क तंत्र मौजूद हैं।

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट

6281. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों की समीक्षा के लिए गठित रस्तोगी समिति ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के लिए पात्र होने हेतु पी.एच.डी. उपाधिधारको को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रस्तोगी समिति ने यह सिफारिश की थी कि उन अभ्यर्थियों जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और 1993 के बाद पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त कर ली है, को लेक्चरर के पद के लिए पात्र बनने हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा को पास करने से छूट दी जानी चाहिए।

इस मामले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विचार किया था और महसूस किया गया था कि इस प्रकार की छूट देने से पी.एच.डी. के स्तर और शिक्षण की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। तदनुसार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसके समकक्ष परीक्षा को लेक्चरर के रूप में नियुक्ति हेतु पी.एच.डी. डिग्री धारकों के लिए भी अनिवार्य अर्हता बना दिया गया है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उन अभ्यर्थियों, जो 31.12.1993 तक एम.फिल डिग्री पूरी कर चुके हों अथवा विश्वविद्यालयों को संबंधित विषय में पी.एच.डी. थीसिस दिनांक 31.12.2002 को अथवा इससे पहले प्रस्तुत कर चुके हों, को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा देने से छूट प्राप्त है। पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास करनी होगी।

परम्परागत ज्ञान संबंधी डिजीटल लाइब्रेरी

6282. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परम्परागत ज्ञान संबंधी डिजीटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी और राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (सी.एस.आई.आर.) के बीच दिनांक 6.6.2001 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर. द्वारा परियोजना के लिए आज तक प्रदान की गई श्रमशक्ति और अन्य स्थापनाओं का श्रेणी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परम्परागत ज्ञान संबंधी डिजीटल लाइब्रेरी परियोजना को सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध के पश्चात् विस्तार दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो विस्तार की अवधि कितनी है और विस्तार के लिए श्रेणी-वार और अवधि-वार कारण क्या हैं;

(ङ) कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या सहित परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) आज की तिथि के अनुसार परियोजना के लिए वर्षवार और श्रेणी-वार कुल कितना अनुदान स्वीकृत किया गया और व्यय किया गया;

(छ) क्या यह सही है कि परम्परागत ज्ञान संबंधी डिजीटल लाइब्रेरी संबंधी परियोजना हेतु विभिन्न संपाकों के कम्पैक्ट डिस्क (सी.डी.) बनाए जाने के लिए खरीद प्रक्रिया के अनुपालन के बाद साफ्टवेयर खरीदा गया था;

(ज) यदि हां, तो आमंत्रित कोटेशन की तिथि और विधि सहित साफ्टवेयर की खरीद के लिए आमंत्रित कोटेशनों का ब्यौरा क्या है; और

(झ) प्रस्तुत मांगपत्र और कोटेशन देने वाले प्रस्तोताओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी हां।

(ख) निस्केयर द्वारा कार्य के प्रथम चरण (आयुर्वेद) को करने के लिए तीन वैज्ञानिक, तीन तकनीकी अधिकारियों और एक वरिष्ठ आशुलिपिक की सेवाएं प्रदान की गई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) अतिरिक्त कार्य के लिप्यंतरण तथा शेष नुस्खों के संपादन और लिप्यतंरित शीटों की बहुचरणीय वैधता को पूरा करने के लिए इस परियोजना की अवधि दिनांक 31 अगस्त, 2003 तक बढ़ायी गयी। तदनुसार, कनिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञों की सेवाएं दिनांक 31 मार्च, 2003 तक तथा वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ, आयुर्वेद विशेषज्ञों व परियोजना सहायक (आईटी) की सेवाएं अगस्त 2003 तक बढ़ाई गई थी।

(ङ) आज की तारीख में 36,000 नुस्खों का पता लगाया गया है तथा उन्हें लिप्यंतरित किया गया है। आयुर्वेद के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने 18,200 नुस्खों को वैधीकृत किया है। आज की तारीख में, इस परियोजना पर एक वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ, 11 आयुर्वेद विशेषज्ञ तथा 5 परियोजना सहायक (आईटी) कार्य कर रहे हैं।

(च) स्वीकृत कुल अनुदान: 1.2 करोड़ रुपये। निस्केयर द्वारा 31 मार्च, 2003 तक किया गया कुल व्यय: 83.239 लाख रुपये, उपशीर्षों के तहत जैसे वेतन: 12.120 लाख रुपये, टीए/डीए/मानदेय: 0.158 लाख रुपये आकस्मिक व्यय: 1.408 लाख रुपये, रसायन/उपभोज्य: 10.163 लाख रुपये, कम्प्यूटर उपस्कर: 45.388 लाख रुपये, फर्नीचर: 1.269 लाख रुपये, पुस्तकें: 0.537 लाख रुपये, प्रयोगशाला अवसंरचना का उपयोग 12.160 लाख रुपये।

(छ) जी हां।

(ज) तीन साफ्टवेयर अर्थात् स्पाई सीडी प्रोफेशनल लाइसेंस, डायनैमिक सीडी प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन लाइसेंस तथा शैल रन स्टैंडर्ड अनलिमिटेड सीडी, मेसर्स पीएचडी कम्प्यूटर्स कंस्लटेंट लि. इंग्लैंड के स्वामित्व वाली मदें हैं, जबकि ऐटम पार्क एचटीएमएल प्रोटैक्टर (एएचपीपी) तथा इसी सीडी-रोम मेसर्स ऐटम पार्क टेग लाक प्रो., यूएसएस के स्वामित्व वाली मदें हैं। अत: उपर्युक्त पार्टियों के संबंधित उत्पादों हेतु इन दोनों को इनकी वेबसाइटों से डाउन लोड किया गया है तथा मेसर्स पीएचडी कम्प्यूटर्स ने दिनांक 3.1.2003 को तथा मेसर्स ऐटम पार्क ने दिनांक 8.1.2003 को ई-मेल द्वारा इनकी पुन: पुष्टि की। इन साफ्टवेयरों को क्रमश: 2700 अमरीकी डालर तथा 137.95 अमरीकी डालर की लागत पर खरीदा गया।

(झ) मेसर्स पीएचडी कम्प्यूटर्स से तीन साफ्टवेयर मदों हेतु दिनांक 10.1.2003 के मांगपत्र तथा मेसर्स ऐटम पार्क से साफ्टवेयर मदों हेतु दिनांक 15.1.2003 के मांगपत्र को टीकेडीएल दल द्वारा प्रस्तुत किया गया।

संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

6283. श्री अनन्त नायक:
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास एलायड अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के कुछ मामले हाल में प्रकाश में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित

आंकड़े, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते, क्योंकि संबद्ध अधिकारी, भारत-सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं।

(ख) भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध अभियान, सतत रूप से चलती रहने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया, भ्रष्टाचार-निरोधी नीति के अनुसार, निवारक उपायों में आती है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, संबद्ध अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और उनके द्वारा की गई अन्य अनियमितताओं से संबंधित मामलों के बारे में निर्णय, मामलों की परिस्थितियों और गुणावगुणों पर विचार करके, लेते हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आंकड़े, केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

(घ) निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा आरंभ की जाती है।

लिग्नाइट के भण्डार

6284. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.3.2003 के अनुसार देश में लिग्नाइट के राज्यवार कुल अनुमानित भण्डार कितने हैं;

(ख) वर्ष 2003-2004 के दौरान कोयला और लिग्नाइट की कितनी मात्रा के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) कोयला और लिग्नाइट भण्डारों का खनन और दोहन करने हेतु कितनी कंपनियों को अनुमति/लाइसेंस प्रदान किए गए हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार देश का राज्य-वार अनुमानित लिग्नाइट भण्डार निम्नानुसार है:-

राज्य	कुल भू-गर्भीय भण्डार (मिलियन टन)
तमिलनाडु	30523.46
राजस्थान	3098.82
गुजरात	1777.68
जम्मू एवं कश्मीर	127.84
केरल	108.30
कुल	35636.10

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान 350.05 मिलियन टन कोयला और 28.87 मिलियन टन लिग्नाइट का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के आधार पर कोल इंडिया लि. और इसकी 7 अनुषंगी कंपनियों को देश में कोयले का खनन करने तथा अन्वेषण करने की अनुमति है। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1) के अनुसार, दस कम्पनियों के पक्ष में कोयले के लिए खनन पट्टा मंजूर करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन भी दिया गया है। 2 कम्पनियों को कोयले के पूर्वेक्षण के लिए भी केन्द्र सरकार का अनुमोदन दिया गया है।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. तथा सात अन्य कम्पनियों को अभी तक लिग्नाइट के लिए खनन पट्टे दिए गए हैं।

सेवानिवृत्त अध्यापकों का पुनर्नियोजन

6285. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुनर्नियोजन हेतु अध्यापकों का एक पूल बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सेवानिवृत्त अध्यापकों के पुनर्नियोजन के मुद्दे पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अलग नियम बनाये हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पुनर्नियोजित अध्यापकों को अधिक वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान दिशा-निर्देश बनाए है। तथापि, किसी सेवानिवृत्त शिक्षक को 65 वर्ष की आयु तक पुनर्नियोजित करना सम्बन्धित विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया गया है।

सम्पदा निदेशालय की बकाया धनराशि

6286. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार संपदा निदेशालय की वर्तमान संसद सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों, वर्तमान तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों पर कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार संसद के वर्तमान सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों, वर्तमान और पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों, जिनके पास सामान्य पूल आवास है/था, के पास 43132639 रुपये की राशि बकाया है।

(ख) अनुस्मारकों के माध्यम से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अनुस्मारक देने के बाद भी भुगतान नहीं किये जाने पर लोक परिसर (अनधिकृत दखलकार की बेदखली) अधिनियम 1971 के तहत वसूली की कार्यवाहियां की जाती हैं। तथापि वर्तमान संसद सदस्यों के मामले में उनके वेतन बिलों के माध्यम से भी वसूली की जाती है।

न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अंतर्गत फ्लैटों का आवंटन

6287. श्री शीश राम सिंह रवि: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीडीए ने एक निर्धारित मूल्य पर फ्लैटों के आवंटन हेतु पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 नामक एक योजना शुरू की थी परन्तु यह 24 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी बड़ी संख्या में पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इतने असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या डीडीए ने एनपीए का निपटारा किये बिना एनपीए के पश्चात शुरू किये गये अन्य प्रकार के आबंटनों में प्रवेश कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एनपीए के अंतर्गत फ्लैटों की कीमतें बढ़ती रही हैं;

(च) यदि हां, तो कीमतें बढ़ने वाले फ्लैटों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और उन कीमतों में परिवर्तन किन तिथियों में हुआ;

(छ) क्या पंजीकरण कराने वालों को प्राथमिकता नम्बर दिए गए थे परन्तु उन्हें बाद में कम्प्यूटरीकृत नम्बर में बदल दिया गया था;

(ज) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि एमआईजी, एलआईजी और जनता श्रेणी के फ्लैटों के आबंटन के लिए वर्ष 1979 में अखिल भारतीय आधार पर न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू की गई थी और 1,71,272 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया था (एमआईजी-47,521, एलआईजी-67,502, जनता-56,249)। तथापि, जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने तथा समय पर पर्याप्त भूमि अर्जित न हो पाने और पर्याप्त संख्या में मकानों का निर्माण न होने के कारण सभी प्रतीक्षारत पंजीकृतों को आबंटन नहीं किए जा सके। अब तक, डीडीए ने इन श्रेणियों के अंतर्गत 11549 पंजीकृतों (एमआईजी-602, एलआईजी-10947 और जनता-शून्य)को छोड़कर सभी पंजीकृतों को आबंटन कर दिए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। फ्लैटों की कीमतें मुख्यतया पूरे होने पर वास्तविक निर्माण लागत व भूमि लागत पर निर्भर करती हैं। भूमि लागत मांग पत्र जारी करते समय प्रचलित भूमि दरों पर आधारित होती है। फ्लैटों की कीमतें, समय-समय पर निर्माण लागत व भूमि लागत में संशोधन के अनुसार संशोधित की जाती हैं। जनवरी, 2002 में, डीडीए ने मानक लागत सिद्धांत अनुमोदित किए थे और सभी श्रेणियों के लिए प्लिंथ एरिया के आधार पर एक समान लागत परिकलित की थी। निर्माण अवधि के दौरान विभागीय प्रभारों व ब्याज के साथ प्लिंथ एरिया दर अद्यतन की जाती है।

(छ) जी नहीं।

(ज) और (झ) प्रश्न नहीं उठता।

नालको द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य

6288. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नालको द्वारा अपने प्रतिष्ठानों में अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाये गए और उन पर कितनी राशि खर्च की गई?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, हां। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने अपने खान और शोधनशाला और काम्पलैक्स, प्रगालक और विद्युत काम्प्लैक्स तथा निगम कार्यालय में अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) यूनिटें स्थापित की हैं। कम्पनी के अनुसंधान प्रयासों में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रोसेस उन्नयन और ईष्टतमीकरण, उत्पाद विकास, अपशिष्ट उपयोग और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नालको द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आर एण्ड डी पर व्यय की गई राशि इस प्रकार है:-

2000-2001	178.58 लाख रु.
2001-2002	258.30 लाख रु.
2002-2003	लागू नहीं

मध्यस्थता के मामले

6289. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मध्यस्थता योग्य मामलों में संबंधित असहमति को जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद् और विभागीय परिषदों में दर्ज कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मामले मध्यस्थम बोर्ड के पास भेजे गए हैं;

(घ) कितने मामलों का निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में हुआ;

(ङ) ऐसे कितने मामले कार्यान्वित किए गए; और

(च) जे.सी.एम. योजना के अंतर्गत मध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए पंचाट के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में पिछले तीन वर्ष के दौरान असहमतियां दर्ज की गई हैं। विभागीय परिषदों के संबंध में असहमतियां, विभिन्न मंत्रालय/विभागों में मौजूद प्रत्येक विभागीय परिषद में अलग से दर्ज की जाती हैं और उनसे संबंधित जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में दर्ज की गई असहमतियों का ब्यौरा, संलग्न विवरण में दर्शाया जा रहा है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान विवाचन बोर्ड को छः मामले भेजे गए।

(घ) शून्य।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वे विवाचनीय मद जिनके प्रति संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में असहमति दर्ज की गई

1. लेखा-संवर्ग में कार्यात्मक वेतनमानों का कार्यान्वित किया जाना।
2. विशेष वेतन को मकान किराया-भत्ता, नगर प्रतिकरात्मक भत्ता और मंहगाई भत्ता दिए जाने के प्रयोजन से वेतन के रूप में माना जाना।
3. मंत्रालयों/विभागों में वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों, प्रधान लिपिकों और लेखा-सहायकों की विभिन्न श्रेणियों को समुचित संशोधित वेतनमान आबंटित किया जाना।
4. संशोधन से पहले के 330-560 रुपए के वेतनमान से 425-640 रुपए के वेतनमान में पदोन्नत किए गए व्यक्तियों का वेतन 01.01.1986 से निर्धारित किया जाना।
5. हिमाचल प्रदेश में शिमला के संबंध में दूरस्थ स्थान-भत्ता स्वीकृत किया जाना।
6. कनिष्ठ अन्वेषकों के वेतनमान का संशोधित किया जाना।
7. 01.01.1998 से पहले मौजूद, आकस्मिक अवकाश की हकदारी अर्थात् 15 दिन, 12 दिन आदि का बहाल किया जाना।
8. 01.01.1996 से 01.08.1997 तक की अवधि के मकान किराया भत्ते/नगर प्रतिकरात्मक भत्ते परिकलित किए जाने की दृष्टि से सैद्धांतिक वेतन।

विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक कालेज खोलने हेतु मानदंड

6290. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विश्वविद्यालय और व्यावसायिक कालेज खोलने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नये विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में दिशा-निर्देश बनाए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि किसी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव तैयार करने से पहले संबंधित राज्य में उच्चतर शिक्षा हेतु उपलब्ध सुविधाओं तथा उच्चतर शिक्षा के संबंध में उस राज्य की भावी जरूरतों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व ही उक्त सर्वेक्षण के प्रारम्भ से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्पर्क में रहना चाहिए। वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले और अतिरिक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के औचित्य के बारे में पर्याप्त आंकड़े होने भी आवश्यक हैं। नई तकनीकी संस्थाओं को प्रारंभ करने के लिए अनुमोदन देने हेतु प्राधिकृत सांविधिक निकाय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नई तकनीकी संस्थाओं को प्रारम्भ करने हेतु विनियम अधिसूचित किये हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भूखंड, निर्मित क्षेत्र, उपलब्ध कम्प्यूटर सुविधाओं, पुस्तकालय, अध्यापकों की उपलब्धता, निधि, आदि जैसे निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदकों को अनुमोदन प्रदान करती है।

मल्टी-पैरामीट्रिक जियोफिजीकल आबजर्वेटरीज

6291. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 'मिशन मोड प्रोग्राम ऑन सीसमोलोजी' के अंतर्गत देश भर में कुछ चुने हुए स्थानों पर 'मल्टी-पैरामीट्रिक जियोफिजीकल आबजर्वेटरीज' स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन आबजर्वेटरीज को कब तक स्थापित किए जाने और इन पर कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा'): (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु भूकंप विज्ञान पर मिशन मोड कार्यक्रम पर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा विशेषज्ञ दल द्वारा कुछ चुने हुए स्थानों नामत: श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर), धर्मशाला, कोडैकनाल, भोपाल, अण्डमान और निकोबार तथा गंगटोक में कुछेक मल्टी-पैरामीट्रिक जियोफिजीकल वेधशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। इस कार्यक्रम को 10वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कल्याण योजनाएं

6292. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के लिए राज्यवार कौन-सी कल्याण योजनाएं लागू की जा रही है;

(ख) उन्हें ऋण, अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को योजना-वार और एजेंसी-वार कितनी निधियां आवंटित/जारी की गई हैं; और

(घ) इन योजनाओं में राज्य सरकारों के योगदान का क्या अनुपात है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (घ) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राय: समाप्त हो चुके प्राकृतिक संसाधन आधार को पुन: सृजित करके मरूस्थलीकरण को नियंत्रित करना तथा कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले सीमान्त तथा छोटे किसानों सहित संसाधनहीन गरीब लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। मरूभूमि विकास कार्यक्रम को वर्ष 1995-96 से सात राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक तथा राजस्थान के 40 जिलों के 235 ब्लाकों में वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन की एक इकाई लगभग 500 हैक्टेयर की एक वाटरशेड परियोजना है और एक परियोजना की लागत

30.00 लाख रुपये है। इसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। वाटरशेड परियोजनाएं वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को निधियां पांच वर्षों की परियोजना अवधि में सात किस्तों में जारी की जाती हैं। वर्ष 1995-96 से 2002-2003 तक की अवधि के दौरान राज्य-वार जारी की गई निधियों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1.4.1995 से 31.3.2003 तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1995-1996	1996-1997	1997 1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001 2002	2002-2003	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	405.00	673.50	421.69	482.62	437.06	651.38	999.00	1212.45	5282.70
2.	गुजरात	1860.88	1026.61	1101.13	860.18	2750.85	2444.94	2258.37	3418.13	15721.09
3.	हरियाणा	449.76	634.14	796.61	608.22	453.55	811.38	1482.92	1809.78	7046.36
4.	हिमाचल प्रदेश	636.43	800.00	150.00	30.00	255.00	450.94	514.13	850.87	3687.37
5.	जम्मू एवं कश्मीर	1000.00	1330.00	225.00	585.00	486.02	784.06	574.89	901.71	5886.68
6.	कर्नाटक	389.93	432.23	841.68	350.45	215.38	502.31	994.43	1412.52	5138.93
7.	राजस्थान	5358.00	1639.91	3463.89	5063.56	3901.22	7853.78	8164.26	8893.54	44338.16
	अन्य			500.00	19.33	0.92	1.00	15.00	1.00	537.25
	योग	10100.00	6536.39	7500.00	7999.36	8500.00	13499.79	15003.00	18500.00	87638.54

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल में हिमस्खलन और भारी हिमपात

6293. श्री परसुराम माझी: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल के कौन से क्षेत्र हाल ही के हिमस्खलनों तथा भारी हिमपात से प्रभावित हुए;

(ख) उन क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य कराने हेतु क्या कदम उठाये गए;

(ग) क्या वायु सेना को इस कार्य में लगाया गया; और

(घ) यदि हां, तो उन दुर्गम क्षेत्रों में पर्याप्त बचाव और राहत कार्य कराने हेतु क्या अन्य कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) प्राकृतिक आपदा आने पर आवश्यक राहत उपाय करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। इस प्रयोजनार्थ निधियां राज्य सरकार के पास राज्य आपदा राहत निधि में उपलब्ध है, जिसमें भारत सरकार 75% धनराशि देती है। भारत सरकार, जहां कहीं आवश्यक होता है वहां 11वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वित्तीय और संभारिकी सहायता देकर राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है। गम्भीर किस्म की आपदा आने पर राज्य सरकारों को आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) में किए गए प्रावधानों के अलावा, स्थापित प्रक्रिया का पालन करके, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल राज्यों से हाल ही में हुए हिमस्खलन और बर्फवारी की भारी आपदा की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, फरवरी से अप्रैल 2003 के महीनों के दौरान वायु सेना की सेवाएं ली गई और जम्मू और कश्मीर में फंसे 1670 और यात्रियों को हवाई जहाज से मुफ्त सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

पेयजल हेतु कार्य योजना

6294. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:**
श्री खगेन दास:
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री राम मोहन गाइडे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में पेयजल की उपलब्धता के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है जैसा कि 25.4.2003 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) देश में किन राज्यों में पेयजल की कमी है;

(घ) सरकार द्वारा इस मामले से निपटने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को राज्य सरकारों से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के पुनरुद्धार हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की गई/किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) और (ख) भारत सरकार के शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में निर्धारित है कि देश के सभी बसावटों को 31.3.2004 तक स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों को कवर न की गई तथा आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों के लिए 2003-04 हेतु कार्य योजना तैयार करने का आग्रह किया गया है।

(ग) और (घ) मानसून की कमी के कारण 18 राज्यों के प्रभावित होने की सूचना मिली है। वे राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, झारखंड, प. बंगाल और उड़ीसा। भारत सरकार आपदा राहत के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पांच प्रतिशत निधियां निर्धारित करती है तथा इसमें से 2002-2003 के दौरान सूखा प्रभावित राज्यों को 69.89 करोड़ रुपये की तथा 2003-04 के दौरान 9.54 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी।

(ङ) और (च) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को निधियां दी जाती हैं। राज्यों को अपनी-अपनी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की योजना बनाने, मंजूरी तथा कार्यान्वयन के लिए शक्तियां दी गई हैं। 2002-03 के दौरान सामान्य त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को 1899.64 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

6295. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके द्वारा 10 अप्रैल, 2003 को अनुदेश जारी करने के पश्चात् जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी तय की है जैसा 25.4.2003 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अनुदेशों से पूर्व सुरक्षा बल जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार नहीं थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसके पश्चात् आतंकवादी गतिविधियों में कमी पाई गई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और राज्य में ऐसे अनुदेश जारी होने के पश्चात् कितने आतंकवादी हमलों की खबर आई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) और (ख) 25.4.2003 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित रिपोर्ट में तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय सहारा रिपोर्ट में उल्लिखित जम्मू में 24 अप्रैल को स्पेशल ग्रुप की बैठक, स्पेशल ग्रुप द्वारा जम्मू और कश्मीर में अधिकारियों के साथ की गई प्रारम्भिक विचार-विमर्श का एक हिस्सा थी। स्पेशल ग्रुप का गठन, 31 मार्च, 2003 को उप प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में किया गया था और स्पेशल ग्रुप को, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों और आसूचना एजेन्सियों को वर्तमान मेक्रो रणनीतियों को पुनरीक्षा करने और जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनाई जाने वाली उपयुक्त रणनीतियां सुझाने का काम दिया गया है। राष्ट्रीय सहारा में उल्लिखित पहले की बैठक, वास्तव में 9 अप्रैल, 2003 को दिल्ली में आयोजित स्पेशल ग्रुप की आन्तरिक बैठकर थी। स्पेशल ग्रुप को, सभी संबंधितों से परामर्श करने और फील्ड का दौरा करने के बाद 90 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अत: स्पेशल ग्रुप द्वारा 24 अप्रैल, 2003 को जम्मू में बैठक के दौरान किसी सरकारी निर्देश को बताने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) सुरक्षा बल, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, दो एकीकृत मुख्यालयों, जिसकी अध्यक्षता जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री करते हैं के समन्वय और पर्यवेक्षण के अनुसार चला रहे हैं।

(ङ) और (च) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, चालू कलैन्डर वर्ष के दौरान 15 अप्रैल तक आतंकवादी हिंसा को 820 घटनाएं हुई।

गौरी परियोजना की परित्यक्त खान का धंस जाना

6296. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 9.1.2003 को भारत कुकिंग कोल की ईजेए में गौरी परियोजना की परित्यक्त खान धंस गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या मलबे से एक व्यक्ति को बचा लिया गया किन्तु अनेक व्यक्ति मलबे में दबे रहे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि इस संबंध में आंदोलन करने के बावजूद उन मृत या जिंदा लोगों को बाहर निकालने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या यह सच है कि बी.सी.सी.एल. ने कोयला खान विनियम के अनुसार परित्यक्त खानों के लिए कोई कदम नहीं उठाया; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) जी, नहीं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ई.जे. क्षेत्र में गोरी परियोजना की परित्यक्त खान में 9.1.2003 को कोई धसांव नहीं हुआ था। वास्तव में भारत कोकिंग कोयला की ई.जे. क्षेत्र में परित्यक्त गौरी ग्राम खान में अवैध खनन के कारण 8.1.2003 को रूफ फाल हुआ था।

(ग) से (च) बोकारो जिला प्रशासन के अनुरोध के अनुसार बीसीसीएल प्रबन्धन ने बचाव और रिकवरी संकार्य किए। ई.जे. क्षेत्र प्रबंधन, बीसीसीएल ने कैप लैम्पों, सपोर्ट और फालों की सफाई करने में प्रशिक्षित व्यक्तियों तथा सुदामडीह खान के बचाव कक्ष से बचाव श्रमिकों के दल की व्यवस्था की।

बचाव कार्य पुलिस अधिकारियों, बोकारो जिला के जिला खनन अधिकारी तथा ग्रामीणों के निदेशन और उपस्थिति में किया गया था।

बचाव/रिकवरी कार्यों के दौरान एक व्यक्ति, जो मलबे के नीचे दब गया था, जीवित पाया गया था और उसे बोकारो पुलिस को सौंपा गया था। फॉल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में मलबे में कोई अन्य शव अथवा मानव शरीर का कोई अंग नहीं पाया गया था।

(छ) बीसीसीएल प्रबन्धन ने परित्यक्त खानों के लिए कोयला खान विनियम के अनुसार कदम उठाए हैं।

(ज) ऊपर भाग (छ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

एल.आई.जी. फ्लैटों का निर्माण

6297. श्री नरेश पुगलिया: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** एलआईजी फ्लैटों का निर्माण के बारे में 18 फरवरी, 2003 के अतारांकित प्रश्न सं. 98 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक निर्माण कंपनी के लिए अनुमोदित एलआईजी फ्लैटों के निर्माण की प्रति वर्ग मी. दर क्या है;

(ख) निर्माण की इस दर को तर्कसंगत ठहराने हेतु क्या तरीका अपनाया गया है;

(ग) क्या अंतिम उत्पादों की गुणवत्ता और टिकाऊपन की सत्यापन हेतु कोई प्रबंध किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन एलआईजी फ्लैटों में कितने तलों का निर्माण किया जाना है;

(च) क्या इन फ्लैटों में लिफ्ट का कोई प्रावधान होगा;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने द्वारका, नरेला, रोहिणी, बक्करवाला तथा वसंत कुंज में निम्न आय वर्ग (एलआईजी) फ्लैटों के निर्माण का कार्य टर्न-की आधार पर पूर्व अर्हता प्राप्त एजेंसियों को रिहायशी इकाई के कुरसी क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर पर 7,190/- (सात हजार एक सौ नब्बे रु.) की दर से सौंपा है। कार्य का नाम और उसकी अवस्थिति, निर्माण कंपनी का नाम जिसके कार्य सौंपा गया है तथा जिस दर पर कार्य सौंपा गया है उसका विवरण संलग्न है।

उपर्युक्त 7,190/- रु. प्रति वर्ग मीटर की लागत में निम्नलिखित मदें शमिल हैं जिन्हें इस दर को उचित सिद्ध करने के लिए गिना गया तथा जिनके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना है:-

(1) आवासीय पाकेट के चारों तरफ चहारदीवारी का निर्माण, एक सामुदायिक केन्द्र सुरक्षा कक्ष और विपणन केन्द्र का निर्माण।

(2) वास्तुशिल्पीय और संरचना डिजाइन तैयार करना, सेवाओं का डिजाइन तैयार करना और उन्हें दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली विद्युत बोर्ड जैसी नागरिक एजेंसियों से उन्हें अनुमोदित करवाना, तीन वर्ष के लिए मकानों का रखरखाव तथा सेवाएं।

(3) एक मीटर गहरी भराई, जल आपूर्ति के लिए दोहरी पाईप व्यवस्था, बरसाती पानी जमा करना, बिजली सब-स्टेशन का निर्माण तथा उच्चवोल्टेज तथा निम्न बोल्टता लाइनें बिछाना और संबंधित नागरिक एजेंसियों को सेवाओं का अंतरण करना।

(ग) और (घ) सभी वास्तुशिल्पीय डिजाइन दिल्ली विकास प्राधिकरण के वास्तुशिल्प विभाग से अनुमोदित कराए जाने अपेक्षित हैं। इसी प्रकार सभी संरचना डिजाइन दिल्ली विकास प्राधिकरण के केन्द्रीय डिजाइन कार्यालय अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा आईआईटी दिल्ली अथवा सीबीआरआई, रूडकी में से किसी एक से अनुमोदित कराए जाने अपेक्षित हैं। सभी ठेकेदारों द्वारा कार्य में प्रयोग में लाए जाने से पहले सभी सामग्रियों की जांच हेतु स्थल पर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना अपेक्षित है। आरसीसी की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए सीसीट्यूबों की जांच स्थल पर स्थापित परीक्षण प्रयोगशाला में की जाती है। इन परीक्षणों में से कम से कम 25% परीक्षण दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्वालिटी नियंत्रण कक्ष की परीक्षण प्रयोगशाला में किए जाते हैं। इन कार्यों की दिल्ली विकास प्राधिकरण के फील्ड स्टाफ और क्वालिटी नियंत्रण कक्ष द्वारा भी नियमित रूप से जांच की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी मकानों में मिश्रित डिजाइन शुरू किया है और सभी एजेंसियों ने स्थल पर यांत्रिक वे-बैचिंग संयंत्र स्थापित किए हैं। ये मकान आर सी सी से बनी संरचनाएं हैं।

(ङ) ये पांच मंजिले मकान हैं।

(च) से (ज) टर्न-की आधार पर बनाए गए इन सभी एलआईजी मकानों में अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर तक सीमित रखी गई है। इन मकानों में लिफ्ट की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों में लिफ्ट की आवश्यकता

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	एजेंसी	रिहायशी इकाई के कुरसी क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर की दर (रु. में)
1.	पाकेट ए बक्करवाला ने 1320 एलआईजी मकानों का निर्माण	मैसर्स अहलुवालिया कांट्रेक्ट (इंडिया) लि.	7,190/-
2.	बक्करवाला में पाकेट बी-1 में 900 एलआईजी मकानों का निर्माण	मैसर्स गेमन इंडिया लि.	7,190/-
3.	बक्करवाला में पाकेट बी-2 में 900 एलआईजी मकानों का निर्माण	मैसर्स यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लि.	7,190/-
4.	पाकेट सी बक्करवाला में 1380 एलआईजी मकानों का निर्माण	मैसर्स लार्सन एंड टर्बो लि.	7,190/-
5.	पाकेट डी बक्करवाला में 1000 एलआईजी मकानों का निर्माण	मैसर्स यूनिटी इंफ्रा प्रोजक्ट लि.	7,190/-
6.	सेक्टर-14 द्वारका में 756 एलआईजी मकानों का निर्माण	मैसस बी.आर.एम. (इंडिया:	7,190/-
7.	सेक्टर-18, रोहिणी में 630 एलआईजी मकानों का निर्माण	मैसर्स यूनिटेक लि.	7,190/-
8.	नरेला में 2420 एलआईजी मकानों का निर्माण	मैसर्स यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लि.	7,190/-
9.	वसन्त कुंज में 795 मकानों (उच्च आय वर्ग के 140 मध्य आय वर्ग के 350 तथा निम्न आय वर्ग के 305) का निर्माण	मैसर्स अहलुवालिया कांट्रेक्ट (इंडिया) लि.	7,190/-+बेहतर विनिर्देशों के लिए 175/- रुपए

[हिन्दी]

खुले मुहाने की खानों में विस्फोट

6298. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखण्ड में खुले मुहानों की खानों में हो रहे भारी विस्फोटों के कारण आसपास के क्षेत्रों में पत्थरों की बौछार हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन खानों में भारी विस्फोटों के कारण नुकसान को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) जहां कही भी खुले मुहानों खानों में विस्फोट किया जाता है तो मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशंस, 1961 के प्रावधानों के अधीन, यह अनिवार्य है कि लोगों को विस्फोट के दौरान पत्थरों की बौछार से घायल होने से बचाने के लिए सुरक्षित क्षेत्र में रखा जाए। श्रम मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय इन विनियमों का प्रवर्तन करता है।

जैसा कि इस प्रश्न में झारखण्ड राज्य के किसी विशेष खान और क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। जहां ऐसी घटना घटित

हुई है। खान मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय खान ब्यूरों में कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नही है।

[अनुवाद]

गति नियंत्रक

6299. श्री रामजी मांझी: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गति नियंत्रक लगाने का निदेश देने के बावजूद दिल्ली में चल रही ब्लू लाइन बसों/डीटीसी बसों जैसे व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक नहीं लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिक गति और खतरनाक ड्राइविंग के कारण सड़क हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में ब्लू लाइन बसों/डीटीसी बसों पर लगाम लगाने और उनमें गति नियंत्रक लगाने पर बल देने हेतु क्या ठोस उपाय किए गए अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या ब्लू लाइन/डीटीसी बसों अथवा आटोरिक्शा में लगे हुए गति नियंत्रक टेंपर प्रूफ नहीं है जैसा कि दिनांक 21 फरवरी, 2003 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) और (ख) क्योंकि व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक लगाने हेतु केवल एक कंपनी को प्राधिकृत किया गया है, अत: दिल्ली परिवहन निगम और "ब्लू लाइन" बसों सहित ऐसे सभी वाहनों में अभी तक यह सुविधा नहीं लगाई गयी है।

(ग) गत तीन वर्षों में दिल्ली में घातक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई है।

(घ) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय और दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों का उल्लंघन करने वाले सभी परिवहन वाहनों पर नियमित रूप से मुकदमा चलाया जाता है।

(ङ) से (छ) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, इनके वाहनों में लगाए गए गति नियंत्रक विनिर्माताओं के साथ उठाया है और स्थिति से दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया है।

[हिन्दी]

दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस की शिकायतें

6300. श्री रामदास आठवले: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 1997 और 1998 में विशेषतया दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस के क्षेत्राधिकार में महिलाओं से कथित बलात्कार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) उक्त अवधि में सहायक पुलिस आयुक्त और उच्च पद के अधिकारियों द्वारा कितनी शिकायतों की जांच की गई और ये जांच किस-किस तारीख को शुरू की गई;

(ग) क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) वर्ष 1997 के दौरान, दिल्ली में बलात्कार के 556 मामले सूचित किए गए जिनमें से 68 दिल्ली पुलिस के दक्षिण-पश्चिमी जिले से संबंधित थे। इसी प्रकार वर्ष 1998 में दिल्ली में बलात्कार के 446 मामले सूचित किए गए जिनमें से 55 दिल्ली पुलिस के दक्षिण-पश्चिमी जिले से संबंधित थे।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स में सामुदायिक विकास और श्रम कल्याण कार्य

6301. श्री सुबोध मोहिते: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने कोयला उत्पादन क्षेत्रों में कोई सामुदायिक विकास और श्रम कल्याण कार्य किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विकास कार्यों पर योजनावार, स्थानवार और राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, हां।

(ख) डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा कोलफील्डों में तथा उसकी परिधि/आसपास के 8 कि.मी. तक के क्षेत्र में रह रहे समुदाय के लाभ के लिए सामुदायिक विकास क्रियाकलाप किए जा रहे हैं।

सामुदायिक तथा परिधीय विकास के अन्तर्गत किए गए मुख्य क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं:-

1. विद्यालय के भवनों का निर्माण/मरम्मत/विस्तार।
2. पेय जल हेतु कुएं खोदना, तालाबों का विकास करना तथा हैण्ड पम्प लगाना।
3. ग्रामों को ग्रामीण सड़क लिंक।
4. चिकित्सा शिविरों, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल।
5. सामुदायिक केन्द्र/बस शैडों/बच्चों के पार्कों इत्यादि का निर्माण।
6. खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप।
7. सिलाई का काम, जूते बनाना, पत्तल की प्लेट बनाना, बुनाई, वाहन चलाने का प्रशिक्षण आदि जैसे स्व-रोजगार प्रशिक्षण क्रियाकलाप।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सामुदायिक विकास पर किया गया कुल व्यय नीचे दिया गया है:-

(लाख रु. में)

2000-2001	74.78 रु.
2001-2002	66.72 रु.
2002-2003 (अनंतिम)	88.53 रु.

डब्ल्यू.सी.एल. में सामुदायिक विकास कार्य महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर किए गए हैं:-

(क) महाराष्ट्र: वणी, माजरी, नागपुर, उमरेड, वणी (नार्थ), चंद्रपुर, बल्लारपुर, डब्ल्यू.सी.एल. (मुख्यालय)

(ख) मध्य प्रदेश: पाथरखेड़ा, पेंच, कन्हान

डब्ल्यूसी.एल. में कम्पनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके उनके कल्याण को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के सर्वांगीण कल्याण के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। योजना तथा नीतियों के अनुसार विभिन्न कल्याण क्रियाकलापों के कार्यान्वयन तथा प्रबोधन को डब्ल्यू.सी.एल. कल्याण बोर्ड द्वारा देखा जाता है, जिसने प्रबंधन तथा यूनियन के प्रतिनिधि होते हैं।

1.4.03 की स्थिति के अनुसार श्रमिक कल्याण सुविधाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

1.	आवास	40917
2.	जलापूर्ति (कवर की गई जनसंख्या)	315805
3.	चिकित्सा	
	(क) अस्पताल	10
	(ख) डिस्पेंसरी	56
	(ग) अस्पताल के बिस्तर	745
	(घ) बिस्तर-कर्मचारी अनुपात	1:98
4.	सरकारी भंडार	29
5.	ऋण समितियां	43
6.	जलपान-गृह	81
7.	बैंक	96
8.	मनोरंजन सुविधाएं	
	(क) खेल का मैदान	28
	(ख) स्टेडियम	06
	(ग) बच्चों के पार्क	20
	(घ) मनोरंजन क्लब	35
	(ङ) व्यायामशाला	09
	(च) सामुदायिक केन्द्र	13
	(छ) पुस्तकालय	13

पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याण व्यय (राजस्व) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(लाख रु. में)

	2000-2001	2001-2002	2002-2003
आवास	876.11	715.54	952.35
जलापूर्ति	189.58	174.00	176.88
चिकित्सा	1134.59	1076.60	1522.80
शिक्षा	261.58	305.00	337.79
अन्य	238.21	263.57	270.99
जोड़	2700.07	2534.71	3260.81

चंडीगढ़ में निजी स्कूल

6302. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ के उन आवासीय परिसरों के पुनर्ग्रहण हेतु नोटिस जारी किए हैं जिनमें दशकों से निजी स्कूल चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने छात्र और शिक्षक प्रभावित होंगे;

(ग) क्या ये स्कूल समाज के मध्यम और कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हैं;

(घ) क्या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इन निजी स्कूलों और उन्हें स्कूल हेतु स्थान आवंटित करने के बारे में कतिपय दिशानिदेश जारी किए थे; और

(ङ) यदि हां, तो शिक्षकों को बेरोजगार होने और छात्रों को स्कूल के बिना रहने से बचाने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) जी हां, श्रीमान। तथापि, किसी भी परिसर का पुनर्ग्रहण नहीं किया गया हैं।

(ख) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 2002 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, चंडीगढ़ में रिहायशी परिसरों में 158 स्कूल चल रहे थे जिनमें 32,200 छात्र और 1433 अध्यापक थे।

(ग) ये स्कूल, समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में, चंडीगढ़ प्रशासन ने अभी तक 20 वैकल्पिक स्थल आवंटित किए हैं। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों की क्षमता में बढ़ोत्तरी करने के लिए कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत धनराशि की दूसरी किश्त जारी करना

6303. **श्री ब्रजमोहन राम:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्य-वार एस.जी.आर.वाई. चरण-एक और चरण-दो के अंतर्गत धनराशि की दूसरी किश्त जारी करने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन जिलों को धनराशि की दूसरी किश्त जारी की गई है;

(ग) विशेष रूप से झारखण्ड के जिलों हेतु धनराशि की दूसरी किश्त जारी न करने के क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाने वाले सभी जिलों को धनराशि की दूसरी किश्त जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) संलग्न विवरण में तारा चिह्नित जिलों को छोड़कर समस्त जिलों से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के चरण-I एवं II के अंतर्गत निधियों की दूसरी किस्त की रिलीज के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो गए थे।

(ख) जिन जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं, उनको छोड़कर समस्त जिलों को निधियों की दूसरी किस्त रिलीज कर दी गयी है।

(ग) प्रस्तावों को प्रस्तुत नहीं करने, अपूर्ण/दोषपूर्ण प्रस्तावों, लेखा परीक्षा रिपोर्टों एवं उपयोग प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत नहीं करने, निधियों एवं अनाज को 60 प्रतिशत तक के अपेक्षित स्तर तक उपयोग नहीं कर पाने तथा राज्य का अंशदान कम मिलने के कारण झारखण्ड के जिलों सहित सभी जिलों को निधियों की दूसरी किश्त रिलीज नहीं की जा सकी।

(घ) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत बजट आबंटन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर समाप्त हो जाता है। इसके

परिप्रेक्ष्य में ऐसे जिलों, जो विगत वर्ष में दूसरी किस्त प्राप्त नहीं कर सके थे, के दावों पर वर्तमान वर्ष अर्थात् 2003-2004 के दौरान विचार नहीं किया जा सकता है।

विवरण

जिलों के नाम जिन्हें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के चरण-I एवं II के अंतर्गत दूसरी किस्त नहीं दी जा सकी थी

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों का नाम	
		सं.ग्रा.रो.यो.-1	सं.ग्रा.रो.यो.-2
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	1. पपुम पारे	1. प. सियांग
		2. नि. सुबनसिरी	2. लोहित
		3. उ. सुबनसिरी	
		4. प. सियांग	
		5. द. घाटी	
		6. लोहित	
2.	बिहार	1. पटना	1. अररिया
		2. बक्सर	2. बक्सर
		3. कैमूर	3. दरभंगा
		4. औरंगाबाद*	4. गया
		5. वैशाली	5. पटना
		6. प. चम्पारण	6. पूर्णिया
		7. शिवहर	7. रोहतास
		8. दरभंगा	8. सहरसा
		9. समस्तीपुर	9. शेखपुरा
		10. सहरसा	10. सुपौल
		11. अररिया	11. वैशाली
		12. बांका	12. मधुबनी
		13. शेखपुरा	
3.	गोवा	1. उत्तरी गोवा	1. उत्तरी गोवा
		2. द. गोवा	2. द. गोवा
4.	गुजरात	1. अमरेली	1. मेहसाणा*
		2. कच्छ*	2. जामनगर
		3. जामनगर	3. कच्छ*
		4. पोरबंदर	4. साबरकांठा
		5. दाहौद	5. पाटन*
		6. मेहसाणा	
		7. राजकोट	
		8. वड़ोदरा	
		9. सूरत	
		10. सुरेन्द्रनगर*	
5.	हिमाचल प्रदेश	1. लाहौल एवं स्पिति*	1. लाहौल एवं स्पिति*
6.	जम्मू एवं कश्मीर	1. श्रीनगर	1. बडगांव
			2. कुपवाड़ा
			3. श्रीनगर
7.	झारखंड	1. धनबाद	1. बोकारो
		2. दुमका	2. गोड्डा
		3. गोड्डा	3. गुमला
		4. गुमला	4. लोहरदग्गा
		5. पलामू	5. प.सिंहभूम
		6. रांची	6. पलामू
		7. साहिबगंज	7. रांची
		8. प. सिंहभूम	8. साहिबगंज
8.	मध्य प्रदेश	1. देवास	
9.	महाराष्ट्र	1. पुणे	
10.	मणिपुर	1. विष्णुपुर*	1. तामेंगलांग
		2. चन्देल*	2. चुराचंदपुर
		3. चुराचंदपुर*	3. चन्देल
		4. इम्फाल पश्चिम*	4. थौबल

1	2	3	4
		5. सेनापति	5. विष्णुपुर
		6. तामेंगलांग	6. इम्फाल पूर्व
		7. थौबल	7. इम्फाल पश्चिम
		8. उखरुल	8. उखरुल
		9. इम्फाल पूर्व*	
11.	मेघालय	1. जैन्तिया हिल्स	1. जैन्तिया हिल्स
			2. रि भोई
12.	नागालैंड	1. कोहिमा	1. मकोकचुंग
		2. मकोकचुंग*	2. मोन
		3. तेनसेंग	3. फेक
		4. मोन	4. जुनेबोटो
		5. वोखा	5. वोखा
		6. जुनेबोटो	6. तेनसेंग
		7. दिमापुर	7. कोहिमा
			8. दिमापुर*
13.	उत्तर प्रदेश	1. कुशी नगर	
14.	पश्चिम बंगाल	1. मालदा*	
		2. दार्जिलिंग*	1. दार्जिलिंग*
		3. नाडिया	
		4. दक्षिण 24 परगना	
15.	अंडमान व निकोबार	1. अंडमान द्वीपसमूह*	1. अंडमान जिला*
		2. निकोबार द्वीपसमूह*	2. निकोबार*
16.	दमन व दीव	1. दमन*	1. दमन*
		2. दीव*	2. दीव*
17.	लक्षद्वीप	1. लक्षद्वीप*	1. लक्षद्वीप*
18.	दादरा व नगर हवेली	1. दादरा व नगर हवेली*	1. दादरा व नगर हवेली*

*इन जिलों से दूसरी किस्त के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

[अनुवाद]

देश में निर्मित विमान (सारस)

6304. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में निर्मित भारत का पहला बहुउद्देशीय हल्का परिवहन विमान 'सारस' की सफल परीक्षण उड़ान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस विमान का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा भारतीय वायुसेना में इस विमान में शामिल करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा'): (क) और (ख) जी हां। देश में निर्मित भारत के पहले बहुउद्देशीय हल्के परिवहन विमान "सारस" के प्रथम आदिप्ररूप को 4 फरवरी, 2003 को रोल-आउट किया गया। परीक्षण उड़ान के लिए विभिन्न प्रणाली परीक्षण पूरे किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) महानिदेशक, नागर विमानन द्वारा इस विमान की उड़ान योग्यता को पूर्णत: प्रमाणित किए जाने तथा विमान को टाइप प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के बाद ही इस विमान का वाणिज्यिक उत्पादक आरंभ किया जाएगा।

(ङ) और (च) भारतीय वायुसेना ने अपने प्रशिक्षण और अन्य आवश्यकताओं के लिए "सारस" विमान में रुचि दिखाई है।

अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण

6305. श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्री बालकृष्ण चौहान:
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभागों में श्रेणी क, ख, ग और घ के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों के कर्मचारियों की इस समय श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या मंत्रालय में अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण कोटा भर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आरक्षण कोटे को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ङ) क्या ओ.बी.सी. के कर्मचारियों को पदोन्नति के समय भी आरक्षण प्रदान किया जाना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) इस मंत्रालय में कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नवत है:

समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ
शून्य	16	37	10

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित रिक्तियों सहित सभी रिक्तियां इस मंत्रालय में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए नामन के आधार पर भरी जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) नियमों में अन्य पिछड़ा वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है।

केन्द्रीय भण्डार में भ्रष्टाचार

6306. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय भण्डार में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी है, जैसा कि दिनांक 20 अप्रैल, 2003 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विशेष वितरण की शीघ्र समीक्षा न करने और अपने संसाधनों को खत्म होने से न रोकने तथा केन्द्रीय भण्डार के भ्रष्ट कर्मचारियों को दंडित न करने संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मामले की जांच करने और केन्द्रीय भण्डार में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ग) सरकार, दिनांक 20.4.2003 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "गवर्नमेंट परचेजिस अण्डर दे लेन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार से अवगत है। केन्द्रीय भण्डार में एक पूर्ण कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित सभी सुस्पष्ट शिकायतों/आरोपों की जांच-पड़ताल करते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है वहां समुचित कार्रवाई की जाती है।

नाल्को द्वारा प्रदूषण नियंत्रण

6307. **श्री अनन्त नायक:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी (नाल्को) ने अपनी खानों तथा संयंत्रों में पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नाल्को द्वारा संयंत्र और खान स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. (नाल्को) ने अन्तर्राष्ट्रीय मानक (इंटरनैशनल स्टैंडर्ड) आई एस ओ 14001 के अनुसार अपने संयंत्रों और खानों में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के कार्यान्वित किया है। इस मानदण्ड को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से अधिकृत लेखा-परीक्षकों द्वारा आवधिक रूप से लेखा परीक्षाएं की जा रही हैं। नाल्को द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में परिस्थितिकी अनुकूल प्रोसेस, प्रौद्योगिकी और उपकरणों की स्थापना करना, भारी मात्रा में वनरोपण, बहि:स्राव का उचित रूप से शोधन (ट्रीटमेंट) करना, धूल और राख नियंत्रण उपाय करना तथा वायु, जल और भूमि की गुणवत्ता की नियमित रूप से मानीटरिंग करना शामिल हैं।

भारतीय उर्वरक निगम का मजदूरी का लम्बित मामला

6308. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की मजदूरी का मामला कार्यान्वित होने के लिए लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संगठन में लागू की जाने वाली वीएसएस योजना कर्मचारियों के हितों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बांग्लादेश/पाकिस्तान के साथ महानिदेशक स्तर की बैठकें

6309. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सीमा सुरक्षा बल-बांग्लादेश रायफल्स की महानिदेशक स्तर की बैठकें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इस प्रकार की कितनी बैठकें हुई; और

(घ) इस प्रकार की बैठकों के परिणाम क्या रहे और इस प्रकार की बैठकें किस सीमा तक शांति में सहायक हो रही हैं और सीमा पर घुसपैठ रोक पा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। भारत और बांग्लादेश में बारी-बारी से वर्ष में दो बार महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल और महानिदेशक, बी.डी.आर. के बीच महानिदेशक स्तरीय बैठक आयोजित की जाती हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में महानिदेशक स्तरीय बैठकों के छह दौर, तीन भारत में और तीन बांग्लादेश में आयोजित किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के साथ द्विवार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें महानिदेशक पाक रेंजर, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करता है और सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक स्तरीय अधिकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुआई करता है। पिछले तीन वर्षों में, ऐसी तीन बैठकें आयोजित की गई हैं।

(घ) इन बैठकों में, सीमा पर चौकसी संबंधी समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है। दो चौकसी बलों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग के लिए जोर दिया गया है ताकि सीमा-पार से अपराधों पर नियंत्रण, घुसपैठ और सीमा संबंधी समस्याओं के कारण हुए तनावों को कम किया जा सके। ये बैठकें कार्यात्मक संबंध स्थापित करने और दिन-प्रतिदिन के मुद्दों के सौहार्दपूर्ण हल के लिए उपयोगी हैं।

[हिन्दी]

कोयले का अवैध खनन

6310. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड में बोकारो जिले के अंतर्गत बेरमो कोयला क्षेत्र में कोयले के अवैध खनन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवैध खनन के कारण रेल लाइन के नीचे सुरंग बन गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने बेरमो कोयलांचल में कोयले का कथित अवैध खनन की कोई जांच की है/करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) को झारखंड के बोकारो जिला के अंतर्गत बरमो कोयलाबेल्ट में किए जा रहे कोयले के अवैध

निष्कर्षण की जानकारी है। यह अवैध निष्कर्षण कठेरा, बी. एण्ड के. तथा धोरी क्षेत्रों की खानों के लीज होल्ड तथा अधिगृहीत भूमि वाले क्षेत्रों में होने की सूचना मिली है। यह बाहरी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो बलपूर्वक इन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। यह एक कानून तथा व्यवस्था की समस्या है जिससे राज्य प्रशासन के साथ सक्रिय सहयोग से ही निपटा जाता है।

(ग) उपरोक्त वर्णित अवैध निष्कर्षण सी.सी.एल. के बी. एण्ड के. क्षेत्र में एक पुरानी खान में रेलवे लाइन के नीचे गढ्ढे में परिणित हुआ है। उपर्युक्त वर्णित खान में कोयले के अवैध निष्कर्षण को रोकने के लिए, जहां कोयले के अवैध निष्कर्षण से रेलवे लाइन के नीचे गढ्ढा हो गया था, रेल की पटरी के नीचे के पुराने प्रवेश के मार्गों को काफी पहले फ्लाई ऐश द्वारा पुनः भर (बैक-फिल्ड) दिया गया है और आस पास के क्षेत्र को पौध रोपण हेतु एक मीटरी मिट्टी से कवर करके पैक कर दिया गया है। मध्य रेलवे के एक दल ने हाल ही में स्थल का दौरा किया और प्रचालनों को संतोषजनक पाया।

(घ) और (ङ) जैसे ही अवैध खनन की कोई भी घटना सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की जानकारी में आती है तो पुलिस के पास एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है ताकि इस प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। डी.सी., बोकारो द्वारा धोरी, बी. एण्ड के. तथा कथारा के तीन क्षेत्रों के महा प्रबंधकों, निदेशक खान सुरक्षा, कोदरमा क्षेत्र तथा वरिष्ठ राज्य प्राधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में अवैध खनन के स्थलों का निरीक्षण करने और अवैध खनन को रोकने के लिए उपाए सुझाने/संस्तुत करने के लिए एक कार्यबल गठित किया था। जिला समाहर्ता, बोकारो क्षेत्रों के महा प्रबंधकों के साथ नियमित बैठक करके अवैध खनन को रोकने के लिए किए गए उपायों की निगरानी कर रहे हैं। उपर्युक्त स्थल पर अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा/पुलिस तथा सी.आई.एस.एफ. द्वारा गहन गश्त लगाई जाती है। सी.सी.एल. के अधिकारी महानिदेशक, खान तथा सुरक्षा और उच्च स्तरीय राज्य अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध खनन के सम्भावित स्थलों पर निगरानी रखते हैं।

[अनुवाद]

मेगा सिटी परियोजनाओं के लिए परिक्रामी निधि

6311. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेगा सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी परिक्रामी निधि की स्थापना की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए आबंटित धनराशि को अन्य कार्यों में लगा दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस विषय में क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों से 25:25 के अनुपात में धनराशि अनुदान के रूप में सीधे नोडल एजेंसियों को दी जाती है और शेष 50% धनराशि वित्तीय संस्थानों से जुटाई जाती है। नोडल एजेंसियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद परिवर्तनीय ब्याज दर पर परियोजना आधारित ऋण मंजूर किए जाते हैं।

प्रत्येक नोडल एजेंसी को सतत आधार पर अवस्थापनात्मक परिसम्पत्तियों के विकास के लिए आवर्ती-कोष गठित करना होता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार नोडल एजेंसियों के पास आवर्ती कोष में शेष राशि इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

(1)	मुंबई	86.40
(2)	कोलकाता	22.28
(3)	चेन्नई	189.42
(4)	हैदराबाद	00.00
(5)	बंगलौर	34.29

गत तीन वर्षों के दौरान धनराशि को अन्य कार्यों में लगाने के संबंध में मेगा शहरों की नोडल एजेंसियों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

शैक्षणिक संस्थाओं में हिन्दी माध्यम

6312. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा को व्यवस्थित ढंग से देने तथा सभी विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य करने के लिए शिक्षण के माध्यम के रूप में धीरे-धीरे हिन्दी शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की शिक्षा शुरू करने के लिए देश की संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के प्रसार और प्रयोग में विशेषज्ञों की राय मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए चिकित्सा और तकनीकी पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. बल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 351 के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा कार्य योजना 1992 में संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के विकास पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में हिन्दी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं को अपनाने पर बल दिया गया है। इस विषय पर किसी विशेषज्ञ दल की राय लेने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) सरकार ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में एक समान तकनीकी शब्दावली तैयार करने तथा विभिन्न विषयों (चिकित्सा तथा इंजीनियरी सहित) में पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ साहित्य और सहायक पठन सामग्री तैयार करने को बढ़ावा देना है। आयुर्विज्ञान में 50000 तथा इंजीनियरी एवं सूचना प्रौद्योगिकी में 1,20,000 से भी अधिक तकीनीकी शब्दावलियां तैयार कर ली गई हैं।

इसके अतिरिक्त चौथी पंचवर्षीय योजना से विभिन्न राज्य स्तरीय पाठ्यपुस्तक बोर्डों के सहयोग से वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग हिन्दी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन की योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने तकनीकी विषयों पर हिन्दी में 85 पुस्तकें तथा आयुर्विज्ञान पर हिन्दी में 75 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 30 और पुस्तकें तैयार की जा रही हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

6313. श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्री बालकृष्ण चौहान:
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों में समूह क, ख, ग और घ में कार्य कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग में कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या मंत्रालय में अ.पि.व. के लिए आरक्षण कोटा भर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक भर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या अ.पि.व. को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाता है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) महासागर विकास विभाग में समूह क, ख, ग, और घ में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से है:-

वर्ग	अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों की संख्या
समूह 'क'	शून्य
समूह 'ख'	01
समूह 'ग'	03
समूह 'घ'	05

(ख) और (ग) जी, हां। 1993 से विभाग में होने वाली रिक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत कोटा रखा गया है और पदों को रोस्टर के आधार पर भरा गया है। समूह 'क' के निम्नतम सोपान पर वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में आरक्षण लागू नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) विभाग आरक्षण नीतियों पर सरकार द्वारा जारी सामान्य निर्देशों का पालन कर रहा है।

दिल्ली पुलिस

6314. **श्री सी. श्रीनिवासन:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपहार मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों ने महसूस किया है कि सार्वजनिक स्थलों की जांच की पूरी प्रक्रिया में फेरबदल किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या न्यायाधीशों ने यह भी महसूस किया है कि दिल्ली पुलिस को मात्र कानून और व्यवस्था की ही चिन्ता करनी चाहिए और पुलिस बल पर लाइसेंस देने की जिम्मेदारी डालना पहले से ही अत्यधिक बोझ में दबी पुलिस के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ है;

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस से लाइसेंसिंग ले लिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें प्रश्नाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और उसके अभाव में मामले में मत निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

दिल्ली विमानपत्तन पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

6315. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विमान पत्तन पर ड्यूटी हेतु कितने अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बल कर्मियों की आवश्यकता है;

(ख) क्या इसके लिए कुछ और नियुक्तियां की जानी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) दिल्ली विमानपत्तन पर ड्यूटी से दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को विमुक्त किया गया है;

(ङ) क्या दिल्ली पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि से दिल्ली के अपराध ग्राफ में कमी लाने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 1990 की आकलित संख्या के साथ 2-4-2003 को दिल्ली हवाई अड्डे पर तैनात किया गया। फिलहाल, इसे पर्याप्त समझा गया।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) 1.5.2003 की स्थिति के अनुसार दिल्ली पुलिस के 1200 कार्मिक हटाए गए हैं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, हवाई अड्डों की सुरक्षा से संबंधित डयूटियां करेगा। दिल्ली पुलिस अपराध नियंत्रण, कानून और व्यवस्था इत्यादि से संबंधित कार्य देखती रहेगी। हवाई अड्डे पर अतिरिक्त दिल्ली पुलिस कार्मिक उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

कोयले का अवैध खनन

6316. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड में बोकारो जिले के अंतर्गत बरमो कोयला पट्टी और जारंगडीह रेलवे क्रासिंग (पूर्वी) में अवैध खनन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवैध खनन से रेलवे लाइन के नीचे सुरंग और धंसाव हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोयले के उक्त अवैध खनन की कोई जांच करायी है या करवाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) को झारखंड के बोकारो जिला के

अंतर्गत बरमो कोयलाबेल्ट में किए जा रहे कोयले के अवैध निष्कर्षण की जानकारी है। यह अवैध निष्कर्षण कठेरा, बी. एण्ड के. तथा धोरी क्षेत्रों की खानों के लीज होल्ड तथा अधिगृहीत भूमि वाले क्षेत्रों में होने की सूचना मिली है। यह बाहरी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो बलपूर्वक इन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। यह एक कानून तथा व्यवस्था की समस्या है जिससे राज्य प्रशासन के साथ सक्रिय सहयोग से ही नेपटा जाता है।

(ग) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. को रेलवे लाइन के नीचे धंसाव की किसी घटना की जानकारी नहीं है। तथापि, एक पुरानी परित्यक्त खान में अवैध खनन के कारण एक गढ्ढा हो गया था जिसके ऊपर काफी समय पहले एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इसे काफी पहले फ्लाई ऐश से भरा जा चुका है और आस पास के क्षेत्र को पौध रोपण हेतु एक मीटरी मिट्टी से कवर करके पैक कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जैसे ही अवैध खनन की कोई भी घटना सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की जानकारी में आती है तो पुलिस के पास एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है ताकि इस प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। डी.सी., बोकारो द्वारा धोरी, बी. एण्ड के. तथा कट्ठारा के तीन क्षेत्रों के महा प्रबंधकों, निदेशक खान सुरक्षा, कोदरमा क्षेत्र तथा वरिष्ठ राज्य प्राधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में अवैध खनन के स्थलों का निरीक्षण करने और अवैध खनन को रोकने के लिए उपाए सुझाने/संस्तुत करने के लिए एक कार्यबल गठित किया था। जिला समाहर्ता, बोकारो क्षेत्रों के महा प्रबंधकों के साथ नियमित बैठक करके अवैध खनन को रोकने के लिए किए गए उपायों की निगरानी कर रहे हैं। उपर्युक्त स्थल पर अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा/पुलिस तथा सी.आई.एस.एफ. द्वारा गहन गश्त लगाई जाती है। सी.सी.एल. के अधिकारी महानिदेशक, खान तथा सुरक्षा और उच्च स्तरीय राज्य अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध खनन के सम्भावित स्थलों पर निगरानी रखते हैं।

(च) अवैध खनन की घटनाओं को रोकने के लिए सी.सी.एल. ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:-

1. अवैध खनन स्थलों के निरीक्षण के पश्चात कार्यबल द्वारा संस्तुत कदम उठाए गए हैं।
2. सुरक्षा कार्मिकों द्वारा नियमित गश्त।
3. अवैध खनन द्वारा उत्पन्न हुए गढ्ढों को भर दिया गया।
4. परित्यक्त खदानों के मुख पर कंकरीट की दीवारें बनाकर भूमिगत खानों में परित्यक्त पुरानी खदानों को सील कर दिया गया है।
5. परित्यक्त पुरानी खदानों को विद्युत गृहों की फ्लाई ऐश से भरा जाता है।
6. अवैध खनन की सम्भावना वाले स्थलों पर बाड़ लगाना और खतरा अथवा निषेध क्षेत्र दर्शाने वाले सूचना पट्ट लगाना।
7. औचक छापे/जांच करना।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण को दोषमुक्त निर्माण कार्य

6317. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ एक्शटेंशन में दि.वि.प्रा. के दोषमुक्त निर्माण कार्य के कारण 75 प्रतिशत नाले खुले हैं और इन खुले बरसाती नालों में सीवर का पानी बह रहा है और कई स्थलों पर मेन होल के ढक्कन भी नहीं हैं जैसा कि 19 मार्च, 2003 के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच की गयी है या की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि आई.पी. एक्सटेंशन कालोनी का उसके द्वारा लगभग 20 वर्ष पहले विकास किया गया था तथा एस.डब्ल्यू ड्रेनों का निर्माण जून, 1985 में स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार 1989-90 के दौरान किया गया था। प्रेस क्लिपिंग में यह आरोप सही नहीं है कि नालियों का निर्माण 4 फीट की गहराई के स्थान पर 3 फीट की गहराई पर किया गया था। आई.पी. एक्सटेंशन की सीवरेज नालियां कमी बेशी प्रभारों (डिफीसियन्सी चार्ज) का भुगतान करने के बाद डीडीए द्वारा अप्रैल, 1993 में स्थानीय निकाय को सौंप दी गई थीं। अब सेवाओं का अनुरक्षण करने की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है।

[अनुवाद]

प्रशिक्षण और प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना

6318. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय संगठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुणे में यशदा स्थित आधुनिक और पूर्ण रूप से सुसज्जित प्राथमिक और प्रबंधन केन्द्र की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने चार करोड़ रुपए की आरम्भिक लागत पर ऐसे केन्द्र की स्थापना में केन्द्र सरकार के सहयोग और वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस केन्द्र की स्थापना में राज्य सरकार को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) इस मंत्रालय को यशादा, पुणे में 4.00 करोड़ रु. की आरंभिक लागत से एक प्रशिक्षण तथा प्रबंधन केन्द्र स्थापित करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा ठेकेदारों को फर्जी भुगतान

6319. श्री पुंजाजी सदाजी ठाकुर: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

असम में तूफान

6320. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में हाल ही में एक भारी तूफान आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य में हुई जान माल की हानि का आकलन करने हेतु कोई दल वहां भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य को इस संबंध में कितनी सहायता प्रदान की गई/किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) 22 अप्रैल, 2003 को असम के धुबी जिले के हथसिंगीमढी उप-मंडल के मनकाचार राजस्व सर्किल में कालापानी क्षेत्र में जबरदस्त चक्रवाती तूफान आया।

(ख) और (ग) इस तूफान में 35 व्यक्तियों की जानें गई, 1500 व्यक्ति जख्मी हुए जिनमें से 150 व्यक्ति गम्भीर रूप से जख्मी हुए, 517 जानवर मारे गए छोटी-बड़ी 1340 मुर्गियां मारी गई और लगभग 2000 मकान पूरी तरह/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। राज्य सरकार ने कुल अनुमानित हानि लगभग 2 करोड़ रु. की बतायी है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है और राज्य सरकार ने केन्द्रीय दल के दौरे का आग्रह नहीं किया है।

(घ) सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जो उस क्षेत्र में थे, बचाव अभियान चलाए और प्रभावित लोगों के लिए लंगर और टेन्ट लगाए। राज्य सरकार ने 5 चिकित्सा दल भेजे और गम्भीर रूप से जख्मी व्यक्तियों को जिला अस्पतालों में स्थानान्तरित किया गया। राज्य सरकार द्वारा राहत सामग्री भी वितरित की गई। वर्ष 2003-04 के लिए राज्य सरकार के लिए आपदा राहत निधि आवंटन 117.49 करोड़ रु. का है, जिसमें केन्द्र सरकार 75% धन राशि देती है। राहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) में पर्याप्त धनराशि है।

सरकारी अधिकारियों के सरकारी और आवासी परिसरों पर सी.बी.आई. के छापे

6321. श्री एन. जर्नादन रेड्डी: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सी.बी.आई ने हाल ही में अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के सरकारी और आवासीय परिसरों पर छापे मारे और उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि मुंबई के अतिरिक्त आयकर-आयुक्त के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मार्च, 2003 में एक मामला दर्ज किया गया था;

(घ) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया और कितने मामले दर्ज किए गए;

(च) अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसंपत्ति रखने के दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(छ) क्या ऐसे अधिकारियों के पूर्ववृत्त को, उनके उच्च पदों पर पदोन्नति और संवेदनशील स्थानों पर तैनाती से पूर्व केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त द्वारा सत्यापित और स्वीकृत कर दिया गया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने यह सूचित किया है कि उसने हाल ही में एक विशेष अभियान चलाया था जिसमें उसने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध 32 मामले दर्ज किए। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध उपर्युक्त मामले, उनके द्वारा अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति रखे जाने तथा अपने पद का दुरुपयोग किए जाने के आरोपों पर दर्ज किए गए।

(ग) और (घ) जी, हां। अपर आयकर-आयुक्त, मुम्बई द्वारा अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति रखे जाने के कारण, भ्रष्टाचार-निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड-संहिता के अनुसार उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है।

(ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष 2000, वर्ष, 2001 और वर्ष, 2002 के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति रखे जाने के क्रमशः 79 मामले, 88 मामले और 116 मामले दर्ज किए हैं।

(च) मामले की छानबीन करने वाला अभिकरण, उपर्युक्त छान-बीन की रिपोर्ट और कानूनी सलाह के आधार, दोषी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमित विभाग कार्रवाई किए जाने अथवा मुकदमा चलाए जाने की सिफारिश करता है। संबंधित विभाग द्वारा दोषी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दिए जाने पर मामले के बारे में निर्णय, न्यायालय द्वारा ही दिया जाना अपेक्षित होता है। अनुशासनिक कार्यवाही पूरी हो जाने पर, संबंधित, मंत्रालय/विभाग को ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी पर कोई शास्ति लगाए जाने अथवा कोई अन्यथा कार्रवाई किए जाने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होता है।

(छ) और (ज) सरकार के अनुदेशों के अनुसार, विभागीय पदोन्नति-समिति द्वारा उन अधिकारियों के बारे में अपनी सिफारिशें, मुहरबंद लिफाफे में रखी जानी अपेक्षित होती हैं, जिनकी पदोन्नति होनी हो परन्तु जो सतर्कता की दृष्टि से निष्कलुष-अनुमोदित नहीं हों। उपर्युक्त मुहरबंद लिफाफे, संबंधित अधिकारी के सतर्कता की दृष्टि से निष्कलुष-अनुमोदित घोषित किए जाने के बाद ही खोले जाते हैं।

उर्वरकों की प्रचालन संबंधी लागत तथा उत्पादन क्षमता

6322. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2002-2003 के दौरान देश में उर्वरक उद्योग की प्रचालन संबंधी लागत और उत्पादन क्षमता की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) और (ख) यूरिया इकाईयों के प्रतिधारण मूल्य (उत्पादन लागत जमा शुद्ध पूंजी पर कर पश्चात 12 प्रतिशत लाभ), 1.7.1997 से 31.3.2000 और 1.4.2000 से 31.3.2003 तक की अवधि को शामिल करते हुए सातवीं और आठवीं मूल्य निर्धारण अवधियों के लिए नीति मानदण्डों के आधार पर दिनांक 1.7.1997 से संशोधित किए गये थे। इन मानदण्डों को सरकार द्वारा दिनांक 16.5.2002 को अनुमोदित किया गया और दिनांक 4.6.2002 को यूरिया इकाईयों को सूचित किया गया था। सातवीं और आठवीं मूल्यक निर्धारण अवधियों के लिए अनुमोदित नीति मानदण्डों के एक अंग के रूप में अलग समिति पद्धति के आधार पर दिनांक 1.4.2000 से 20 यूरिया इकाईयों की संयंत्र क्षमताओं का पुनआर्कलन किया गया था।

प्रतिधारण मूल्य योजना को दिनांक 1.4.2003 से नयी मूल्य निर्धारण योजना द्वारा प्रति स्थापित किया गया था। नयी मूल्यक निर्धारण योजना का कार्यान्वयन चरणों में किया जाएगा। चरण-I दिनांक 1.4.2003 से 31.3.2004 तक एक वर्ष की अवधि का होगा। चरण-II दिनांक 1.4.2004 से 31.3.2006 तक की 2 वर्ष की अवधि का होगा। पश्चातवर्ती चरणों की रूपात्मकताओं का निर्णय चरण-I और चरण-II के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के पश्चात लिया जाएगा।

नयी मूल्य निर्धारण योजना का लक्ष्य यूरिया इकाईयों को राज सहायता के संवितरण में और अधिक पारदर्शिता, दक्षता और समानता लाना तथा उन्हें स्वयं की ओर से लागत कटौती उपाय करने व प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रेरित करना है।

तालाब और टैंकों से गाद निकाला जाना

6323. श्री रामजी मांझी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्थायी समिति की वर्ष 2002 की रिपोर्ट सं. 33 के अनुसार सभी गांवों के तालाबों और टैंकों की गाद निकालने का विगत में निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने तालाबों और टैंकों से गाद निकाला गया;

(ग) क्या गांवों के तालाब और टैंक अब भी गाद से भरे हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तालाबों को भरकर उन पर अवैध कालोनियां बस गई हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (घ) भूमि संसाधन विभाग, विकास मंत्रालय ने वर्ष 2002-2003 के दौरान गांव स्तर पर तालाबों/टैंकों की गाद निकाल कर जल संग्रहण के परम्परागत स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए एक बार की जाने वाली क्रिया के रूप में एक अभियान चलाया था। राज्य सरकारों द्वारा इस अभियान को ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत जारी की गई निधियों का उपयोग करके जिला प्राधिकारियों के जरिए चलाया जाना था। यह भूमि संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास मंत्रालय का कोई अलग कार्यक्रम/योजना नहीं थी और न ही इस प्रयोजन के लिए अलग से निधियों का कोई आबंटन किया गया था।

(ङ) और (च) चूंकि भूमि एक राज्य विषय है, अत: सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण के संबंध में कार्रवाई संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा की जानी होती है।

सर्व शिक्षा अभियान

6324. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत सभी गांवों को कवर करने वाली महत्वाकांक्षी योजना सभी राज्यों से प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ओर इसमें चूक करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं; और

(घ) इस योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्यों को पर्याप्त धन निर्गत करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) अभी तक 438 जिलों से संबद्ध योजनाएं प्राप्त हुई हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शेष जिले अभी योजनाएं तैयार कर रहे हैं।

(घ) देश के कुल 600 जिलों में से 592 जिलों की वार्षिक योजनाओं को 2002-03 के दौरान 3080 करोड़ रु. के परिव्यय के लिए अनुमोदित किया गया है।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त परिप्रेक्ष्यगत योजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	ऐसे जिलों की संख्या जिनके लिए परिप्रेक्ष्यगत योजना प्राप्त हुई है
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	2
3.	असम	23	23
4.	बिहार	37	37
5.	छत्तीसगढ़	16	शून्य
6.	गोवा	2	शून्य
7.	गुजरात	25	25
8.	हिमाचल प्रदेश	12	12
9.	हरियाणा	19	19

1	2	3	4
10.	झारखंड	22	22
11.	जम्मू और कश्मीर	14	शून्य
12.	केरल	14	14
13.	कर्नाटक	27	27
14.	मध्य प्रदेश	45	45
15.	मणिपुर	9	शून्य
16.	मेघालय	7	शून्य
17.	मिजोरम	8	शून्य
18.	महाराष्ट्र	35	6
19.	नागालैंड	8	शून्य
20.	उड़ीसा	30	10
21.	पंजाब	17	17
22.	राजस्थान	32	शून्य
23.	सिक्किम	4	4
24.	तमिलनाडु	29	29
25.	त्रिपुरा	4	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	70	70
27.	उत्तरांचल	13	13
28.	पश्चिम बंगाल	20	19
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	शून्य
30.	चण्डीगढ़	1	1
31.	दादरा और नगर हवेली	1	शून्य
32.	दमन और दीव	2	शून्य
33.	दिल्ली	9	शून्य
34.	लक्षद्वीप	1	शून्य
35.	पांडिचेरी	4	शून्य
	कुल	600	438

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरकों का उत्पादन

6325. डा. सुशील कुमार इंदौरा:
श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि देश में रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन में ईंधन के तौर नाफ्था तेल, कुकिंग गैस, एलपीजी तथा अन्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन रसायन उर्वरक उत्पादक इकाईयों का प्रतिशत कितना है जिनमें उक्त पदार्थों का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है;

(ग) ईंधन के तौर पर उपर्युक्त ईंधनों में से प्रत्येक के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप वर्ष 2002-2003 के दौरान प्रत्येक रसायन उर्वरक की अलग-अलग औसत उत्पादन लागत क्या रही; और

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान कुल उत्पादन लागत में ईंधन की औसत अनुमानित लागत क्या रही?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) जी हां। कतिपय रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन के लिए नेफ्था, ईंधन तेल (एफ ओ), प्राकृतिक गैस तथा लो सल्फर हैवी स्टाक (एलएसएचएस) और कोयला जैसे अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है।

(ख) दिनांक 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार यूरिया उत्पादन की कुल 213.26 लाख मी. टन क्षमता में से 61.46 प्रतिशत प्राकृतिक गैस, 26.25 प्रतिशत नेफ्था और 12.29 प्रतिशत एफओ/एलएसएचएस पर आधारित थी।

(ग) उत्पादन की लागत और भिन्न-भिन्न फीड स्टाक यूरिया इकाईयों के लिए यूरिया इकाईयों हेतु नियामक और वास्तविक आधार पर संगणित शुद्ध पूंजी पर कर पश्चात 12 प्रतिशत लाभ शामिल करते हुये दिनांक 1.4.2002 को प्रतिधारण मूल्य गैस, नेफ्था और एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाईयों के लिये क्रमश: 6499 रु. प्रति मी. टन, 12190 रु. प्रति मी. टन और 11,200 रु. प्रति मी. टन है 1 ये मूल्य वर्ष 2002-03 के दौरान परिवर्ती लागत आदि में वृद्धि/कमी के कारण होने वाले परिवर्तनों के अध्यधीन हैं।

(घ) दिनांक 1.4.2002 के अनुसार यूरिया के उत्पादन में उपयोग की गयी ऊर्जा (फीड स्टाक, ईंधन, खरीदी गयी बिजली और औद्योगिक पानी सहित) की औसत लागत गैस, नेफ्था और एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाईयों के लिए क्रमशः 3673 रु., 8751 रु. और 8194 रु. प्रति मी. टन है।

[अनुवाद]

अयोग्य व्यक्तियों द्वारा दवाओं की सप्लाई

6326. श्री के.ई. कृष्णमूर्तिः क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि दवाओं की सप्लाई भेषज की जानकारी न रखने वाले अयोग्य भेषज भिन्न व्यक्तियों द्वारा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि रसायन और उर्वरक स्थायी समिति भी शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर खोलने के संदर्भ में दवाओं की सप्लाई में अयोग्य व्यक्तियों के प्रवेश की तरफदारी कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में संशोधन करने और रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को दिशा प्रदान करने संबंधी नियम बनाने का है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को भेषज परिषद से इस मुद्दे पर कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) और (ख) औषध और सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार औषधों की बिक्री का पर्यवेक्षण पंजीकृत फार्मासिस्टों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2001) (13वीं लोक सभा) ने औषधों/भेषजों की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण से संबंधित अपनी 15वीं रिपोर्ट में औषधों का वितरण सार्वजनिक वितरण योजना के माध्यम से करने और पंजीकृत फार्मासिस्टों की जरूरत समाप्त करने की सिफारिश की है। तथापि, नियमावली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) जी, हां। भारतीय फार्मेसी परिषद ने बगैर पंजीकृत फार्मासिस्टों के औषधों की बिक्री वितरण की अनुमति देने के किसी ऐसे प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है।

(छ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

आवंटियों द्वारा अनधिकृत निर्माण और बाड़ लगाना

6327. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिकः क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 17.12.2002 के अल्प सूचना प्रश्न डायरी संख्या 31 और 30.4.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5437 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आर.के. पुरम में कितने आवंटियों के विरुद्ध सरकारी आवास (दिल्ली में सामान्य पूल) आवंटन, नियम 1963 का उल्लंघन करने के लिए अब तक कार्रवाई की गयी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे अधिकांश आवंटियों ने अपने कमाऊ बच्चों के साथ आवास को साझा करके अथवा अतिरिक्त कमरा बना करके और उसे अतिरिक्त कमरा बना करके और उसे किराया पर देकर आवंटन नियमों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे आवंटियों के विरुद्ध कार्रवाई को लम्बित रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उपरोक्त दोनों प्रश्नों के दिए गए उत्तर परस्पर विरोधी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ङ) एस आर 317-बी 21 के उपबंधों के अनुसार यदि कोई अधिकारी, जिसे मकान आबंटित किया गया है वह मकान के किसी भी हिस्से में अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण करता है तो संपदा निदेशालय द्वारा उसका आबंटन रद्द कर दिया जाएगा।

इस संबंध में विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और पूरे मामले पर एक समग्र नीति तैयार की जा रही है। नीति तैयार होने तक दोषी आबंटितियों के विरुद्ध कार्रवाई स्थगित रखने का निर्णय किया गया है।

भूमि का अधिग्रहण

6328. श्री शिवराजसिंह चौहान: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 10.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3246 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सूचना को कब तक एकत्रित किए जाने और सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, उत्तर प्रदेश से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए लगातार संयुक्त प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार को अनेक पत्र और अनुस्मारक भेजे गये ताकि आश्वासन को पूरा करने में शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग को समर्थ बनाया जा सके।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना (इनपुट्स) की प्राप्ति के लिए प्रयास किये जाएंगे और जैसे ही अपेक्षित सूचना (इनपुट्स) उपलब्ध होंगी, सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बी.सी.सी.एल. के मानचित्र

6329. प्रो. रीता वर्मा: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झरिया क्षेत्र में भू-धसान नियंत्रण और प्रबंधन हेतु तकनीकी के समेकित विकास के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव में भी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों के उपलब्ध मानचित्र पर संदेह किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्ताव में भू-धसान और प्रबंधन के तकनीकी विकास के लिए पूर्ण शुद्धता वाले मानचित्र तैयार करने हेतु सुझाव देने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) सरकार को प्रस्तुत की गयी किसी योजना में खान नक्शों की परिशुद्धता के बारे में सन्देह करते हुए भारत कोकिंग कोल लि. के प्रबन्धन द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, पुरानी तथा परित्यक्त खानों के सम्बन्ध में जिनकी खदाने अगम्य हैं, परिशुद्धता निश्चित नहीं है। जहां भी पुरानी खदानें गम्य हैं वहां नक्शों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीएल ने जांच सर्वेक्षण कर लिए हैं।

(ग) पूर्ण शुद्धता वाले नक्शे तैयार करने के लिए बीसीसीएल ने कोई सुझाव नहीं दिया है। खान की परित्यक्त तथा अगम्य खदानों के पुराने खान नक्शों की शुद्धता की जांच करने के लिए वर्तमान में कोई पद्धति उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

भूकंप संबंधी वेधशाला की स्थापना

6330. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार का विचार देश में अत्याधुनिक भूकंप संबंधी वेधशाला की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) महोदय, भारत मौसम विभाग (आईएमडी), जो भूकंप विज्ञान के लिए नोडल एजेंसी है, द्वारा देश में 51 भूकंप विज्ञान संबंधी वेधशालाओं के एक नेटवर्क का अनुरक्षण और संचालन किया जाता है। इन 51 वेधशालाओं में से 24 का हाल ही में अधुनातन डिजिटल उपकरणों से स्तरोन्नयन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 44 अधुनातन भूकंपीय वेधशालाएं भी देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान हेतु परियोजना मोड में चलाई जा रही हैं, जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अनधिकृत निर्माण

6331. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मंत्रियों के बंगलों में अनधिकृत निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनधिकृत निर्माणों के रूप में अब तक पहचाने गये बंगलों और ढहाये गये बंगलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्धारित अवधि से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शेष बंगलों को न ढहाने का क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार मंत्रियों के बंगलों में अनधिकृत निर्माणों को ढहाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) मंत्रियों के बंगलों में अनधिकृत निर्माणों के अनेक मामले सम्पदा निदेशालय को सूचित किये गये हैं।

(घ) से (छ) सम्पूर्ण मामले पर एक नीति बनाई जा रही है और यह निर्णय लिया गया है कि तब तक अनधिकृत निर्माणों को गिराये जाने को आस्थगित रखा जायेगा।

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण

6332. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998 में सरकार को प्रस्तुत की गयी यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिवर्ष जन्म के अधिकांश मामले अपंजीकृत रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) देश में जन्म पंजीकरण के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(घ) सरकार ने लोगों में इस संबंध में जागरुकता लाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या टेलीफोन द्वारा जन्म/मृत्यु के पंजीकरण का प्रावधान भी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रभावी बनाये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ग) लगभग 106 लाख जन्म जोकि कुल जन्मों का 41 प्रतिशत बैठता है, प्रतिवर्ष रजिस्ट्रीकरण से वंचित रह जाते हैं। इस संबंध से ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) (1) इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार तथा इस प्रयोजनार्थ राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता।

(2) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे प्रशिक्षणों के लिए राज्यों को सहायता भी प्रदान की जा रही है।

(3) आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के कार्य में आधार स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे कि आंगनबाड़ी कार्मियों, सहायक दाइयों, पंचायत के सदस्यों आदि तथा गैर सरकारी संगठनों को अधिक से अधिक शामिल किया जा रहा है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते है।

विवरण

जन्मों की अनुमानित और रजिस्टर की गई संख्या राज्य और संघ राज्यक्षेत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष	अनुमानित संख्या (हजार में)	रजिस्टर की गई संख्या (हजार में)	रजिस्टर किए गए जन्मों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
	भारत*	2001	25977	15391	59.2
	राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	2001	1578	881	55.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1999	24	19	81.7

1	2	3	4	5	6
3.	असम	2000	710	275	38.7
4.	बिहार	1995	2968	555	18.7
5.	छत्तीसगढ़	2001	549	306	55.8
6.	गोवा	2000	19	23	लगभग शतप्रतिशत
7.	गुजरात	2000	1256	1115	88.8
8.	हरियाणा	2001	568	417	73.5
9.	हिमाचल प्रदेश	2001	128	134	लगभग शतप्रतिशत
10.	जम्मू और कश्मीर	2000	195	133	68.1
11.	झारखंड		बिहार में शामिल है		
12.	कर्नाटक	2001	1176	866	73.6
13.	केरल	2000	567	594	लगभग शतप्रतिशत
14.	मध्य प्रदेश	2001	873	716	38.2
15.	महाराष्ट्र	2000	2008	1828	91.1
16.	मणिपुर	2000	43	20	46.9
17.	मेघालय	2000	65	47	72.2
18.	मिजोरम	2001	14	20	लगभग शतप्रतिशत
19.	नागालैंड	1994	25	24	94.6
20.	उड़ीसा	2001	862	711	82.4
21.	पंजाब	2000	518	478	92.2
22.	राजस्थान	2001	1766	700	39.6
23.	सिक्किम	2000	11	9	80.0
24.	तमिलनाडु	2000	1192	1115	93.5
25.	त्रिपुरा	2000	53	34	65.2
26.	उत्तर प्रदेश	1999	5242	2199	42.0
27.	उत्तरांचल		उत्तर प्रदेश में शामिल है		
28.	पश्चिम बंगाल	1999	1627	1599	98.3

1	2	3	4	5	6
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2001	6	6	लगभग शतप्रतिशत
2.	चण्डीगढ़	1999	15	19	लगभग शतप्रतिशत
3.	दादरा और नगर हवेली	2000	7	6	84.1
4.	दिल्ली	2001	4	4	लगभग शतप्रतिशत
5.	दमन और दीव	2000	273	317	लगभग शतप्रतिशत
6.	लक्षद्वीप	1998	1	1	91.0
7.	पांडिचेरी	2000	17	41	लगभग शतप्रतिशत

टिप्पणी: छोटे राज्यों में रजिस्ट्रीकरण का स्तर काफी ऊंचा है इसके कारण क्षेत्र के सामान्य निवासियों से संबंधित जन्मों की अनुमानित संख्या दी गई है जबकि रजिस्टर किए गए जन्मों की संख्या वह दी गई है जो जन्म उक्त क्षेत्र में हुए हैं।

* ऐसे राज्यों के संबंध में जहां नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं है वर्ष 2001 की रजिस्टर हुई जन्मों की संख्या को पिछले वर्षों के रजिस्ट्रीकरण के स्तर के आधार पर प्रक्षिप्त किया गया है।

[हिन्दी]

पेयजल संकट

6333. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और केन्द्र सरकार पेयजल योजना संकट से निपटने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) शहरी जलापूर्ति राज्य का विषय है। अत: अपने-अपने क्षेत्र में जलापूर्ति सविधाओं की योजना बनाना, तैयार करना, कार्यान्वयन, परिचालन तथा अनुरक्षण करना अपनी-अपनी राज्य योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान करना संबंधित राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। तथापि, राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग देने के लिए भारत सरकार ने 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से आबादी वाले कस्बों के लिए जलापूर्ति स्कीमें कार्यान्वित करने हेतु 1993-94 में केन्द्र प्रवृर्तित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम शुरू किया था और केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में धनराशि राज्य सरकारों को मुहैया कराई जाती है।

राज्य स्तर पर सर्वेक्षण करने के बाद राज्य सरकारें कस्बों की पहचान करती और जलापूर्ति स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करती है तथा प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए उसे राज्य स्तर चयन समिति के समक्ष रखती है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, मध्य प्रदेश सरकार ने एयूडब्ल्यूएसपी के तहत 75 कस्बों के लिए जलापूर्ति स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पेश की थीं। विवरण I में दिए ब्यौरे के अनुसार 6322.79 लाख रु. की अनुमानित लागत पर 51 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अनुमोदित की गई थी। 3673.71 लाख की अनुमानित लागत की 24 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें राज्य सरकार को लौटा दी गई थी जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया है। राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्टें लौटा दिए जाने के कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें एयूडब्ल्यूएसपी मानदण्डों के अनुसार तैयार नहीं की गई थीं और उनमें तकनीकी विवरण की कमी थी।

(2) कुछ मामलों में बार-बार अनुस्मारक दिए जाने के बाद भी राज्य सरकार ने तकनीकी टिप्पणियों का अनुपालन नहीं किया था।

विवरण I

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

राज्य: मध्य प्रदेश

गत 3 वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं (स्थिति: 30.04.2003)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	जनसंख्या (1991 जनगणना)	स्वीकृति तारीख माह/वर्ष	परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6
1.	बाड़गांव	टीकमगढ़	7106	जनवरी, 2001	64.76
2.	जीरोन खालसा	टीकमगढ़	6279	जनवरी, 2001	70.75
3.	बेहर	बालाघाट	13442	जनवरी, 2001	200.30
4.	कोटी	सतना	11188	जनवरी, 2001	44.20
5.	खुजंर	राजगढ़	7672	जनवरी, 2001	222.75
6.	जीरापुर	राजगढ़	12311	जनवरी, 2001	114.15
7.	राहतगढ़	सागर	19955	जनवरी, 2001	185.20
8.	मुंगोली	गुना	18047	जनवरी, 2001	263.66
9.	कुरवई	विदिशा	10535	फरवरी, 2001	124.85
10.	बेरासिया	भोपाल	17890	मई, 2002	50.54
11.	पंचावा	खंडवा	9430	अगस्त, 2002	65.75
12.	बांगली	देवास	8537	सितम्बर, 2002	51.00
13.	भौरासा	देवास	9576	सितम्बर, 2002	66.11
14.	खारगापुर	टीकमगढ़	9843	अक्तूबर, 2002	84.90
15.	लोहरवा	देवास	6713	अक्तूबर, 2002	64.69
16.	उन्हेल	उज्जैन	9890	नवम्बर, 2002	418.54
17.	बदावडा	रतलाम	5917	नवम्बर, 2002	67.30
18.	पीपलोदा	रतलाम	6258	नवम्बर, 2002	57.88
19.	मानपुर	इंदौर	6983	नवम्बर, 2002	160.41
20.	ताल	रतलाम	10331	नवम्बर, 2002	67.06
21.	बड़गांव	शाजापुर	5636	दिसम्बर, 2002	70.38
22.	कनाड	शाजापुर	6442	दिसम्बर, 2002	68.58

1	2	3	4	5	6
23.	राजपुर	बदवानी	14396	दिसम्बर, 2002	408.78
24.	मनसा	नीमच	19036	दिसम्बर, 2002	413.76
25.	सिंगोली	नीमच	6602	दिसम्बर, 2002	37.01
26.	जीरन	नीमच	9321	दिसम्बर, 2002	56.79
27.	रतनगढ़	नीमच	5811	दिसम्बर, 2002	51.58
28.	पोलैकलां	शाजापुर	8861	दिसम्बर, 2002	71.20
29.	सतवास	देवास	8219	जनवरी, 2003	64.00
30.	खंड	शहदोल	8225	जनवरी, 2003	57.57
31.	मकसी	शाजापुर	14430	जनवरी, 2003	325.20
32.	अकोड़िया	शाजापुर	8347	जनवरी, 2003	96.00
33.	लाहार	भिंड	18650	जनवरी, 2003	161.84
34.	आलमपुर	भिंड	7728	जनवरी, 2003	83.24
35.	राजगढ़	राजगढ़	18689	जनवरी, 2003	190.17
36.	पिप्लगा मंडी	मंदसौर	10483	जनवरी, 2003	166.61
37.	रामपुर	नीमच	15848	जनवरी, 2003	110.50
38.	पेटलवाड़	झाबुआ	10631	जनवरी, 2003	17.44
39.	नारायणगढ़	मंदसौर	9622	जनवरी, 2003	227.84
40.	वीकन	नीमच	6030	जनवरी, 2003	135.20
41.	जावर	सिंहौर	5669	जनवरी, 2003	57.60
42.	मलहारगढ़	मंदसौर	7349	फरवरी, 2003	61.00
43.	करेरा	शिवपुरी	17413	मार्च, 2003	267.63
44.	नामली	रतलाम	6697	मार्च, 2003	103.85
45.	बक्सावाहा	छतरपुर	7447	मार्च, 2003	109.40
46.	पिछोरी	ग्वालियर	9595	मार्च, 2003	67.07
47.	बिलवा	ग्वालियर	10288	मार्च, 2003	69.30
48.	मऊ	भिंड	13747	मार्च, 2003	108.40
49.	मेहगांव	भिंड	11417	मार्च, 2003	110.76
50.	अंतरी	ग्वालियर	8840	मार्च, 2003	57.66
51.	सतई	छतरपुर	6606	मार्च, 2003	62.91
	कुल		219981		6322.79

विवरण II

त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम

राज्य: मध्य प्रदेश

क्र. सं.	कस्बे का नाम	जिला	अनुमानित लागत (लाख रु.)
1.	बरेला	जबलपुर	229.26
2.	छिछली	नरसिंहपुर	38.73
3.	करेली	नरसिंहपुर	99.80
4.	गोटेगांव	नरसिंहपुर	94.70
5.	पाली	उमरिया	257.00
6.	नौरोजाबाद	उमरिया	252.00
7.	मऊगंज	रेवा	183.21
8.	शप्पूर	शप्पूर	58.00
9.	अजयगढ़	पन्ना	99.00
10.	बाम्हानी बंजार	मंडला	49.35
11.	गुरह	रेवा	86.00
12.	काकरहाटी	पन्ना	66.00
13.	नईगढ़ी	रेवा	118.3
14.	मछदलपुर	राजगढ़	112.00
15.	गढ़ी मलहार	छत्तरपुर	245.00
16.	हिन्दोरिया	दामोह	248.00
17.	जयसिंह नगर	शाहदोल	60.00
18.	सोनकच्छ	देवास	96.76
19.	मानपुरा	मंदसौर	37.6
20.	बडा मलहार	छत्तरपुर	229.00
21.	पवई	पन्ना	144.00
22.	अलोट	रतलाम	493.00
23.	खिलचीपुर	राजगढ़	142.00
24.	अमनगंज	पन्ना	133.00
			3673.71

[अनुवाद]

पुस्तकों की नीलामी

6334. डा. वी. सरोजा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज की दुर्लभ पुस्तकों की हाल में नीलामी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल में गैस रिसाव

6335. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत फरवरी माह में भोपाल शहर में तरूण पुस्कर स्वीमिंग पूल के निकट क्लोरीन गैस रिसाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) गैस रिसाव के क्या कारण हैं और उस शहर के मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) गैस पीड़ितों को किस तरह का उपचार उपलब्ध कराया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रकाश तरुण पुस्कर, भोपाल के फिल्टर संयंत्र में 25.2.2003 को अचानक क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था। यह संयंत्र तुलसी नगर में स्थित है। इस गैस रिसाव से कुछ व्यक्ति प्रभावित हुए थे जिनका जय प्रकाश अस्पताल में तुरंत उपचार किया गया था।

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी

6336. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी) में निहित औषध मूल्यन प्रणाली जनविरोधी है जिसे वहनीय बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मूल्य निर्धारण तंत्र को अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए और सरकार एनपीपीए को सरकारी हस्तक्षेप से हटाकर इसे एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि एनपीपीए के अंतर्गत निमेसूलाइड जैसी आम दवा को 1400% से भी अधिक लाभ मार्जिन पर बेचा जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं और ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) से (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अंतर्गत जारी औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1955 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधियों तथा सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

(ङ) और (च) प्रपुंज औषध निमेसूलाइड तथा इसके सूत्रयोग डीपीसीओ, 95 के अंतर्गत गैर-अनुसूचीबद्ध हैं। विनिर्माताओं द्वारा गैर-अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान तथा विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पादन नवप्रवर्तन, उत्पाद गुणवत्ता इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए स्वयं निर्धारित किए जाते हैं।

अवैध निर्माण को हटाना

6337. श्री रामजी मांझी:
श्री पुंजाजी सदाजी ठाकुर:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 31.7.2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 1403 के उत्तर 14.3.2002 को इससे संबंधित आश्वासन को पूरा करने के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सैनिक फार्मों में अवैध निर्माणों को हटाने हेतु कार्रवाई करने के लिए समिति किस तरह से नीति बना रही है;

(ख) सी.पी.डब्ल्यू. संख्या 6734/2000-राजीव मल्होत्रा बनाम भारत संघ तथा अन्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा सभी स्थानीय निकायों को दिल्ली में उन अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु क्या निदेश जारी किए गए हैं जो कि भवन निर्माण उप-नियमों मास्टर प्लान, भूमि उपयोग आदि के वर्तमान अधिनियम/नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि सैनिक फार्म कालोनी के संबंध में याचिका सीडब्ल्यूपी सं. 6734/2000 राजीव मल्होत्रा बनाम सरकार का संघ तथा अन्य दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4.4.2003 को आदेश दिया जिसमें दिल्ली नगर निगम के आयुक्त से कहा गया है कि वे प्रस्तावित नीति के कार्यान्वयन के तरीके के संबंध में न्यायालय को बताएं तथा दिनांक 9.7.2001 का शपथ पत्र प्रस्तुत करें। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने समय सीमा बढ़ाने के लिए दिनांक 22.4.2003 को माननीय न्यायालय में शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया है।

(ग) सरकार दिल्ली में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने के लिए सभी स्थानीय निकायों से समय-समय पर दबाव डालती रही है।

[हिन्दी]

विज्ञान और धर्म

6338. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आधुनिक वैज्ञानिक संकल्पनाओं और सिद्धान्तों तथा प्राचीन भारतीय धर्म और दार्शनिक संपदा के बीच विशेष सहसंबंध को देखते हुए कोई अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की विज्ञान और धर्म के उपयुक्त समन्वय हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों के मध्य भारतीय आध्यात्मिकता के विचार को प्रचालित और प्रसारित करने की कोई ठोस योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा'): (क) और (ख) सरकार द्वारा प्राचीन भारतीय दर्शन में निहित वैज्ञानिक संकल्पनाओं के अन्वेषण पर सांस्थानिक कार्यक्रमों एवं व्यक्तिगत परियोजनाओं, दोनों को सहयोग प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) हमारी आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में निहित प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक संकल्पनाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक अत्यन्त प्रभावित हुए हैं और उन्होंने ऐसे विषयों पर कई लोकप्रिय पुस्तकें एवं लेख लिखे हैं।

काउंटर मैग्नेट सिटी प्रोजेक्ट

6339. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अहमदाबाद काउंटर मैग्नेट सिटी प्रोजेक्ट हेतु अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात सरकार को वर्ष-वार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत कुल कितने गांवों को शामिल किया जाना है और इस प्रयोजनार्थ कितने एकड़ भूमि को अधिग्रहीत किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अहमदाबाद की मलिन और झुग्गी बस्तियों की इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और उसमें किसी संशोधन की क्या संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) इस समय सरकार के पास ''अहमदाबाद काउंटर मैग्नेट सिटी प्रोजेक्ट'' के नाम से कोई परियोजना नहीं है।

मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम है जो पांच मेगा शहरों, नामत: मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में लागू है।

मेगा शहरों में अवस्थापना विकास के लिए अहमदाबाद शहर केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। अत: स्कीम के अंतर्गत अहमदाबाद नगर को धनराशि जारी नहीं की गई थी।

अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन

6340. **श्री अजय चक्रवर्ती**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों को 1996 के वेतनमानों की संशोधन संबंधी बकाया राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) जिन 23 राज्य सरकारों ने अपने यहां विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन के संबंध में भारत सरकार की स्कीम लागू की है उन्हें भारत सरकार ने कुल 1725.85 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता दी है (जो 1.1.96 से 31.3.2000 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत है)। इन 23 राज्यों में से अब तक 14 राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मणिपुर, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन्हें जो अनुदान मिले थे उनका पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। तथापि, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अनुदानों के पूर्ण उपयोग की अभी पुष्टि नहीं की है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्थानांतरण

6341. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों में कर्मचारियों के स्थानांतरण बहुत दूर के स्थानों पर किए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का राज्य के भीतर ही स्थानांतरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के स्थानांतरण संगठन के स्थानांतरण दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी विश्वविद्यालयों को मान्यता देना

6342. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
प्रो. ए.के. प्रेमाजम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विदेशी विश्वविद्यालयों और तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी संस्थाओं के व्यय और उनकी संख्या कितनी है जिन्होंने भारत में मान्यता हेतु एआईसीटीई को आवेदन किया है;

(ख) उन विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें भारत में कार्य करने हेतु एआईसीटीई द्वारा अनुमति दी गई है; और

(ग) भारत में कार्य करने हेतु इन संस्थाओं द्वारा क्या शर्तें पूरी की जानी हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, परिषद ने भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं संचालन के संबंध में हाल ही में विनियम जारी किए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इसकी रूपरेखा तैयार कर रही है।

शहरी जनसंख्या के लिए आवास

6343. श्री शिवराजसिंह चौहान: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहरी जनसंख्या के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) शहरी आबादी को आवास मुहैया कराने के लिए नयी स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

फौजदारी न्याय प्रणाली

6344. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री राममोहन गाइडे:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फौजदारी न्याय प्रणाली पर मलीमत समिति से रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किस सीमा तक सिफारिशों को स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 के विभिन्न उपबंधों में संशोधन करने की सिफारिशों के अलावा, समिति ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की छुट्टियों में कमी करने, मामलों के त्वरित और प्रभावी विचारण के उद्देश्य से विचारण प्रक्रिया में परिवर्तन करने, गम्भीर अपराध वाले मामलों में पीड़ित के उपस्थित होने और पर्याप्त मुआवजे के अधिकार, गवाहों के संरक्षण, बकाया मामले निपटाने संबंधी स्कीम, महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए उपाय, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I में अन्तर्राज्यीय और या अंतर्राष्ट्रीय/ट्रांसनेशनल विस्तारण वाले अपराधों को रोकने के लिए उपाय, अन्डरवर्ल्ड अपराधियों के विचारण के लिए फैडरेल न्यायालयों की स्थापना, अधिक अपराधों को अभिसंधेय बनाने, संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों के बीच अन्तर को समाप्त करने के सुझाव दिए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि दाण्डिक कानून और दण्ड प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आते है, अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करना अपेक्षित है।

श्रम-आयोग की सिफारिशें

6345. श्री कैलाश मेघवाल: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम-आयोग ने वर्तमान राष्ट्रीय अवकाशों को कम करने तथा कार्य-घंटों को बढ़ाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ग) इस बारे में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय श्रम-आयोग की सिफारिशें	स्थिति
(क) केन्द्रीय सरकार और सभी राज्य-सरकारें, छुट्टियों के बारे में एक-सी नीति रखें।	(क) अपने-अपने राज्य में रखी जाने वाली कुल छुट्टियों की संख्या में बारे में निर्णय, संबंधित राज्य-सरकार द्वारा ही लिया जाना अपेक्षित होता है, क्योंकि यह मसला पूरी तरह उनके ही अधिकार-क्षेत्र में आता है।
(ख) 03 राष्ट्रीय राजपत्रित अवकाश अर्थात् स्वतंत्रता-दिवस, गणतंत्र-दिवस और 02 अक्तूबर को गांधी जयन्ती के अवकाश ही रखे जाएं।	(ख) और (ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग ने मोटे तौर पर एक-सी ही सिफारिशें की हैं और उनसे पड़ने वाले प्रभाव ध्यान में रखते हुए उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। छुट्टियां रखे जाने से संबंधित नीति की कालान्तर में समीक्षा की गई और 1960 में मौजूद 23 छुट्टियां, लगातार घटाए जाने से, शनिवार और रविवार को पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, औसतन 13-14 छुट्टियों प्रति वर्ष तक ही रह गई हैं। इसलिए छुट्टियां रखे जाने से संबंधित नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा अपनी-अपनी परम्परा के अनुसार निश्चित की जाने वाली दो दिन की छुट्टियां और जोड़ी जाएं। इन छुट्टियों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में 10 वैकल्पिक छुट्टियां लेने दी जाएं जिन्हें कर्मचारी अपनी-अपनी परम्परा, धार्मिक अवसरों और अन्य अवसरों के अनुसार चुन सकें।	
(घ) सरकारी छुट्टियों, पराक्रम्य लिखत-अधिनियम के अनुसार की जाने वालीं छुट्टियों से असम्बद्ध कर दी जाएं।	(घ) औद्योगिक संस्थापनों सहित, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रखी जाने वालीं छुट्टियां प्रति वर्ष प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से अधिसूचित की जाती हैं, न कि पराक्रम्य लिखत-अधिनियम के अनुसार। संबंधित राज्य-सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अनुसार अधिसूचित की गई बैंकों में रखी जाने वाली छुट्टियां, विभिन्न राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष भर में की जाने वालीं 17 से 30 छुट्टियों की तुलना में वर्ष, 2002-2003 से घटाकर वर्ष भर में अधिकतम 15 दिन कर दी गई हैं।
(ङ) पांच कार्य-दिवस के सप्ताह के विकल्प के मामले में, यदि कोई छुट्टी पांच दिन के कार्य सप्ताह के दौरान पड़े तो शनिवार को कार्य-दिवस रखा जाए।	(ङ) पांच कार्य दिवस के सप्ताह की प्रणाली का चलन, संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की क्रियाविधि के अनुसार कर्मचारी-पक्ष से विधिवत् परामर्श करके इस स्पष्ट समझौते पर शुरू किया गया कि सप्ताह के कार्य के कुल घंटों में कोई कमी नहीं की जाएगी। यह, शनिवार की राजपत्रित छुट्टी से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिहाज से, प्रतिनिदन कार्य के घंटे बढ़ाकर सुनिश्चित किया गया। पहले, महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी होती थी।

[अनुवाद]

ड्रग्स फ्राम सी

6346. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''ड्रग्स फ्राम सी'' कार्यक्रम के अंतर्गत एंटी-डायबेटिक और एंटी-कोलेस्ट्राल के लिए कुछ प्रमुख यौगिकों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और औषधियों के लिए की गई क्लिनिकल परीक्षणों के क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा फंगस रोधी, कैंसर रोधी, स्पर्मीसीडल आदि का गुण रखने वाले जैव-सक्रिय यौगिकों की पहचान हेतु खोजपरक गतिविधियां जारी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) पोरिफेरा, कालेटेराटा, इकोनोडरमाटा और मोलस्का, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, साइनोफाइटा तथा कतिपय अन्य कच्छ वनस्पतियों वाले लगभग 500 समुद्री जीवों को एकत्र किया गया है। मधुमेह रोधी और कालस्टरल रोधी गुणों वाले जीवों की पहचान की गई है। चालू दसवीं योजना अवधि के दौरान विनियामक भेषज विज्ञानी और मधुमेह रोधी प्रमुख यौगिक तथा नैदानिक परीक्षणों सहित काल्टरल रोधी अणुओं की विषाक्तता संबंधी परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) कवक रोधी, केंसर रोधी, शुक्र/णुनाशक आदि जैव सक्रिय संभाव्यता वाले कुछ और जीवों का पता लगाने के लिए चालू दसवीं पंचवर्षीय योजना में अन्वेषी गतिविधियों को जारी रखा जा रहा हैं।

फार्म हाउस

6347. श्री शीश राम सिंह रवि: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 3 दिसंबर, 2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 2310 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचनाएं एकत्रित कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि संग्रहित की गई है, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सूचना मुहैया कराने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को समय-समय पर अनुस्मरण कराया गया है।

उड़ीसा में आई.सी.डी.एस.

6348. श्री परसुराम माझी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को कुल आवंटित धनराशि में से कितनी राशि राज्य के के.बी.के. जिलों में व्यय की गई है; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान उड़ीसा के उन क्षेत्रों में केन्द्रीय योजना के अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को समेकित बाल विकास सेवा स्कीम कार्यान्वित करने हेतु निर्मुक्त 22041.99 लाख रुपए में से 5283.84 लाख रुपए विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य के के.बी.के. जिलों पर व्यय किए गए।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र प्रायोजित आई.सी.डी.एस. स्कीम का उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में 7393 आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित 8 जिला प्रकोष्ठों एवं 82 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में प्रसार हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम 'उदिसा' के अंतर्गत, 3 आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र कार्यशील थे तथा 17 बाल विकास परियोजना अधिकारियों, 37 पर्यवेक्षकों, 912 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और 7298 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय की फाइलों की पुन: प्राप्ति

6349. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की कुछ फाइलों जिन पर न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखे थे अथवा जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया जाना था, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बल के छापों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के पास पाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उक्त फाइलों का ब्यौरा क्या है और ये फाइलें किन संगठनों से संबंधित है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित फाइलें भी इन आरोपी अधिकारियों के पास पाई गई थीं और दिल्ली उच्च न्यायालय को इन पर फैसला देना था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) सीबीआई ने सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की फाइलें, डीडीए के उपाध्यक्ष के पूर्व निजी सचिव श्री अशोक कपूर (वर्तमान में निलंबनाधीन), जो आरसीएसी 1-2003ए 0001 में आरोपी हैं, के कब्जे से उसकी मारूती वेन सं. डीएल-3 सी-ई-1560 में से 431 मथुरा रोड, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली में श्री धर्मबीर खट्टर (एक बाहरी व्यक्ति और इस मामले में दूसरा आरोपी) के कार्यालय परिसर के समीप बरामद की गई थी।

(ख) श्री अशोक कपूर से बरामद उच्च न्यायालय की फाइलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(1) सिविल स्यूट सं. 3038/1991-बिशन चंद बनाम अनिल कुमार और अन्य से संबंधित चार फोल्डर

(2) सिविल स्यूट सं. 718/2000-कमांडर जी.सी. मित्रा (सेवानिवृत्त) बनाम मैसर्स पीएएन अमेरिकन बिजनेस सोल्यूसंस प्रा.लि. से संबंधित तीन फोल्डर

(3) सिविल स्यूट सं. 821/84-दिनेश जैन, प्रोप. मैसर्ज डेल्टा एडहेसिव एंड केमिकल्स बनाम आईपीसीएल से संबंधित तीन फोल्डर

(4) सिविल स्यूट सं. 1875/1998-एनटीपीसी बनाम दिल्ली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एम्पलाइज से संबंधित तीन फोल्डर

(5) स्यूट सं. 1493/2002-आजाद सिंह बनाम डीडीए से संबंधित मसौदा आदेशों सहित एक लिफाफा।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख-V) के उत्तर में उल्लिखित एक लिफाफे के अलावा डीडीए, एनडीएमसी तथा शहरी विकास से संबंधित कोई अन्य फाइल श्री अशोक कपूर के कब्जे से बरामद नहीं की गई थी।

कोयला भंडार के ब्लॉकों का के.पी.सी.एल. को आबंटन

6350. श्री नरेश पुगलिया: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) के कोयला भण्डार के सात ब्लाक को बेल्लारी में बन रहे कर्नाटक पावर कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की आपूर्ति हेतु बंगाल ई.एम.टी.ए. को आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है और इस संबंध में समझौते की नियम और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इन कोयला ब्लाक की सेन्ट्रल इण्डिया पावर कंपनी को उनके प्रस्तावित भद्रावती विद्युत संयंत्र तथा एन.टी.पी.सी. को उनके प्रस्तावित 1000 मेगावाट विद्युत संयंत्र के लिए आबंटित किए जाने का प्रस्ताव था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक में विद्युत संयंत्र हेतु इन कोयला ब्लाक के डब्ल्यू.सी.एल. को आबंटन के बाद महाराष्ट्र में चन्द्रपुर जिले में प्रस्तावित विद्युत संयंत्र कोयला से वंचित रह जाएगा जिससे विद्युत का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) मैसर्स सेन्ट्रल इंडिया कोल कम्पनी (सीआईसीसीओ) को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा भद्रावती तापीय विद्युत (टीपीएस) चरण-I की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बरांज-I-IV मनोरा दीव तथा डब्ल्यू.सी.एल. स्थित किलोनी ब्लाकों को आवंटित किया गया था। तदनन्तर, निकट में आयुक्त कारखाना, चन्द्रपुर, संवेदनशील विस्फोटक के विनिर्माण होने के कारण, रक्षा मंत्रालय ने खनन के लिए विस्फोट प्रतिबन्धों को लागू कर दिया। मैसर्स सीआईसीसीओ ने उनको आवंटित कैप्टिव ब्लाकों में खनन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी।

(ङ) से (छ) आवेदकों को कैप्टिव माइनिंग ब्लाक स्क्रीनिंग कमेटी नामक एक अन्तर्मंत्रालीय समिति द्वारा आवंटित किए जाते हैं। इस समिति में विद्युत मंत्रालय के सदस्य तथा अन्य सदस्यों के साथ-साथ सम्बन्धित राज्य सरकारों के सदस्य शामिल होते हैं। कर्नाटक विद्युत कम्पनी लि. के प्रस्ताव में 7 कोयला ब्लाकों का

आवंटन शामिल है। मामले पर स्क्रीनिंग कमेटी की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय उक्त समिति द्वारा अभी किया जाना है।

इफको द्वारा बीमा कारोबार

6351. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (इफको) ने बीमा कारोबार में उद्यम करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): (क) और (ख) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको), कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) और इंडियन पोटाश लि. (आई पी एल) ने टोकियो मेरिन एण्ड फायर इंश्योरेंश कम्पनी, जापान के सहयोग से 8 सितम्बर, 2000 को इफको-टोकियो जनरल इश्योरेंश कम्पनी लि. (आईटीजीआई) के नाम से एक संयुक्त उद्यम कम्पनी निगमित की है। इस कम्पनी ने बीमा कारोबार शुरू करने के लिये कम्पनी पंजीयक से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है और 4 दिसम्बर, 2000 को बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण से लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया है।

इस संयुक्त उद्यम भागीदारी में इफको (49 प्रतिशत) टोकियो मेरिन एण्ड फायर इंश्योरेंश कम्पनी (26 प्रतिशत) कृभको (20 प्रतिशत) और इंडियन पोटाश लि. (5 प्रतिशत) की शेयर धारिता है।

यह बीमा कम्पनी इसके निगमन के समय से ही प्रचालनरत है।

दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण

6352. श्री रामजी मांझी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 14 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 3512 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31.7.2001 के सी.डब्ल्यू. संख्या 725/1994 में पारित आदेश की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को हटाने के लिए मुख्य सचिव, दिल्ली और आयुक्त दिल्ली नगर निगम द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) जी, हां। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी.डब्ल्यू. सं. 725/1994-तथा क्वाइट फ्लोज मैली यमुना बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य में पारित दिनांक 31.7.2001 के अपने आदेश में मुख्य सचिव, दिल्ली एवं आयुक्त, नगर निगम दिल्ली (एम.सी.डी.) को दिल्ली में अतिक्रमण किए गए क्षेत्रों तथा काफी वृद्धि हुई अनधिकृत/अवैध निर्माणों को हटाने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए हलफनामा फाईल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव दिल्ली एवं आयुक्त, दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण किए गए क्षेत्रों तथा अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामें दायर कर दिए थे।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं हेतु कल्याण कोष

6353. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और हैल्परों के लिए कल्याण कोष गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से आंगनवाड़ी कल्याण कोष गठित करने हेतु धनराशि आबंटित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा): (क) से (घ) केन्द्रीय स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के लिए कल्याण कोष बनाने का समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, एक कल्याणकारी उपाय के रूप में राज्यों से आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं और राज्य सरकारों के अंशदान के राज्य स्तर पर 'आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका कल्याण कोष' बनाने का अनुरोध किया गया है।

परियोजनाओं के विकास हेतु धनराशि

6354. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में उनके मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही मौजूद विभिन्न विकास परियोजनाओं के विकास हेतु और अधिक धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं के लिए आबंटित एवं वितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं के तहत राज्य-वार बजट आवंटन नहीं किया जाता। तथापि, प्राप्त प्रस्तावों, संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रत्येक योजना के तहत पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को अनुदान जारी किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए सभा स्थगित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैंने संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक 1999 के संबंध में सर्वसम्मति की संभावना का पता लगाने के लिए आज सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की, ताकि इस विधेयक पर सभा द्वारा विधिवत तरीके से विचार किया जा सके। चूंकि इस बैठक में कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई, इस बात पर सहमति हुई कि इस मामले में सर्वसम्मति बनाने की संभावनाओं का आगे पता लगाने के लिए एक और बैठक की जाए। इस बात पर भी सहमति हुई कि फिलहाल विधेयक पर विचार आस्थगित किया जाए।

अपराह्न 2.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): महोदय, श्री अनंत कुमार की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण (बैंकों के उपयोग के लिए आवासीय भूमि तथा भवन के लिए अनुमति) विनियम, 2003 जो 11 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 273(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण (नर्सिंग होम के उपयोग के लिए आवासीय भूमि तथा भवन के लिए अनुमति) विनियम, 2003 जो 11 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 274(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.7637/03]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7638/03]

(4) दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन तथा अनुरक्षण) अध्यादेश, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिल्ली मेट्रो रेल को यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए खोले जाने संबंधी नियम, 2002 जो 11 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 816(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा इनका एक शुद्धिपत्र जो 5 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 193(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल सामान्य नियम, 2002 जो 11 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 817(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 5 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 194(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) दिल्ली मेट्रो रेल (दुर्घटनाओं की सूचनाएं और उनकी जांच) नियम, 2002 जो 11 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 818(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 5 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 195(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) दिल्ली मेट्रो रेल (मेट्रो रेल में बड़े आकार के सामान के वहन, आपराधिक और खतरनाक माल के वहन, मेट्रो रेल में संक्रामण और सांसर्गिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की यात्रा का प्रतिषेध तथा मेट्रो रेलवे द्वारा जारी टिकट में अंकित मूल्य, उसकी वैधता की अवधि तथा अन्य विशिष्टियां) नियम, 2002 जो 11 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 819(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 5 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 196(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7639/03]

(6) अधिसूचना संख्या का.आ. 1305(अ) जो 11 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अध्यादेश, 2002 की धारा 14 के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो रेल अथवा उसके किसी भाग को आरंभ करने की मंजूरी के संबंध में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग अथवा इनका निर्वहन आयुक्त द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत जारी कतिपय शर्तों के अध्यधीन किया जायेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 5 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 261(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7640/03]

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): महोदय, मैं कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.7641/03]

[अनुवाद]

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण:-

(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7642/03]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2003 जो 10 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 329(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2003 जो 10 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 330(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खनिज संरक्षण और विकास दूसरा (संशोधन) नियम, 2003 जो 17 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 338(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.7643/03]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7644/03]

(3)(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7645/03]

(5)(एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7646/03]

(7) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7647/03]

(9)(एक) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7648/03]

(11) (एक) नेशनल काउंसिल आफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ रूरल इंस्टिट्यूट्स हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7649/03]

(13) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7650/03]

(15) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7651/03]

(तीन) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा(4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7652/03]

(17)(एक) इंडियन इंस्ट्टियूट आफ मैंनेजमेंट, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्ट्टियूट आफ मैंनेजमेंट, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7653/03]

(19)(एक) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7654/03]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1)(एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7655/03]

(3)(एक) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम् के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम् के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7656/03]

(5)(एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7657/03]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह): महोदय, मैं राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.7658/03]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): महोदय, श्रीमती जस कौर मीणा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)(एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7659/03]

(3)(एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7660/03]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1)(एक) लोक जुंबिश परिषद, जयपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोक जुंबिश परिषद, जयपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7661/03]

(3)(एक) लोक जुंबिश परिषद, जयपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोक जुंबिश परिषद, जयपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7662/03]

(5)(एक) लोक जुंबिश परिषद, जयपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोक जुंबिश परिषद, जयपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7663/03]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया): महोदय, श्री हरिन पाठक की ओर से मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (पेंशन का संराशीकरण) संशोधन विनियम, 2002, जो 22 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 779(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.7664/03]

अपराह्न 2.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 5 मई, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 9 अप्रैल, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए विद्युत विधेयक, 2003 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 2.04 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

इक्यावनवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): महोदय, मैं कार्यमंत्रणा समिति का इक्यावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 2.04$^{1}/_{2}$ बजे

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000—*वापस लिया गया*

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, विधेयक को वापस लेने के कारणों को हमें परिचालित क्यों नहीं किया गया। मुझे इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई।

श्री के. येरनणायडू (श्रीकाकुलम): विधेयक कल आ रहा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कल दूसरा विधेयक आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को अब वापस क्यों लिया गया। मुझे इसके कारण नहीं बताये गये।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को उन्हें बताना चाहिए कि विधेयक क्यों नहीं लिया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यह बिल क्यों वापिस किया गया है, इसके औचित्य पर प्रकाश डालना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसे क्यों वापस लिया जा रहा है यह जानने का हमें अधिकार है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, मंत्री जी को कारण बता देने चाहिए थे।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर): विधेयक को पहले ही वापस ले लिया गया है। श्री वरकला राधाकृष्णन इसके बारे में सदन में अनावश्यक बहस कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: पत्रों में उल्लेख किया गया है कि कारण अलग से वितरित किए जायेंगे। लेकिन वितरित नहीं किये गये।

अध्यक्ष महोदय: यह मद समाप्त हो चुकी है और इसे वापस भी ले लिया गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसे वापस लिये जाने में मैं कोई बाधा नहीं डाल रहा लेकिन मुझे कारण बताये जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस बिल को क्यों वालिस ले रहे हैं, इसके औचित्य पर प्रकाश डालना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पहले बोलते तो मैं उनको जरूर कहता लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.05$^{1}/_{2}$ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाये।

(एक) झारखंड विधान सभा के सदस्यों की संख्या 81 से बढ़ाकर 150 किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची): अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य नया बना है, जिसमें गांव जंगलों में बसे हैं और दूर-दूर तक पहाड़ों में गांव हैं। जब से इस नये राज्य का गठन किया गया है इस राज्य की 81 विधान सभा सीट हैं। उत्तरांचल राज्य का गठन भी झारखंड राज्य के गठन के साथ ही साथ हुआ था और यहां पर 23 विधान सभा सीटें थीं और भौगोलिक कारणों से विधान सभा की सीट 23 से बढ़ाकर 70 की गयी। उत्तरांचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां भी झारखंड जैसी है। कई दृष्टियों के आधार पर देखा जाये तो झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियां उत्तरांचल से भी बदतर है। आबादी की दृष्टि से भी यहां विधान सभा की संख्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देती है, जिसके कारण प्रशासन पर लोकतांत्रिक ढंग से लोगों के प्रतिनिधियों का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन उपरोक्त कारणों के आधार पर झारखंड की विधान सभा की संख्या 81 से बढ़ाकर कम से कम 150 की जाये, जो लोकहित में है।

(दो) गुजरात में बलसाड से धरमपुर होते हुए महाराष्ट्र में नासिक तक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी (बलसाड): अध्यक्ष महोदय यद्यपि हमारी सरकार नयी रेल लाइनों को बिछाने का काम तेजी से कर रही है, लेकिन अभी भी उनके स्थान ऐसे हैं, जहां पर कि नयी रेल लाइन बिछाने की बड़ी ही आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र बलसाड गुजरात से धरमपुर होते हुए नासिक महाराष्ट्र तक नयी रेल लाइन बिछाना बहुत आवश्यक है क्योंकि अभी बलसाड से नासिक जाने के लिए पहले मुम्बई जाना पड़ता है, जहां की दूरी 200 किलोमीटर है और फिर मुंबई से नासिक जाना पड़ता है। वहां की दूरी भी 200 किलोमीटर है, जबकि बलसाड से धरमपुर होते हुए नासिक की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है। इस प्रकार लोगों को बलसाड से नासिक जाने के लिए दूना समय और धन खर्च करना पड़ता है। इसी नयी रेल लाइन के बन जाने पर बलसाड, गुजरात एवं नासिक महाराष्ट्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा और उनके किराये और समय में काफी कमी हो जायेगी। नासिक एक धर्मस्थल होने के साथ साथ वहां पर टमाटर व अंगूर का बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। फलस्वरूप वहां पर लोगों को आना-जाना पड़ता है।

अत: मेरा माननीय रेल मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि बलसाड से नासिक तक नयी रेल लाइन बिछाने का कार्य उच्च वरीयता एवं प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब कराने की कृपा करें।

---

*सभा पटल पर रखे गये।

(तीन) बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में भारी उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): आंध्र प्रदेश में महबूब नगर जिला एक पिछड़ा जिला है। रोजगार के अवसरों में कमी तथा बेमौसम की बरसात इस क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इस जिले के लोग अपना घर-बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। कई बार, इस क्षेत्र में रोजगार अवसरों के सृजन हेतु अध्ययन किये गये हैं और प्रस्ताव पेश किये गये हैं। इस जिला से लोगों का प्रवासन रोकने के लिए यह उचित अवसर है कि यहां पर समुचित रोजगार अवसरों का सृजन किया जाये।

उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर मेरा माननीय भारी उद्योग मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित करने के उपाय सोचें ताकि यहां पर रोजगार अवसरों का सृजन हो सके और इस क्षेत्र से लोगों का प्रवासन रूक सके।

(चार) उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्रावस्ती के लिए दिल्ली और लखनऊ से विमान सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री पद्मसेन चौधरी (बहराइच): अध्यक्ष महोदय, बहराइच संसदीय क्षेत्र देश के उत्तरी भाग में स्थित है। इसमें बहराइच और श्रावस्ती दोनों जनपद हैं। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की तपोस्थली है। बौद्ध धर्म का तीर्थस्थल है। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में इस तपोस्थल के दर्शनार्थ जाते हैं। विदेशों से भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मी इस पवित्र स्थल के दर्शनार्थ आते हैं। 1997 में वहां हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था। लेकिन श्रावस्ती के लिये विमान सेवा उपलब्ध न होने के कारण बौद्धधर्मियों तथा अन्य देशों से आने वाले विदेशी पर्यटकों को भारी असुविधा होती है। अत: सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली-लखनऊ को जोड़ते हुए कम से कम सप्ताह में एक दिन श्रावस्ती के लिए उड़ान सुनिश्चित की जाये ताकि बौद्धधर्मियों को श्रावस्ती पहुंचने में सुविधा हो सके और वे पवित्र भगवान बुद्ध की तपोस्थली का दर्शन कर सकें तथा इस क्षेत्र का विकास हो सके।

(पांच) गुजरात के सूरत में सभी सुविधाओं से युक्त पासपोर्ट कार्यालय शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी): अध्यक्ष महोदय, दक्षिण गुजरात के सूरत जिले में एक साल पूर्व फुल फ्लेज एक पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने हेतु आदेश हो चुका है, किंतु अभी तक पासपोर्ट कार्यालय ने काम करना शुरू नहीं किया है। अहमदाबाद पासपोर्ट कार्यालय में सबसे ज्यादा पासपोर्ट बनाने का कार्य लंबित है और पासपोर्ट अधिकतर दक्षिण गुजरात के सूरत के आसपास की है। अभी केवल पासपोर्ट लेने एवं पासपोर्ट बना या नहीं बना है, इसके लिए अहमदाबाद जाना पड़ता है। इसके लिए कई दिन बेकार करने पड़ते हैं। सरकार द्वारा यह बताया जाता है कि सारी औपचारिकतायें पूरी हो गयी हैं, जल्द ही सूरत में फुल फ्लेज पासपोर्ट कार्यालय खुल जाएगा, परंतु एक साल बीत चुका है और दूसरा साल शुरू हो गया है, किंतु अभी तक पासपोर्ट कार्यालय फुल फ्लेज ढंग से नहीं शुरू हुआ है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य की समीक्षा करे एवं जल्दी से जल्दी सूरत में फुल फ्लेज पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने हेतु सख्त कार्यवाही करे।

(छह) राजस्थान में अजमेर और उदयपुर बरास्ता भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच रेललाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, देश के ऐतिहासिक नगरों और औद्योगिक नगरों को ब्राडगेज रेल लाइन से जोड़ा गया है, किंतु उदयपुर को अभी तक वंचित रखा गया है। हम उदयपुर राजस्थान के सांसदों ने इसी सदन में धरना दिया था, जिससे 1992 में उदयपुर में ब्राडगेज रेल लाईन का शिलान्यास किया गया। उसके बाद कई बार इस संबंध में मैंने मांग की है, परंतु अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर रेलवे लाइन के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। इस साल भी इस बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। आपको विदित है कि उदयपुर महाराणा प्रतापजी की कर्म भूमि रही है। शीशा, जस्ता, राकफास्फेट, ग्रेनाईट, मारबल, सफेद मारबल, ग्रीन मारबल, सोप स्टोन, लाईम स्टोन आदि खनन का कार्य यहां पर होता है। इस क्षेत्र के निवासियों का मात्र उक्त खनन कार्य से रोजगार चलता है। बड़ी लाईन नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में नये उद्योग नहीं लग रहे हैं, जिस कारण यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पिछड़ता जा रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उक्त रेल लाईन हेतु इसी साल के बजट में प्रावधान किया जाये।

(सात) कोयला उत्पादक राज्यों के हितों की रक्षा के लिए राज्यों के बीच कोयला वितरण नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): कोयले की उपलब्धता का आश्वासन मिलने के बाद राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने नागपुर/

चांदपुर जिला में 1000 मेगावाट की विद्युत परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस परियोजना हेतु कोयले की आवश्यकता पूरी करने का वादा किया है। तथापि, राज्य में सीमित कोयला भंडारों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया कि वह विदर्भ क्षेत्र की कोयला खानों से दूसरे राज्यों में कोयला की आपूर्ति न करे।

इस क्षेत्र में अब कोयला भंडार बहुत सीमित हैं। इसलिए, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड अपनी आवश्यकता का 40 प्रतिशत से अधिक कोयला उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश स्थित खानों से खरीद रहा है। यदि महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों को कोयला आपूर्ति की अनुमति दी जाती है तो राज्य की प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं पर विपरीत असर पड़ेगा।

इसलिए, केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में कोयला आपूर्ति की समग्र स्थिति पर विचार करे ताकि कोयला उत्पादक राज्यों की विद्युत परियोजनायें कोयले की कमी के कारण प्रभावित न हों।

(आठ) छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. और एस.ई.सी.एल. की इकाइयों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. चरणदास महंत (जांजगीर): अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में पर्यावरण सुधार तथा प्रदूषण नियंत्रण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। एन.टी.पी.सी. कोरबा क्षेत्र में राख पूरित जमीन पर पिछले साल वृक्षारोपण कराया गया है, जिसमें आसपास के क्षेत्र की उपजाऊ अच्छी जमी की मिट्टी खोद कर डाला गया है, साथ ही पौधों को उगाने के लिये रासायनिक पदार्थों तथा रासायनिक खादों का उपयोग किया गया है। पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिये किये जा रहे उपायों से स्वयंमेव प्रदूषण विस्तार हो रहा है, साथ ही आसपास की अच्छी मिट्टी भी इस राख के समुद्रों में डूबकर स्वाहा हो जायेगी। वृक्षारोपण में लगाये गये पौधों की संख्या कागजों में तो लाखों है, लेकिन भौतिक रूप से ऐसा नहीं है। इसी तरह की स्थिति कमोबेश एस.ई.सी.एल. कोरबा की है। खोदी जा रही खदानों की भराई तथा उन पर वृक्षारोपण का कार्य नगण्य है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की कोरबा इकाई में कस्बे के बीच में सैंकड़ों एकड़ राख पूरित ढेर पड़ा हुआ है, उसमें धीरे धीरे इन्क्रोचमेंट कर कुछ स्थानों में मकान भी बन रहे हैं। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि न केवल एन.टी.पी.सी. वरन देश के उन सभी स्थानों, जहां राख पूरित भूमि है अथवा बंजर या परती भूमि है, वहां पर आसपास के क्षेत्रों की उपजाऊ भूमि की मिट्टी के उपयोग पर तत्काल पूर्णत: बंदिश लगायी जाये तथा प्रदूषण के रोकथाम के लिये किये जाने वाले वृक्षारोपण के लिये रासायनिक पदार्थों एवं रासायनिक खादों के उपयोग पर रोक लगायी जाये ताकि भविष्य में एक बीमारी की रोकथाम के लिये किये गये उपायों का दुष्परिणाम दूसरी बीमारी का जन्म जैसी समस्या से बचा जा सके।

(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर तेल्लीचेरी-माहे बाई पास के निर्माण के लिए केरल सरकार की परियोजना को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): केरल सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के लिए तेल्लीचेरी-माहे बाईपास के निर्माण हेतु 37.10 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत मूल्य से एक परियोजना प्रस्तुत की है। इस परियोजना में धर्मादम और अंजाराकंडी के दो पुलों का निर्माण भी शामिल है। लेकिन बी.ओ.टी. (बिल्ड, आपरेट एंड ट्रांसफर) योजना के अंतर्गत इस परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में व्यावहार्यता अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने इस परियोजना को लटका रखा है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर बना धर्मादम पुल 60 वर्ष से भी अधिक पुराना है और यह बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। चूंकि यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर है इसलिए इस पर यातायात, विशेषकर भारी वाहनों का दबाव बहुत अधिक है। काडालुंडी रेल पुल दुर्घटना के बाद, धमादम पुल लोगों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। चूंकि यह पुल मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है, इसलिए मैं कई बार इस स्थिति को भारत सरकार के संज्ञान में ला चुका हूं। इसलिए, मैं एक बार फिर विशेषरूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह यथाशीघ्र इस पुल के निर्माण अथवा पुनर्वास के लिए अलग से एक परियोजना शुरू करे।

(दस) देश में क्षय रोग के नियंत्रण के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल): भारत में प्रत्येक वर्ष पांच लाख लोग क्षय रोग से मर जाते हैं। क्षय रोग के बारे में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका उपचार बहुत लंबा है और इसके लिए छह से आठ महीने तक काफी प्रभावकारी दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। इलाज के दौरान मरीज द्वारा बीच में दवाइयां रोक देने, विशेषकर इलाज के दो महीने के बाद जब उसके स्वस्थ होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, के अवसर बहुत अधिक हैं। इसलिए सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्षय रोग की नि:शुल्क जांच और उपचार के बाद भी क्षय नियंत्रण के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं।

[डा. मन्दा जगन्नाथ]

इसलिए मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि क्षय रोग नियंत्रण के बाहर हो जाए इसके पहले ही इलाज करा रहे मरीज की कड़ी निगरानी रखी जाये और उसे चिकित्सकों की सीधी देखरेख में रखा जाये ताकि वह नियमित रूप से दवाई लेने में चूक न करें। इसे प्रत्यक्ष निगरानी उपचार व्यवस्था अर्थात् डाट्स (डायरेक्ट आब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शार्ट) कहा जाता है और यह पूरे विश्व में क्षय रोग के उपचार में सर्वाधिक सफल पद्धति मानी गयी है क्योंकि इसमें मरीज को चिकित्सक के सामने दवाई खानी पड़ती है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार क्षय रोग के नियंत्रण के लिए प्रत्येक संभव कदम उठायेगी और देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी।

(ग्यारह) देश में भारतीय खाद्य निगम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, लगभग तीन साल की प्रतीक्षा के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, हैदराबाद द्वारा भारतीय खाद्य निगम के ढांचे और उसके कार्यकरण में व्यापक सुधार के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अपार खाद्यान्न के भंडारों की उपलब्धता के बावजूद देश में कुपोषण और भूख से मौतें होने के समाचार हैं। गत् वर्षों में किसानों से 5 रुपया से 6 रुपया प्रति किलो गेहूं खरीदा गया, किंतु इस गेहूं का आर्थिक लागत मूल्य भारतीय खाद्य निगम को 9 रुपया प्रति किलो तक पहुंच गया। सरकार की सब्सिडी गत 4, 5 वर्षों से 6 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 21 हजार करोड़ रुपया तक पहुंच चुकी है। अभी हाल ही में सरकार को एक सरकारी कार्य दल की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। अत: इसमें व्यापक सुधार की जरूरत है। भारतीय खाद्य निगम हो या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोनों कुप्रबंध के कारण अनुपयोगी बन चुके हैं, ऐसे हालात में सरकार द्वारा इस व्यवस्था के द्वारा अन्त्योदय योजना का विस्तार कर उसके माध्यम से और अन्न का वितरण बढ़ाने का निर्णय कारगर नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सबसे पहले उपरोक्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उसके बाद में इसमें विस्तार करने से उद्देश्य पूरा संभव है। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि अविलम्ब भारतीय खाद्य निगम व सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए ठोस प्रयास किये जायें।

(बारह) उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए धनराशि शीघ्र मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा सूखा पीड़ित जिलों में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत डी.पी.ए.पी. योजना के जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनमें कुछ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्रकूट और बांदा जिलों में भी चल रहे हैं। उन योजनाओं के पंचम बैच के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बजट का राज्यांश डी.आर.डी.ए. चित्रकूट को प्राप्त हो गया है किंतु उक्त पंचम बैच का केन्द्र सरकार के बजट का केन्द्रांश अभी तक नहीं भेजा गया। केन्द्रांश का धन 31 मार्च, 2003 तक पहुंच जाना चाहिए था। यह भी ज्ञात हुआ है कि सप्तम बैच की धनराशि जिले में उपलब्ध करा दी गई है, किंतु बजट की स्वीकृति न मिलने का आधार बनाकर पंचम बैच की धनराशि भारत के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अवमुक्त नहीं की गई। यह भी ज्ञात हुआ है कि धन अवमुक्त कराने के लिए जब तक कोई कर्मचारी संबंधित विभाग में फाईल लेकर नहीं पहुंचता तब तक काम नहीं होता। इस कारण से पंचम बैच का धन अवमुक्त होने में और अधिक अनावश्यक विलम्ब होने का अंदेशा है। विलम्ब के कारण धन अवमुक्त होते-होते बरसात आ जायेगी, जिससे विकास कार्य ठप्प हो जायेंगे। अत: बरसात से काफी समय पूर्व धन अवमुक्त किया जाना अपेक्षित है, जिससे अधिकाधिक विकास कार्य सम्पन्न हो सकें।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से अपेक्षा है कि सूखा पीड़ित जिलों के विकास के लिए तत्काल धन अवमुक्त करायें और किसानों का हित सुनिश्चित करायें।

(तेरह) पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकल्प के रूप में हरित ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. एस. जगतरक्षकन (अर्कोनम): बेज्जी वैन या बीन बसें, जो वनस्पति तेल से चलती हैं, पश्चिमी देशों में पहले से ही चलायी जा रही हैं। ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि वर्तमान में देश की प्रतिष्ठित आईआईटी प्रयोगशालाओं में अल्प मात्रा में हरित तेल का उत्पादन हो रहा है और इसमें आश्चर्यजनक सफलताएं मिली हैं। यह कहा जाता है कि नीम, अलसी, करंजा और जेट्रोपा जैसे अखाद्य वनस्पति बीजों को इन प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है।

यदि वनस्पति तेल को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इससे न केवल सीएनजीकी कमी की समस्या का निदान होगा अपितु इस देश में एक दूसरी हरित क्रांति आयेगी। इसके अलावा इससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस बारे में नीतिगत निर्णय ले ताकि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में हरित ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो सके।

(चौदह) सहकारी चीनी उद्योगों को आयकर अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से हटाने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर): मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कोल्हापुर और महाराष्ट्र क्षेत्र चीनी का बहुत बड़ा उत्पादक है और यह सहकारी चीनी उद्योग के माध्यम से चीनी का उत्पादन करता है। यह एक सुविदित तथ्य है कि चीनी के मूल्यों में कमी के कारण चीनी उद्योग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। लेकिन इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि वर्तमान खाड़ी युद्ध के कारण चीनी उद्योग के निर्यात बाजार में अचानक कमी आ गयी है। परिणामस्वरूप, सभी चीनी फैक्ट्रियों में बहुत बड़ी मात्रा में चीनी का भंडार जमा हो गया है।

सरकार ने चीनी उद्योग को 1988 से प्रभावी आय कर नोटिस भेजे हैं। ये नोटिस इस आंकलन पर आधारित हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कृषकों को भुगतान की गयी मूल्य दर फैक्ट्री की आय है। यह दर फैक्ट्रियों द्वारा अपने सदस्य गन्ना उत्पादकों को व्यक्तिगत रूप से अदा की जाती है। यह बात अभिलेखों में दर्ज है कि ये सदस्य कृषक इन फैक्ट्रियों के वास्तविक स्वामी हैं और यह मूल्य दर इन फैक्ट्रियों की आय नहीं कही जा सकती।

यदि, इस आकलन के आधार पर इन फैक्ट्रियों से आयकर की वसूली की जाती है तो सिर्फ चीनी फैक्ट्रियों की ही नहीं अपितु सदस्य किसानों की सारी भूमि को बेच देने के बाद भी पूरी वसूली हो पाना संभव नहीं होगा।

इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस संपूर्ण प्रकरण पर फिर से विचार करे और आय कर नोटिसों को वापस ले तथा वर्तमान आय कर विधेयक में संशोधन करे ताकि सहकारी चीनी उद्योगों को इसकी परिधि से बाहर रखा जा सके और इस तरह रुग्ण चीनी उद्योग को वित्तीय संकट से उबारा जा सके।

अपराह्न 2.06 बजे

सरकारी विधेयक—*पारित*

(एक) संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 268क का अंत:स्थापन, अनुच्छेद 270 का संशोधन और सातवीं अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक पर विचार करेगी और उसे पारित करेगी।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, आप इस बिल पर वोटिंग का टाइम फिक्स कर दीजिए तो अच्छा रहेगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं टाइम क्यों फिक्स कर दूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर मैं टाइम डिक्लेयर कर दूंगा तो क्या आप हाऊस में रहेंगे?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: इसीलिए हमने पूछा है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आज यहां पर दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक हैं और इन्हें पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। यदि इन पर मतदान का अस्थाई समय बता दिया जाये तो सचेतकों को अपने सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सुविधा रहेगी।

अध्यक्ष महोदय: मतदान का अस्थाई समय क्या होगा?

[हिन्दी]

दो घंटे तो हमने दिये हैं। अब दो घंटे से कितना ज्यादा टाइम देना है, यह प्रश्न है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है इसलिए एक घंटे का टाइम भी चल जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या हम इसे एक घंटे में समाप्त करने पर सहमत हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तीन बजे के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय: तो तीन बजे का समय मतदान के लिए निश्चित समझा जाये।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: ठीक है।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): अध्यक्ष महोदय, इसे आप बिना बहस के पास करा दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन विधेयकों पर मतदान अपराह्न 3.10 बजे होगा।

अपराह्न 2.07 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

''कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

इस संविधान (संशोधन) विधेयक में कराधान हेतु सेवा क्षेत्र को एक अलग प्रविष्टि के रूप में दर्ज किए जाने और इस संबंध में विभिन्न प्रविधियों को शासित करने के लिए संबंधित केन्द्रीय विधान का प्रावधान किया गया है।

विश्वभर में सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ा है और भारत भी इस वैश्विक रुझान का कोई अपवाद नहीं है। सेवा क्षेत्र में प्रबन्धन, बैंकिंग, बीमा, मेहमान-नवाजी प्रशासन, संचार, मनोरंजन, यात्रा, थोक वितरण, खुदरा व्यापार, अनुसंधान और विकास गतिविधियां, पेशेवर गतिविधियां आदि आते हैं। वर्ष 2001-2002 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 48.45 प्रतिशत रहा है।

अधिकांश विकसित देशों में सामान और सेवाओं का साथ व्यापार होता है और इन पर एक साथ कर लगाया जाता है। भारत में सेवाओं पर कर लगाए जाने की शुरूआत 1994-95 के केन्द्रीय बजट के साथ हुई थी और इसे 1 जुलाई, 1994 से प्रभावी माना गया था इस के अन्तर्गत शेयर दलालों, साधारण बीमा और टेलीफोन सेवाओं को लाया गया था।

यद्यपि, सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति का न तो संघीय सूची या राज्य सूची और न ही संविधान की सातवीं अनुसूची में ही कोई उल्लेख है। संघीय सूची की प्रविष्टि संख्या 97 में केन्द्र को ऐसा कर लगाने और उसका संग्रहण करने का अधिकार दिया गया है जिसका सूची II या सूची III में कोई उल्लेख नहीं है। अत:, वर्तमान में, संसद को केवल एक अवशिष्ट कराधान मामले के रूप में सेवाओं पर कर लगाने और उसका संग्रह करने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने चुनिंदा सेवाओं पर समय-समय पर कर लगाया है।

महोदय, इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होने के नाते और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच हुये विचार-विमर्श व विशेषज्ञ समितियों के विचार और सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समुचित रूप से संविधान में निम्न रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है—(1) संघीय सूची, जो कि संविधान की सातवीं अनुसूची की पहली सूची है, में एक नई प्रविष्टि, 92ग, 'सेवाओं पर कर', को पुर:स्थापित करने के लिए (2) संविधान में संघ द्वारा सेवाओं पर कर लगाने और संसद द्वारा बनाए गए नए कानून में अन्तर्निहित सिद्धान्तों के अनुसार संघ और राज्यों द्वारा तत्संबंधी संग्रहण और विनियोजन हेतु एक नया अनुच्छेद 268(क) सम्मिलित करने के लिए। (3) संविधान में इन प्रस्तावित संशोधनों के प्रभावी होने के पश्चात संघ सरकार द्वारा सेवाओं पर का लगाने और संघ और राज्यों द्वारा यथानिर्धारित मूल्य अनुसार सीमा तक सेवाओं पर लगे कर का संग्रहण व विनियोजन करने सहित सभी प्रविधियों के लिए एक समुचित केन्द्रीय कानून बनाने के लिए।

संसद द्वारा संविधान में प्रस्तावित इस संशोधन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के बाद राज्य विधानमंडलों को इसका अनुमोदन करना होगा। तत्पश्चात संघ और राज्यों द्वारा सेवाओं पर लगे कर का संग्रहण और विनियोजन करने सहित सभी आवश्यक प्रविधियों के लिए एक समुचित केन्द्रीय विधान बनाया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन घरेलू व्यापार प्रणाली में सुधार करेगा और जब भी राज्य ''वैट'' पर विचार करेंगे तो इससे उनका कर दायरा व्यापक होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं यह विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, 1994 में कांग्रेस के शासन काल में पहली बार सेवाओं पर कर लगाए जाने की परिकल्पना की गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का यह विश्वास है कि जबकि आम आदमी पर करारोपण का अनावश्यक बोझ न डाला जाए वहीं कराधार को व्यापक बनाने हेतु यह पूर्णतया आवश्यक है कि हमें जब कभी भी संभव हो राजस्व बढ़ाने ने नए तरीकों पर विचार करना चाहिए।

महोदय, इस रोशनी में मैं आज इस विधेयक का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। जहां तक केन्द्र सरकार की सेवाओं पर कर लगाने की अवशिष्ट शक्तियों का प्रश्न है तो उसका उल्लेख संघ सूची की प्रविष्टि 97 के अन्तर्गत किया गया है। गत कई वर्षों से हमने सेवा कर लगाने हेतु इन प्रावधानों का सहारा लिया है। लेकिन अब चूंकि इस विषय पर समझदारी बढ़ी है तो सेवा कर लगाए जाने की अधिक आवश्यकता महसूस की गई है। अत: सरकार संघीय सूची में इसके लिए एक प्रविष्टि करने हेतु संविधान में यह संशोधन करने के लिए समुचित रूप से आगे आई है।

यह कहते हुए कोई भी निश्चित रूप से यह महसूस करेगा कि सरकार द्वारा राजस्व में वृद्धि करने के वास्तविक प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने अपने संक्षिप्त शुरूआती भाषण में सदन को यह सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 48.45 प्रतिशत रहा है। इसका श्रेय निश्चित रूप से देश के उन बहुसंख्यक पेशेवर लोगों को जाता है जो विभिन्न देशों में लगे हुए हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के कार्य में भाग लेने हेतु कड़ी मेहनत की है और देश के हित में अपनी यथासम्भव शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। यह उनकी इस उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता दी है जिसने इस देश के सकल घरेलू उत्पाद में इतना बड़ा व महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन इसी के साथ-साथ मैं न केवल माननीय मंत्री जी अपितु इस सदन के ध्यान में भी यह बात लाना चाहूंगा कि क्योंकि मंत्री जी ने ही यह बजट बनाया है और उन्होंने ही यह ध्यान देने हेतु अधिक मेहनत की है कि कोई भी सेवा, सेवा-कर के दायरे से बाहर न रह जाए और इसी पर में एक चेतावनी देना चाहता हूं कि, जबकि हम यह समझते हैं और सरकार द्वारा कर के दायरे को बढ़ाने के प्रयास का समर्थन करते हैं, हमें ऐसा कहते हुए अति-उत्साह में नहीं आ जाना चाहिए।

कुछ ही दिन पहले वित्त विधेयक पर बोलते हुए मैंने ऐसी कुछ छोटी-मोटी सेवाओं का उल्लेख किया था जिन्हें सेवा-कर के दायरे में लाया गया है। यदि हम इस प्रावधान के अन्तर्गत सेवाओं की संख्या में वृद्धि करते रहेंगे तो इससे कर-दाताओं की और अंतत: उपभोक्ताओं की समस्याओं में अधिकाधिक वृद्धि होती रहेगी क्योंकि सेवा-प्रदाता द्वारा प्रदान की जा रही सेवा पर लगाया गया कोई भी कर अन्तत: केवल उपभोक्ता पर ही डाल दिया जाएगा।

इस परिप्रेक्ष्य में, मैं बहुत संक्षिप्त रूप से केवल एक या दो सेवाओं का उल्लेख करूंगा। मैंने एक दिन कुछ सेवाओं का उल्लेख किया भी था। यहां तक कि एक गृहिणी द्वारा ठेके पर किसी मैकेनिक से काम कराए जाने पर भी यह कर लागू होगा। यदि वह किसी मैकेनिक के साथ रसोई गैस स्टोव की समय-समय पर मरम्मत करने हेतु एक अस्थायी अनुबंध कर लेती है और वह ऐसा करने के लिए समय-समय पर उसके घर आता है तो वह सेवा इस अधिनियम के अन्तर्गत आएगी। मैं यह जानता हूं कि इसमें कुछ अंतर हो सकता है कि यदि एक मैकेनिक कभी-कभार आता है, यदि आप उसे बुलाते हैं और उस दिन के कार्य के लिए ही उसे भुगतान करते हैं तो वह सेवा सेवा कर के दायरे में नहीं आएगी। लेकिन यदि यह रख-रखाव का वार्षिक ठेका है तो वही सेवा सेवा-कर के दायरे में आ जाएगी। इसी प्रकार की अन्य विभिन्न बातें हैं। मैं केवल दो मामलों का उदाहरण देता हूं। कुछ छात्रों को अपनी वर्दी के लिए भी अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। उन्हें अन्य कई चीजों और ट्यूशन कक्षाओं के लिए भी अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। यदि एक छात्र अधिक प्रशिक्षण, अधिक शिक्षा और किसी विषय विरोध पर दिशानिर्देश प्राप्त करने हेतु किसी ट्यूशन कक्षा में प्रवेश लेता है तो सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति अर्थात शिक्षक, अपने शुल्क पर सेवा कर वसूल करेगा। वह स्वत: ही छात्र पर डाला जाएगा। इसी प्रकार यदि मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी है और यदि मुझे रेल टिकट खरीदने के लिए रेल स्टेशन जाने में कोई समस्या है और यदि मैं किसी ट्रैवल एजेन्ट को बुलाकर उससे अपने लिए दिल्ली से मुम्बई तक का टिकट खरीदने के लिए कहता हूं तो होगा यह कि टिकट के शुल्क के साथ-साथ उस पर कुछ सेवा शुल्क भी लेगा। अब, प्रावधान यह होगा कि उस राशि पर सेवा-कर का भुगतान भी किया जाना है। इससे क्या होगा? इससे एक अनावश्यक कागजी-कार्यवाही में भारी वृद्धि होगी और दूसरे प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए एक खाता बनाना पड़ेगा। जब हमारे यहां आयकर है, अन्य कई कर भी हैं तो इन सभी छोटी-मोटी सेवाओं को सेवा-कर के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इससे अनावश्यक कागजी कार्यवाही में भारी वृद्धि के अतिरिक्त गरीब उपभोक्ता को परेशानी भी उठानी पड़ेगी। इससे उनके लिए कठिनाइयां खड़ी होंगी जिससे वास्तव में इंस्पेक्टर राज को मजबूती प्राप्त होगी जबकि माननीय मंत्री जी सदन में कई बार इसे समाप्त करने का आश्वासन दे चुके हैं। हम यह जानते हैं और अपने उद्वेग से यह जानते हैं

[श्री पवन कुमार बंसल]

कि सेवा कर वसूलने का यह कार्य उत्पाद शुल्क विभाग को सौंपा गया है। मैं कोई कठोर टिप्पणी नहीं करना चाहता परंतु जिस किसी का भी इस विभाग से कोई वास्ता पड़ता है उसका निश्चित रूप से यही अनुभव है कि जिस भी व्यक्ति को कानूनन कोई खाता रखना पड़ता है इसके लिए यहां समस्याएं ही समस्याएं हैं। अत: उत्पाद-शुल्क विभाग को सेवा कर वसूलने का कार्य देने से लोगों के लिए और अधिक जटिलताएं पैदा होंगी।

मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि सिद्धान्त रूप से हम सेवा कर से सहमत हैं। लेकिन इन वर्षों के दौरान इसमें सम्मिलित की गई सेवाओं की संख्या बढ़ी है। आरंभ में इसमें केवल तीन या चार सेवाएं थीं और यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आज इसमें 70 सेवाएं हैं। इस वर्ष 7 सेवाएं और जोड़ी गई हैं। मेरे विचार से अत्यधिक-व्यग्रता में मंत्रालय, सरकार उन सेवाओं की पहचान करने में लगी है जिन्हें इस कर के दायरे में लाया जा सकता है। यदि हम कर प्रणाली को जन-हितैषी बनाना चाहते हैं तो इस परंपरा का अंत होना ही चाहिए। हम सरकार से हमेशा यह अपेक्षा करते हैं कि यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए कि: (क) कर दायरा बढ़ाया जाए, और (ख) जिस किसी भी कर का भुगतान करना चाहिए वह इससे बच न सके। शायद एक आंकड़ा था जिसे वित्त संबंधी स्थायी समिति अपनी नवीनतम रिपोर्ट में सदन के ध्यान में लाई थी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वह शायद 53,000 करोड़ रुपये का था। मेरे पास तथ्य नहीं हैं। मैं अकस्मात इस विषय पर बोलने के लिए उठ खड़ा हुआ हूं। यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो शायद यही वह आंकड़ा है जो कि इस विभाग और कर देने वालों, जिनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, के बीच विवाद का मुद्दा बना है। कुछ थोड़ी सी कम्पनियों, जिनमें से ज्यादातर पर सरकार का 10 करोड़ से अधिक का बकाया है, ने इस धनराशि की अदायगी रोक रखी है जो कि उन्हें सरकार को आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों के रूप में देनी है।

मेरे विचार से आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने तंत्र को कारगर बनाए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रणाली में विद्यमान कमियों को दूर कर दिया जाएगा ताकि कोई भी करापवंचन न कर पाये। लेकिन इसके साथ ही हमारा यह कर्तव्य बनता है कि कर जमा करने की चिन्ता में हम आम आदमी पर भार न डालें। आज वास्तव में किया यह जा रहा है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से कर अदा करने के इच्छुक हैं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मैं यही बात सदन के सामने लाना चाहता हूं। यह बात विभाग के अधिकारियों ने स्थायी समिति ने समक्ष साक्ष्य देते हुए कही थी कि कर जमा कराना एक स्वैच्छिक कार्य है और आयकर आयुक्त तथा अन्य व्यक्ति इस मामले में अधिक कुछ नहीं कर सकते।

महोदय, आपसे अपनी बात समाप्त करने का संकेत मिलते ही, मैं बस अभी अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। हम इस विषय को संघ की सूची में लाने के सरकार के प्रयासों और इस उद्देश्य के लिए कानून बनाने की इच्छा का समर्थन करते हैं। कानून में इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि हर वर्ष और अधिक सेवाओं को इसमें शामिल किए जाने के बजाय इस विषय पर एक व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि बहुत सी सेवाएं इसमें सम्मिलित की गयी हैं परन्तु केवल वही सेवाएं सेवा कर के दायरे में लायी जानी चाहिए जिनके लिए ज्यादा फीस वसूली जाती है न कि अन्य गौण एवं छोटी सेवाएं।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने एक सिफारिश प्रस्तुत की थी कि जब भी सरकार कोई कानून बनाये, तो सरकार को यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि उसके अंतर्गत बनने वाले नियम भी सभा में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले बना लिये जाएं।

भारत सरकार के बहुत से विभागों ने इस प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया है। अत: हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है कि विधेयकों के प्रारूप तैयार करके सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं और पारित कर दिये जाते हैं लेकिन बहुत वर्षों के बाद भी ये केवल इसी कारण से लागू नहीं किये जाते कि इनके संबंध में कोई अधीनस्थ विधान नहीं होते अर्थात अधिनियम के अंतर्गत नियम या विनियम आदि उपलब्ध नहीं होते। मैं चाहता हूं कि भविष्य में सभा के समक्ष लाये जाने वाले हर विधेयक के साथ संबंधित नियम की प्रस्तुत किये जायें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (संशोधन) विधेयक जिस पर आज यहां बहस चल रही है, के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री जी और श्री पवन कुमार बंसल ने सेवा कर के इतिहास के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया है।

महोदय, सेवा प्रदाताओं पर कर लगाया जाना चाहिए। यह विचार वर्ष 1994 में पहली बार सामने आया था, मैं इसके लिए डा. मनमोहन सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इसे शुरू किया था। वर्ष 1997-98 में यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार को अधिक कर प्राप्त हो काफी बड़ी संख्या सेवाओं को इस नेटवर्क में अंतर्गत लाया गया। संघ की सूची के अंतर्गत केन्द्र सरकार की अधिशेष शक्तियों के माध्यम से यह सब किया गया।

अब संविधान में यह संशोधन करके कि संघ सूची में 92ग प्रविष्टि के सेवा कर के बारे में होगी, इसे सुदृढ़ बनाया गया है।

महोदय, वित्त मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में यह बताया गया था कि और सेवाओं पर कर लगाया जाएगा और वित्त विधेयक, 2003 के माध्यम से यह कर दिया गया है। अब लगभग 25 नई सेवाएं प्रदाताओं पर कर लगाया गया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष में केवल सेवा प्रदान करने वाले विभाग से सरकार 2200 करोड़ रुपये प्राप्त कर पायी थी। अब इसे 8,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इस 8,000 करोड़ रुपए में से लगभग 2,360 करोड़ रुपये राज्यों को दिये जाएंगे। ये राज्य सरकारों के खजाने में जाएंगे जो कि पहले ही विभिन्न अवसरों निधियों की कमी महसूस कर रहे हैं। अब आठ प्रतिशत कर लगाया जाएगा और वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार इसमें से पांच प्रतिशत केन्द्र को और तीन प्रतिशत राज्यों को मिलेगा।

महोदय, यद्यपि यहां वित्त आयोग की सिफारिश की बात करना उपयुक्त नहीं है फिर भी मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह उड़ीसा जैसे अल्प विकसित राज्यों को अधिक धन देने पर विचार करें। ग्यारहवें वित्त आयोग ने राजस्व का केवल 5.6 प्रतिशत राज्यों को दिया है जो कि उड़ीसा जैसे राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है। यह इस मुद्दे से अलग बात है परन्तु मैंने इसे यहां पर इसलिए बताया है कि बारहवें वित्त आयोग को आदेश देते समय माननीय मंत्री जी के दिमाग में यह बात रहे कि अल्प-विकसित राज्यों को अधिक धन दिया जाए।

सेवाओं पर जब वर्ष 1994 से कर वसूला जाने लगा तो इस संबंध में नियम भी बनाये गये। इन नियमों के अंतर्गत कुछ निर्देश भी दिये गये हैं जिनमें बुनियादी छूट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और मुश्किल से ही किसी संशोधन का प्रावधान किया गया है। यहां तक कि वर्ष 2003 के वित्त विधेयक में भी इन्हें दोहराया गया। जब सेवाओं पर कर लगाया गया, तो उदारतापूर्वक कुछ संशोधनों और छूट देने के बारे में विचार किया जाना चाहिये था ताकि सेवा प्रदान करने वालों को कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़े। जैसे कि श्री पवन कुमार बंसल ने भी कहा है कि सेवा प्रदाता क्षेत्र में 'इंस्पेक्टर राज' नहीं आना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है।

इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने सेवा कर के संबंध में अग्रिम विनियमों के लिए प्राधिकरण बनाया। यह एक अच्छा कदम उठाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री अनादि साहू: मैं एक वाक्य और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: केवल वाक्य:

श्री अनादि साहू: अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय वित्तमंत्री को वित्त विधेयक पर बहस का उत्तर देने राज्य सभा में जाना है। इसीलिए मैं सदस्यों से अपनी बात संक्षेप में कहने का आग्रह कर रहा हूं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय, इस केन्द्रीय विधान जिसकी राज्य विधायिकाओं द्वारा अभिपुष्टि की जानी है के माध्यम से उपयोग इस प्रयास विशेष और अन्य बहुत सी चीजों का मैं समर्थन करता हूं।

सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 48 प्रतिशत है अब और अधिक सेवाएं सामने आएंगी, यद्यपि सेवाओं को परिभाषित किए जाने के तरीके पर मुझे गंभीर आपत्तियां हैं। भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था की सफलता अंतत: कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के विकास पर निर्भर करती है। फिर भी कई नई सेवाएं उभर कर आ रही हैं और हमें इस विशेष क्षेत्र की संभावनाओं का लेखा रखना है। वर्तमान व्यवस्था में इसका कोई प्रावधान नहीं है और सेवाओं पर कर लगाने की व्यवस्था किसी विशिष्ट मद के अंतर्गत नहीं की गयी है। अब एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस संबंध में सिद्धान्त बनाने के अधिकार केन्द्र सरकार के पास होना चाहिए तथा वसूली व विनियोग का अधिकार के सूत्र के अनुसार राज्यों व केन्द्र के बीच बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान सूत्र और वित्त आयोग की नई सिफारिशों के अनुसार यह 5:3 है अर्थात 8 प्रतिशत में से 5 प्रतिशत केन्द्र सरकार का और 3 प्रतिशत राज्य सरकारों को मिलेगा परन्तु राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिए। केवल अल्प विकसित राज्यों की ही नहीं बल्कि किसी राज्य की विशेष स्थिति के अनुरूप या विशेष प्रकार के वित्तीय बोझ आदि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संबंधों के शीघ्र पुनर्गठन की आवश्यकता है।

अब मुद्दा यह है कि इस विधेयक में बताया गया है कि राज्यों ने सर्वसम्मति से 1 अप्रैल 2003 से अपनी वर्तमान बिक्री कर प्रणाली को मूल्य वर्धित कर प्रणाली में बदलने का निर्णय लिया है। परन्तु अधिकार प्राप्त समिति द्वारा संशोधित लक्षित तिथि दिये जाने के बावजूद हमने माननीय वित्तमंत्री द्वारा वित्त विधेयक पर बहस के अवसर पर दिये गए उत्तर में यह कहते हुए पाया कि जब तक सभी राज्य मूल्य वर्धित कर प्रणाली का विकल्प नहीं अपनाते, तब तक कोई उद्देश्यपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और अधिकार प्राप्त समिति कुछ करती है तो करती रहे।

[श्री रूपचन्द पाल]

मूल्य वर्धित कर प्रणाली के सिद्धान्त रूप में समर्थन का कारण यह है कि इससे अधिकाधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकती है। हमारी कराधान प्रणाली में कर चोरी की जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक अवसंरचना के अभाव में, राज्यों में व्याप्त विशिष्ट स्थिति के ध्यान में रखे बिना, इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। राज्य के लिए आय का सबसे बड़ा साधन बिक्री कर ही है और केन्द्र सरकार इस बात पर विचार करने को राजी नहीं है कि मूल्य वर्धित कर प्रणाली के लागू होने से राज्यों को जो नुकसान होगा। केन्द्र उसकी भरपाई कैसे करेगा। इसको लेकर लोगों में बहुत अधिक भ्रम है और अद्यतन स्थिति जिसकी यहां पर चर्चा नहीं की गयी है, यह है कि स्वयं माननीय वित्त मंत्री ने यहां बताया है कि फिलहाल मूल्य वर्धित कर प्रणाली को अपनाना संभव नहीं है क्योंकि अधिकतर राज्य के लिए तैयार नहीं हैं। इस पर एक राय नहीं है। तब इससे स्थिति कैसे बदलेगी। मुझे पता नहीं। राज्यों ने सुझाव दिया है कि उन्हें सेवाओं पर समुचित कर लेने के अधिकार होने चाहिए और इससे उनका कर आधार व्यापक होगा। यह कैसे होगा, मुझे पता नहीं? कर आधार को व्यापक बनाना अपने आय में एक लक्ष्य है। कर तथा सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात बहुत ही कम है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में इस पर विस्तार से वाद-विवाद और चर्चा हुई है और इस बारे में अधिकार प्राप्त समिति से बहुत सारे लोगों से तथा सभा में भी सुझाव प्राप्त हुए हैं।

लेकिन इससे राज्यों के राजस्व में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि शायद ही हो सके। मैं एक बार फिर से सेवाओं की परिभाषा पर बल दे रहा हूं। अब हजारों तरह की सेवाएं हैं। इन पर हम सेवा कर कैसे वसूल पायेंगे? हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इन पर कर की चोरी न हो। किसी विकसित देश में व्यापार कर और सेवा कर साथ-साथ लगते हैं। लेकिन, यहां हम सेवा कर कैसे वसूलेंगे। हमने इनकी परिभाषा के बारे में, डीपीओ के बारे में, विभिन्न तरह के काल सेंटरों के कार्यकरण के बारे में पेशेवरों के बारे में, बीमा प्रणाली के बारे में, बैंकिंग व्यवस्था के बारे में, चिकित्सा सेवाओं के बारे में तथा दूसरी बहुत सी बातों के बारे में सारे प्रश्न पूछे थे। लेकिन इस बारे में मेरी समझ में यह आया है कि इससे बहुत अधिक मुकदमेबाजी होगी जिससे कर वसूली की प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी।

मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें इस बारे में शुरूआत करनी चाहिए और इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। जब केन्द्र सरकार इस पर विधेयक लायेगी, तो हमें इस पर आगे चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। केन्द्रीय कानून को स्वीकृति प्रदान करते समय राज्य विधानमंडलों को भी इस पर चर्चा का अवसर मिलेगा लेकिन इस पर मेरी राय कुछ और है। वैट के मामले में क्या हुआ। स्वयं केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस सभा में खड़े होकर पूरे देश को बताया कि फिलहाल वैट को अपनाना संभव नहीं हो सकेगा जबकि अधिकार प्राप्त समिति अब भी इस पर चर्चा कर रही है और जून में इस में इसे लागू करने की बात कही जा रही है। इसके लिए अब तक 16 राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल व्यापारी वर्ग के निहित स्वार्थ वाले लोगों के दबाव के आगे झुक गयी है। उन्होंने सत्ताधारी दल को ब्लैक मेल किया है और सत्ताधारी दल उनके दबाव के आगे झुक गया और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। मैं समझता हूं कि उचित अवसंरचना के साथ यदि वैट को लागू किया गया होता।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रूप चन्द पाल जी, जो इस बिल के बारे में बोल रहे हैं, उनके प्रदेश में भी तो एक्ट बन रहा था। वे नहीं बना पाए हैं। ये स्वयं अभी तक निश्चित नहीं कर पाएं हैं। उन्हीं के प्रदेश के वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष हैं, फिर भी वे उसे नहीं पा कर रहे हैं और यहां केन्द्र सरकार के लिए कह रहे हैं कि शासक पार्टी दबाव में है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा...*(व्यवधान)* मैं तो व्यापारी वर्ग के दबाव के कारण वित्त मंत्री द्वारा अपना रुख बदल लेने की बात पर टिप्पणी कर रहा हूं। अब, जो यहां बताया जा रहा है स्थिति उससे भिन्न है और 1 अप्रैल, 2003 से यह होने जा रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य रूपचन्द पाल जी से जानना चाहती हूं कि वे अपने राज्य में इसे किस के दबाव में लागू नहीं कर पा रहे हैं?

श्री श्याम बिहारी मिश्र: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, केन्द्र सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल के अलावा किसी भी भी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने आधिकारिक तौर पर यह बात कही है कि अब भी बहुत से राज्य वैट प्रणाली से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह संभव नहीं होगा...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा कि हम यहां सेवा कर से संबंधित संविधान संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं न कि वैट पर? हम बाद मैं वैट पर भी चर्चा कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): अब वे इसमें और मूल्य संवर्धन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: इसमें यह कहा गया है। मैं इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन से पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है:

> ''राज्यों ने 1 अप्रैल, 2003 से अपनी विद्यमान विक्रय कर प्रणाली के स्थान पर मूल्यवर्धित कर (वीएटी) प्रणाली को प्रतिस्थापित करने का एक मत से विनिश्चय किया है। इस संदर्भ में राज्यों ने अपने कर आधार को विस्तारित करने की दृष्टि से यह सुझाव दिया है कि उनकी सेवाओं पर कर संग्रहण करने और उसे विनियोजित करने के लिए समर्थ बनाया जाए।''

जो कुछ माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा यहां पर बताया गया हैं उसके बाद वैट के बारे में स्थिति क्या है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री रूपचन्द पाल: हां, मैं समाप्त कर रहा हूं मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। केन्द्रीय विधान में सेवाओं की परिभाषा, कर संग्रहण के तरीके और इस कानून से उन राज्यों को समान रूप से लाभ कैसे हो जो फिलहाल गंभीर वित्त संकट से जूझ रहे हैं, जैसी बातों को शामिल किया जाना चाहिए।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 का समर्थन करता हूं। आज आर्थिक परिदृश्य बदल गया है। वर्ष 2001 के सर्वेक्षण के अनुसार कुल सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान में सेवाओं का योगदान 48.5 प्रतिशत है। अब तक हो सकता है इसमें और अधिक वृद्धि हो गयी हो। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2003 के अंत तक यह सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत से भी अधिक हो जायेगा। इसलिए हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते और हमें सेवा कर लगाना ही होगा। लेकिन इसके साथ ही हमें यह सावधानी भी बरतनी होगी कि मेहनत मजदूरी वाली तथा छोटी मोटी सेवाओं को इससे अलग रखा जाये।

एक दिन जब मैं नाई की दुकान पर गया तो उसने मुझे बताया कि वह भी लोगों को सेवाएं देता है और हो सकता है उस पर भी सेवा कर लगा दिया जाये। मैं यह सुनकर चकित था, क्योंकि मुझे यह पता नहीं था कि सेवाओं पर कर लगाया जायेगा। जिन सेवाओं पर कर लगाने की बात हो रही है उन सेवाओं की पहचान करने में हमें काफी सावधानी बरतनी चाहिए और छोटी-मोटी सेवाओं को कर की परिधि से बाहर रखना चाहिए। जिन सेवाओं में कड़ी मेहनत की आवश्यका होती है, ऐसी सेवाओं को भी सेवा कर की परिधि से बाहर रखना होगा। जहां बौद्धिक संपदा का प्रयोग होता है, केवल उन्हीं सेवाओं पर कर लगाया जाना चाहिए। इससे, साधारण लोग कर के दायरे में नहीं आयेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बात का ख्याल रखेंगे। यहां यह बताया गया है कि नये अनुच्छेद 268क को अंत:स्थापित किये जाने से राज्यों को लाभ होगा। मूल्य वर्धित कर संग्रह करने पर सेवाओं को भी राज्यों में दे दिया जायेगा। फिलहाल तो वैट को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। लेकिन जब पूरा कर राज्यों को मिलने लगेगा, क्योंकि अभी इसे वैट के साथ जोड़ दिया गया है, तो 5:3 प्रतिशत का भागीदारी अनुपात राज्यों के पक्ष में हो जायेगा। इसलिए, अंतत; यह राज्यों के लिए लाभकारी होगा। भागादारी अनुपात सुनिश्चित होने से सेवा कर के संग्रहण में राज्यों को सहायता मिलेगी। ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुसार इसमें केन्द्र के पास पांच बिंदु रहेंगे जबकि तीन बिंदु राज्यों को दिये जायेंगे। लेकिन इसे बदलना होगा। इसे इसके विपरीत होना चाहिए। बारहवें वित्त आयोग को यह सिफारिश में भेजी जानी चाहिए कि पांच बिंदु राज्यों को दिये जाने चाहिए और तीन बिंदु केन्द्र के पास रहने चाहिए ताकि राज्यों को लाभ मिल सके। जैसा कि हमारे कुछ माननीय सहयोगियों ने बताया कि कुछ राज्य बिक्री कर और कुछ दूसरे करों के संग्रह पर ही निर्भर हैं। अत:, संसाधन विहीन राज्य इससे प्रभावित नहीं होने चाहिए। जब आप सेवाओं पर ज्यादा कर लगायें तो इनका अधिकांश हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए। आप कृपया इस बात को सुनिश्चित करें। हम इसके खिलाफ नही हैं। हम आपका पूरी तरह से समर्थन करते हैं लेकिन साथ ही, आप छोटे-मोटे लोगों को इस कर दायरे से बाहर रखें ताकि उनसे कर संग्रहण न किया जाये। यह इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जब श्री सुब्रहमणयम वित्त मंत्री थे तब उन्होंने उस प्रत्येक वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगा दिया जिस पर पूर्व में कभी कर नहीं लगा था। उनकी उत्पाद शुल्क लगाने का यही तरीका था। इसका तात्पर्य यह है कि जब आप किसी सेवा पर सेवा कर लगायेंगे तो उससे हर कोई प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान्य लोगों को कर से मुक्त रखा जाना चाहिए। आप जैसे-जैसे वैट प्रणाली लागू करते जायेंगे आप देखेंगे कि ये सेवा कर वैट में जुड़ते जा रहे हैं और इससे राज्यों को काफी लाभ हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जिसे मेरे साथ सदस्य ने छोड़ दिया है। यदि कल को संसद इस आशय का एक और कानून बनाये कि राज्यों को मिलने वाले कर का अनुपात क्या होगा, तो मैं कहना चाहूंगा कि राज्यों के संग्रहीत सेवा कर का 50 प्रतिशत मिलना चाहिए। पूछिये क्यों? क्योंकि राज्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप इनकी बात से सहमत हैं।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति: मैंने राज्यों द्वारा पांच बिंदु और केन्द्र द्वारा तीन बिंदु (5:3) की भागीदारी की बात कही है।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं सामान्यतया इस संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं विशेषकर इस विधेयक का समर्थन करके प्रसन्न हूं क्योंकि मैं केरल राज्य से आता हूं जहां अन्य चीजों की तुलना में अधिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवाओं के मामले में हमारे राज्य स्तर का सकल घरेलू उत्पाद नहीं अधिक है। मैं केवल मेरे साथी, श्री मूर्ति द्वारा उठाए गए प्रश्न का समर्थन कर रहा हूं। सेवाओं की परिभाषा की अभी कोई व्याख्या नहीं की गई है।

मैं नहीं जानता कि क्या इसे नियम द्वारा किया जा सकता है या नहीं। अन्यथा राज्य में कोई भी अनिष्टकारी नौकरशाह इसके दायरे को बढ़ा सकता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होगा।

मेरे मित्र, श्री पवन कुमार बंसल ने शिक्षा का उल्लेख किया है। एक शैक्षिक संस्था एक सेवा प्रदाता संस्था है लेकिन क्या इस पर कर लगाया जा सकता है? कोई भी इसके दायरे को बढ़ा सकता है। अत: मेरा यह कहना है कि 'सेवाओं' की सावधानीपूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए क्योंकि अधिकाधिक सेवाएं आ रही हैं। मुझे बताया गया है कि तमिलनाडु सरकार सेल्युलर टेलीफोन से आने वाली कालों पर 12 प्रतिशत कर वसूल रही है। क्या इसे एक सेवा समझा जा सकता है? इस मामले में उनसे किस प्रकार का कर वसूल किया जा सकता है? अत: यह एक बहुत खतरनाक और व्यापक क्षेत्र है जहां आपको सावधानीपूर्वक चलना होगा। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से यही कहना है कि इसकी परिभाषा सावधानीपूर्वक की जाए। यहां तक कि मैं श्री पवन कुमार बंसल के सुझाव से भी सहमत हूं। उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि नियमों में इसकी परिभाषा की जानी है तो नियम भी तत्काल बना लिए जाने चाहिएं। मैं नहीं सोचता कि जो किया जा रहा है वह पर्याप्त है। यह स्वयं विधेयक में ही होना चाहिए।

दूसरा पहलू यह है कि अभी इसे संघ सूची में रखा गया है लेकिन राज्यों का क्या होगा उनकी स्थिति यह होगी कि कोई भी राज्य सेवाओं पर कोई कर नहीं लगा सकता। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार एक परिस्थिति की परिकल्पना कर रही है या यह उम्मीद कर रही है कि सभी कर—इस देश में जितनी भी संख्या में कर विद्यमान हैं—केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाएंगे। स्वभाविक रूप से राज्य सरकारों में भी कुछ करना है। अत: या तो आप सेवा कर को समवर्ती सूची में प्रविष्टि दें अन्यथा राज्यों को भी इसे राज्य सूची में रखे जाने की अनुमति दी जाए।

जैसा कि अभी डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति ने कहा कि अब नाई के कार्य को भी एक सेवा माना गया है। अत: क्या इस पर भी कर लगेगा? केरल में, अधिक संगठित सेवाएं हैं। बहुत से ट्यूरोरियल कालेज खुल रहे हैं और वहां बहुत से नर्सिंग विद्यालय और भेषज महाविद्यालय खुल रहे हैं। वे सभी सेवा कर के अन्तर्गत कर योग्य होंगे। ऐसे कुछ वास्तविक क्षेत्र हैं जहां राज्यों को आगे आना चाहिए और सेवाओं पर कर लगाना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ए.सी.जोस. कृपया अब समाप्त करें।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूं। मैं जानता हूं कि आज उपाध्यक्ष महोदय अस्वाभाविक रूप से कड़े हैं। वे सामान्यतया हमें पर्याप्त समय देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री ए.सी. जोस: मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। मैं नहीं जानता कि परिभाषा नियमों में दी जाएगी या मुख्य कानून में परन्तु उसके सावधानीपूर्वक शब्दों का चयन किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि राज्यों को भी करारोपण में कुछ स्थान, कुछ लाभ दिया जाना चाहिए। अब, यदि इसे संघ सूची में सम्मिलित किया जाता है तो राज्यों को इसमें कार्य करने हेतु कोई स्थान या कोण नहीं मिलेगा। माननीय वित्त मंत्री जी को इस पर भी विचार करना पड़ेगा। अन्यथा, यह सेवाओं पर कर लगाने का उचित समय है और यह प्रयास प्रशंसनीय है। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से अनुरोध करती हूं कि जब तक मेरा भाषण समाप्त न हो तब तक आप घंटी न बजाएं। मैं अपनी बात पांच मिनट में ही समाप्त कर लूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय: हां, आपको पांच मिनट दिए गए हैं।

डा. वी. सरोजा: महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद।

मैं यहां ए.आई.ए.डी.एम.के. और मेरी नेत्री माननीय मुख्यमंत्री, तमिलनाडु, डा. पुरात्ची थैलेवी अम्मा और ए.आई.ए.डी.एम.के. के सभी माननीय सदस्यों की ओर से इस विधेयक का विरोध करने हेतु खड़ी हुई हूं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि सेवा कर को राज्य सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए न कि संघ सूची में। इसमें सामान और सेवाओं का क्रय-विक्रय सम्मिलित है। सामानों के क्रय-विक्रय पर राज्यों का अधिकार है। महोदय, इस शुरूआत के आप मैं अपने विचार रखती हूं।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है और उसने निम्नलिखित उद्देश्य वर्णित किए हैं और हम निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने जा रहे हैं:

1. संघ सूची में विनिर्दिष्ट प्रविष्टि के रूप में 'सेवाओं पर कर'
2. नए अनुच्छेद, अर्थात अनुच्छेद 268क, का अंत:स्थापन।
3. अनुच्छेद 270 में पारिणामिक संशोधन का उपबंध करने के लिए उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे संसद को, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उक्त कर को उद्ग्रहण करने के और उनके आगमों को संग्रहण करने के लिए सिद्धान्त अवधारित करने हेतु विधि द्वारा सिद्धान्त विरचित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

उद्देश्यों और कारणों के कथन के चौथे कालम में यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावित विधि के अनुसार राज्यों को राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि करने में सहायक होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहूंगा कि इस संशोधन से राज्यों के वित्तीय संकट से निपटने में मदद कैसे मिलेगी।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान 25 अप्रैल, 2003 को एक तारांकित प्रश्न पर माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की सूची-2 की प्रविष्टि 54 के अनुसार सामानों के क्रय-विक्रय पर कर लगाना राज्य का विषय है। हम केवल बिक्री कर के स्थान पर मूल्यवर्धित-कर ला रहे हैं। मैं वैट (वी.ए.टी.) की व्याख्या जानना चाहूंगी। यह राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है। इसे समवर्ती सूची में भी नहीं रखा जाना चाहिए और इसे केवल राज्य की सूची में ही रहना चाहिए। केवल तभी प्रत्येक राज्य के सम्मुख आ रहे वित्तीय संकट को दूर किया जा सकेगा। मैं प्रत्येक वरिष्ठ नेता का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और सभी राजनैतिक दलों से इस विधेयक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करूंगी।

मैं सरकार से इसे राज्य सूची में ही रख देने का अनुरोध करूंगी।

सेवाओं पर कर लगाने के संबंध में इसका संग्रहण व विनियोजन करने का कर्तव्य राज्य और केन्द्र दोनों का है। सभी विशेषज्ञ समितियों ने राज्य-स्तर के 'वैट' हेतु तर्क दिया है। उस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का क्या परिणाम निकला? भारत सरकार बिक्री पर कर लगाने की शक्ति नहीं देती है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 84 के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क केवल उत्पादित सामान पर ही लगाया जा सकता है। भारत सरकार को संविधान को सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 97 के अवशिष्ट भाग पर निर्भर नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान ने शक्तियां दी हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि चूंकि यह संघ सूची की प्रविष्टि 97 में नहीं है अत: इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इस संशोधन को 92ग में डाल दें। हम इसका विरोध कहते हैं। अंतत: यह विधेयक, अपने वर्तमान स्वरूप में केवल भारत सरकार न कि राज्य सरकारों को सशक्त करता है। मैं इस प्रतिष्ठित सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इस पर पुनर्विचार करें, गहराई से ध्यान दें और इस विधेयक का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। यह राज्यों और केन्द्र के वित्तीय संबंधों पर अतिक्रमण करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बार पुन: भारत सरकार से इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करूंगी।

महोदय, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी। इस विधेयक में यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2000-01 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 'सेवा' क्षेत्र का योगदान 48.5 प्रतिशत रहा है।

महोदय, इसका अर्थ यह है कि सेवा क्षेत्र राज्यों की वित्तीय स्थिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उस स्थिति में, यदि इसे समवर्ती सूची में भी रखा जा रहा है तो इससे राज्य सरकारों के सम्मुख अधिक वित्तीय संकट खड़ा होने जा रहा है। राज्यों को यह अधिकार न देकर यदि आप इसे सम्मिलित करने जा रहे हैं या संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं तो यह सभी राज्यों के लिए एक आघात स्वरूप होगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन मुद्दों के ऊपर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला मुद्दा यह है कि इसमें डबल टैक्सेशन कम

[श्री किरीट सोमैया]

सिस्टम हो सकता है और हो रही है। सर्विस सेक्टर पर हम टैक्स लगाने जा रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि जैसे कुछ साल पहले हमने एंटरटेनमेंट टैक्स राज्यों को ट्रांसफर किया था तो राज्य सरकारें भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रही हैं और केन्द्र सरकार भी लगा रही है।

[अनुवाद]

यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री जी को स्पष्ट करना होगा। विधेयक में भी यह उल्लेख किया गया है कि राज्य और केन्द्र इसमें हिस्सेदार होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका बंटवारा कैसे होगा और क्या दोहरी कराधान प्रणाली आदि होगी। सेवा कर लगाने के बारे में एक प्रणाली ऐसी है कि सेवा प्रदाता लाभार्थियों से सेवा कर वसूल करेगा।

[हिन्दी]

लेकिन वह टैक्स कलेक्ट करके एक्सचेकर में जमा करा रहा है या नहीं, जमा हो रहा है या नहीं, इसके बारे में जो अभी सिस्टम है, उसमें कई त्रुटियां हैं। मैंने पहले भी सदन के ध्यान में यह बात लाई थी कि मुम्बई में केबल आपरेटर क्या कर रहे हैं। केबल सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर से पांच प्रतिशत या आठ प्रतिशत टैक्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन

[अनुवाद]

केवल 5 प्रतिशत संग्रहित कर ही जमा किया जा रहा है और यह मात्र केबल सेवा प्रदाता ही नहीं अपितु प्रत्येक मामले में हो रहा है।

[हिन्दी]

हर समय में ऐसा सिस्टम विकसित हो रहा है कि जैसे ही हम टैक्स लगाएंगे, वह कलेक्ट करेगा, लेकिन सरकार के पास नहीं आएगा, जबकि लोग पैसा देंगे।

[अनुवाद]

मेरे विचार में यह एक ऐसी बहुत बड़ी कमी है जिस पर राज्यों और केन्द्र दोनों का ध्यान गया है। इसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

मैं तीसरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसे सर्विस टैक्स में चीन की 1980 में जी.डी.पी. में एग्रीकल्चर सेक्टर की 30 प्रतिशत ग्रोथ थी।

[अनुवाद]

वर्ष 2001 में यह कम होकर 15 प्रतिशत रह गई विनिर्माण के क्षेत्र में यह 48 प्रतिशत से बढ़कर 51 प्रतिशत हो गई।

[हिन्दी]

भारत में स्थिति यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जी.डी.पी. में 70 प्रतिशत ग्रोथ थी लेकिन यह घटकर 24 प्रतिशत हो गई है। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर 26 प्रतिशत का शेयर टोटल जी.डी.पी. में है। मैन्यूफैक्चरिंग में इतना कम होना बहुत अच्छी बात नहीं है। हिन्दुस्तान में सर्विस टैक्स सेक्टर की भी 49 प्रतिशत ग्रोथ हो गई है।

[अनुवाद]

मैं सदन के ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

मैं इस पर कहना चाहता हूं कि जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर में हम 2010 तक शफिशिएंट हो जायेंगे। सूचना–प्रौद्योगिकी मुख्य कारकों में से एक है। यह एक्सपोर्ट का शेयर 33 प्रतिशत हो जायेगा। अमेरिका और इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो चुका है कि यहां से, भारत में बैठकर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कैसे बैन किया जाए। अमेरिका में पहले एक राज्य में एक प्राइवेट मेम्बर बिल आया। फिर दूसरे राज्य में, फिर तीसरे और चौथे राज्य में आएगा तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। सभी निर्णय–कर्ता यहां बैठे हैं। हम यह समझ नहीं पाते हैं कि अगर कभी अमेरिका में यह कानून बन गया तो हमारे सर्विस सेक्टर और एक्सपोर्ट ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगेगा।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री जसवंत सिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों तथा उनके द्वारा प्रकट किये गये विचारों के लिए मैं उनका आभारी हूं। पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं कि संविधान का यह संशोधन सामर्थ्यकारी उपबंध है। इसमें सेवाओं के ब्यौरे, तथा किस प्रकार की सेवाओं पर कर लगेगा और किन सेवाओं को इस विधेयक में सम्मिलित किया जायेगा इत्यादि का उल्लेख है। इस विधेयक को अभी संसद में प्रस्तुत किया जाना है। इसे उस अवसर पर प्रस्तुत किया जायेगा और वही उपयुक्त अवसर होगा। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसको संघ सूची में कर के एक उपाय के रूप में सम्मिलित किया जायेगा ताकि केन्द्र और राज्य दोनों

कर वसूल कर सकें। कर लगाने की जिम्मेदारी संघ सरकार की ही रहेगी।

अनेक मुद्दों को उठाया गया है और उन सबके जवाब में संक्षिप्त में दूंगा। उदाहरण के लिए छोटी-छोटी सेवाएं हैं, उन्हें कर के दायरे में क्यों शामिल किया जाये? लेकिन स्पष्ट है कि उन्हें शामिल किया जायेगा। इस बात को अनेक अवसरों पर स्पष्ट किया गया है कि वार्षिक कारोबार पर आधारित कराधान की न्यूनतम सीमा और वार्षिक कराधान सेवा कर विधेयक का अंग बनेगा। इस विधेयक में उन मामूली सेवाओं का भी वर्णन किया जायेगा। जिन पर कर लगने वाला है उन सेवाओं को भी जिनको कर से मुक्त किया जायेगा।

कुछ सदस्यों ने, विशेषकर एआईएडीएमके दल के सदस्यों ने केन्द्र तथा राज्य के बीच सेवा कर विभाजन के बारे में प्रश्न उठाये। अभी विधेयक प्रस्तुत किया जाना है। यह पूर्ण रूप से संभव है कि जब विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। तो सेवा कर का कुछ प्रतिशत, जैसे आठ प्रतिशत तो इसमें कुछ प्रतिशत राज्यों को भी दिया जायेगा। इससे माननीय सदस्यों को स्पष्ट जवाब मिल जाना चाहिए कि राज्यों के राजस्व में इससे वृद्धि होगी या नहीं। वाकई इससे राज्यों के राजस्व में वृद्धि होगी। यह स्वत: प्रमाण है कि वर्तमान में जिस मद पर कर नहीं लगता वह कर संसाधन हेतु उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से राजस्व में वृद्धि होगी। जब हम चर्चा करेंगे कि इस आठ प्रतिशत के कितने प्रतिशत को केन्द्र तथा राज्यों के बीच बांटा जायेगा। यह भी पूर्णतया संभव है कि कुछ सेवाएं जो विशेष प्रकृति की सेवाएं हैं उन पर केवल राज्यों का ही एकमात्र अधिकार रहे। लेकिन यहां हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि जब सेवा कर विधेयक पर चर्चा हो रही है तो हम विचार करेंगे कि किस चीज को बांटना है। क्या यह कर होना चाहिए जिसे बांटा जाए अथवा यह सेवा है। जिसे बांटा जाए? अन्तत: इससे यह होगा कि कुछ सेवाएं राज्यों के क्षेत्राधिकार में आ जायेंगी।

मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य समझेंगे कि संघ के सभी राज्यों में सेवाओं का एक समान विस्तार नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों का आकार छोटा है या भौगोलिक रूप से वे ऐसे स्थानों पर हैं कि वहां ऐसी सेवाएं नहीं हैं और यह केन्द्र की जिम्मेदारी है कि वह यथासंभव समानता सुनिश्चित करे। इन सभी मुद्दों पर उस समय विचार-विमर्श किया जायेगा जब संसद में सेवा कर विधेयक पर विचार किया जायेगा। राज्यों के हक में माननीय सदस्यों का कहना कि सेवा कर का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्यों में जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैं यह नहीं कह सकता कि हिस्सा 50 प्रतिशत ही होना चाहिए। यह संभव है कि कुछ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उनके पास अन्य निधियां हैं। वे 50 प्रतिशत से खुश हैं, मैं 70 प्रतिशत चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: लगाये जाने वाला यह नया कर है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। सभी करों को सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए इस नये प्रावधान पर ये संविधान (संशोधन) विधेयक लाया गया है कि जिस पर हम विचार कर रहे हैं तथा जो वास्तव में सामर्थ्यकारी उपबंध है।

मैं अब अनुरोध करता हूं कि सभा द्वारा इस विधेयक को पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को मतदान हेतु रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अत: इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें खाली कर दी जायें–

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

अपराह्न 3.07 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, दीर्घाएं खाली हो गई हैं। अब महासचिव स्वचालित मत रिकार्डिंग प्रणाली का प्रयोग करने के बारे में निर्देशों को पढ़ेंगे।

महासचिव: स्वचालित मत रिकार्डिंग प्रणाली का प्रयोग करते समय माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए:

1. मत विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाए और वहीं पर इस प्रणाली का उपयोग करें।
2. जैसाकि दिख ही रहा है मेरी कुर्सी के दोनों ओर ''प्रदर्शन पट के ऊपर लाल बल्ब'' जल रहे हैं। इसका अर्थ है कि मतरिकार्डिंग प्रणाली मत दर्ज करने के लिए तैयार है।
3. मतदान के लिए पहली घंटी बजने के तुरंत बाद निम्नलिखित दोनों बटनों को एक साथ दबाएं, यथा:

हेड फोन प्लेट पर सदस्य के सामने एक ''लाल'' बटन और

[महासचिव]

सीटों के डेस्कों के ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन:-

''पक्ष में'' - हरा रंग

''विपक्ष में'' - लाल रंग

''भाग नहीं लिया'' - पीला रंग

4. दोनों बटनों को तब तक दबाए रखना जरूरी है जब तक दूसरी घंटी न सुनाई दे और लाल बल्ब ''बुझ'' न जाए।

माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि यदि दूसरी घंटी बजने तक दोनों बटनों को दबाये नहीं रखा जाएगा तो उनका मत दर्ज नहीं होगा।

5. मत विभाजन के दौरान पीले बटन (पी) को न दबाएं।

6. सदस्य अपने मत को प्रदर्शन पट और अपनी डेस्क पर भी देख सकते हैं।

7. यदि उनका मत दर्ज नहीं होता है तो वे पर्चियों द्वारा मतदान के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है:

''कि भारत में संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 1] अपराह्न 3.15 बजे

अजय कुमार, श्री एस.

*अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

ए. नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एलानगोवन, श्री पी.डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कस्वां, श्री राम सिंह

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुरूप, श्री सुरेश

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री मनसूर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी.आर.

*खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गामलिन, श्री जारबोम

गालिब, श्री जी. एस.

गावीत, श्री रामदास रूपला

*गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गुढ़े, श्री अनंत

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

@गोगोई, श्री दीप

गोविन्दन, श्री टी.

गौतम, श्रीमती शीला

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चौखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

*चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री विकास

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

*चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जाधव, श्री सुरेश रामराव

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जावीया, श्री जी.जे.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोस, श्री ए.सी.

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

डूडी, श्री रामेश्वर

तिरुनावुकरसर, श्री सु

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@ गलत स्थान से मतदान किया और पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की गई।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देव, श्री विक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

*देवगौड़ा, श्री एच.डी.

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नायक, श्री ए. वेंकटेश

नीतीश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

परांजपे, श्री प्रकाश

पलानीमानिक्कम, श्री एस.एस.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटिल, श्री आर.एस.

पाटिल (यत्माल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री भास्करराव

पाटील, श्री शिवराज वि.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

*पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासी, श्री राजनारायण

पुगलिया, श्री नरेश

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

*फारूक, श्री एम.ओ.एच.

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह

''बचदा'', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

*बराड़ श्री. जे. एस.

बसवनागौड, श्री कोलूर

बसवराज, श्री जी.एस.

बसु, श्री अनिल

बेगम नूर बानो

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बोचा, श्री सत्यनारायण

ब्रह्मनैया, श्री ए.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भाटिया, श्री आर.एल.

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मकवाना, श्री सवशीभाई

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

महेता, श्रीमती जयवंती

मांझी, श्री रामजी

मांझी, श्री परसुराम

मान, श्री जोरा सिंह

माने, श्री शिवाजी

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत

मुण्डा, श्री कड़िया

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मूर्ति, श्री ए.के.

मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

यादव, श्री अखिलेश

यादव, डा. जसवंतसिंह

*यादव, श्री देवेन्द्र सिंह

यादव, श्री प्रदीप

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमैया, डा. बी.बी.

राजवंशी, श्री माधव

राजा, श्री ए.

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेन्द्रन, श्री पी.

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.

रामशकल, श्री

रामुलू, श्री एच.जी.

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री विष्णु पद

राव, डा. डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

*रावत, श्री रामसागर

रावले, श्री मोहन

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रेड्डी, श्री एस. जयपाल
रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर
रेड्डी, श्री बी.वी.एन.
रेनु कुमारी, श्रीमती
वंग्चा, श्री राजकुमार
वर्मा, डा. साहिब सिंह
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रवि प्रकाश
वर्मा, श्री राममूर्ति सिंह
*वाघेला, श्री शंकर सिंह
वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.
विजयन, श्री ए.के.एस.
विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
व्यास, डा. गिरिजा
शर्मा, कैप्टन सतीश
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शान्ता कुमार, श्री
शाह, श्री मानवेन्द्र
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिवकुमार, श्री वी.एस.
शुक्ल, श्री श्यामाचरण
षणमुगम, श्री एन.टी.
सईद, श्री पी.एम.
सईदुज्जमा, श्री
सनदी, प्रो. आई.जी.
सरोज, श्री तुफानी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सरोज, श्रीमती सुशीला
सांगतम, श्री के.ए.
साथी, श्री हरपाल सिंह
साहू, श्री अनादि
साहू, श्री ताराचंद
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रमण
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्र विजय
*सिंह, श्री चरनजीत
*सिंह, श्री छत्रपाल
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
*सिंह, श्री टीएच. चाओबा
सिंह, श्री बहादुर
सिंह, श्री बृज भूषण शरण
सिंह, श्री महेश्वर
सिंह, श्री राजो
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री लक्ष्मण
सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना
सिंह, सरदार बूटा
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिन्हा, श्री मनोज
सिन्हा, श्री यशवन्त
सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.
सुब्बा, श्री एम.के.
सुमन, श्री रामजीलाल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

स्वाइं, श्री खारबेल

हंसदा, श्री थामस

*हमीद, श्री अब्दुल

हान्दिक, श्री विजय

*हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

कलिअप्पन, श्री के.के.

कुमारासामी, श्री पी.

चिन्नासामी, श्री एम.

दिनाकरन, श्री टी.टी.वी.

पांडियन, श्री पी.एच.

मान, सरदार सिमरनजीत सिंह

श्रीनिवासन, श्री सी.

सरोजा, डा. वी.

सेल्वागनपति, श्री टी.एम.

अध्यक्ष महोदय: @शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में	:	283
विपक्ष में	:	09

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@पक्ष में: सर्वश्री आनन्दराव विठोबा अडसुल; जे.एस. बराड़; राम रघुनाथ चौधरी; बाल कृष्ण चौहान; एच.डी. देवगौड़ा; एम.ओ.एच. फारूक; दीप गोगोई; लक्ष्मण गिलुवा; अब्दुल हमीद; सैयद शाहनवाज हुसैन; चन्द्रकांत खैरे; रूपचन्द पाल; राममागर रावत; चरनजीत सिंह; छत्रपाल सिंह; टीएच. चाओबा सिंह; शंकर सिंह वाघेला और देवेन्द्र सिंह यादव ने मत विभाजन पर्ची के माध्यम से मतदान किया (श्री दीप गोगोई ने गलत स्थान से मतदान किया) कुल—283

विपक्ष में: श्री सी. श्रीनिवासन ने मतविभाजन पर्ची के माध्यम से मतदान किया। कुल: 9

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

दीर्घायें खोल दी जाएं।

खण्ड 2 से 4 में कोई संशोधन नहीं है। यदि सभा सहमत हो तो मैं खण्ड 2 से 4 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। इस स्थिति में मतदान का परिणाम प्रत्येक खण्ड पर अलग-अलग लागू होगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं, मैं खण्ड 2 से 4 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 2] [अपराह्न 3.30 बजे

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

ए. नरेन्द्र, श्री

एर्टाकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एलानगोवन, श्री पी.डी.

ओला, श्री शीश राम

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

करूणाकरन, श्री के.

*कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री अरूण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुरुप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री मनसूर अली

खान, श्री हसन

*खाबरी, श्री बृजलाल

खूंटे, श्री पी.आर.

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गामलिन, श्री जारबोम

गालिब, श्री जी. एस.

गावीत, श्री रामदास रूपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

*गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चन्देल, श्री सुरेश

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पद्मसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

*चौधरी, श्री विकास

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जाधव, श्री सुरेश रामराव

जाफर शरीफ, श्री सी.के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

*जालप्पा, श्री आर.एल.

जावीया, श्री जी.जे.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोस, श्री ए.सी.

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिरुनावुकरसर, श्री सु

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

*दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

देवगौड़ा, श्री एच.डी.

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नायक, श्री ए. वेंकटेश

नीतीश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परांजपे, श्री प्रकाश

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटिल, श्री आर.एस.

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री भास्करराव

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पार्थसारथी, श्री बी.के.

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम.ओ.एच.

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह

"बचदा", श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बराड़ श्री. जे. एस.

बसवनागौड, श्री कोलूर

बसवराज, श्री जी.एस.

बसु, श्री अनिल

बालू, श्री टी.आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बेगम नूर बानो

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बोचा, श्री सत्यनारायण

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भाटिया, श्री आर.एल.

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मकवाना, श्री सवशीभाई

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

महेता, श्रीमती जयवंती

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

मान, श्री जोरा सिंह

माने, श्री शिवाजी

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत

मुण्डा, श्री कड़िया,

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मूर्ति, श्री ए.के.

मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

यादव, श्री अखिलेश

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

[@]यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र सिंह

यादव, श्री प्रदीप

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

*रमैया, डा. बी.बी.

राजवंशी, श्री माधव

राजा, श्री ए.

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.

रामशकल, श्री

रामुलू, श्री एच.जी.

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री विष्णु पद

*राय, श्री सुबोध

राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री वाई.वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावत, श्री रामसागर

रावले, श्री मोहन

[@]गलत स्थान से मतदान किया और पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की गई।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री बी.वी.एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, डा. साहिब सिंह

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

*वर्मा, श्री राममूर्ति सिंह

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.

विजयन, श्री ए.के.एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिवकुमार, श्री वी.एस.

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन.टी.

सईद, श्री पी.एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई.जी.

*सरोज, श्री तूफानी

सरोज, श्रीमती सुशीला

सांगतम, श्री के.ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचंद

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रमण

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री चरनजीत

*सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री टीएच. चाओबा

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के.पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुब्बा, श्री एम.के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

कलिअप्पन, श्री के.के.

कुमारासामी, श्री पी.

चिन्नासामी, श्री एम.

दिनाकरन, श्री टी.टी.वी.

पांडियन, श्री पी.एच.

*मलयसामी, श्री के.

मान, सरदार सिमरनजीत सिंह

मुरुगेसन, श्री एस.

श्रीनिवासन, श्री सी.

सरोजा, डा. वी.

सेल्वागनपति, श्री टी.एम.

अध्यक्ष महोदय: **शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम@ इस प्रकार है:

पक्ष में : 327

विपक्ष में : 10

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।

खंड-1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 3

''पचानवेवां'' के स्थान पर

''अट्ठासीवां'' प्रतिस्थापित किया जाए (1)

(श्री जसवंत सिंह)

@इस मत विभाजन का परिणाम खंड 2 से 4 तक प्रत्येक खंड पर अलग-अलग लागू होगा।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**पक्ष में: सर्वश्री विकास चौधरी, किशन लाल दिलेर, प्रो. चमनलाल गुप्त, सर्वश्री आर.एल. जालप्पा, बली राम कश्यप, बृजलाल खाबरी, डा.बी.बी. रमैया, सर्वश्री सुबोध राय, तूफानी सरोज, छत्रपाल सिंह, राममूर्ति सिंह वर्मा और देवेन्द्र प्रसाद यादव ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने गलत स्थान से मतदान किया)

कुल—338

विपक्ष में: श्री के. मलयसामी ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुल—11

अध्यक्ष महोदय: दीर्घायें पहले ही खाली कर दी गयी हैं। अब मैं खंड 1, संशोधित रूप में सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 3] [अपराह्न 3.35 बजे

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

ए. नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एलानगोवन, श्री पी.डी.

ओला, श्री शीश राम

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

करूणाकरन, श्री के.

कश्यप, श्री बली राम

*कस्वां, श्री राम सिंह

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुमार, श्री अरूण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुरूप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री मनसूर अली

खान, श्री हसन

खूंटे, श्री पी.आर.

खैरे, श्री चन्द्रकांत

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गामलिन, श्री जारबोम

गालिब, श्री जी. एस.

गावीत, श्री रामदास रूपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

*जाधव, श्री सुरेश रामराव

जाफर शरीफ, श्री सी.के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जालप्पा, श्री आर.एल.

जावीया, श्री जी.जे.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोस, श्री ए.सी.

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिरुनावुकरसर, श्री सु

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तोमर, डा. रमेश चंद

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

*देवगौडा, श्री एच.डी.

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नायक, श्री ए. वेंकटेश

नीतीश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परांजपे, श्री प्रकाश

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटिल, श्री आर.एस.

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री भास्करराव

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पार्थसारथी, श्री बी.के.

पाल, डा. महेन्द्र सिंह

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम.ओ.एच.

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

''बचदा'', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बराड़ श्री. जे. एस.

बसवनागौड, श्री कोलूर

बसवराज, श्री जी.एस.

बसु, श्री अनिल

बालू, श्री टी.आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बेगम नूर बानो

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बोचा, श्री सत्यनारायण

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भाटिया, श्री आर.एल.

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मकवाना, श्री सवशीभाई

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

महेता, श्रीमती जयवंती

माझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

मान, श्री जोरा सिंह

माने, श्री शिवाजी

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत

मुण्डा, श्री कड़िया,

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मूर्ति, श्री ए.के.

मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

*मोहोल, श्री अशोक ना.

*यादव, श्री अखिलेश

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र सिंह

यादव, श्री प्रदीप

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमैया, डा. बी.बी.

राजवंशी, श्री माधव

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राजा, श्री ए.

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री राजू

*राधाकृष्णन, श्री वरकला

राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.

रामशकल, श्री

रामुलू, श्री एच.जी.

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री विष्णु पद

राय, श्री सुबोध

राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री वाई.वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावत, श्री रामसागर

रावले, श्री मोहन

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रेड्डी, श्री बी.वी.एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

वंग्चा, श्री राजकुमार

बनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, डा. साहिब सिंह

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ति सिंह

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.

विजयन, श्री ए.के.एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

*शाक्य, श्री रघुराज सिंह

शान्ता कुमार, श्री

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिवकुमार, श्री वी.एस.

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन.टी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सईद, श्री पी.एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई.जी.

सरोज, श्री तुफानी

सरोज, श्रीमती सुशीला

सांगतम, श्री के.ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचंद

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रमण

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री चरनजीत

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री टीएच. चाओबा

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधा मोहन

*सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के.पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुब्बा, श्री एम.के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

कलिअप्पन, श्री के.के.

कुमारासामी, श्री पी.

चिन्नासामी, श्री एम.

दिनाकरन, श्री टी.टी.वी.

पांडियन, श्री पी.एच.

*मलयसामी, श्री के.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मान, सरदार सिमरनजीत सिंह

मुरूगेसन, श्री एस.

श्रीनिवासन, श्री सी.

सरोजा, डा. वी.

सेल्वागनपति, श्री टी.एम.

अध्यक्ष महोदय: @शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 328

विपक्ष में : 10

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय: मैं यह प्रस्ताव करने से पूर्व कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए, यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अत: इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें पहले ही खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है:

''कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।''

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

@पक्ष में: सर्व श्री एच.डी. देवगौड़ा, सुरेश रामराव जाधव, रामसिंह कस्वां, अशोक ना. मोहोल, वरकला राधाकृष्णन, रघुराज सिंह शाक्य, राम प्रमाद सिंह और अखिलेश यादव ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुल : 336

विपक्ष में: श्री के मलयसामी ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुल: 11

*पर्चों के माध्यम से मतदान किया।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 4] [अपराह्न 3.40 बजे

*अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

ए. नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एलानगोवन, श्री पी.डी.

ओला, श्री शीश राम

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

करूणाकरन, श्री के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव

किन्डिया, श्री पी.आर.

*कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री अरूण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुरूप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री मनसूर अली

खान, श्री हसन

खूंटे, श्री पी.आर.

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गामलिन, श्री जारबोम

गालिब, श्री जी. एस.

गावीत, श्री रामदास रूपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पद्मसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती संतोष

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

*जाधव, श्री सुरेश रामराव

जाफर शरीफ, श्री सी.के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जालप्पा, श्री आर.एल.

जावीया, श्री जी.जे.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोस, श्री ए.सी.

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

ठाकुर, श्री पुंजीजी सदाजी

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

ढूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिरुनावुकरसर, श्री सु॰

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिलेर, श्री किशन लाल

दिघाथे, श्री नामदेव हरबाजी

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

देवगौड़ा, श्री एच.डी.

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नायक, श्री ए. वेंकटेश

नीतीश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परांजपे, श्री प्रकाश

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटिल, श्री आर.एस.

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री भास्करराव

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पार्थसारथी, श्री बी.के.

पाल, डा. महेन्द्र सिंह

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पुर्गालिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम.ओ.एच.

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह

''बचदा'', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बराड़, श्री जे. एस.

बसवनागौड, श्री कोलूर

बसवराज, श्री जी.एस.

बसु, श्री अनिल

बालू, श्री टी.आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बेगम नूर बानो

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बोचा, श्री सत्यनारायण

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भाटिया, श्री आर.एल.

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मकवाना, श्री सवशीभाई

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

महेता, श्रीमती जयवंती

माझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

मान, श्री जोरा सिंह

माने, श्री शिवाजी

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत

मुण्डा, श्री कड़िया,

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मूर्ति, श्री ए.के.

मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

मोहोल, श्री अशोक ना.

*यादव, श्री अखिलेश

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र सिंह

यादव, श्री प्रदीप

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमैया, डा. बी.बी.

राजवंशी, श्री माधव

राजा, श्री ए.

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.

रामशकल, श्री

रामुलू, श्री एच.जी.

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री वाई.वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावत, श्री रामसागर

रावले, श्री मोहन

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री बी.वी.एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, डा. साहिब सिंह

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ति सिंह

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.

विजयन, श्री ए.के.एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिवकुमार, श्री वी.एस.

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन.टी.

सईद, श्री पी.एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई.जी.

सरोज, श्री तूफानी

सरोज, श्रीमती सुशीला

सांगतम, श्री के.ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचंद

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रमण

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री चरनजीत

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

*सिंह, श्री टीएच. चाओबा

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के.पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुब्बा, श्री एम.के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

कलिअप्पन, श्री के.के.

कुमारासामी, श्री पी.

चिन्नासामी, श्री एम.

दिनाकरन, श्री टी.टी.वी.

पांडियन, श्री पी.एच.

मलयसामी, श्री के.

मान, सरदार सिमरनजीत सिंह

मुरूगेसन, श्री एस.

*श्रीनिवासन, श्री सी.

सरोजा, डा. वी.

सेल्वागनपति, श्री टी.एम.

अध्यक्ष महोदय: @शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 333

विपक्ष में : 10

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

''विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.41 बजे

(दो) संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 81, 82, 170 और 330 का संशोधन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर वोटिंग का टाइम फिक्स कर दें।

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@पक्ष में: सर्व श्री एस. अजय कुमार, सुरेश रामराव जाधव, सी. कुप्पुसामी, टी.एच. चाओबा सिंह और अखिलेश यादव ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुल : 338

विपक्ष में: श्री सी. श्रीनिवासन ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुल : 11

अध्यक्ष महोदय: छः बजे फिक्स कर देते हैं।

[अनुवाद]

इस विधेयक पर मतदान सायं 6 बजे होगा। अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा ने पहले संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 2001 अनुमोदित और पारित किया था जो बाद में दूसरे सदन से अनुमोदन प्राप्त होने पर भारत के संविधान का अंग बना। उस संशोधन के अनुसरण में इस सम्मानीय संसद ने परिसीमन अधिनियम, 2002 बनाया था। परिसीमन आयोग का गठन किया गया जिसमें उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, निर्वाचन आयोग के नामित सदस्य, श्री बी.बी. टंडन और राज्य निर्वाचन कार्यालय का एक नामित सदस्य था। इस परिसीमन आयोग ने अब कार्य शुरू कर दिया है।

परिसीमन आयोग द्वारा कार्य शुरू किए जाने के बाद से इस सभा के अनेक सदस्यों ने सरकार को अभ्यावेदन दिए। परिसीमन आयोग ने भी सदस्यों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर सरकार को पत्र लिखे। संक्षेप में, आयोग की राय थी कि निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः समायोजन के प्रयोजनार्थ 1991 की अंतिम जनगणना को आधार बनाने पर विचार किया जा रहा था। संविधान चौरासीवां संशोधन अधिनियमित करते समय 1991 की जनगणना के बारे में एक उपबंध किया गया था क्योंकि उस समय 1991 की जनगणना ही उपलब्ध थी यद्यपि 2001 की जनगणना का कार्य पूरा हो चुका था और आंकड़ों को तैयार करने का कार्य चल रहा था। यह अनुमान लगाया गया था कि सितम्बर अथवा अक्तूबर तक सरकार के पास प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। अतः, अधिकतर लोगों की यह राय बन रही थी कि यह परिसीमन 2026 के चुनाव तक लागू होगा, अर्थात् यदि चुनाव निर्धारित समय में होते हैं तो यह परिसीमन 2031 तक लागू होगा और इसके बाद नयी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

इस तथ्य को देखते हुए, एक अभ्यावेदन किया गया जिसमें आम राय यह थी कि हम 2001 की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन तक की प्रतीक्षा करें और इन्हें अंतर्विष्ट करें फिर परिसीमन कार्य करें क्योंकि हम नवीनतम प्रकाशित आंकड़ों से अगले ढाई से तीन दशकों के लिए आबद्ध हो जाएंगे। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जहां विभिन्न दलों ने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ दलों ने सरकार को लिखित में सुझाव दिए। दलों की सर्वसम्मति प्राप्त करने के बाद यह प्रस्ताव किया गया है कि 2001 की जनगणना को इस परिसीमन के प्रयोजनों के लिए लागू किया जाना चाहिए।

इसके अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या राष्ट्रीय स्तर तथा प्रत्येक राज्य के स्तर पर यथावत रहेंगी। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन 2001 की जनगणना के आधार पर दो कारकों पर विचार किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगी। दूसरे, मोटे तौर पर समान निर्वाचन क्षेत्र खंडों में समायोजन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जायेगा। अब संभवतः यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या अगले प्रत्याशित आम चुनाव जो 2004 के अंत में होने हैं, इस प्रक्रिया को पूरा करना संभव है। मैंने परिसीमन आयोग से यह जानना चाहा कि क्या वे इस दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं। आंकड़े प्राप्त होने के बाद ही वे अंतिम प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया है कि चूंकि अनंतिम आंकड़े उपलब्ध हैं इसलिए वे अभी भी आयोग की आंतरिक प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। प्रकाशन के बाद ही, वे सार्वजनिक सुनवाई करेंगे, अपने प्रस्ताव प्रकाशित करेंगे तथा इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे।

महोदय, मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि सर्वदलीय बैठक की तरह, सभा के भीतर तथा बाहर अनेक सदस्यों ने परिसीमन आयोग के कार्यकरण में संबद्ध सदस्यों की भूमिका के बारे में एक विचार व्यक्त किया है। इससे सदस्यों के विचार सामने आए हैं जिसकी जानकारी मैंने व्यक्तिगत रूप से तथा लिखित रूप से परिसीमन आयोग को दे दी है। मुझे परिसीमन आयोग से सकारात्मक उत्तर मिला कि जहां तक परिसीमन आयोग के कार्यकरण का संबंध है। सदस्य अपने मताधिकार को छोड़कर, क्योंकि संबद्ध सदस्यों के पास मताधिकार नहीं होता है। प्रारूप तैयार करने से लेकर प्रत्येक स्तर में पूरी तरह शामिल होंगे।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): यह सच नहीं है। संबद्ध सदस्य अभी तक इससे संबद्ध नहीं हैं। उन्हें गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): विधि मंत्रालय के हस्तक्षेप और सर्वदलीय बैठक के बाद वे संबद्ध सदस्यों से परामर्श कर रहे हैं। जब वे उड़ीसा को लेंगे तो वे आप से भी परामर्श कर सकते हैं।

श्री अरुण जेटली: इन शब्दों के साथ मैं इस सम्मानीय सभा से प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने के लिए इस पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक दस वर्ष के बाद परिसीमन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 330 के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। 1971 के बाद परिसीमन नहीं किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम नहीं हुआ है। चक्रानुक्रम की बहुत आवश्यकता है क्योंकि स्थान चक्रानुक्रम के बिना लोकतांत्रिक प्रणाली का कोई अर्थ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय विधि मंत्री श्री अरुण जेटली से इस पर विचार करने का आग्रह करता हूं। पिछले अवसर पर भी मैंने इनके बारे में कहा था। वर्ष 1993 में जब यही विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तो मैंने यही मुद्दा उठाया था। यदि लोकतंत्र का कोई अर्थ है और यदि नैसर्गिक न्याय होना चाहिए तो स्थानों का चक्रानुक्रम अवश्य होना चाहिए। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के 55 वर्षों के बाद भी हम निर्वाचन क्षेत्रों का चक्रानुक्रम नहीं कर सके। हम इस देश में किस तरह का लोकतंत्र चला रहे हैं? उन लोगों की समस्या का क्या हल है जो पिछले 50 वर्षों से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कर रहे हैं? इसी तरह सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य स्थानों के संबंध में अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को चुनाव लड़ने का कोई अवसर नहीं मिला। उन्हें आज भी चुनाव चाहिए और यह अति आवश्यक है। इसलिए, मैं सरकार तथा अपनी पार्टी से इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। केवल यही बात है। मैं इस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। यदि निर्वाचन क्षेत्रों का कोई चक्रानुक्रम नहीं होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है।

अनुच्छेद 82 के अनुसार, परिसीमन प्रक्रिया के पश्चात् दस वर्ष के बाद जनगणना का कार्य पूरा हुआ है और परिसीमन प्रक्रिया पुन: शुरू होगी। जब हम परिसीमन कार्य करते हैं तो हमें चक्रानुक्रम प्रणाली अपनानी चाहिए। यदि फिर भी आप इससे अधिक चाहते हैं तो आप तीन कार्यकाल की सीमा अथवा 15 वर्ष, जो भी संभव हो, बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ही आप इसे पुन: शुरू कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस बात का उत्तर देंगे।

एक और महत्वपूर्ण बात है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों की महिला उम्मीदवारों के आरक्षण के बारे में है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे अधिक है। इसलिए जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। पंचायती राज चुनावों में यह परिपाटी प्रचलित है। यह प्रक्रिया चल रही है। यहां कोई समस्या नहीं है। हम इस बात पर सहमत है। इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों की महिलाओं की अधिकतम संख्या को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।

मेरा दूसरा मुद्दा आरक्षित स्थानों की संख्या के बारे में है। भारत में आज की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बढ़ रही है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मामले में यह 18 प्रतिशत से बढ़कर 22.5 प्रतिशत हो गई है तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या के संबंध में यह 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई है। कुल प्रतिशत लगभग 32.5 प्रतिशत बनता है लेकिन सरकारी आंकड़े केवल 22.5 प्रतिशत ही बने हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ष 1971 से परिसीमन नहीं किया गया है। अत:, मेरा कहना यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुसार स्थान नहीं दिए गए हैं। पुन: आप वर्ष 2001 तक इसे संशोधित करेंगे। इसलिए, मैं यह मुद्दा आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्री की जानकारी में लाना चाहता हूं।

अपराह्न 3.53 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

मेरा कहना यह है कि विधेयक के पारित होने के तत्काल बाद उसी वर्ष के भीतर कम से कम परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। अन्यथा, इसमें और 10 वर्ष ओर लगेंगे। परिसीमन प्रक्रिया में और समय लगेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुसार संसद में सात से 10 तथा विधान सभा में 10 से 15 सीटें तक बढ़ाई जानी चाहिए।

वर्तमान में वांछित लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल सके। अत:, मेरा कहना है कि इस विधेयक के पारित होने की तारीख से, एक वर्ष के भीतर परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। हमें

वांछित लोगों को अवसर प्रदान करना चाहिए। मैं इस महत्वपूर्ण पहलू को माननीय मंत्री के समक्ष रखता हूं।

मैं ये तीन महत्वपूर्ण बातें सभा के समक्ष रखना चाहता था। मैं नहीं जानता कि निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम संबंधी प्रस्ताव के लिए भाजपा आगे क्यों नहीं आई। मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि चक्रानुक्रम नीति का अनुपालन न करके नैसर्गिक न्याय न किए जाने का क्या कारण है। मैं नहीं जानता कि भाजपा तथा 'राजग' में शामिल दल इस प्रस्ताव से सहमत क्यों नहीं हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष तथा विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी को सुझाव देना चाहता हूं कि निर्वाचन क्षेत्रों का चक्रानुक्रम किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मेरे इस सुझाव से मेरा दल सहमत होगा। यदि सत्तारुढ दल यह प्रस्ताव प्रस्तुत करती है तो मेरे विचार से मेरा दल इसका समर्थन करेगा। यदि निर्वाचन क्षेत्रों का चक्रानुक्रम नहीं होता है तो लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता है और सार्थक संसद भी कायम नहीं रह सकती हैं। इसलिए, मेरा पुन: निवेदन है कि निर्वाचन क्षेत्रों का चक्रानुक्रम होना चाहिए।

मैं, इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्वाचन आयोग 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया शुरू करेगा और इस विधेयक में उपबंध किया गया है कि यह कार्य 2001 की जनगणना के अनुसार पुन: समायोजित विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं को सौंप। जाए। इसमें एक अन्य परन्तुक भी है कि जहां तक व्यवहार्य हो भौगोलिक रूप से सघन क्षेत्रों, भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार और जन सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए और यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उत्तरांचल के संबंध में राज्य पुनर्गठन अधिनियम में इसी तरह का एक उपबंध है और उत्तरांचल राज्य में गठन संबंधी विधेयक यहां आने से पहले जब हमने सरकार के साथ इस मामले पर चर्चा की तो हमें बताया गया कि यह परन्तुक पर्वतीय क्षेत्रों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से रखे गए हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है और भौगोलिक रूप से अत्यंत व्यापक है। अत: उन्होंने कहा कि यह परन्तुक स्थानों के कोटा निर्धारण के बाद ही नहीं अपितु कोटा निर्धारण के दौरान भी लागू होगा। हम उस समय यही बताया गया था।

महोदय, मैं संसद में लम्बे समय से हूं और मैंने देखा है कि जहां भी पर्वतीय क्षेत्रों का संबंध है, उन्होंने सदैव इस बात का ध्यान में रखा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ढाई जिले रहे हैं और वहां विधायक और सांसदों की संख्या उतनी ही बनी हुई है। नई जनगणना के अंतर्गत वे इसमें बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम संबद्ध सदस्यों के रूप में सरकार से मिले तो हमें बताया गया कि उत्तरांचल में सभी जिलों में से पर्वतीय जिलों से केवल एक स्थान हटाया जाएगा। इसका अर्थ हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में छह स्थान कम हो जाएंगे और यह स्थान गैर–पर्वतीय क्षेत्रों को दे दिए जाएंगे। यह पिछले 50 वर्षों से चली आ रही प्रथा से विपथन है और यह उस समय से भी हटना है जब हम उत्तर प्रदेश राज्य में थे। इस पर हमें बहुत आपत्ति है और सभी दलों के संबद्ध सदस्यों के रूप में हमने बैठक में जोरदार और एकजुट होकर विरोध किया था कि भौगोलिक विशेषताओं आदि की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और प्रत्येक जिले के लिए स्थानों का चयन करने से पूर्व इन्हें परिसीमन का भाग बनाया जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि नहीं, वह जनसंख्या के आधार पर विधायकों की संख्या तय करेगा।

अपराह्न 4.00 बजे

सदस्यों की संख्या के बारे में निर्णय करने के पश्चात् वे भौगोलिक विशेषताओं के बारे में निर्णय करेंगे कि प्रत्येक विधायक को कितना क्षेत्र मिलना चाहिए। इस बात पर हमने आपत्ति की है और हमने जोरदार ढंग से आपत्ति की है।

चूंकि परिसीमन आयोग इस बात पर अड़ा हुआ है कि वह ऐसा नहीं करेगा। इसलिए केवल एक ही विकल्प है कि इस सभा में आकर निर्णय लिया जाए। यह सभा हमें संरक्षण दे और हम इसका अनुपालन करेंगे। अत: मैं सरकार और सभा में संरक्षण चाहता हूं कि जहां कहीं भी पर्वतीय क्षेत्रों का संबंध हो हमें शेष मैदानी क्षेत्रों के बराबर नहीं रखा जाना चाहिए। हमारी स्थिति अलग है। पर्वतीय क्षेत्रों में परिदृश्य अलग है और इसलिए हमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग मानदण्ड निर्धारित करने पड़े। मैं केवल अपने क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा अपितु मैं विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की भी बात कर रहा हूं। मैंने उनकी कठिनाई देखी है और इसे दूर किया जाना चाहिए।

अत:, मैं सरकार से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। हमने बहुत कुर्बानी दी है।

[हिन्दी]

हमने खून दिया और मलाई किसी और को मिले, खुदा के वास्ते आप न करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे आप गम्भीरता से सोचें आज की मीटिंग में सरकार हमें कुछ आश्वासन दे और बिल की फोर्म में, एक्ट की फोर्म में, नोटिफिकेशन की फोर्म में आप हमें प्रोटैक्शन दें, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे पर सरकार तथा मुख्य विपक्षी दल के बीच सहमति है और संभवत: कुछ अन्य दल भी इसका समर्थन कर रहे हैं।

हमारा मूल प्रश्न है और हमें आशा है कि माननीय मंत्री इसे स्पष्ट करेंगे। यह हानिरहित तथा इस देश में हुई जनगणना के बहुत निकट प्रतीत होता है। लेकिन हम जनगणना के पश्चात् संबद्ध आंकड़ों के प्रकाशन के बारे में मुख्य मुद्दा उठा रहे हैं।

2001 की जनगणना प्रक्रिया पूरी हो गई है लेकिन परिणाम आने अभी शेष है। ये परिणाम कब आएंगे यह पता नहीं है। माननीय मंत्री के पास कोई जानकारी है तो हमें बता सकते हैं। अगला चुनाव 2004 में होने हैं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): यह कैसे 2004 कह सकते हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी: शायद 2003 में। मुझे 2003 का स्वागत करना चाहिए।

श्री के. येरननायडू: विगत अनुभव के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह उनकी पार्टी पर निर्भर करता है।

प्रश्न अगले चुनाव से संबंधित है; अगला चुनाव 2003 अथवा 2004 में हो सकता है। मैं उन्हें यह बताने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री के. येरननायडू: मैं पांच वर्ष की अवधि चाहता हूं जनता ने हमें पांच वर्षों के लिए चुना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्योंकि मुख्य सहयोगी दल चाहता है कि चुनाव 2004 में हों, तो शायद 2004 में हों। सरकार में न होकर वह मजे कर रहे हैं।

महोदय, 1991 के आंकड़े ही ऐसे आंकड़े हैं जिसकी जांच परिसीमन आयोग कर सकता है। वर्ष 2001 के आंकड़े, जिनके बारे में हम अब सोचते हैं, परिसीमन आयोग को उपलब्ध नहीं होंगे। माननीय मंत्री इस बारे में हमें संतुष्ट करें। ये सब प्रक्रिया करने के बाद यह अगले चुनाव के बाद क्रियान्वित होगा। तब क्या यह विलंबित परिसीमन को स्थगित करने का मामला नहीं होगा? मुझे याद है कि गृह मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति में श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो अब हमारे प्रतिष्ठित उप प्रधानमंत्री है–निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: परिसीमन किए जाने की सदैव वकालत करते रहे। मेरा मानना है कि यह सही है। लेकिन इसे बिलकुल भी लागू नहीं किया जा सकता है। यह सही है कि हमने इसे 2026 तक के लिए बनाया है। यह पहले भी हो सकता है। कोई नहीं जानता बाद में सभा की संरचना क्या होगी और अगली सभा का संयुक्त मत क्या होगा? अगले चुनाव मौजूदा 1991 की जनगणना के आधार पर ही क्यों होने चाहिए? इसका कारण है कि 2001 की जनगणना प्रभावी नहीं होगी मौजूदा जनगणना जारी रहनी चाहिए। अत:, हम कह रहे हैं कि वर्ष 2001 के आंकड़े, जो आने वाले समय में कुछ समय तक उल्लिखित करने की बजाय संविधान में कागजों पर ही उपबंध होंगे, हमें पूर्ण रूप से उपलब्ध वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़ों पर कायम रहना चाहिए।

इस देश में हमने संयुक्त सूझबूझ से इस सभा में स्थानों की निर्धारित संख्या के बारे में निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया है कि वर्ष 2026 अगला प्रभावी जनगणना वर्ष होगा। हम अनुच्छेद 81(3) का संशोधन कर रहे हैं जिसकी उप अनुच्छेद (2) के प्रयोजन के लिए प्रासंगिकता है। जो संसद अथवा राज्य विधानमंडलों में यथास्थिति स्थानों की संख्या तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और वहां आबंटित स्थानों की संख्या के अनुपात में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आकार का निर्णय करता है। यहां कानून है लेकिन महोदय, मुझे कहना चाहिए कि यदि मैं इस कथन का प्रयोग कर सकता हूं तो यहां बिलकुल विचारशून्यता है। हमारा मानना है कि सरकार 2001 की जनगणना के प्रभाव को अगले चुनाव के लिए स्थगित करने की कोशिश कर रही है।

अत:, हमारा कहना है कि यह वर्ष 1991 की जनगणना होनी चाहिए जैसाकि आज है। यह केवल जनता को दिखाने के लिए हैं कि वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि यह अधिक निकट है, यह कुछ राज्यों में प्राकृतिक प्रक्रिया से, पलायन से अथवा जन्म दर में कमी आने से आए बदलाव पर ध्यान देगा। अत:, यह महत्वपूर्ण बात है। जनगणना पूरी हो गई है। यह देश अथवा परिसीमन आयोग को उपलब्ध नहीं है अत: जहां तक आगामी लोक सभा चुनाव का संबंध है, यह कवायद बेकार रही। माननीय मंत्री ने हमें ठीक ही याद दिलाया है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्री येरननायडू को लगता है कि यह प्रक्रिया अक्तूबर तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने अभी-अभी यह बात कही है। 2001 के आंकड़े कब उपलब्ध कराए जाएंगे? वे किन आंकड़ों पर कार्य करेंगे? मुझे ठीक से पता नहीं है कि संबद्ध सदस्यों से उचित रूप से परामर्श किया गया था अथवा नहीं, ऐसा कब किया जाएगा? अत:, महोदय, केवल जनता को दिखाने के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा वस्तुत: किया जाना चाहिए। यह देश के मूलभूत

कानून का अंग बनेगा। यह विधान की उच्चतम प्रक्रिया है जिसे हम पूरा कर सकते हैं।

हम अब संविधान बनाने की प्रक्रिया में भाग ले रहे है। यह केवल इस हेतु ही नहीं हो सकती और इसलिए भी नहीं कि कुछ दल ऐसा महसूस करते हैं। यह कार्य सर्वसम्मति से पूरा किया जाना चाहिए। यह सही है कि प्रयास किया गया था। एक बैठक हुई थी जिसमें लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। इसके बाद कुछ दलों को कहा गया कि यदि आवश्यक हो, तो वे लिखित में दें। मैं नहीं जानता कि श्री येरननायडू के दल ने कोई लिखित टिप्पण दिया है अथवा नहीं। श्री येरननायडू क्या आप ने कोई लिखित टिप्पण दिया है?...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: जी नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आपने प्रस्तुत नहीं किया है। आप हमेशा उनसे सहमत होते हैं।

अत:, महोदय, हमें इस मुद्दे पर किन्हीं स्पष्टीकरणों की आवश्यकता होगी...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: मुख्य दल इस बात से सहमत हैं। हमें बहुमत की राय से चलना होगा...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप परिणाम देखिए, आपके साथ क्या होगा।

महोदय, अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि वह इसके औचित्य की तुलना में आगामी चुनाव, चाहे वह इस वर्ष हों अथवा अगले वर्ष हों में इनका प्रभाव स्पष्ट करें; क्या 2001 के ये जनगणना आंकड़े प्रासंगिक हो सकते हैं अथवा प्रासंगिक होंगे। यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मेरे विचार से संविधान में संशोधन न करें। यदि तब सत्तारूढ दल के पास पर्याप्त बहुमत होगा तो हम अगली बार संशोधन कर सकते हैं क्योंकि ये सभी अस्थायी चरण हैं। अगला सत्तारूढ दल; सत्तारूढ गठबंधन इसके बारे में निर्णय करेगा। उससे पहले कोई आफत नहीं आ जाएगी क्योंकि यह काम जो चल रहा है वह कागजों पर उपबंध है।

महोदय, अत: हम सिद्धांतत: महसूस करते हैं कि सरकार को इस मामले में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2001 में संविधान (चौरासीवां) संशोधन के द्वारा हमने 2026 तक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तदैव रखी है। हमने 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन अधिनियम पारित किया। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़े पहले से ही उपलब्ध हैं लेकिन सरकार के अनुसार सरकारी आंकड़े राजपत्र में घोषित नहीं किए गए हैं। एक बार जब 2001 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे, तो हमें 1991 की जनगणना के आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन यही जनगणना में आंकड़े 2026 तक चलेंगे। अत:, यह पुराने हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि जनगणना आंकड़े यथाशीघ्र प्रकाशित कराए जाएं तथा परिसीमन आयोग को सौंपे जाए तथा 2001 की जनगणना के आधार पर उन्हें अपना कार्य पूरा करना होगा। चुनाव एक सतत प्रक्रिया है। ग्यारहवीं लोक सभा तथा बारहवीं लोक सभा का कार्यकाल कितने समय रहा? यदि परिसीमन आयोग 2001 की जनगणना के अनुसार अपना कार्य पूरा कर लेता है तो विधान सभा चुनाव अथवा संसद के लिए ही यह स्वाभाविक रूप से लागू होंगे। यदि आंकड़े उपलब्ध नहीं है और जनगणना पूरी नहीं हुई है तो हमें 1991 की जनगणना के उपलब्ध आंकड़े लेने होंगे...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: जब तक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, यह काम नहीं किया जा सकता है...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि ये आंकड़े सितम्बर अथवा अक्तूबर में उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए, हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

दूसरा, परिसीमन आयोग को कतिपय निदेश देने होंगे। विधि के उपबंधों और मार्ग निदेशों के अनुसार परिसीमन किया जाना चाहिए। परिसीमन आयोग के पास अधिक विवेकाधिकार शक्तियां है। इसलिए, विवेकाधिकार शक्तियां कम होनी चाहिए। सब कुछ नियमों के अनुसार होनी चाहिए। परिसीमन अधिनियम के आधार पर हमें नियम बनाने होंगे तथा परिसीमन आयोग को मार्गनिदेश देने होंगे कि यह कब, कैसे शुरू होगा तथा कैसे समाप्त होगा। अन्यथा भौगोलिक सीमाएं बदलेंगी; कुछ लोग प्रभाव डाल सकते हैं और कुछ नहीं तथा सभी लोग इस बारे में चर्चा करेंगे।

इसलिए, हमें विवेकाधिकार शक्ति के लिए और अधिक गुंजाइश छोड़े बिना मार्गनिदेश बनाने होंगे। इसके बाद सभी परिसीमन को स्वीकार करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं द्रमुक की ओर से मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं परिसीमन आयोग में संबद्ध सदस्य हूं। मैं उसका समर्थन करते हुए अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं...*(व्यवधान)* अंतत: मैं कहता हूं

[श्री सी. कुप्पुसामी]

कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

लेकिन संबद्ध सदस्यों को इस मामले में बोलने का प्रभावी अधिकार नहीं दिया गया है और यह आश्वासन भी नहीं दिया गया है कि संबद्ध सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों पर ध्यान दिया जाएगा। अब संविधान (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्गठित करना है। यदि पुनर्गठित करने में 2001 की जनगणना के आंकड़ों को लिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा करते समय परिसीमन आयोग को एक व्यापक अध्ययन करना चाहिए तथा इसके फायदे और नुकसान की गहराई से जांच करनी चाहिए। मुख्य राजनैतिक दलों के विचारों पर विचार किए बिना निर्वाचन क्षेत्रों का मनमाने ढंग से पुन: निर्धारण अथवा पुन: समायोजन नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे संबद्ध सदस्यों के लिए पर्याप्त शक्तियां देने, स्थान आबंटन, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुन: समायोजन तथा निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के संबंध में परिसीमन आयोग में बोलने का अधिकार सुनिश्चित करें। मैं परिसीमन आयोग का संबद्ध सदस्य हूं लेकिन परिसीमन आयोग में मेरा अनुभव अत्यधिक असंतोषजनक रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वह संबद्ध सदस्यों को समय से पहले जानकारी, सांख्यिकी आंकड़े, निर्वाचन क्षेत्र-वार मानचित्र प्रदान करे जिसमें राजस्व संघ राज्य क्षेत्रों सहित पंचायत खण्डों तथा पंचायतों का निर्धारण, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्तावित विन्यास मानचित्र, पुन: समायोजन प्रभाव, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: निर्धारण अंतर्विष्ट हो ताकि संबद्ध सदस्यों को गहन अध्ययन का पर्याप्त समय मिल सके और वे रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व बहुमूल्य जानकारी और योगदान दे सकें।

परिसीमन आयोग में बैठक करवाने तथा संबद्ध सदस्यों की राय पर विचार करने के अतिरिक्त परिसीमन आयोग को विभिन्न केन्द्रों पर जन सुनवाई करवानी चाहिए जहां राजनैतिक दलों के विभिन्न नेताओं, वकीलों, राजनैतिक विचारकों जनसंख्याविदों तथा अन्य विशेषज्ञों सहित बुद्धिजीवियों को विचार जानने हेतु आमंत्रित उन्हें किया जाए। जन सुनवाई में संबद्ध सदस्यों तथा विभिन्न दलों और विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त अभिमत और राय पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही परिसीमन आयोग इनके आधार पर अपनी रिपोर्ट दे सकता है।

अत:, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री सभी बातों पर विचार करने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के लिए संविधान का संशोधन करना बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है लेकिन मुझे अफसोस है कि संविधान संशोधन जैसे मामले पर भी सरकार सुविचारित और सुचिन्तित विधेयक नहीं ला पाती। मैं आपसे और सरकार से दर्ख्वास्त करूंगा कि 84वें संविधान संशोधन विधेयक पर जब बहस हुई थी तो उस समय एक विचार हुआ था। उसमें कृपा करके देखा जाए कि संविधान का आर्टिकल 82 क्या कहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान का अनुच्छेद 82 बोलता है कि ''प्रत्येक जनगणना के बाद पुन: समायोजन'' इसलिए जब यह 84वां संशोधन विधेयक आया था, तो कानून मंत्री को याद होगा, यदि याद नहीं हो, तो प्रोसीडिंग्स निकाली जाएं, आज जिस बात के लिए संविधान संशोधन विधेयक आया है, ये सारी बातें उस समय कही गई थीं। हमने कानून मंत्री महोदय से आग्रह किया था कि कोई भी इस बात को सुनेगा कि 2000 के बाद वर्ष 2001 में सैंसस होगा और 2001 के बाद जो लिमिटेशन होगा, उसमें 1991 की जनगणना के आधार पर यदि लिमिटेशन होगा, तो यह असंवैधानिक कहा जाएगा, हास्यास्पद कहा जाएगा। हम लोग भुक्तभोगी हैं, हम पर टिप्पणी की जाती है। यहां भी कहा कि बहस करा देते हैं। 2001 के बाद डीलिमिटेशन होगा और बाद में एक से न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की। संयोग से बीच में दूसरे कानून मंत्री आ गए थे, उससे पहले भी जेटली जी थे और अब भी जेटली जी हैं। इसलिए मैं सभी बातों की याद दिलाना चाहता हूं। कभी-कभी सत्ता पक्ष का मुख्य विपक्ष से तालमेल हो जाता है, तो उस समय कोई कायदा-कानून नहीं देखते और जो मन में आता है वह कानून पास कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसके प्रोज एंड कौन्स पता चलते हैं और बाद में पता चलता है कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह कितने अफसोस की बात है कि बाहर कहा गया कैसे मैम्बर आफ पार्लियामेंट हैं जो इस प्रकार का विधेयक पास करते हैं। कानून मंत्री ने दावा किया कि यह बहुत बुद्धिमत्ता और कानूनवेत्ता का परिचय देकर लाया गया है, लेकिन जब पुनर्सीमांकन आयोग ने पत्र लिखा कि वर्ष 2002 या 2003 में डीलिमिटेशन होगा, तो वर्ष 2001 की जनगणना के संपूर्ण आंकड़े जल्दी से उस कार्य को पूरा कर के दिए जा सकते हैं। यह कार्य तेजी से करना चाहिए। जनगणना विभाग से निवेदन किया जा सकता था कि जनगणना का काम तेजी से होना चाहिए। जन पुनर्सीमांकन आयोग ने पत्र लिखा, तब इन्होंने उस बात को माना।

महोदय, यहां दिल्ली के सांसद नहीं बैठे हैं। यह बहुत सैंसिटिव मामला है, लेकिन दिल्ली के सांसद उपस्थित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे वोटिंग के समय ही आएंगे। दिल्ली के श्री मदन लाल खुराना जी, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी

उपस्थित नहीं है। उन्हें इसमें रुचि लेनी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल और सरकारी पक्ष यदि मिल जाए, तो कुछ भी कराया जा सकता है। संविधान की धारा 82 बोल रही है कि प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन होना चाहिए। जब 2002 में डीलिमिटेशन होगा, तो 1991 की जनगणना के आधार पर उसके होना का कोई आधार नहीं है क्योंकि 2001 में जनगणना हो चुकी है। इसलिए यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। इस बारे में सारी बहस हुई है, लेकिन उसको सुनता कौन है? जब मुख्य विपक्षी दल और सत्ता पक्ष मिल जाते हैं, तो फिर कोई कानून पास कराया जा सकता है। उसमें नियम, कानून और संविधान की धाराओं की व्याख्या का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए यह जो संशोधन विधेयक आया है, यह उचित है, भूल सुधार हुई है। इस हेतु सरकार को खड़े होकर कहना चाहिए कि हमने कसूर किया है, गलती की है।

महोदय, सदन के जितने भी लोग हैं, उन सब की धज्जियां उड़ाई गईं, लेकिन हम लोग क्या करें? अब 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किए जाने का जो संशोधन आया है, यह संविधान सम्मत है। उस समय जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था, यह संविधान सम्मत नहीं था, यह असंवैधानिक था। आर्टीकल 82 की भावना के खिलाफ था। 2001 की जनगणना के आधार पर डीलिमिटेशन कानून भी पास हुआ है, तो क्या केवल संविधान संशोधन विधेयक 96वें पारित कर देने से हो जाएगा या डीलिमिटेशन कमीशन में भी 1991 की जगह 2001 लिखना होगा। डिलिमिटेशन कानून जो बना है, उसमें 1991 लिखा है, आप उसमें भी 2001 लिखाएंगे और तब इसकी प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी। इस तरह सुविचारित और सुचिंतित संविधान संशोधन कैसे नहीं हो रहा है, जिस समय यह बिल पास हो रहा था-डिलिमिटेशन का या संविधान का बिल पास हुआ हो, माननीय सदस्यों ने आम तौर पर उसमें रूचि नहीं ली। जब अखबार छापने लगा कि यह रिजर्व हो रहा है, यह रिजर्वेशन टूट रहा है तो लोगों को छटपटाहट होने लगी। असेम्बली, राज्य में सब अखवार वाले छापने लगे कि यह हट रहा है, नया हो है, बढ़ रहा है, घट रहा है। यह सारा मामला हम लोगों से ही संबंधित है, जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, वोट लड़ना चाहते हैं अथवा असेम्बली के जो सदस्य वोट लड़ना चाहते हैं, उन्हीं से संबंधित यह मामला है, लेकिन अब उसमें लोग मुस्तैद नहीं होंगे। जब यह बिल पास हो जाएगा तो उसका कुप्रभाव पड़ने लगेगा और लोगों में बेचैनी शुरू होगी। इसलिए संविधान के हिसाब से डिलिमिटेशन का जो नया कानून बना, उस समय हम लोगों ने पारित किया। उसमें यह आना चाहिए था कि यह विधेयक भी आएगा। चूंकि यह संविधान संशोधन है, उसे भी पारित करके, यह डिलिमिटेशन आयोग में जाना चाहिए।

महोदय, डिलिमिटेशन आयोग बना, ठीक बात है। जिन एसोसिएट मेम्बर्स का आसन से चुनाव हुआ, हरेक राज्य में पांच-पांच लोक सभा सदस्य चुने गए और विधान सभा के भी पांच-पांच सदस्य चुने गए। कुछ राज्यों में चुना है कि डिलिमिटेशन आयोग ने अपने मन से कर लिया है, उन्होंने बैठक बुला कर केवल रस्म पूरी कर ली है कि आप एसोसिएटर मेम्बर्स हैं, आपको वोटिंग की पावर नहीं है, इसलिए आप लोग खाली सुन लीजिए। डिलिमिटेशन आयोग ने जो निर्णय कर लिया, वही हो गया। यह बात जब हम लोगों के सुनने में आई, राजस्थान और दिल्ली में जानकारी मिली, कोई डिलिमिटेशन आयोग सुनने को तैयार नहीं था। इसी सदन में जब सवाल उठा तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दोबारा गौर किया और कानून मंत्री जी ने बैठक बुलाने का काम किया तथा सभी दल के नेताओं की बैठक हुई। उसमें यह तय हुआ कि सभी की राय ली जाए कि क्या होना चाहिए। उसमें फिर बातें उभर कर आईं कि 91 की जनगणना के आधार पर नहीं, 2001 की जनगणना के आधार पर होना चाहिए और उसी आधार पर यह कानून आया है। डिलिमिटेशन आयोग को हिदायत दी जानी चाहिए कि वे जो फार्मूला और प्रक्रिया बनाते हैं, हम असली प्रेक्टीकल और व्यावहारिक बात बता रहे हैं, यह तो होना ही है। हम लोग वोट लड़ते हैं और आफिसर लोग बनते हैं, उन्हें इससे क्या मतलब है। जनता के बीच में हम लोग लड़ कर आते हैं, इसलिए हम लोगों से उसका मतलब होना चाहिए। उसमें यह हो रहा है कि हरेक राज्य में हुआ, उत्तर-दक्षिण की भी उसमें फिलिंग हुई, पहले जितना डिलिमिटेशन हुआ, जो सीटें बढ़ती थीं, इसमें यह हुआ कि जनसंख्या बढ़ रही है और सीटें जहां की तहां हैं।

महोदय, हम लोगों ने सवाल उठाया था कि ऐसा क्योंकि हुआ तो यह कहा गया कि कुछ राज्य दक्षिण के ज्यादातर राज्यों ने जनसंख्या में नियंत्रण किया, पापुलेशन कंट्रोल की प्रक्रिया तैयार की और उत्तर के चार-पांच राज्य के लोगों ने नहीं किया, उनकी जनसंख्या बढ़ गई। उन लोगों को बीमारू राज्य कहा जाता है, उनकी जनसंख्या में नियंत्रण में कमी की गई। नियंत्रण नहीं किया गया, इस वजह से उनका प्रतिशत ज्यादा बढ़ा। अब आबादी के आधार पर सीटें बढ़ाई जाएंगी और कहा जाएगा कि वे पुरस्कृत हो रहे हैं। उनका प्रतिनिधित्व और संख्या बढ़ रही है और दक्षिण वाले की घट रही है, यह कहा गया और इस भय से सरकार ने यह फैसला लिया कि या तो 71 की जनगणना के आधार पर जो सीटें तय हुई थीं, उसी आधार पर सीटें हैं। विधान सभा की जो सीटें हैं, वे उतनी ही रहेंगी, लोक सभा की जो सीटें हैं वे उतनी ही रहेंगी, यह 2026 तक फैसला ले लिया गया कि उन सीटों में कोई वृद्धि नहीं होगी। लेकिन अनुसूचित जाति की सीटों में वृद्धि हो सकती है। जैसे बिहार में जो डीलिमिटेशन कमीशन बैठा, उसने फार्मूला बनाया। बिहार का बंटवारा हो गया, दो राज्य बिहार और झारखंड बन गये। दोनों को मिलाकर सम्पूर्ण बिहार में पहले आठ

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

सीटें शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्व थीं। बंटवारे के बाद सात सीटें बिहार में हो गईं और एक सीट झारखंड में हो गई। लेकिन आबादी के परसेंटेज के हिसाब से झारखण्ड में दी सीटें होनी चाहिए। बिहार में एक सीट घटनी चाहिए, बिहार में सात में से छः हो जाएंगी और झारखंड में एक सीट रिजर्व थी, उसमें दो हो जाएंगी, यह आपके फार्मूले से होगा।

जो लोग शैड्यूल्ड कास्ट्स के वोट से चुनाव लड़कर आते थे, उनके अन्दर छटपटाहट होने लगी कि कौन सी सीट हटेगी, कौन सी सीट जनरल हो जायेगी। रामविलास पासवान बड़े भारी नेता हैं, उनको लगा कि उनकी सीट जनरल हो जायेगी तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वे लोग बिना रिजर्व सीट के मैम्बर होने वाले नहीं हैं, इसलिए छटपटाहट दिखा रहे हैं। अखबार वाले ने छाप दिया कि यह खोलकर जनरल हो रही है, इस सीट के बदले यह सीट हो रही है पैनिक हो गया। हम लोग कमीशन के मैम्बर हैं, हमें डीलिमिटेशन कमीशन में आसन से आप लोगों ने चुनकर भेजा, हमसे सब लोग अपेक्षा करते थे कि ये हम लोगों को बताएंगे, लेकिन हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था। न कोई बैठक हुई थी, कोई जानकारी नहीं थी और अखबार छाप रहा था। बाद में जब सदन में सवाल उठा तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक बुलाई और डीलिमिटेशन कमीशन को बुलाया तो हम लोगों को नोटिस हुआ। हम लोगों को बुलाया गया और फार्मूला बताया गया कि इस फार्मूले से है। हम लोगों ने अपने सुझाव भी दिये।

उसमें अनुसूचित जाति की विधान सभा की 39 सीटें बंटवारे के बाद पहले से रिजर्व थीं, लेकिन लोग कहते हैं कि बिहार में शैड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं हैं, दो सीटें बंटवारे के बाद शैड्यूल्ड ट्राइब्स की होंगी। बंटवारे से पहले बिहार में झारखण्ड सहित शैड्यूल्ड ट्राइब्स की सीटें थीं, 8-10 परसेंट, लेकिन बंटवारे के बाद दो सीटें शैड्यूल्ड ट्राइब्स की बिहार में होंगी और 39 सीटें शैड्यूल्ड कास्ट्स की थीं, वे घटकर अब 38 हो जाएंगी, एक सीट शैड्यूल्ड कास्ट्स की घट जायेगी और दो नई शैड्यूल्ड कास्ट्स की बनेंगी। इस प्रकार से 40 सीटें बिहार में रिजर्व हो जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय: अब समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। यह सब माननीय सदस्यों की रूचि का विषय है। हम जानकारी दे रहे हैं कि कैसे डीलिमिटेशन कमीशन में प्रयोग होगा, प्रैक्टीकल होगा।

श्री रघुनाथ झा: हम लोगों के प्रतिनिधि तो आप ही वहां हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इन लोगों की हमसे ही अपेक्षा है, सभी के हक के विषय में मैं कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: 20 सम्मानित सदस्यों को और बोलना है। अब आप समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मुनियप्पा साहब बोल रहे थे तो उस समय रोटेशन का सवाल उठाया था कि शैड्यूल्ड कास्ट्स की सीट का रोटेशन करना चाहिए, जिससे जनरल लोगों को भी मौका मिले। माननीय कानून मंत्री ने हम लोगों को कहा कि यह कानून में प्रस्तावित नहीं है कि उसे बदल दिया जाये, रोटेट कर दिया जाये। उसमें रीवर्कआउट होगा, मतलब जो रीएडजस्टमेंट क्षेत्र का आबादी के हिसाब से होगा। मान लिया बिहार की आबादी 2001 की जनगणना के हिसाब से 8.29 करोड़ है, उसे 243 असेम्बली की सीटों में भाग दिया जाये तो 2.07 लाख एवरेज हुआ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): यह दू क्या होता है?

उपाध्यक्ष महोदय: दू दो होता है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अभी एक दू की भी जानकारी मंत्री को नहीं है। ऐसे भी मंत्री हो जाते हैं, जिनको एक दू की भी जानकारी नहीं है। ऐसे मंत्री हो जाते हैं तो राष्ट्र का क्या होगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी: एक दो तीन होता है, एक दू तीन नहीं होता है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: करोड़ों लोग हैं जो दो को दू बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिये। रूडी जी, आप बिहार के हैं, आपको तो समझना चाहिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों को बिहार का कहने में अपमान लगता है लेकिन हम लोगों को बिहार का कहने में गौरव लगता है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: जो थोड़ा बहुत बचा-खुचा है, ये लोग लाठी चला रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष जी,* सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि डिलिमिटेशन एक असेम्बली आबादी के हिसाब से होगी, वोटर्स के हिसाब से नहीं होगी। मान लीजिये किसी जगह की आबादी 2 लाख 60 हजार है, उसमें दस परसेंट जोड़ा जाये और फिर उसमें दस परसेंट घटा दिया जाये तो यह 2 लाख 24 हजार और 2 लाख 76 हजार के बीच में आती है। यह भी तय हुआ कि ब्लाक को जल्दी न तोड़ा जाये, पंचायत को एक

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

यूनिट मान सकते हैं। इसलिये आबादी के बीच में उसे रखा जाये। उसके आधार पर आबादी उस क्षेत्र की एडजस्ट होगी। उसी री-एडजस्टमेंट के बाद उस क्षेत्र में यह तय होगा कि कितनी रिजर्व रहेगी। वहां की आबादी के हिसाब से परसंटेज तय होगा। आज बिहार में 37-38 जिले हो गये हैं। और 38 सीटें असैम्बली की रिजर्व हैं। किसी जिले में एक असेम्बली है तो किसी जिले में डेढ़ असेम्बली है...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, 4 जिले ऐसे हैं जहां असेम्बली की सीट बढ़ जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय: रघुवंश बाबू, आप उधर क्यों देखकर बात कर रहे हैं और अपना टाइम खराब कर रहे हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष जी, इस नये हिसाब से जो परसंटेज होगा, वह क्षेत्र एस.सी. का क्षेत्र रिजर्व में जायेगा। यदि पहले से दो असेम्बली हैं, उसका परसंटेज हाई रह गया तो बरकरार रहेगा। यदि दूसरे क्षेत्र में है तो दूसरे के अनुसार भी हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप एक वाक्य में कनकलूड करिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि 2001 की जनगणना सूची कब तक डिलिमिटेशन कमीशन को मिल जायेगी? क्या 2004 का लोक सभा का और 2005 का बिहार आदि असेम्बली चुनाव कराने के लिये 2004 से पहले डिलिमिटेशन हो जायेगा और उसके बाद ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे या जो डिलिमिटेशन पहले था, और हम लोग चुनाव लड़ते आये हैं, वही चुनाव का नियम रहेगा? चुनाव कैसे होगा, उस पर विचार करना चाहिये और 2001 का यह विधेयक पास होना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक 2003 का समर्थन करता हूं। एक जीवंत लोकतंत्र के लिए यह अनिवार्य है कि उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाये। किसी भी तरह की विषमता से बचाने के लिए ऐसा आवधिक आधार पर किया जाना चाहिए। जहां एक ओर कुछ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 15 से 20 लाख मतदाता हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बहुत ही कम मतदाता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केवल 30 हजार मतदाता ही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 42 हजार मतदाता है।

श्री रमेश चेन्नितला: हां, 42 हजार मतदाता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पहले से ही छोटा है और आप इसे और छोटा करने में लगे हैं।

श्री रमेश चेन्नितला: हां, महोदय आपके निर्वाचन क्षेत्र में केवल 42 हजार मतदाता है लेकिन हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 15 से 20 लाख मतदाता हैं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय, अगर डीलिमिटेशन होगा तो आसन की क्या पोजीशन होगी और अगर महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया तो फिर क्या पोजीशन होगी।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला: उपाध्यक्ष महोदय, आप भाग्यशाली हैं कि आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केवल 42 हजार मतदाता हैं, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में 15 से 20 लाख मतदाता हैं। महोदय, आपका चुनाव क्षेत्र लक्षद्वीप दूसरों के चुनाव क्षेत्रों से थोड़ा अलग है। लेकिन कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 12 से 15 लाख मतदाता हैं तथा कुछ दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या बहुत कम है। इसलिए जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: परिसीमन बहुत जरूरी है।

अपराह्न 4.41 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए]*

महोदय, इस संबंध में, मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री के विचारार्थ दो-एक महत्वपूर्ण बातें रखना चाहूंगा।

महोदय, केरल जैसे राज्यों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता से अपनाया गया है। लेकिन अब उसे इसकी सजा दी जा रही है। विभिन्न तरह की धनराशियों के आवंटन में, विभिन्न योजनाओं में उसे इसकी सजा मिल रही है। कतिपय केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केरल राज्य को पर्याप्त रूप से धनराशि का आवंटन नहीं हो रहा है और उसे लगातार इससे वंचित होना पड़ रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी जरूरतों के मामले में केरल की अनदेखी की जा रही है। केरल को अपना उचित हिस्सा इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वह अपने यहां परिवार नियोजन कार्यक्रम को गंभीरता से लागू कर रहा है।

महोदय, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार केरल में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन नहीं कर रही है। यह उसका बहुत सी

[श्री रमेश चेन्नितला]

प्रशंसनीय कदम है अन्यथा उन्हीं लोगों पर इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव होता, जिन्होंने अपने यहां परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया है।

अब इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि जिला को एक इकाई के रूप में लिया जाये। उदाहरण के लिए केरल में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को जोर-शोर से लागू किया गया है और उन्हें केरल के मध्य भाग तथा दक्षिणी भाग में सफलतापूर्वक चलाया गया। लेकिन इसके साथ ही, केरल के उत्तरी भाग में इसे गंभीरतापूर्वक लागू नहीं किया गया। तो क्या इसके कारण-2001 की जनगणना को आधार मानते हुए-केरल के दक्षिणी भाग और मध्य भाग में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कम कर दी जायेगी।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): 1991 की जनगणना के अनुसार भी ऐसा ही हुआ है।

श्री रमेश चेन्नितला: हां, महोदय 1991 की जनगणना को आधार मानकर केरल के दक्षिणी और मध्य भाग में चार-पांच निर्वाचन क्षेत्र कम कर दिये गये हैं। 2001 की जनगणना को आधार मानने के बाद केरल के दक्षिणी और मध्य भाग में 9 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र कम हो जायेंगे। इसके साथ ही, केरल के उत्तरी भाग अर्थात मालाबार क्षेत्र आठ-नौ निर्वाचन क्षेत्र बढ़ जायेंगे।

अत: इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला को एक इकाई स्वाकीर किया जाये ताकि किसी तरह की विषमता से बचने के लिए जनसंख्या का पुन: समायोजन किया जा सके। महोदय, हमारे क्षेत्र में इस बात को लेकर बहुत अधिक विद्वेश है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं शायद इसीलिए हमें इस तरह से दंडित किया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को लागू करने की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम संसद और विधानसभा में अवसरों से हाथ धो बैठें। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इस बारे में जिला को इकाई माना जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को एक जिला में ही समायोजित करने का निर्देश दिया गया है। महोदय, यह केरल तथा दिल्ली आदि जैसे छोटे राज्यों के लिए संभव नहीं है। परिसीमन आयोग ने यह कहा है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को एक जिला तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आजकल, जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल कई नये जिला बनाये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है। इसलिए एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को एक जिला तक ही सीमित रखना संभव नहीं है। यह बिलकुल ही व्यावहारिक नहीं है। इसलिए इससे बचा जाना चाहिए एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को एक जिला में ही समायोजित करने की योजना से बचना चाहिए। यह मेरा दूसरा सुझाव है।

मेरा तीसरा सुझाव आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में है। हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षित सीटें बिलकुल पास-पास न हों, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी ज्यादा हो सकती है लेकिन इस आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या विधान सभा क्षेत्र बहुत अधिक नजदीक नहीं होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

लेकिन यहां पर मैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं वह है इससे संबंधित विधेयक का प्रारूप तैयार करना। इस विधेयक के लिए तैयार किया जाने वाला प्रारूप काफी पारदर्शी होना चाहिए। एक बार प्रारूप तैयार होने के बाद उसमें परिवर्तन ला पाना काफी मुश्किल होगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विधेयक के बारे में और विगत में भी हमारा यही अनुभव रहा है।

विधेयक का प्रारूप तैयार करने से पूर्व सहभागी सदस्यों की राय ली जानी चाहिए और राज्य सरकारों की राय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अंत में सहभागी सदस्यों के चयन के बारे में बहुत सी शिकायतें सुनने में आ रही हैं। उदाहरण के लिए गोवा में कांग्रेस के 16 सदस्य हैं जबकि भाजपा के 17 सदस्य हैं।* इस तरह के अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: वह असेम्बली का विषय है। असेम्बली के अंदर की बात और स्पीकर की बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला: इस तरह की असमानताओं से बचा जाना चाहिए। अन्यथा इनसे बहुत अधिक भ्रम पैदा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: सभापति महोदय, एक स्पष्टीकरण आप देंगे या मंत्री जी देंगे, हम किनसे पूछें?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: बीच में स्पष्टीकरण कहां से आ गया? अभी माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री राजो सिंह: आप जब भाषण कर रहे थे, तो आपने कहा कि लोगों की दिलचस्पी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। लोगों की दिलचस्पी है मगर समय की पाबंदी है। मेरा स्पष्टीकरण यह है कि जो 44 हजार और 45 हजार तथा 60 हजार पर पार्लियामेंट का क्षेत्र बना हुआ है और वह एक स्टेट माना जा रहा है, उसको दूसरी स्टेट में मिलाया जा सकता है या नहीं? यह स्पष्टीकरण आप देंगे या माननीय मंत्री जी देंगे?

सभापति महोदय: जब मंत्री जी जवाब देंगे, तब इस बारे में बताएंगे।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): सभापति महोदय, जो संविधान संशोधन विधेयक डीलिमिटेशन के संबंध में माननीय विधि मंत्री महोदय ने विचारार्थ इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह सत्यता है कि 2001 के जो सैन्सस के फिगर्स हैं, वह लगभग तैयार हैं और उनकी नोटिफिकेशन होनी है और यह न्यायोचित मांग थी कि जब हम डीलिमिटेशन प्रोसेस कर रहे हैं और तीस वर्षों के अंतराल के बाद कर रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि लेटैस्ट फिर्गस ली जाएं क्योंकि न जाने अगला डीलिमिटेशन कब हो। यह भी सत्यता है क्योंकि बहुत वर्षों के बाद यह डीलिमिटेशन प्रोसैस हो रहा है। अनेक स्थानों पर पापुलेशन को लेकर, भौगोलिक स्थिति को लेकर बहुत सारी विसंगतियां हैं। मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस परिसीमन के पूर्ण होने पर वह सारी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उदाहरणत: मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान हिमाचल प्रदेश की ओर ले जाना चाहूंगा। वैसे तो हिमाचल की परिस्थिति से मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। हिमाचल की कुल जनसंख्या 1991 के सैन्सस के अनुसार 51,70,877 है जिसको चार लोक सभा सीटों में बांटा गया है। चारों में जो जनसंख्या है, उसका ध्यान रखा गया है और उसके अंतर्गत लगभग 12,92,719 की जनसंख्या पर एक चुनाव क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्रफल का कोई ध्यान नहीं रखा गया है।

सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55 हजार वर्ग किलोमीटर है और जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वह 32 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और शेष 23 हजार किलोमीटर क्षेत्र का तीन सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आधे से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र का मैं केवल अकेला सांसद हं। मेरे मंडी संसदीय क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति, किन्नौर और भरमौर भी आते हैं जिनकी संख्या 2 लाख 18 हजार 349 बैठती है। यह सारा का सारा भाग मंडी संसदीय क्षेत्र में है। यह ऐसा क्षेत्र है, जो हिमपात के कारण, साल में नौ महीने देश के भागों से कट जाता है और आने-जाने का रास्ता भी बन्द हो जाता है। केवल हेलीकाप्टर सेवा ही चलती है और वह भी केवल दो-तीन महीने के लिए ही चलती है।

महोदय, मैं देखता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्थानों पर एक-एक लाख पर चुनाव क्षेत्र हैं। जैसा यहां कहा गया कि उपाध्यक्ष महोदय के अपने क्षेत्र में 40 हजार की जनसंख्या पर एक चुनाव क्षेत्र है। हमारे हिमाचल के जो जनजातीय क्षेत्र कहलाते हैं, वे सारे के सारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं। एक तरफ चीन का बार्डर लगता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा लगती है। ये नैचुरल बाउंड्रीज हैं, लेकिन हिमाचल में 2 लाख 18 हजार 349 जनजातीय क्षेत्र की आबादी होने के बावजूद कोई भी क्षेत्र जनजातीय संसदीय क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं किया गया है, बल्कि इसको भी ओपन क्षेत्र में रखा गया है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि जहां पीछे 17 असैम्बली सैगमेंट पर एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया है, वहां भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन वह नहीं रखा गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी जो लोक सभा क्षेत्रों की संख्या है, वह संभवत: नहीं बढ़े, लेकिन इतना तो ध्यान रखा जाए, जैसा कि यहां माननीय सदस्य मानवेन्द्र शाह जी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति बिलकुल भिन्न है और हम चाहते हुए भी पांच साल में सारे क्षेत्र में नहीं घूम सकते हैं क्योंकि बिखरा हुई आबादी है और विस्तृत क्षेत्र है। आज के युग में हर मतदाता की यह इच्छा रहती है कि पांच साल में कम से कम एक बार उसके क्षेत्र का सांसद उसके गांव में जरूर आए, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि चाहते हुए भी हम हर गांव में नहीं जा सकते। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

महोदय, जहां तक विधान मंडलों का सम्बन्ध है, उसमें भी बहुत ज्यादा विसंगति है। हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज पापुलेशन है, वह विधान मंडलश: 76 हजार 133 बैठती है, लेकिन जो मेरा गृह जिला कुल्लू है, महोदय उससे पहले भी अन्याय हुआ, जब पहले डीलिमिटेशन हुआ, उस समय उसे सिर्फ तीन विधान मंडल सीटें मिलीं। विधान मंडल का डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, मैं इससे सहमत हूं, यह डिस्ट्रिक्ट ही रहना चाहिए। शायद लोक सभा के लिए तो यह सम्भव नहीं है। कुल्लू जिले में केवल तीन विधान सभा क्षेत्र हैं। कुल्लू जिले की जो आबादी है वह 3 लाख 2 हजार 432 है। अर्थात् एवरेज पापुलेशन एक क्षेत्र की 1 लाख 804 है जबकि हमारे बराबर की पापुलेशन, बल्कि उससे कम पापुलेशन हिमाचल प्रदेश में है, उन्हें एक विधान मंडल माना गया है। मैं इस बारे में हिमाचल प्रदेश के ही जिला बिलासपुर का उदाहरण देना चाहूंगा जिसकी जनसंख्या 2 लाख 95 हजार 87 है और उसे चार विधान

[श्री महेश्वर सिंह]

मंडल सीटें मिली हैं, जबकि कुल्लू जिले की आबादी उससे ज्यादा होते हुए भी केवल तीन सीटें ही मिले हैं। मुझे विश्वास है कि इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जाएगा।

महोदय, मैं, मंत्री महोदय के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि पीछे डिस्ट्रिक्ट री-आर्गेनाइजेशन को लेकर, सीटों के घटने-बढ़ने को लेकर, हिमाचल प्रदेश में बड़ा विवाद रहा। वे इस बात से व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकारों को भी इस प्रकार का सुझाव जाना चाहिए कि यदि कोई प्रान्त आने वाले समय में नए जिले गठित करने पर विचार कर रहा है या जिलों के पुनर्गठन पर विचार कर रहा है, तो उसे वह काम परिसीमन से पहले कर लेना चाहिए, ताकि पुन: इस प्रकार की विसंगतियां पैदा न हों।

महोदय, मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि जिस बात की यहां शंका व्यक्त की गई है कि पहले जो डीलिमिटेशन का प्रोसैसस था, वह 12 जुलाई, 2002 से शुरू हुआ था और अब एक बार पुन: एसोसिएट मैम्बर्स को हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने के कारण, पूरी तरह से बदल दिया गया है, कहीं उसी प्रकार से लोक सभा चुनावों के बाद न हो। इसलिए कम से कम आने वाले लोक सभा चुनाव से पहले यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि यह सारा का सारा प्रोसैस पूरा हो जाए, अन्यथा यह सारी की सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगी। जैसा मंत्री जी ने कहा, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो जनगणना की टैंटिव फिर्गस हैं, उनके आधार पर डीलिमिटेशन कमीशन को अपना काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन जल्दी से जल्दी कन्फर्म, औथेंटिक फिर्गस भी आने चाहिए ताकि लोक सभा में अगले चुनाव जो वर्ष 2004 के सितम्बर-अक्तूबर में होने हैं, उनसे पहले यह सारा का सारा प्रोसैस पूरा हो जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान डीलिमिटेशन कमीशन का जो कार्यकाल है वह 20 जुलाई, 2004 तक ही है। इसलिए मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सारी की सारी प्रोसेस समय रहते कम्पलीट की जाएगी।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सभापति महोदय, मैं बहुत लम्बी बात नहीं करना चाहता हूं, अमेंडमेंट सिर्फ इतना ही है कि 2001, 1991 की जगह आ रहा है। अगर यह पहले आ जाता तो ज्यादा अच्छा होता और टाइम भी बच जाता। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस कब तक पूरा हो जाएगा। इससे कई बातें पैदा हो जाएंगी-एक तो जिन लोगों का चुनाव लड़ना है, अगर बिलकुल चुनाव के नजदीक कांस्टीट्यूएंसी में तब्दीली आती है तो चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं मंत्री जी की तवज्जोह इधर चाहूंगा कि एसोसिएट मेम्बर्स की मदद से डीलिमिटेशन होगा। अगर डीलिमिटेशन इस चुनाव के बाद होता है या इस चुनाव के पहले नहीं होता है, तो नयी लोक सभा आ जाएगी और नई लोक सभा आएगी तो एसोसिएट मेम्बर्स भी बदल जाएंगे। ये सारा जो एसोसिएट मेम्बर्स के जरिए डीलिमिटेशन होगा, वह सारा खत्म हो जाएगा। नये एसोसिएट मेम्बर्स बनेंगे और नये तरीके से सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसलिए यह अहम् सवाल है कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस कब तक पूरा होगा। अगर अगली लोक सभा में होना है तो इसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रह जाती है। नई लोक सभा होगी, नये एसोसिएट मेम्बर्स होंगे, फिर नया डीलिमिटेशन होगा, हर तरीके से नयी बात होगी। इस मामले में मुझे इतना ही कहना है, लेकिन जो आपने डीलिमिटेशन का तरीका बनाया है, आज कल बहुत सी कांस्टीट्यूएंसीस हैं, मेरी अपनी कांस्टीट्यूएंसी तीन जिलों के अंदर है- आधी कांस्टीट्यूएंसी एक जिले में है, दो कांस्टीट्यूएंसी दूसरे जिले में हैं और ढाई कांस्टीट्यूएंसी तीसरे जिले में है। इस प्रोबलम से कैसे आप छुटकारा पाएंगे।

महोदय, मैं बहुत सारे एमपीज़ को जानता हूं, जिनकी कांस्टीट्यूएंसी में इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा भारी प्रोबलम हो जाता है। तीन-तीन डीएम और एसपी से हमेशा टच में रहना पड़ता है, इसलिए इसकी भी वजाहत होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कांस्टीट्यूएंसी जितनी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सके, अगर एक में न हो सके तो ज्यादा से ज्यादा दो में होनी चाहिए, इससे ज्यादा इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अरुण जी, उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल बनने के बाद 403 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में एक पार्लियामेंट की सीट पांच असेम्बली सीटों को मिला कर बनी है। अब जो बाकी तीन सीटें रह जाती हैं, उनका आप क्या करेंगे। उन्हें किस के साथ जोड़ेंगे, किसी के साथ घटाएंगे। आप डीलिमिटेशन चाहे अभी करें या अगली बार करें, इन तीन असेम्बलीस को आप किस के साथ जोड़ेंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक असेम्बली सिगमेंट्स के अंदर ढाई लाख से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे, कांस्टीट्यूएंसी को बराबर करेंगे। अगर पूरे तीन कांस्टीट्यूएंसीस के प्रतिनिधि होंगे तो उन्हें किस पार्लियामेंट में जोड़ेंगे जिसके साथ जोड़ेंगे, उससे पार्लियामेंट के वोटर्स की तादाद बढ़ जाएगी तो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। मुझे नजर नहीं आता कि इस समस्या को आप हल कर सकते हैं। 403 को आप घटा नहीं सकते, पार्लियामेंट को आप बढ़ा नहीं सकते। तभी वूमेन बिल पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन वह जब भी आए, उसका रिजर्वेशन 15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत हो या एक कांस्टीट्यूएंसी में दो-दो एमपी बन कर आएं, जैसे कि बहुत से लोगों ने बात रखी है कि एक-एक कांस्टीट्यूएंसी से एक महिला और एक आदमी चुन कर आ जाए ऐसी स्थिति में आपको दोबारा से यह करना पड़ेगा, अगर ये सारी बातें सरकार नजर में रख कर तय कर ले

और मेरा मशविरा यह है कि पूरा हिन्दुस्तान एक पार्लियामेंट की कांस्टीट्यूएंसी एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। इसमें यह आदेश जारी कीजिए की डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से डिलिमिट कर दी जाए, कांस्टीट्यूएंसी को डिलिमिट न करके डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए और हर डिस्ट्रिक्ट का एक एमपी हो जाए।

अपराह्न 5.00 बजे

पिछला डीलिमिटेशन जनरल आधार पर हुआ था, जाति बिरादरी के आधार पर हुआ था। बहुत सी कांस्टीट्वेंसीज ऐसी हैं कि असेम्बली सैगमेंट एक कोने से लेकर 5-5 किलोमीटर तक चला गया है, इसलिए कि मैं असरदार आदमी हूं, कांस्टीट्वेंसी बना सकता हूं तो मेरी अपनी बिरादरी जिस कोने तक जाती है, उस कोने तक के एरिया को मेरी कांस्टीट्वेंसी में शामिल कर लिया जाये ताकि मुझे जीतने में आराम हो जाये, इसका भी आपको इन्तजाम करना चाहिए कि जाति बिरादरी की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए और वोटर की फैसिलिटी की बुनियाद पर होना चाहिए कि वोटर कैसे वोट डाल सकता है, यही मुझे कहना है।

मुझे आशा है कि सरकार इन बातों पर तवज्जह देगी।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): उपाध्यक्ष जी, कानून मंत्री ने 96वां कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल जो लाया है, मैं अपनी और अपना पार्टी की ओर से उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

जो क्षेत्र का डीलिमिटेशन, परिसीमन होने वाला है, इसका जनगणना का आधार 1991 रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर डीलिमिटेशन करना ही है, क्षेत्र का परिसीमन करना ही है तो 1991 की सेंसस के बेसिस पर करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि 1991 और 2001 की जो पोपुलेशन है, जो वोटर्स हैं, उनकी आबादी दस साल में बहुत बढ़ चुकी है। अगर हमने 1991 के बेसिस पर डीलिमिटेशन कर दिया, क्षेत्र का परिसीमन कर दिया तो पोपुलेशन का असंतुलन हो जायेगा, वोटर्स का असंतुलन हो जायेगा और हमारे उद्देश्य में हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि 2001 की सेंसस रेडी है, खाली सरकारी आंकड़े हमारे पास नहीं है। 2004 में जो लोक सभा के चुनाव होने वाले हैं अच्छा होगा कि वे 2001 की जनगणना के आधार हों। डीलिमिटेशन अगर 2004 के पहले होगा तो उससे फायदा होगा और आसानी होगी।

दूसरे अभी राशिद अलवी साहब ने कहा है कि क्षेत्र का परिसीमन कब तक होने वाला है, इसकी प्रक्रिया कब तक चलने वाली है, यह भी हमारे सामने सवाल है। हिन्दुस्तान में ऐसे भी क्षेत्र हैं, उदाहरण के लिए हमारा दमन दीव का क्षेत्र है, हमारे साथी ने कहा कि वहां एक लाख वोटर्स हैं, अभी उपाध्यक्ष जी, 40-42 हजार वोटर्स हैं। अगर मेरे क्षेत्र का उदाहरण लें तो 12-13 लाख वोटर्स हैं और महाराष्ट्र में ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे ठाणे में 28-29 लाख वोटर्स हैं, उसका भूभाग भी बहुत बड़ा है, इसके संतुलन के लिए, पोपुलेशन के संतुलन के लिए और वोटर्स के क्षेत्र में संतुलन के लिए डीलिमिटेशन जरूरी है। इसमें मेरा इतना ही सुझाव है कि डीलिमिटेशन करना है तो 2001 की सेंसस को आधार बनाकर करना चाहिए, तब तो उसका फायदा होगा, अगर 1991 की सेंसस को आधार बनाकर होगा तो यह बेमतलब का काम होगा और इसका कोई फायदा नहीं होगा।

जो एमेंडमेंट आर्टीकल 81, 82 और आर्टीकल 117 और 330 का संशोधन होने वाला है, उसमें 1991 की जगह 2001 आने वाला है। इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरा इतना ही सुझाव है कि हमारी पोपुलेशन के हिसाब से संतुलन, क्षेत्र के हिसाब से संतुलन रखना चाहिए और 2001 की जनगणना को आधार बनाकर डीलिमिटेशन होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो उसका फायदा नहीं होगा। हमारा आपके माध्यम से सुझाव है कि 2001 की जनगणना को आधार बनाकर डीलिमिटेशन करना चाहिए।

आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद? मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि यह काफी लंबे समय से अपेक्षित था और इसे बहुत पहले ही लाया जाना चाहिए था। मैं इस कहावत में विश्वास रखता हूं कि 'देर आये, दुरुस्त आये'।

यह सच है कि परिसीमन अधिनियम को सबसे पहले 12.7.2002 में लाया गया था। यह विधेयक पूरी तरह 1991 की जनगणना पर आधारित था और इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने वालों ने बहुत मेहनत की थी और इस बारे में उन्होंने काफी लिखा पढ़ी भी की। लेकिन 13.3.2003, अर्थात विधेयक की प्रक्रिया आरंभ होने के आठ महीने बाद इस पर राजनीतिक नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें 2001 की जनगणना को आधार बनाते हुए इसे संशोधित करने की बात कही गयी। लेकिन इस बारे में मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन सब बातों को पहले नहीं सोच पाये थे? इस आयोग ने इन आठ महीनों में काफी कार्य किया है उनका काफी कुछ काम हो भी गया है, लेकिन उसके ये सारे प्रयास और मेहनत बेकार गयी है क्योंकि अब यह विधेयक 1991 के स्थान पर 2001 की जनगणना पर आधारित होगा और अब सब कुछ नये सिरे से करना होगा।

[श्री के. मलयसामी]

विधेयक का प्रारूप देखने के बाद मैं जो बात समझ पाया हूं वह यह है कि विधान सभा अथवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या में परिवर्तन किये बिना सीटों की संख्या अथवा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुन: परिसीमन किया जाये। यह एक अच्छी बात है। इससे जहां एक ओर निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन होगा वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का पुनर्निर्धारण भी होगा। आप इसे 2001 की जनगणना के आधार पर करना चाहते हैं। चाहे इसे 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाये या इसे 2001 की जनगणना के आधार पर लेकिन यह सच है कि जनसंख्या इसके लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड होगी।

यह भी कहा गया है कि इस संपूर्ण प्रक्रिया को दो वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा। इसका तात्पर्य है कि यह 12.7.2004 तक पूरी हो जानी चाहिए। क्या यह वास्तव में तब तक पूरी हो जायेगी? इस बारे में दिये गये दिशा-निर्देशों से पता चलता है कि ये निर्वाचन क्षेत्र सामान्य रूप से गांव तहसील, ताल्लूका या जिला को आधार मानते हुए एक तरह की प्रशासनिक इकाई के आधार पर समायोजित होंगें। इनका बंटवारा कब होगा। यह भी बताया गया है कि बंटवारा जिलावार होगा। निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या निश्चित करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या उस राज्य की कुल सीटों से विभाजित कर दी जायेगी। जैसेकि तमिलनाडु के मामले में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या निश्चित करने के लिए राज्य की कुल आबादी को वहां की 234 विधान सभा सीटों से भाग दे दिया जायेगा। लेकिन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या इस तरह प्राप्त औसत जनसंख्या से भिन्न हो सकती है।

लेकिन अब समस्या यह हैं कि किन्हीं दो निर्वाचन क्षेत्रों में दूरी बहुत अधिक है और एक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है तथा दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या कम है तो अधिक जनसंख्या वाले भाग को निर्धारित करना तथा कम वाले से मिलाना कठिन कार्य होगा यह एक व्यावहारिक कठिनाई होगी। इस बारे में परिसीमन आयोग को क्या निर्देश दिये गये हैं? यदि मान लीजिये आयोग को किसी एक निर्वाचन क्षेत्र की 10,000 की अधिक आबादी, किसी निकट के निर्वाचन क्षेत्र में हस्तांरित करनी पड़े, तो क्या यह उसके लिए आसान होगा। यदि आयोग के 300 किमी दूर के किसी निर्वाचन क्षेत्र की अतिरिक्त आबादी को किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में हस्तांतरित करना पड़े तो क्या होगा? यह हस्तांतरण कैसे प्रभावी होगा। क्या आपने इस संबंध में आयोग को कोई विवेकाधीन शक्तियां प्रदान दी हैं। मुझे बताया गया है कि 10 प्रतिशत तक का अंतर अनुमत्य है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस 10 प्रतिशत के अंतर को क्या 15 या 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। अत: मेरा पहला मुद्दा यह है कि जनसंख्या में वृद्धि के मद्देनजर आप किस प्रकार सामंजस्य बिठा पाएंगे।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करिए।

श्री के. मलयसामी: महोदय आप मेरे पड़ोसी हैं। जब आप यहां बैठे होते हैं तो आप इस बात का लिहाज रखते हैं परन्तु आसन पर पहुंचते ही आप बिल्कुल बदल जाते हैं। मेरे पास कुल तीन मुद्दे है और मैं एक मुद्दा उठा चुका हूं। अभी और दो मुद्दे बाकी हैं।

मेरा अगला मुद्दा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के पुन: निर्धारण के संबंध में है। इसका आधार क्या होगा? आप तमिलनाडु का मामला ले सकते हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल 42 सीटें है। 1991 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 45 हो सकती थी और 2001 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 47 तक पहुंच सकती है। किसी सीट विशेष का आरक्षण किस आधार पर किया जा सकता है। मान लीजिए किसी जिले में 60 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है और दूसरे जिले में केवल 15 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है तो क्या किसी सीट का आरक्षण जिलावार किया जाएगा या पूरे राज्य के आधार पर? यदि किसी जिले में केवल 15 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है तो भी क्या आप जिलावार आबंटन को अधिमान्यता देंगे। इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं?

मेरा अन्य मुद्दा संसदीय क्षेत्र के आवर्तन के संबंध में है। काफी लम्बे समय से अ.जा./अ.ज.जा. की सीटों का आवर्तन नहीं किया है इस मुद्दे पर बहुत हाय तौबा मची है। पिछले 20 वर्षों से एक विशेष संसदीय क्षेत्र आरक्षित है जबकि स्थानीय निकायों के चुनाव में इसके संबंध में हर पांचवें वर्ष आर्वतन किया जा रहा है। अ.जा./अ.ज.जा. की सीटों के आर्वतन के मामले को उपेक्षित क्यों किया जा रहा है? यह अनुसूचित जाति व अन्य लोगों के हित में नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यापक हित में सीटों के आर्वतन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

समयावधि के संबंध में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कानून मंत्री इसकी कोई निश्चित अवधि निर्धारित करेंगे जिससे पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाए व इसका कार्यान्वयन किया जा सके। मैं कहना चाहता हूं कि सभी मजबूरियों या रूकावटों को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट समयावधि निर्धारित की जाए ताकि यह प्रक्रिया पूरी की जा सके इसका कार्यान्वयन किया जा सके।

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल): मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। अपने दल और अपनी तरफ से कुछ स्पष्टीकरणों और सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं।

प्रत्येक जनगणना के बाद यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन से लोक सभा में राज्यों की सीटों का आबंटन और प्रत्येक राज्य के संसदीय क्षेत्रों के पुनर्समायोजन का कार्य संसद द्वारा बनाये कानून से निर्धारित पद्धति से किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाए। यह बड़े दुख की बात है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार पिछले 30 वर्षों से परिसीमन और पुन: समायोजन का कार्य नहीं किया गया है। यह संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अगर यह किया जाता तो विधान सभाओं के साथ-साथ संसद में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सीटों की और अधिक संख्या होती। जब 12 फरवरी, 2002 को संविधान (संशोधन) विधेयक लाया गया था तो हम बहुत खुश हुए थे कि संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन से भारत के सात-आठ राज्यों में संसद सदस्यों की 13 सीटों और विधायकों की 49 सीटों की बढ़ोतरी होगी। जब यह अधिनियम लाया गया, तो सभी राजनैतिक दलों ने इसका समर्थन किया था लेकिन विचित्र बात यह है कि इस संबंध में कार्रवाई पेपर 1991 की जनगणना के आधार पर जारी किया गया था। स्वभाविक तौर से हर कोई इसे 2001 की जनगणना के आधार पर चाहता था। इससे देश भर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ। बहुत से माननीय सदस्यों का विचार है कि जिस तरह यह पिछले 30 वर्षों से नहीं किया गया है उन्हें न्यायपूर्ण सीटों से वंचित कर दिया गया जिनके वे हकदार हैं। वे महसूस करते हैं कि यह कुछ और नहीं बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनकी अधिकारपूर्ण सीटें न देना है। हमें प्राप्त सूचना के अनुसार 2001 की जनगणना अधिकारिक और तौर पर तैयार नहीं हुई है। अत: 2001 की जनगणना के अनुसार परिसीमन का कार्य पूरा करके 2004 के आम चुनावों के लिए इसका कार्यान्वयन करना सम्भव नहीं है। यह जानबूझकर किया जा रहा है जैसा कि पिछले 30 वर्षों से किया जा रहा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का सम्मान करता हूं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यद्यपि अधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है पर परिसीमन का कार्य अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। मेरे विचार से यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के इस भय को दूर करे। 2004 के आम चुनावों में पूरे विश्व में एक गलत संदेश जाएगा कि जानबूझकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लाभ के लिए बने प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

महोदय, अगर ऐसा किया जा सकता तो मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध संसदीय क्षेत्र है और हमने 2026 तक के लिए उनकी संख्या सीमित कर दी है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण किया जा सकता है। अंत में मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। परिसीमन का कार्य 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाना चाहिए और 2004 के आम चुनाव या अन्य जो भी चुनाव पहले हों उनमें इसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यदि परिसीमन के आधार पर 2001 की जनगणना के अनुरूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संसद या विधान सभा की सीटों पर आरक्षण करना सम्भव नहीं है तो उन संसदीय क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया जाना चाहिए जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक है। बिना परिसीमन के संसदीय क्षेत्रों के वर्तमान सीमाओं की यथास्थिति रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि भविष्य में हर जनगणना के एकदम बाद संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक रूप से परिसीमन का कार्य किया जाए। अन्यथा लोगों में इसके बारे में गलत संदेश जाएगा। यदि यह जारी रहा तो समाज के कमजोर वर्ग के लोग महसूस करेंगे कि उन्हें समाज में न्यायपूर्ण स्थान नहीं दिया जा रहा है।

महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि दो-तीन बार आवर्तन किया जाना चाहिए। यदि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन का कार्य किया जाता है तो आवर्तन का ध्यान भी अपने आप रखा जाएगा। यही मेरा सुझाव है।

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): महोदय, 21 अगस्त 2001 को मैंने संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 पर आयोजित बहस में भाग लिया था। अब मैं दोबारा संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक 2003 पर बहस में भाग ले रहा हूं और मैं इसका समर्थन करूंगा। तथापि, मैं यह बताना चाहूंगा कि संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) पारित किये जाने के एकदम बाद परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। लेकिन सम्बद्ध सदस्यों से सलाह लेने से पहले ही परिसीमन आयोग के अधिकारी नागालैंड गये और उन्होंने एक पद्धति विकसित करने का प्रयास किया।

पद्धति पर कार्य करते हुए वे साधारण तौर पर संख्या के मामले में अड़ गए। नागालैंड में 16 जनजातियां है। मैं माननीय कानून मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। अब इस बारे में जो भी विचार-विमर्श होता है वह पता चल जाता है क्योंकि उन्होंने संख्या को आधार माना है जिससे काफी समस्या उत्पन्न हुई। वहां पर बंद का आह्वान किया गया था और लोगों

[श्री के.ए. सांगतम]

की भावनाओं का ध्यान न रखने के कारण काफी उपद्रव भी हुए थे। स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्तावों से वे सहमत नहीं थे। वे महसूस करते थे कि संख्या इस तरह के निर्णय लेने का मानदण्ड नहीं होनी चाहिये। किसी विधानसभा क्षेत्र का निर्णय लेने के बारे में संख्या को मानदण्ड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसती रहती है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से काफी संख्या में लोग कार्य के लिए यहां आते है और कार्य समाप्त होने तक एक निश्चित अवधि के बाद यहां से चले जाते हैं। यदि संख्या को इसका मानदण्ड बनाया जाता है तो इस उद्देश्य के लिए उन्हें भी गिन लिया जाएगा। अत: यदि कोई पूरी तरह संख्या के आधार पर यह तय करे तो स्थानीय निवासी छोड़ दिये जा सकते है। इसके साथ ही एक समुदाय के लोगों को अन्य संसदीय क्षेत्र में रखा जा सकता है। यह उन्हें उचित नहीं लगता। अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए उनका अपना समुदाय होना चाहिए। भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के समय आयोग द्वारा उस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें विभिन्न नदियों और झरनों का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे क्षेत्र एक दूसरे से अलग होते हैं तथा विभिन्न जनजातियां एक दूसरे से पृथक होती हैं।

यदि आयोग इन नियमों का पालन करता है तो समस्या का समाधान हो सकता है। सम्बद्ध सदस्यों की नियुक्ति से पहले अब आयोग द्वारा परिसीमन के संबंध में कुछ भी प्रयास किए जाएं परन्तु इस अवधि के दौरान परिसीमन की विकसित की गयी पद्धति से काफी हानि हुई है। राज्य के कार्य लगभग ठप्प से हो गए हैं। वहां वाहनों की आवाजाही बन्द हो गयी थी, काफी मात्रा में सम्पत्ति जला दी गयी थी और यहां तक कि एक मंत्री का वाहन भी जला दिया गया था क्योंकि वहां के लोग उनकी इस सनक भरी प्रक्रिया से आंदोलित थे। मैं समझता हूं कि विधि मंत्री जी को इसका ध्यान रखना चाहिए। जनजातियों और विभिन्न समुदायों के क्षेत्र बनाकर परिसीमन किया जाना चाहिए।

महोदय, दूसरी बात यह है कि परिसीमन की प्रक्रिया में सीटों पर विचार करते हुए अधिकांश गतिशील आबादी पर विचार नहीं किया जाना चाहिये जो कि जहां के स्थानीय लोग नही है। यह केवल जनजाति क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा यह है कि नागालैंड राज्य की स्थापना 1961 में की गयी थी। 'नागा पीपुल्स कन्वेंशन', जो कि मुख्य निकाय था मुख्य धारा में आना चाहता था और उसने विदेश मंत्रालय के साथ एक और समझौता किया। उन्होंने लोक सभा में दो संसदीय सीटों की मांग की। परन्तु राज्य की जनसंख्या केवल 3.5 लाख थी इसलिए उन्हें एक सीट से संतोष करने को कहा गया जिसे कि बाद में दो सीटों तक बढ़ाया जा सकता था। 1961 से 2001 तक राज्य की जनसंख्या दो मिलियन हो गई है। अत: मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वे लोक सभा की सीटें बढ़ाकर दो करने के साथ-साथ राज्य सभा की भी दो सीटे दें। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर में मिजोरम और सिक्किम दो राज्य और है जहां से लोक सभा की केवल एक-एक सीट हैं इनको बढ़ाकर दो किया जाना चाहिए।

महोदय, नागालैंड राज्य के आठ जिलों में 16 जनजातियों के लोग बसते हैं। इस वर्ष 15 अगस्त तक राज्य में 10 जिले हो जाएंगे। राज्य में 60 विधान सभा की सीटें हैं जो कि इस वर्ष 15 अगस्त तक 10 जिलों में बंट जाएंगी। एक संसद सदस्य के लिए इस सबकी व्यनस्था करना एक कठिन कार्य है। अतएव मेरा सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि लोक सभा की सीटों को बढ़ाकर दो किया जाए। केवल दीमापुर-1 संसदीय क्षेत्र में ही अनुसूचित जनजाति की आबादी 19 प्रतिशत है।

दीमापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-1 एक अनारक्षित क्षेत्र है; लेकिन शेष 59 क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। आज मैं नागालैंड राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जहां 90 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। लेकिन वहां एक अनारक्षित सीट है। इसलिए मैं भारत सरकार से इस पर पुनर्विचार करने और इस नागालैंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट घोषित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री पी.आर. किन्डिया जी की स्पीच सभा पटल पर रखी मानी जाएगी।

[अनुवाद]

***श्री पी.आर. किन्डिया** (शिलांग): मैं संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक पर विचार किए जाने का स्वागत करता हूं क्योंकि इस विधेयक का मुख्य जोर लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का 1991 की जनगणना के पुराने पड़ चुके आंकड़ों के आधार पर न करके वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तर्कसंगत पुनर्गठन करने पर है।

इस विधेयक से यह सुनिश्चित होगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या में इनकी बढ़ती जनसंख्या में समानुपात में वृद्धि की जाए। इस

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विचार-विमर्श से इस सदन को इन सदस्यों के अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त होगा जिन्हें साथी सदस्यों के साथ परिसीमन आयोग की बैठकों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे यह अवसर 29 नवम्बर, 2002 को प्राप्त हुआ था।

जब कि यह मान लिया गया है कि परिसीमन आयोग का मुख्य ध्यान जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर केन्द्रित हैं, मेरा यह विचार और विश्वास है कि बहुत से सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि हमें उन अन्य मानदण्डों की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए जो कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो मेघालय में स्थित-1 शिलांग निर्वाचन क्षेत्र है। हमारे राज्य में दो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और 60 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। सर्वाधिक विचारणीय मानदण्डों में से एक है वास्तविक आंकड़े— राज्य की स्थलाकृति और पर्वतीय भूभाग उदाहरणार्थ ऊंची पहाड़ियों पर स्थित गांव एक दूसरे के बहुत निकट दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में संचार का कोई साधन न होने के कारण वे बहुत दूर-दूर हैं। पहाड़ियों के बीच गहरी खाइयां हैं। अत: कोई उन दो गांवों को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रख सकता। अत: संचार की सुविधा, एक महत्वपूर्ण मानदण्ड है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा मानदण्ड प्रसाशनिक इकाईयों की सीमा का है और मेघालय में हमारे लिए और मुझे विश्वास है कि पूर्वोत्तर के अन्य पहाड़ी राज्यों में भी ऐसी पारंपरिक प्रशासनिक इकाईयों का ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है जो कि लम्बे समय से अस्तित्वमान हैं। लोगों का इन इकाइयों (ऐलेक्का) से गहरा जुड़ाव है।

दूसरा मानदण्ड जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वह परिसीमन आयोग के संबंध में अनुभव पर आधारित है और वह है कि पुन:परिसीमन के समय एक निर्वाचन क्षेत्र के मूल ढांचे का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आंशिक रूप से निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है परंतु निर्वाचन क्षेत्र के आकार-प्रकार में इतना आमूलचूल परिवर्तन ही न कर दिया जाए कि वह पहचाना ही न जा सके।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: परिसीमन करने का अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाए। उदाहरण के लिए परिसीमन आयोग द्वारा मेरे सामने प्रस्तुत किए गए कार्य-पत्र में एक वर्तमान विधानसभा क्षेत्र, के नामत: 27 लिंग्किडेम को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था। मैं यह महसूस करता हूं कि यह न तो ठीक है और न ही उचित है।

सामान्तया, इस प्रकार परिसीमित किए गए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में यह उम्मीद की जाती है कि वे प्रशासनिक जिले की सीमाओं तक सीमित रहेंगे लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी राज्यों के क्षेत्रों में पारंपरिक प्रशासनिक सीमाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण और ध्यान में रखने योग्य है कि लोग आज भी उन्हें महत्व देते हैं।

एक अन्य मानदण्ड जो कि मेघालय में हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, विशेषकर 26 नवंबर, 1949 को अंगीकार और कार्यान्वित किए गए संविधान की छठी अनुसूची का हिस्सा बनी स्वायत्त जिला परिषदों के आधार पर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को बनाए रखे जाने की आवश्यकता है। मैं खासी और जैन्तिया पहाड़ियों से मिलकर बने शिलांग निर्वाचन क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख कर सदन को उसमें सम्मिलित करना चाहता हूं। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व, दिसंबर 1945 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आदरणीय जे.जे.एम. निकोलस राय, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक असाधारण कांग्रेस नेता थे और बाद में संविधान सभा के सदस्य भी बने, के अतिथि के रूप में शिलांग का दौरा किया था। पंडित नेहरू उसी क्षेत्र में रूके थे जहां मैं रहता था। उस समय मैं कांग्रेस का स्वयंसेवक था। वे दिन खासी और जैन्तिया पहाड़ी के लोगों, जिनसे मैं संबंध रखता हूं, के राजनैतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण वर्ष थे। हम उस निर्णय के कगार पर थे कि हमारे लिए कौन सा राजनैतिक विकल्प सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मैं यह उल्लेख कर दूं कि इन पहाड़ियों के एक विशाल क्षेत्र में अर्ध-स्वतंत्र राज्य थे जिनके स्थानीय प्रशासन में ब्रिटिश प्रशासन शायद ही कभी हस्तक्षेप करते थे। यह उनके लिए एक प्रकार से नाममात्र का ही नियंत्रण था।

उस समय हमारे लोगों के लिए चार राजनैतिक विकल्प उपलब्ध थे। पहला था, भारत में रहें। दूसरा था, पाकिस्तान में रहें। तीसरा था, ब्रिटेन के संरक्षण में रहें और अंतिम था स्वतंत्र रहें। लोगों में इस बात को लेकर बहस होती थी कि कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। इसीलिए पंडित जवाहर लाल नेहरू और हमारे नेताओं के बीच की बातचीत न केवल महत्वपूर्ण थी अपितु हमारे लोगों के भविष्य पर उसका दूरगामी प्रभाव पड़ना था। पंडित नेहरू ने हमारे लोगों से वादा किया था कि यद्यपि हम एक छोटा कबीला हैं तथापि स्वतंत्र भारत में हमारी पहचान और संस्कृति को बनाए रखकर उसे बढ़ावा दिया जाएगा। आर्थिक रूप से यह चर्चा हुई थी कि पाकिस्तान के साथ जाना बेहतर होगा क्योंकि क्षेत्रिय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने से व्यापार और वाणिज्य फले-फूलेगा। मुस्लिम लीग खासी जैन्तिया पहाड़ियों के पाकिस्तान में विलय को लेकर आक्रमक रूप से प्रकार कर रही थी। लेकिन हमने यह महसूस किया कि पाकिस्तान धर्मतन्त्र पर आधारित एक देश बनेगा और उपासना की स्वतंत्रता में कटौती की जाएगी। अंतत: हमारे लोगों के नेताओं में भारत के साथ जाने का निर्णय

[श्री पी.आर. किन्डिया]

लिया। आदरणीय जे.जे.एम. निकोलस राय के शब्दों में 'हमारी आकांक्षाएं भारत के साथ हैं।'

इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करेगा कि हम खासी और जैन्तिया पहाड़ी के लोगों की पहचान को कम नहीं कर सकते। खासी और जैन्तिया पहाड़ी के लोगों के लिए स्वायत्त जिला परिषद की रचना इसी पृष्ठभूमि का परिणाम है और इसलि हम इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते जो कि भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की भावनाओं की प्रशंसा करने हेतु सदन को इतिहास के इन तथ्यों से अवगत करा रहा हूं।

परिसीमन आयोग के कार्य पत्र ने दो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों, 1-शिलांग और 2-तुरा को मिला दिया है जो कि इतिहास तथ्य और हमारे लोगों के हितों के विरुद्ध है। मैं यह बता दूं कि 2-तुरा निर्वाचन क्षेत्र में गारो पहाड़ियों की स्वायत्त जिला परिषद सम्मिलित है। लोग इन दो निर्वाचन क्षेत्रों के विलय के विरुद्ध हैं। वस्तुत: मैंने परिसीमन आयोग को इस विचार से अवगत कराया था। कार्य पत्र में यह बात प्रदर्शित होती है कि पूरा पश्चिमी खासी पहाड़ी जिला जिसमें पूर्वी खासी पहाड़ी से एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है शिलांग निर्वाचन क्षेत्र अलग करके उसे तुरा निर्वाचन क्षेत्र से जोड़ा गया है। मैं इस कार्य के पूर्णतया विरुद्ध हूं।

जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में पता लगा तो वहां एक आंदोलन फूट पड़ा। विडंबनात्मक रूप से गारो पहाड़ियों में स्थित उग्रवादी संगठन इस कार्य से हर्षित है क्योंकि वे वृहत्त गारो क्षेत्र, जिसमें असम के मैदानी भागों और खासी पहाड़ियों का कुछ हिस्सा सम्मिलित है, की मांग कर रहे थे। यह बहुत स्पष्ट है कि एक निर्वाचन क्षेत्र के मूल ढांचे को बनाए रखे जाने के मानदण्ड को बनाए रखने की आवश्यकता है।

वस्तुत: डा. अम्बेडकर ने स्वयं कहा था, ''मैं नहीं समझता कि कुछ मामलों में समान लोगों के एक हिस्से के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए।'' वे खासी जैन्तिया लोगों की एकता को बनाए रखने के बारे में आदरणीय निकोलस राय से पूर्णतया सहमत थे।

मेरा सोचा-समझा विचार यह है कि एक निर्वाचन क्षेत्र के मूल ढांचे को बरकरार रखे जाने के अतिरिक्त हमें डा. अम्बेडकर के कथन से भी निर्देशित होना चाहिए जिसका वास्तव में अर्थ लोगों के एक समान चरित्र को बनाए रखना था।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति जी, मैं संविधान 96वां, संशोधन विधेयक 2003 का पुरजोर समर्थन करता हूं। जैसे कि हम सभी भली प्रकार से अवगत हैं कि संविधान में 84वें संशोधन अधिनियम, 2001, जो अधिनियमित हो गया, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। राज्यों का परिसीमन, चाहे लोक सभा या राज्य सभा की सीटें हों, उनके सुव्यवस्थितकरण और आबादी के अंसतुलन तथा सब प्रकार की विसंगतिकरण को दूर करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। वैसे तो इस समय यह मंशा थी कि 1991 की आबादी रहे ताकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव के पहले हिमाचल का परिसीमन हो जाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, जिन राज्यों का चुनाव अक्तूबर, नवम्बर में होने वाला है, उनसे पहले इन राज्यों का भी परिसीमन हो जाए ताकि विधान सभा की सीटें इस नये परिसीमन के अनुसार ही सारी प्रक्रिया और लोक सभा की भी हो। मैं समझता हूं कि एनडीए की सरकार को बहुत बधाई दी जानी चाहिए। ये सरकार जो भी निर्णय लेती है, सर्वानुमति के आधार पर लेती है। सबकी सहमति प्राप्त करके ये सरकार चलती है। हालांकि पहले 1991 की सहमति प्रदान की थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों की अपनी सीटें खतरे में जाने लगीं तो उन लोगों ने फिर दूसरा बवंडर खड़ा किया कि हमसे पूछा नहीं जा रहा है। यहां मुंशी जी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि राजस्थान का परिसीमन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और दूसरा चरण भी उसका पूरा हो गया था। हालांकि उसमें कुछ आपत्तियां थीं, जिनका निराकरण होने जा रहा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली का भी चल रहा था, क्योंकि कुछ बड़े लोगों की सीटें थोड़ी खतरे में पड़ रही थीं और कुछ समस्या पैदा हो रही थी, जिसके कारण ये घुमा-फिरा कर 1991 वाला जो निर्णय था उसे 2001 पर लाया गया और इसे आधार मान लिया, बहुत अच्छी बात है।

महोदय, सरकार को बधाई दी जानी चाहिए कि इस सरकार ने सभी दलों की सहमति प्राप्त करके, सर्वदलीय बैठक बुला कर, सब की जो राय थी – ''पंचों की राय सिर माथे,'' वाला काम किया। उसके अनुसार परिसीमन आयोग को कहा। तब लगभग एक करोड़ 25 लाख रुपए परिसीमन आयोग का, जो सारी प्रक्रिया तय करने, ड्राफटिंग बनाने, पहले रफ ड्राफटिंग और फिर मीटिंगें करने में और दूसरा ड्राफटिंग बनाने में, फिर फाइनलाइज करने में सारी चीजें हो चुकी थीं, लेकिन जब दोबारा 2001 का माना गया तो पहले वाला सारा मामला चला गया, अब फिर सारा मामला नये सिरे से प्रारम्भ हो रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से दो-तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा। पहला यह कि 2001 की जनगणना के आंकड़ों का प्रकाशन आफिशियली और अधिनियमित कब तक हो जाएगा। क्या परिसीमन आयोग की सीमा-रेखा निश्चित की जाएगी कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले परिसीमन हो जाएगा या उसके बाद में होगा या उन पर लागू ही नहीं होगा। लोगों गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। कुछ का कहना है आंकड़े बिलकुल तैयार हैं, केवल अधिसूचना जारी होनी है। अगर परिसीमन आयोग जून तक ये काम कर लेगा तो क्या उन पर यह नया परिसीमन आयोग, 2001 वाला लागू होगा, इस बारे में मंत्री जी जब उत्तर दें तो स्पष्ट रूप से बताएं ताकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां के विधान सभा के जो उम्मीदवार बनने वाले हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 1991 वाले में भी यह तय किया गया था कि 15 अगस्त, 2001 की एडमिनिस्ट्रेटिव युनिट्स मूल आधार होगी, मतलब 15 अगस्त, 2001 तक जो पंचायत, तहसील या ताल्लुका बन चुकी है, उसे आधार माना जाएगा। उसे आधार माना जायेगा तो अब कुछ स्थानों पर कुछ नई तहसीलें बननी हैं, कुछ राज्यों में कुछ नये जिले बनने हैं। ऐसी स्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स की अंतिम तारीख कौन सी रहेगी? अगर 2001 वाली जनगणना आधार होगी तो यह परिसीमन कब से लागू होगा और क्या जो निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं, इन विधान सभा के चुनावों पर भी लागू होगा क्या? उसके अगले वर्ष लोक सभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या हम लोग भी उसके लपेटे में आयेंगे? फिर हमारे सामने समस्या होगी कि जिन लोगों की सेवा हम अब तक करते रहे, माननीय सभापति महोदय, आपका जो निर्वाचन क्षेत्र रहा है, अब तक आप एम.पी.लेड. के माध्यम से या वहां पर लड़ाई करके, संघर्ष करके विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं या राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से विकास का जो कार्य करते रहे, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का आपने जो प्रयास किया है, उनकी आकांक्षाएं जहां आपने पूरी कीं, उसके स्थान पर अगर नया लोक सभा का क्षेत्र आपके और हमारे सामने आ जायेगा तो फिर हमारे सामने समस्या खड़ी हो जायेगी। हमें इस बारे में निश्चित किया जाना चाहिए कि अगले वर्ष अगली लोक सभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें परिसीमन चुनाव के बाद ही लागू होगा, उसके पहले नहीं होगा।

दूसरी एक और असंगति पैदा हुई है। राजस्थान के अन्दर जब यह परिसीमन का सारा खाका अभी सामने आ गया तो हमने देखा कि दक्षिणी राजस्थान में सारी एस.सी. की सीटें, आदिवासी क्षेत्र की सीटें दे दी गई हैं कि आगे जाकर कोई पृथक भीलिस्तान या आदिवासी स्थान की मांग उठ सकती थी। सारी उदयपुर, माननीय गिरिजा व्यास जी का जो क्षेत्र था, जो सामान्य सीट थी, वह भी एस.टी. की, चित्तौड़ की भी एस.टी. की और बांसवाड़ा तो पहले से ही एस.टी. की सीट है तो सारा दक्षिणी राजस्थान एस.टी. में आ गया। ऐसे ही उत्तर के अन्दर बीकानेर जनरल सीट थी, लेकिन वह एस.टी. की बन गई। गंगानगर पहले से ही एस.सी. की थी और सलुम्बर पहले ही एस.टी. की थी तो दक्षिण का सारा आदिवासी क्षेत्र बन गया है, उत्तर का एस.सी. का बन गया और बीच में कुछ नहीं, सारा असंतुलन हो गया। राजस्थान में दो बड़ी आदिवासी जातियां हैं, मीणा ट्राइब और भील ट्राइब। भील ट्राइब तो दक्षिणी राजस्थान में और मीणा ट्राइब मध्य राजस्थान में रहती है। परिणाम यह हुआ कि मध्य राजस्थान में एक भी एस.टी. की सीट नहीं रही तो बड़ा असंतुलन पैदा हो गया था। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में 2001 की आबादी को मानें तो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स कौन सी तारीख तक की मानी जाएंगी और कब से यह लागू होगा। हम और आप लोक सभा वाले भी और अभी जो निकट भविष्य में विधान सभा वाले भी इससे मुक्त रहेंगे या नहीं? इस प्रकार का असंतुलन पैदा नहीं होना चाहिए।

परिसीमन आयोग को सशक्त बनाया जाये। इस समय परिसीमन आयोग के पास सारे निर्वाचन आयोग के बाबू और अधिकारी हैं। निर्वाचन आयोग निर्वाचन का काम करेगा और परिसीमन आयोग परिसीमन का काम करेगा, परिणामस्वरूप वहां भी स्टाफ का अभाव है, साधनों का अभाव है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि परिसीमन आयोग को भी थोड़ा सशक्तीकरण और सुदृढ़ीकरण प्रदान की जाये।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार से 96वें संविधान संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं और कुछ बात बताना चाहता हूं।

सरकार परिसीमन के मामले में बिलकुल सीरियस नहीं है, किसी भी काम के लिए सीरियस नहीं है। सरकार की कुछ सोच भी नहीं है। इस विधेयक को अब लाया जा रहा है, जबकि इसे दो वर्ष पहले लाया जाना चाहिए था। बहुत विलम्ब से परिसीमन आयोग का गठन 12.7.2002 को किया गया। अगर इसका गठन पहले कर दिया गया होता तो शायद आगामी लोक सभा चुनाव में परिसीमन तय हो जाता। इस समय विधि मंत्री जी भी सदन में मौजूद नहीं हैं कि हमारे सुझाव सुनें। चलिये, कोई मंत्री तो हैं। जवाब तो केबिनेट मंत्री ही देंगे। बहरहाल मैं कह देना चाहता हूं कि 1952 से ऐसी बहुत सी सीटें उत्तर प्रदेश में एस.सी., एस.टी. के लिए रिजर्व थीं। 1952 से लेकर 2003 तक वे सारी सीटें उसी तरह से रिजर्व हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही जिले में बिहार विधान सभा क्षेत्र है, जो 1952 से आज तक आरक्षित है, जबकि पट्टी विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या जो जिले के आंकड़ें मौजूद हैं।

[श्री चन्द्रनाथ सिंह]

अनुसूचित जाति की संख्या पट्टी विधान सभा क्षेत्र में ज्यादा है लेकिन बिहार विधान सभा क्षेत्र को रिजर्व कर दिया गया है। अब यह बिल लाया जा रहा है और यह पास भी हो जायेगा। इसका कार्यकाल दो साल अनुमानित किया गया है यानि दो वर्ष में यह अपनी रिपोर्ट पूरी कर देंगे। यह बिल 2003 में पास हो रहा है और इसका दो साल का समय है यानी 2005 में इसकी रिपोर्ट आयेगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आगामी लोक सभा चुनाव में परिसीमन होगा या नहीं?

बहुत से संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं, विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां आबादी बहुत बढ़ गयी है और बहुत से क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनकी आबादी बढ़ी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर इसकी क्या इकाई रखी जायेगी? हमारे संसदीय क्षेत्र में बहुत से ब्लाक ऐसे हैं जो कि तीन-तीन संसदीय क्षेत्रों में हैं। उसके कुछ गांव हमारे संसदीय क्षेत्र में हैं, कुछ जौनपुर क्षेत्र में हैं और कुछ सैदपुर क्षेत्र में हैं। एक ऐसा साजन ब्लाक है जो कि तीन संसदीय क्षेत्र में एक ब्लाक है। इसमें डेवलपमेंट करने तथा क्षेत्र के अन्य कार्यों को करने के लिए हमें बड़ी दिक्कत होती है। यह जो गड़बढ़ है, उसमें सुधार करने के लिए सरकार क्या कर रही है? यह कांस्टीटूएंसी भौगोलिक दृष्टि से बनायी जायेगी या प्रशासनिक दृष्टि से बनायी जायेगी, यह भी आप स्पष्ट करें।

इसके साथ-साथ आरक्षण की जो व्यवस्था की गयी है, उसमें एक ही सीट हमेशा के लिए रिजर्व रहेगी। मेरा कहना है कि इतने वर्ष से अगर उसमें परिवर्तन नहीं लाया जा रहा है तो इससे उस क्षेत्र में जहां एस.सी./एस.टी. की जनसंख्या कम है और जहां ज्यादा है वहां होनी चाहिए। इसमें परिवर्तन लाया जाना चाहिए। इसकी इकाई क्या निर्धारित की जायेगी, यह भी मैं सरकार से जानना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ जो जनगणना होती है, उसमें भी बहुत गड़बढ़ होती है। मैं कहना चाहता हूं कि उसमें बहुत गड़बड़ है क्योंकि जनगणना के काम में प्राइमरी स्कूल की टीचर को लिया जाता है। प्रदेश में आज किसी विद्यालय में एक टीचर है तो किसी विद्यालय में दो टीचर हैं। उन बेचारों के ऊपर डी.एम. डंडा लेकर खड़ा हो जाता है कि तुम जनगणना करो। बच्चे स्कूलों में ऐसे ही बैठकर घर चले जाते हैं। उनको स्कूल में कोई पढ़ाने वाला नहीं है क्योंकि अध्यापक तो जनगणना में लगे होते हैं। इसके साथ-साथ जनगणना के आंकड़े भी सही नहीं होते क्योंकि उन लोगों के पास इतने साधन नहीं होते, इतना समय नहीं होता है कि वह सही जनगणना कर सकें।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार इतने विलंब से इस बिल को क्यों लेकर आई है और यह कब तक लागू होगा? कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उन राज्यों के चुनाव होने से पूर्व परिसीमन हो जायेगा या लोक सभा के चुनाव तक पूरा होगा? अगर लोक सभा के चुनाव तक नहीं हो पायेगा तो जिस संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या ज्यादा है और जिस संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या कम है, उसमें बड़ी दिक्कत होगी। जब आप इसे स्पष्ट करेंगे तभी मैं इस बिल कर समर्थन करूंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर (अकोला): महोदय, मैं आपको मुझे यह अवसर प्रदान करने पर धन्यवाद देता हूं।

आरंभ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली बार परिसीमन का कार्य 1967 में किया गया था। इसके बाद 1980 के दशक के अंत परिसीमन आयोग का गठन किया गया था लेकिन सदन का विघटन होने के कारण वह कार्य वहीं रोक दिया गया। मेरी भी वही भावना है। मुझे इस बात पर बहुत संदेह है कि क्या यह परिसीमन आयोग इस संसद के चुनाव होने से पूर्व अपना कार्य समाप्त कर लेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे विचार से संविधान संशोधन व्यर्थ होने जा रहा है।

यह सभा एक परिवर्तन चाहती है। यह कार्य तभी हो सकता है जब परिसीमन आयोग का कार्य अनुचित रूप से पूरा हो जाए और यदि यह इस लोक सभा चुनाव से पूर्व ही पूरा कर लिया जाए।

संविधान द्वारा गठित इस परिसीमन आयोग का एक उद्देश्य केवल क्षेत्रों में परिवर्तन करना ही नहीं है अपितु यह भी देखना है कि उनमें किसी अन्य का एकाधिकार न हो जाए। आजकल निर्वाचन क्षेत्रों में एकाधिकार है। यह पुराने प्रकार के साम्राज्यों को देश में औपचारिक लोकतांत्रिक प्रणाली में पुन: अस्तित्वमान होने से रोकने का एक तरीका है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से तत्काल जनगणना रिपोर्ट को प्रकाशित करने का अनुरोध करूंगा। 2001 के बाद परिसीमन आयोग के कार्य को पूरा करने हेतु मूल आवश्यकता जनगणना रिपोर्ट को प्रकाशित किए जाने की है।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा। बहुत पहले 1951 में डा. अम्बेडकर ने कहा था कि किसी न किसी समय हमें आरक्षित क्षेत्रों में अलग हटना पड़ेगा। मुझे संदेह है कि इस देश के राजनैतिक दलों में इस मुद्दे पर बोलने की भी हिम्मत है। वे कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि वे हमेशा वोट बैंकर के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहां मेरा अपना विचार है। यह ऐसे है कि जो स्थान 25 वर्षों से अधिक समय से आरक्षित रहे हैं उन्हें बदला जाना चाहिए और

उन निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ लोगों को अन्य निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए।

अपराह्न 5.41 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

ऐसी बात नहीं है कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या अधिकतम है। वे उन निर्वाचन क्षेत्रों में केवल लगभग 14 से 15 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उनकी जनसंख्या 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूंगा कि उन्हें यह देखना चाहिए कि इस बार जो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं वे पुन:आरक्षित न हों चाहें वहां अनुसूचित जातियों की संख्या राज्य में सर्वाधिक ही क्यों न हो। अन्यथा इस परिसीमन का कोई अर्थ नहीं है।

मैं यहां एक और सुझाव देना चाहूंगा। अनुसूचित जातियों के साथ एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। एक आदिवासी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो, आरक्षण का हकदार है। लेकिन अनुसूचित जातियों के मामले में 1956 में एक संविधान संशोधन किया गया था और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को केवल सिक्ख और हिन्दुओं तक ही सीमित रखा गया। वर्ष 1990 में इसमें बौद्धों को भी सम्मिलित कर लिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि धर्म के आधार पर आरक्षण को समाप्त किया जाए और जाति, जो कि पूर्व में आरक्षण प्रदान करने का आधार थी, के आधार पर ही इसे जारी रखा जाए और इस प्रयोजनार्थ एक संशोधन लाया जाना चाहिए। इसी प्रकार, 1990 में बौद्धों को आरक्षण किया गया था। यदि माननीय मंत्री जी वर्ष 2001 की जनगणना को आधार मानने जा रहे हैं तो मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या उन सभी लोगों को भी आरक्षण का हकदार समझा जाएगा जिन्होंने अपना धर्मान्तरण कर लिया है और क्या तदनुसार संख्या में वृद्धि की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर (अकोला): महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

अन्तत: यह अच्छा है कि माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2026 तक स्थानों की संख्या को जस का तस रखने का निर्णय लिया है। अन्यथा जिन राज्यों में परिवार कल्याण मानदण्डों का पालन किया है वे फायदों से वंचित और जिन राज्यों ने इनका पालन नहीं किया जैसे उत्तर प्रदेश, उसे 24 अतिरिक्त स्थान मिलते और बिहार, उसे 16 अतिरिक्त स्थान प्राप्त होते। अत:, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं कि जहां तक स्थानों के प्रतिनिधित्व का संबंध है तो वे राज्य दंडित न हों जिन्होंने भारत सरकार की नीतियों का पालन करते रहे है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास ऐसे छह और वक्ताओं की सूची है जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं मैं उन सभी को भाषण देने की अनुमति प्रदान करने की स्थिति में नहीं हूं। चूंकि यह मामला महत्वपूर्ण है, अत: वे केवल सुझाव दे सकते हैं। मैं उनके नाम पुकारूंगा और उसके बाद श्री विजय गोयल दो मिनट के लिए चर्चा में हस्तक्षेप करेगें फिर माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे और हम लगभग 6.15 बजे इस पर मतदान करा सकते हैं। अत: मैं माननीय संसद सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने भाषणों को केवल दो मिनट तक सीमित रखें और केवल सुझाव दें।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): अध्यक्ष महोदय, मैं इस संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्री एक संशोधन लाए थे और लगभग 145 आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया गया था। अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें 2001 की जनगणना रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा जो कि भविष्य में प्रकाशित होगी और विधान सभा व संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन का आधार बनेगी। मैं केवल यही प्रश्न पूछना चाहता था।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मैं खेदपूर्वक यह कहूंगा कि हमें करघे की तकली की भांति इधर से उधर कर घुमा दिया गया है। इस मामले पर पूर्व में विचार किया गया है और 1971 और 1991 के आधार को बदलकर अब 2001 कर दिया गया है।

मुझे विश्वास नहीं है कि हम, जैसा कि उद्देश्य और कारणों में बताया गया है, आने वाले दो वर्षों में परिसीमन कार्य पूरा कर सकेंगे। परिसीमन आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं। मेरे राज्य में, एक जिला विशेष बौंदा में विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या 1,57,000 के अंदर-अंदर होनी चाहिए और एक दूसरे क्षेत्र अंगुल जिले में यह 2,50,000 होनी चाहिए।

अब इस संविधान संशोधन के साथ ही पुन: परिसीमन अधिनियम में संशोधन होगा। इसमें बहुत समय लगेगा। अब, पुन: अधिनियम में संशोधन होगा और अधिनियम में संशोधन होने के बाद परिसीमन आयोग को यह निर्णय लेने में दो वर्ष का समय लगेगा कि किस प्रकार का निर्णय लिया जाए। मेरा सुझाव यह है

[श्री अनादि साहू]

कि माननीय मंत्री जी को नीतियां बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मुझे आशंका है कि यह एक समय पूर्व कवायद है। यह संशोधन भी समयपूर्व लगता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1991 की जनगणना का कार्य ही 1995 में पूरा हुआ है।

जनगणना एक बहुत ही व्यापक कार्य है। यह केवल लोगों की गिनती ही नहीं है। इसमें बहुत सी चीजों का लेखा-जोखा होगा और अंतत: उनका प्रकाशन होगा। हमारे ज्ञान और अनुभव के अनुसार जनगणना का कार्य चार या पांच वर्ष की समयावधि में पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए, मैं यह कह रहा हूं कि यह एक समयपूर्व कवायद है। मुझे केवल तभी प्रसन्नता होगी जब 2001 की जनगणना का कार्य 2003 या 2004 तक पूरा हो जाए। लेकिन जहां तक हमारे अनुभव का संबंध है वह थोड़ा भिन्न है। यह कार्य कभी भी दो से तीन वर्ष की सीमित अवधि में पूरा नहीं हुआ है। मुझे आशंका है कि यह एक बेहद समय पूर्व कवायद होगी और 2001 की जनगणना के आधार पर चुनाव कराने में संवैधानिक कठिनाई आएगी।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभी एहतियाती उपाय करें और उन्हें अपनी पूरी शक्ति इस बात पर लगा देनी चाहिए, चूंकि हम कम्प्यूटर युग में रह रहे हैं, कि अंतिम परिणाम कम से कम 2004 तक आ जाने चाहिएं।

दूसरे, मेरे विचार से सरकार को गलत सलाह दी गई है। विभिन्न विद्वानों राजनैतिक दलों व अन्य विशेषज्ञों, वकीलों सहित-वकीलों को विद्वान माना गया है-द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की रोशनी में यह कहा गया है कि सरकार यह निर्णय ले चुकी है। लेकिन माननीय मंत्री जी को जमीनी वास्तविकताओं और वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं है।

हमने पूर्व में चर्चा की थी और हमें निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर परिसीमन के प्रश्न पर विचार करने को कहा गया था क्योंकि सरकार की नीति का असमान रूप से कार्यान्वयन हुआ था और केवल कुछ राज्यों में इसे लागू किया गया था। परिसीमन के मामले में यह स्थिति थी। अत:, जहां तक इसका संबंध है, इसमें कठिनाइयां होंगी।

मैं श्री रमेश चेन्नितला द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत हूं कि आधार स्वरूप जिलों को लिया जाना चाहिए अन्यथा असमान परिवार नियोजन को आधार बनाने से बहुत सी कठिनाइयां होंगी।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे यह देखें कि 2001 के आंकड़े प्रकाशित और प्रचारित हों और परिसीमन से संबंधित कठिनाइयों पर संबंधित मंत्री जी द्वारा गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाए। इन्हीं चन्द शब्दों में साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): अध्यक्ष महदय, मैं संविधान के 96वें संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कानून मंत्री ने बिल्कुल सही किया कि जो परिसीमन आयोग बना था 12 जुलाई 2002 को, जिसको 1991 की जनगणना के आधार पर लोक सभा एवं विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन करना था, अब इसके लिए वे संविधान संशोधन लाए हैं कि इसको 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि अलग-अलग और बार-बार जो चुनाव हो रहे हैं, विधान सभा के अलग और लोक सभा के अलग, उसमें कानून मंत्री और परिसीमन आयोग को भी यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आज जो परिसीमन विधान सभा का कर दिया जाएगा जैसे दिल्ली के अंदर 1991 के आधार पर इस नवंबर में चुनाव होंगे, और बाद में जब परिसीमन होगा तो जो क्षेत्र हैं, वे बदले जाएंगे। नए परिसीमन के हिसाब से एम.एल.ए. और एम.पी. की सीट मानी जाएंगी या पुरानी मानी जाएंगी, यह भी परिसीमन आयोग को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि लोक सभा और विधान सभा में किसी तरह से भेद नहीं हो।

दूसरी बात मुझे कहनी है कि बहुत सारी कुरीतियां इसलिए हैं कि देश के अंदर अलग-अलग समय पर चुनाव हो रहे हैं। पंचायत के चुनाव एक बार होते हैं, फिर विधान सभा के चुनाव होते हैं, फिर बाय इलैक्शन्स और लोक सभा तथा राज्य सभा के चुनाव होते हैं। फिर कोई उप-चुनाव आ जाता है। अगर कानून मंत्री और सदन इस पर विचार करें और ध्यान दें कि देश में किस तरह से सारे चुनाव एक साथ किये जाएं कि एक साथ एम.पी., एम.एल.ए., म्यूनिसपल कार्पोरेशन आदि के चुनाव हों तो बहुत सारा रूपया और समय बचेगा और सरकार भी जो बहुत सारे कठोर निर्णय लेने हैं, वह लेने में सक्षम होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर कोई कमीशन या समिति बनाने की तरफ भी विचार करे तो अच्छा रहेगा।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, जो परिसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई, 2002 को हुआ था, पहले हमने कानून बनाया था कि 1991 की जनगणना के मुताबिक परिसीमन होगा और अब नया बिल सरकार लाई है कि 2001 की जनगणना के मुताबिक परिसीमन होगा। सरकार की भावना तो अच्छी है मगर मेरा कहना इतना ही है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है, यह

2004 से पहले ठीक ढंग से परिसीमन करने वाला है या नहीं? यह काम 2004 के चुनावों के पहले हो जाना चाहिए। यहां कानून मंत्री अरुण जेटली जी बैठे हैं और प्रधान जी भी आ गए हैं। यह काम 2004 के लोक सभा चुनाव के पहले पूरा होना चाहिए और अगर 2004 के पहले पूरा नहीं होता तो 1991 की सैन्सस के मुताबिक ही इलैक्शन होना चाहिए, यह मेरी मांग है।

मेरी दूसरी मांग है कि शुरू में 1 लाख की आबादी पर विधान सभा और 5 लाख की आबादी पर लोक सभा कांस्टीट्यूएंसी का क्राइटीरिया था। अब 35 लाख आबादी की कांस्टीट्यूएंसी है। इसलिए मेरी मांग है कि लोक सभा की जो 543 सीटें हैं, उनको बढ़ाकर 1086 करने की आवश्यकता है। हमारी मांग यह भी है और महिलाओं के रिजर्वेशन के बारे में मैंने जीरो आवर में भी उठाया था कि 543 सीटों के हिसाब से महिलाओं के लिए भी 182 सीटें बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं प्रधान मंत्री जी से विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि महिलाओं को न्याय देने के लिए भी उनकी सीटें बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हमारी सीटें बढ़कर 1086 होती हैं तो महिलाओं के लिए भी सीटें बढ़ाकर 304 करने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र में लोक सभा की 48 सीटें और विधान सभा की 188 सीटें हैं। महाराष्ट्र में दलित समाज बनने के बाद लोक सभा की छः सीटें कम होकर तेरह हो गई हैं और विधान सभा की 36 सीटें कम होकर 18 हो गई हैं। 2004 के इलैक्शन के पहले महाराष्ट्र में शैड्यूल्ड कास्ट्स की जो लोक सभा की 13 सीटें हैं और विधान सभा की 18 सीटें हैं, उनको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए इस बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि जो मैंने मांग की है कि 1200 सीटें बढ़ा दें, तो बहुत अच्छा होगा और डीलिमिटेशन भी ठीक ढंग से होगा। महोदय, चूंकि परिसीमन होने वाला है इसलिए चुनाव में आपका हो जाएगा बहिर्गमन। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिभाऊ शंकर महाले अपना भाषण सभा पटल पर रखेंगे। अब श्री सुबोध मोहिते बोलेंगे।

[हिन्दी]

***श्री हरीभाऊ शंकर महाले** (मालेगांव): माननीय सभापति महोदय, सदन में चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में विधेयक आया है। मुझे इस विषय पर बोलने के लिये समय दिया, मैं आपका आभारी हूं।

भारत में 1950 साल से लगातार नियमानुसार चुनाव हो रहा है। प्रत्येक जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कमेटी बैठती है और संसद सदस्यों और विधायकों की सीटें तय की जाती हैं। अभी भी चुनाव आयोग ने डीलिमिटेशन कमेटी बना दी है। इस कमेटी ने कहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार सीटों का बंटवारा करना चाहिये और इसके लिये सब राजनैतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिये। इस बारे में बहुत विवाद है। सीटों का बंटवारा करते समय निष्पक्ष होकर काम करने की जरूरत है। खाली आबादी का हिसाब देखने से, यह काम होने वाला नहीं है। किसी स्थान की पहाड़ी या भौगोलिक परिस्थिति कैसी है उसे भी देखना चाहिये। नासिक जिले में पंद्रह तहसीलें हैं। आधी नासिक तहसील और पूरी इगतपुरी तहसील दूसरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ दी गयी है। तहसील सटाणा, तहसील, ककबण, तहसील देवला धुलिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ दी गई हैं। नासिक जिले में दो लोक सभा सीटें हैं- मालेगांव और नासिक। नासिक लोक सभा सीट को नगर जिले की अकोला तहसील से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण संसद सदस्यों को आफिशियल और अन्य काम करना मुश्किल हो रहा है। मेरी आपके माध्यम से विनती है कि 2001 की जनगणना के आधार पर चुनाव कराना, भौगोलिक स्थिति देखना, निष्पक्ष रूप से सीटों का बंटवारा करना, अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों में सुधार करना जरूरी होगा ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक ही सुझाव है, जिसका पिछले 50 सालों से आज तक साल्यूशन नहीं निकला है। यह बिल दो बातों के लिए लाया गया है। पहली बात तो यह है कि पापुलेशन बेस्ड डीलिमिटेशन, जिसको रैशनलाइजेशन आफ दि कांस्टीट्यूएंसी कहा है और दूसरा रिजर्वेशन एंड फिक्सेशन। महाराष्ट्र में दो जातियां ऐसी हैं जिनका स्टेटस आज तक न हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है और न स्टेट गवर्नमेंट को। वह है एक तो हलबा समाज और दूसरा है गोवारी समाज। गोवारी समाज के 114 लोग शहीद हो गए, लेकिन उनको यह पता नहीं कि वे शेड्यूल्ड कास्ट्स में हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में हैं या ओपन में हैं। हलबा की भी यही सिचुएशन है। उनका 50 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि आन दि बेसिस आफ हलबा, वह कांस्टीट्यूएंसी रिजर्व की जाती है। हलबा का रिजर्व कैंडीडेट चुनकर आ जाता है, लेकिन उसे एक महीने के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में चार बाई इलैक्शन छः महीने में हो चुके हैं और आने वाले समय में छः इलैक्शन और होने वाले हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हलबा गोवारी समाज को जातियों को फिक्स करने

*लिखित भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

[श्री सुबोध मोहिते]

की जरूरत है कि वे आखिर किस जाति में हैं अर्थात् क्या वे अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या ओपन कास्ट हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं डीलिमिटेशन के बारे में कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले आर्टीकल 330 के मुताबिक ट्राइबल लोगों के लिए, प्लेन्स ट्राइबल, दो पार्लियामेंट्री सीट रिजर्व होनी चाहिये।

[अनुवाद]

असम में 14 संसदीय सीटें हैं। इन 14 संसदीय सीटों में से कम से कम 2 सीटें मैदानी क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों के लिए सुरक्षित की जानी चाहिए। कुल 126 विधान सभा सीटों में से कम से कम 20 विधान सभा की सीटें मैदानी क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों के लिए सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(ख) के अधीन एक प्रावधान है। इस प्रावधान के संशोधन किया जाना चाहिये ताकि बाहर के आदिवासियों के अतिक्रमण को रोककर, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के निम्नतम राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित किये जा सकें भारत में कतिपय संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोई भी बाहर का व्यक्ति जाकर चुनाव नहीं लड़ सकता। लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र, सिक्किम संसदीय क्षेत्र और दीफु संसदीय क्षेत्रों के मामले में कोई भी बाहर का व्यक्ति जाकर चुनाव नहीं लड़ सकता परन्तु कोकराझार (अ.ज.जा.) संख्या 5 संसदीय क्षेत्र के मामले में देश का कोई भी आदिवासी वहां जाकर चुनाव लड़ सकता है। महोदय, मैं इस संबंध में विधि मंत्रालय से संरक्षण चाहता हूं। इसी कारण मैं भारत सरकार से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(ख) में संशोधन करने की अपील करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक और मुद्दा लाना चाहता हूं, कि 2001 में सैंसस को बेसिस करके डीलिमिटेशन किया जाएगा, तो असम में आज तक जितने लोग बाहर से आए हैं, मायग्रेशन चल रहा है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

जिन लोगों की राष्ट्रीयता संदेहास्पद है, वर्ष 2001 की जनगणना के दौरान उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आप्रवास अभी भी जारी है। कोई भी बाहर से हो रहे आप्रवासन को रोकने के लिए गम्भीर नहीं है।

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति अत्यधिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस संविधान (संशोधन) विधेयक पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किये हैं। तथापि समय के अभाव के कारण मैं केवल कुछ मुख्य मुद्दों पर ही विचार करूंगा जो कि बहस के दौरान उठाये गए हैं।

एक प्रश्न, जो कि बहुत से सदस्यों द्वारा उठाया गया है, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सीटों के संबंध में, वह यह है कि उनके निर्धारण का आधार क्या है और क्या उन सीटों में फेरबदल किया जाना चाहिए। संविधान (संशोधन) विधेयक, और परिसीमन अधिनियम, की धारा 9 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन दोनों के लिए निर्धारित आधारों में थोड़ा सा अन्तर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों के आरक्षण का निर्धारण उनकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात के आधार पर होगा। कौन-कौन से संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे? अनुसूचित जाति के संसदीय क्षेत्रों के मामले में कुछ निर्देश दिये गए हैं। वह निर्देश यह है कि तुलनात्मक दृष्टि से यदि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अधिक है वहां पर यह मामला नग्यता प्रदान की गई है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी अनुसूचित जाति की सीटें राज्य के एक भाग में ही केन्द्रित न हो और राज्य का बाकी भाग अनुसूचित जाति की सीटों के प्रतिनिधित्व से वंचित न रह जाए।

तथापि अनुसूचित जनजाति की सीटों के लिए स्पष्ट अंकगणितीय सूत्र दिया गया है। जिन संसदीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है वहां वांछनीय है कि उनका प्रतिनिधित्व अनुसूचित जनजाति का ही उम्मीदवार करें। जहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक होगी वह सीट स्वत: अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हो जाएगी।

अब, यदि हम इन सीटों का चक्रानुक्रमण प्रारम्भ करते हैं तो इस संबंध में कुछ प्रश्न उठेंगे। पहला प्रश्न यह है कि यदि इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके लिए सभा में व्यापक सहमति बनाये जाने की आवश्यकता होगी जो कि विभिन्न

राजनीतिक दलों के बीच विभिन्न मुद्दों पर हुई बहस के दौरान अब तक नहीं बनायी जा सकी है।

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि चक्रानुक्रमण के कारण किसी स्थान विशेष पर कुछ विषय परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है उदाहरण के लिए चक्रानुक्रमण से उन संसदीय क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया जा सकता है जहां कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न हो और उन संसदीय क्षेत्रों को अनारक्षित कर दिया जाए जहां उनकी जनसंख्या काफी अधिक हो। अब ऐसी विषमताएं उत्पन्न होंगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चक्रानुक्रमण के प्रश्न पर अभी भी कोई व्यापक सहमति नहीं बनी है, अत: इस विधेयक के वास्तविक स्वरूप में या वर्तमान संशोधित स्वरूप में चक्रानुक्रमण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा एक अन्य प्रश्न उठाया गया था कि हम 1991 की जनगणना के आधार पर वर्तमान चुनाव क्यों नहीं कराते। दूसरा मुद्दा जो उठाया गया था वह यह कि हमें यह सब डेढ़ वर्ष पहले देखना चाहिये था जबकि संविधान में इस संबंध में पहला संशोधन किया गया था। जब यह संशोधन लाया गया तो वह एक संवैधानिक आवश्यकता थी। यह एक संवैधानिक आवश्यकता थी, क्योंकि 1973 में संविधान संशोधन किया गया तो उसके बाद होने वाले संसद के चुनावों को नई वितरण व्यवस्था के अनुसार कराया जाना था। अतएव यद्यपि जनगणना वर्ष 2001 में हुई थी परन्तु इसके आंकड़ों का पूर्वानुमान वर्ष 2003 के अंत तक ही लग पाएगा। पहले इसमें चार से छ: वर्ष तक का समय लगता था। अब यह अवधि कम हो गई है क्योंकि इस प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के साफ्टवेयर विकसित कर लिये गए हैं।

हमारी प्रमाणिक पूछताछ के आधार पर मुझे यह पता चला है कि शायद इस वर्ष सितम्बर या अक्तूबर में जनगणना के अंतिम आंकड़े प्रकाशित कर दिये जाएंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 82 के आदेश में आखिरी जनगणना कहा गया है। वर्ष 2001 में जनगणना पहले ही हो चुकी है लेकिन धारा 81 का परन्तुक पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या का निर्धारण पिछली प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होगा।

वर्तमान जनगणना की स्थिति यह है कि इसके अनन्तिम आंकड़ें पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं और इसके अंतिम आंकड़े सितम्बर या अक्तूबर तक प्रकाशित हो जाएंगे। अनन्तिम और अंतिम आंकड़ों में अंतर से उन संसदीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के पिछले आंकड़ों के बारे में पता चलेगा। अंतिम आंकड़ों के एक बार प्रकाशित होने पर इसके बारे में ज्ञात हो सकेगा। परिसीमन आयोग द्वारा काफी कार्य पहले ही किया जा चुका है। परिसीमन आयोग इस प्रक्रिया में काम करता रहेगा, क्योंकि उनके पास अस्थायी आंकड़ें है।

जहां तक संसदीय क्षेत्रों के वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन का संबंध है, सितम्बर या अक्तूबर में अंतिम आंकड़ों के प्रकाशित होने के पश्चात अपनी आंतरिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत जब फिर से सारी प्रक्रिया प्रारम्भ होगी विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अधिक जनसंख्या वाले संसदीय क्षेत्रों के संबंध में तब वे पुनर्गठन का कार्य करने की स्थिति में होंगे। इसके पश्चात प्रस्ताव का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने एसोसिएट सदस्यों की सम्बद्धता और आयोग के कार्य में एसोसिएट सदस्यों की सम्बद्धता के ढंग के बारे में सवाल उठाये हैं। परिसीमन अधिनियम में तीन सदस्यों और एसोसिएट सदस्यों का प्रावधान है। एसोसिएट सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता पर इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य सभी गतिविधियां में भाग लेने का अधिकार होता है। परिसीमन अधिनियम में उन्हें मत देने का अधिकार न दिए जाने का कारण यह है कि ऐसा संभव हो सकता है कि किसी राज्य विशेष में किसी राजनीतिक दल को विधानसभा और संसद दोनों में प्रतिनिधित्व के मामले में बहुमत प्राप्त हो तो उसे राजनीतिक दल के नामनिर्देशित एसोसिएट सदस्य प्रभावशाली हो सकते हैं। उन्हें मतदान के अधिकार का मतलब होगा कि परिसीमन आयोग में उस राजनीतिक दल के नामित सदस्य संसदीय क्षेत्र की प्रकृति के निर्धारण में निर्णायक होंगे और इससे इन संसदीय क्षेत्रों में किसी रूप में हावी हो सकते है। इसीलिए मतदान का अधिकार नहीं किया गया बाकी सभी अधिकार हैं। मतदान का अधिकार केवल पूर्णकालिक सदस्यों को है। जैसा कि मैंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा था मैंने यह मुद्दा मौखिक और लिखित दोनों रूप में परिसीमन आयोग के सामने उठाया था अब उन्होंने एक लिखित उत्तर में मुझे आश्वासन दिया है कि मसौदा प्रस्ताव तैयार करने के चरण से, जो कि पहला प्रस्ताव बनाया जाना है, एसोसिएट सदस्यों को सभी चरणों में सभी प्रक्रियाओं में शामिल किया जाएगा। मैं इस संबंध में परिसीमन आयोग द्वारा मुझे भेजे गये उत्तर की प्रतिलिपि सभी राजनीतिक दलों और उनके अध्यक्षों के बीच परिचालित कर दी है।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि इस संविधान संशोधन की स्वीकृति के बाद क्या परिसीमन अधिनियम में परिणामत: होने वाले संशोधन की आवश्यकता होगी। हां इसकी आवश्यकता होगी। चूंकि यह संविधान संशोधन राज्यों को भी प्रभावित करता है इसलिए 50 प्रतिशत राज्यों को इसका अनुसमर्थन करना होगा और औपचारिक और संविधान संशोधन एक औपचारिक संशोधन होगा।

[श्री अरुण जेटली]

परिसीमन अधिनियम में चार स्थानों पर अंक 1991 आया है अत: इसको बदलकर 2001 करने की आवश्यकता होगी:-

इस संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाये गये हैं और चिन्ताएं व्यक्त की गयी है कि क्या इस कार्य को अक्तूबर 2004 तक पूरा करना सम्भव होगा जबकि सामान्यत: लोक सभा के चुनाव होने का अनुमान है। इस बहस से पहले मैंने यह विषय परिसीमन आयोग के सामने उनके विचार जानने के लिये उठाया था। उनके द्वारा किये जा रहे कार्य के आधार पर मुझे बताया गया कि पहले इसमें पांच-छह वर्ष लगते पर अब यह संभव है क्योंकि इस कार्य को पूरा करने के लिए कई प्रकार के साफ्टवेयर और मशीनरी उपलब्ध है। उन्होंने मुझे बताया कि वे इस कार्य को अगले वर्ष के मध्य तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। सार्वजनिक आपत्तियों, आदि के अध्यधीन यदि ऐसा करना सम्भव हुआ तो अब सरकार के पास ये सिफारिशें प्रस्तुत की जायेंगी तो एक प्रश्न उठेगा कि इन्हें इस चुनावों के लिए अधिसूचित किया जाए या अगले चुनावों के लिए अत: श्री अलवी ने जो सम्भावना जतायी है कि यदि यह कार्य लोक सभा के अगले चुनावों के पश्चात् भी चला तो नए एसोसिएट सदस्य आएंगे और सारी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी, यह समस्या वास्तविक नही हैं और हम आशा व्यक्त करते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। हम इस तथ्य के प्रति भी सचेत रहेंगे कि उम्मीदवारों वर्तमान और सदस्यों को उचित समय रहते इस बारे में सूचना दी जाए ताकि वे अग्रिम तौर पर जान पाएं कि उनके संसदीय क्षेत्र का स्वरूप कैसा होगा। अन्तिम समय में अधिसूचित करके यह बताना कि उनके संसदीय क्षेत्र का स्वरूप बदल गया है, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए ठीक नहीं होगा। हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर स्थिति से निपटने का प्रयास करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय ऐसा लगता है कि वर्तमान उपलब्ध प्रौद्योगिकी के बावजूद यह सम्भव नहीं होगा या ऐसा सम्भव होता दिखाई नहीं पड़ता कि 2001 की जनगणना के आंकड़े को अगले चुनावों में लागू किया जा सकेगा, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव अक्तूबर की आखिरी तारीख को करायें। मैंने केवल यही बात कही थी।

श्री अरुण जेटली: यदि यह सम्भव हुआ तो शायद हम अगले चुनाव इस अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे यदि हमारे भरसक प्रयत्नों के बावजूद यह सम्भव नहीं हो पाया तो तब जो स्थिति उत्पन्न होगी हम उससे निपटेंगे। इस मुद्दे पर आज निश्चय कर पाना, इस प्रकार अनुमान लगाने का कार्य करके हामी भरना औचित्यपूर्ण नहीं होगा और इससे उम्मीदवारों और सदस्यों के मन में अनिश्चितता होगी।

सीटों की संख्या जो किसी राज्य में पांच से विभक्त नहीं होती, के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया था। अत: कठिनाइयों के समाधान के तहत हम देखेंगे कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए।

इस अधिनियम की धारा 10(6) में कहा गया है कि वे अपने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। वह कार्यकाल जुलाई में समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि तब तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा और यदि नहीं तो उनका समय उचित ढंग से बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इस संबंध में 'प्रयास किये जाने वाले खंड' को स्वीकृति देनी होगी।

अंत में, नव बौद्धों की स्थिति के संबंध में भी एक प्रश्न उठाया गया था। 1990 के आदेश के बाद महाराष्ट्र में उन्हें अनुसूचित जाति का माना जाएगा और उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखा जाएगा। कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत की गणना करते समय श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था और महाराष्ट्र राज्य में आरक्षित संसदीय क्षेत्रों की संख्या बढ़ने के कारणों में एक यह भी रहा होगा।

महोदय माननीय सदस्यों द्वारा बहुत से छोटे-छोटे मुद्दे भी उठाये गये हैं। पर चूंकि आपने मतदान का समय निर्धारित कर दिया है, मैं उनमें से प्रत्येक का उत्तर नहीं दूंगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस संविधान (संशोधन) विधेयक को पारित करने का आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान संशोधन विधेयक है अत: इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें खाली कर दी जायें-

अब दीर्घायें खाली कर दी गयी हैं। विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान संशोधन विधेयक है, अत: इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 5] [अपराह्न 6.15 बजे

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

ईडन, श्री जार्ज

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एलानगोवन, श्री पी.डी.

ओला, श्री शीश राम

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

*कथीरिया, डा. वल्लभभाई

करूणाकरन, श्री के.

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारासामी, श्री पी.

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री मनसूर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी.आर.

खैरे, श्री चन्द्रकांत

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गामलिन, श्री जारबोम

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत श्री रामदास रूपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चोखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री विकास

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जाधव, श्री सुरेश रामराव

जाफर शरीफ, श्री सी.के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस

जालप्पा, श्री आर.एल.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोस, श्री ए.सी.

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, डा. सी.पी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

डूडी, श्री रामेश्वर

तिरुनावुकरसर, श्री सु

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी श्री सुन्दरलाल

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दलित इजिलमलाई, श्री

दास, श्री खगेन

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दिनाकरन, श्री टी.टी.वी.

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देलकर, श्री मोहन एस.

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

देवगौड़ा, श्री एच.डी.

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नागमणि, श्री

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नायक, श्री ए. वेंकटेश

नीतीश कुमार, श्री

पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परांजपे, श्री प्रकाश

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पांडियन, श्री पी.एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटिल, श्री आर.एस.

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री भास्करराव

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

*पायलट, श्रीमती रमा

पार्थसारथी, श्री बी.के.

पाल, डा. महेन्द्र सिंह

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम.ओ.एच.

बंगरप्पा, श्री एस.

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह

''बचदा'', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बराड़ श्री. जे. एस.

बसवनागौड, श्री कोलूर

बसवराज, श्री जी.एस.

बालू, श्री टी.आर.

बिन्द, श्री रामरती

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बुन्देला, श्री सुजान सिंह

बेगम नूर बानो

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोचा, श्री सत्यनारायण

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगत, प्रो. दुखा

भगोरा, श्री ताराचन्द

भाटिया, श्री आर.एल.

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

*मंजय लाल, श्री

*मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मकवाना, श्री सवशीभाई

मलयसामी, श्री के.

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

महेता, श्रीमती जयवंती

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

मान, श्री जोरा सिंह

माने, श्री शिवाजी

माने, श्रीमती निवेदिता

मिश्र श्री राम नगीना

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत

मुण्डा, श्री कड़िया,

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के.एच.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मुरलीधरन, श्री के.

मुरूगेसन, श्री एस.

मूर्ति, श्री ए.के.

मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

यादव, श्री अखिलेश

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री प्रदीप

यादव, श्री बलराम सिंह

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमैया, डा. बी.बी.

रनि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजा, श्री ए.

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.

रामशकल, श्री

रामुलू, श्री एच.जी.

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री विष्णु पद

*राय, श्री सुबोध

*राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन

रियान, श्री बाजू बन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

रेड्डी, श्री बी.वी.एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, डा. साहिब सिंह

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाघेला, श्री शंकर सिंह

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.

विजयन, श्री ए.के.एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिवकुमार, श्री वी.एस.

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.

श्रीनिवासन, श्री सी.

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन.टी.

सईद, श्री पी.एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई.जी.

सरोज, श्री तूफानी

सरोज, श्रीमती सुशीला

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के.ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचंद

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रमण

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री चरनजीत

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के.पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुधीरन, श्री वी.एम.

*सुनील दत्त, श्री

सुब्बा, श्री एम.के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेल्वागनपति, श्री टी.एम.

सोराके, श्री विनय कुमार

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय: **शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 359

विपक्ष में : कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**पक्ष में: श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी, डा. वल्लभभाई कथीरिया, सर्वश्री ब्रह्मानन्द मंडल, मंजय लाल, श्रीमती रमा पायलट, सर्वश्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव, सुबोध राय और सुनील दत्त ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया। कुल - 367

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड 2 से 5 में कोई संशोधन नहीं है। यदि सभा सहमत हो तो मैं खण्ड 2 से 5 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। इस स्थिति में मतदान का परिणाम प्रत्येक खण्ड पर अलग-अलग लागू होगा। मुझे आशा है कि सभा सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं; अब मैं खण्ड 2 से 5 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 6] [अपराह्न 6.20 बजे

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

ईडन, श्री जार्ज

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

एर्टकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एलानगोवन, श्री पी.डी.

ओला, श्री शीश राम

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

करूणाकरन, श्री के.

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री अरुण

*कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारासामी, श्री पी.

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री मनसूर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी.आर.

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गामलिन, श्री जारबोम

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री विकास

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जाधव, श्री सुरेश रामराव

जाफर शरीफ, श्री सी.के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस

जालप्पा, श्री आर.एल.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोस, श्री ए.सी.

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, डा. सी.पी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

डूडी, श्री रामेश्वर

तिरुनावुकरसर, श्री सु

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

*थामस, श्री पी.सी.

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दलित इजिलमलाई, श्री

दास, श्री खगेन

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दिनाकरन, श्री टी.टी.वी.

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देलकर, श्री मोहन एस.

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

देवगौड़ा, श्री एच.डी.

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नागमणि, श्री

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नायक, श्री ए. वेंकटेश

नीतीश कुमार, श्री

पटनायक, श्री कुमुदिनी

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परांजपे, श्री प्रकाश

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पांडियन, श्री पी.एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटिल, श्री आर.एस.

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री भास्करराव

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पायलट, श्रीमती रमा

पार्थसारथी, श्री बी.के.

पाल, डा. महेन्द्र सिंह

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम.ओ.एच.

बंगरप्पा, श्री एस.

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह

''बचदा'', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बराड़ श्री. जे. एस.

बसवनागौड, श्री कोलूर

बसवराज, श्री जी.एस.

बालू, श्री टी.आर.

बिन्द, श्री रामरती

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बुन्देला, श्री सुजानसिंह

बेगम नूर बानो

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोचा, श्री सत्यनारायण

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगत, प्रो. दुखा

भगोरा, श्री ताराचन्द

भाटिया, श्री आर.एल.

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मकवाना, श्री सवशीभाई

मलयसामी, श्री के.

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

महेता, श्रीमती जयवंती

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

मान, श्री जोरा सिंह

माने, श्री शिवाजी

माने, श्रीमती निवेदिता

मिश्र श्री राम नगीना

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत

मुण्डा, श्री कड़िया,

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुरूगेसन, श्री एस.

मूर्ति, श्री ए.के.

मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

यादव, श्री अखिलेश

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

*यादव, श्री प्रदीप

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमैया, डा. बी.बी.

रवि, श्री शोशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजा, श्री ए.

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.

रामशकल, श्री

रामुलू, श्री एच.जी.

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री विष्णु पद

राय, श्री सुबोध

राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रावले, श्री मोहन

रियान, श्री बाजू बन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

रेड्डी, श्री बी.वी.एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

वंग्चा, श्री राजकुमार

*वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, डा. साहिब सिंह

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ति सिंह

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.

विजयन, श्री ए.के.एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिवकुमार, श्री वी.एस.

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.

श्रीनिवासुलु, श्री सी.

श्रीनिवासन, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन.टी.

सईद, श्री पी.एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई.जी.

सरोज, श्री तूफानी

सरोज, श्रीमती सुशीला

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के.ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

साहू, श्री अनादि

*साहू, श्री ताराचंद

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रमण

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री चन्द्रनाथ

सिंह, श्री चरनजीत

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के.पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुधीरन, श्री वी.एम.

सुनील दत्त, श्री

सुब्बा, श्री एम.के.

सुमन, श्री रामजीलाल

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेल्वागनपति, श्री टी.एम.

सोराके, श्री विनय कुमार

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय: **शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है:

पक्ष में : 364

विपक्ष में कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,-

"(छियानवेंवा संशोधन)" *के स्थान पर*

"(सतासींवा संशोधन)" *प्रतिस्थापित किया जाए"*

(1)

(श्री अरुण जेटली)

*इस मत विभाजन का परिणाम प्रत्येक खंड पर अलग-अलग लागू होगा।

**पक्ष में: सर्वश्री वी. धनंजय कुमार, एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव, ताराचन्द साहू, पी.सी. थामस, चिंतामन वनगा और प्रदीप यादव ने पर्चियों के माध्यम से मतदान किया। कुल 370

अध्यक्ष महोदय: अब मैं खंड 1 को संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिए रखूंगा

प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: मैं यह प्रस्ताव करने से पूर्व कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए, यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अत: इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें पहले ही खाली कर दी गयी हैं।

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 7] [सायं 6.25 बजे]

अजय कुमार, श्री एस.

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत

अय्यर, श्री मणि शंकर

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

ईडन, श्री जार्ज

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एलानगोवन, श्री पी.डी.

ओला, श्री शीश राम

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

करूणाकरन, श्री के.

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारासामी, श्री पी.

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री मनसूर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी.आर.

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गामलिन, श्री जारबोम

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री विकास

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री बालकृष्ण

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जाधव, श्री सुरेश रामराव

जाफर शरीफ, श्री सी.के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस

जालप्पा, श्री आर.एल.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोस, श्री ए.सी.

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, डा. सी.पी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

डूडी, श्री रामेश्वर

तिरुनावुकरसर, श्री सु

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

*थामस, श्री पी.सी.

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दलित इजिलमलाई, श्री

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दास, श्री खगेन

दिनाकरन, श्री टी.टी.वी.

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देलकर, श्री मोहन एस.

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

देवगौड़ा, श्री एच.डी.

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नागमणि, श्री

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नायक, श्री ए. वेंकटेश

नीतीश कुमार, श्री

पटनायक, श्री कुमुदिनी

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परांजपे, श्री प्रकाश

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पांडियन, श्री पी.एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटिल, श्री आर.एस.

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री भास्करराव

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पायलट, श्रीमती रमा

पार्थसारथी, श्री बी.के.

पाल, डा. महेन्द्र सिंह

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पुगलिया, श्री नरेश

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम.ओ.एच.

बंगरप्पा, श्री एस.

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह

''बचदा'', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बराड़ श्री. जे. एस.

बसवनागौड, श्री कोलूर

बसवराज, श्री जी.एस.

बालू, श्री टी.आर.

बिन्द, श्री रामरती

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बुन्देला, श्री सुजानसिंह

बेगम नूर बानो

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोचा, श्री सत्यनारायण

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगत, प्रो. दुखा

भगोरा, श्री ताराचन्द

भाटिया, श्री आर.एल.

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मकवाना, श्री सवशीभाई

मलयसामी, श्री के.

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

महेता, श्रीमती जयवंती

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

मान, श्री जोरा सिंह

माने, श्री शिवाजी

माने, श्रीमती निवेदिता

मिश्र श्री राम नगीना

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत

मुण्डा, श्री कड़िया,

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुरूगेसन, श्री एस.

मूर्ति, श्री ए.के.

मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस.

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

यादव, श्री अखिलेश

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री प्रदीप

यादव, श्री बलराम सिंह

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमैया, डा. बी.बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजा, श्री ए.

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.

रामशकल, श्री

रामुलू, श्री एच.जी.

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री विष्णु पद

राय, श्री सुबोध

राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन

रियान, श्री बाजू बन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

रेड्डी, श्री बी.वी.एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, डा. साहिब सिंह

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ति सिंह

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाघेला, श्री शंकर सिंह

*वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर.

विजयन, श्री ए.के.एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिवकुमार, श्री वी.एस.

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.

श्रीनिवासन, श्री सी.

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन.टी.

सईद, श्री पी.एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई.जी.

सरोज, श्री तूफानी

सरोज, श्रीमती सुशीला

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के.ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचंद

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रमण

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री चन्द्रनाथ

सिंह, श्री चरनजीत

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के.पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुधीरन, श्री वी.एम.

सुनील दत्त, श्री

सुब्बा, श्री एम.के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेल्वागनपति, श्री टी.एम.

सोराके, श्री विनय कुमार

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय: *शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 369

विपक्ष में : कोई नहीं

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

विधेयक संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: दीर्घाएं अब खोल दी जाएं। अब सभा कल 7 मई 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.26 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 7 मई 2003/17 वैशाख, 1925 (शक) के पूर्वाहन ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

---

*पक्ष में: श्री पी.पी. थामस और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया। कुल 371

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

मंगलवार, 6 मई, 2003/16 वैशाख, 1925 (शक)

का

शुद्धि पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
223	20	मंत्री के बाद "दिनांक 16.4.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3599 के उत्तर के संबंध में" जोड़िए।	
437	18	पटनायक, श्री कुमुदिनी	पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी
445	पाद टिप्पणी	श्री पी.पी.थामस	श्री पी.सी. थामस

पी.एल.एस.–48.34.34/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।